

आधुनिक भारत का इतिहास





KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

OFFLINE COURSE

UPSC-GS (Prelims + Mains)

Foundation Programme 2024-25

English Medium



Karol Bagh Centre
Add: 57/14, Old Rajendra Nagar,
New Delhi - 110060
Ph.No.: +91 9205 777 818

Hindi Medium



Mukherjee Nagar Centre
Add: 704, Ground Floor, Main Road,
Front Of Batra Cinema, Mukherjee
Nagar, Delhi - 110009
Ph.No.: +91 9205 777 817

ONLINE COURSE

UPSC (Pre + Mains)



English Medium

Batch Starts **26th September**



Hinglish Medium

UPSC-CSAT

English

Hindi

**Batch Starts
10th October**

Admission Open



Download Our Official App






By Khan Sir & Team

विषय-सूची

Module - I

1. यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार

- ♦ पृष्ठभूमि/भूमिका
- ♦ पुर्तगाली
 - पतन के कारण
- ♦ डच
 - व्यापार की स्थापना
 - पतन
- ♦ अंग्रेज
 - ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति
- ♦ डेनिस
- ♦ फ्रांस
 - भारत में केंद्रों की स्थापना
 - असफलता के कारण
- ♦ कर्नाटक में एंग्लो-फ्रेंच प्रतिस्पर्धा
- ♦ पृष्ठभूमि
- ♦ व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध
 - प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-48)
 - द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749-1754)
 - तृतीय कर्नाटक युद्ध (1756-63)

2. भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश विजय

बंगाल विजय

- ♦ भूमिका
- ♦ ब्लैक होल की घटना
- ♦ प्लासी का युद्ध (23 जून 1757)
 - भूमिका
 - राजनीतिक कारण

- आर्थिक कारण
- तात्कालिक कारण
- युद्ध का घटना क्रम
- प्लासी युद्ध का प्रभाव
- राजनीतिक प्रभाव
- आर्थिक प्रभाव
- विश्लेषण
- ♦ बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर 1764)
 - पृष्ठभूमि
 - राजनीतिक कारक
 - आर्थिक कारक
 - बक्सर युद्ध का प्रभाव
 - अवध के साथ समझौता
 - इलाहाबाद की संधि
- ♦ बंगाल में द्वैध शासन (1765-72)
 - पृष्ठभूमि/भूमिका
 - उत्तरदायी कारक
 - दुष्परिणाम

मैसूर विजय

- ♦ पृष्ठभूमि
- ♦ प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69ई०)
- ♦ द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84)
- ♦ तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92)
- ♦ चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799)

आंग्ल मराठा संबंध/मराठा विजय

- ♦ भूमिका
- ♦ प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82)
- ♦ द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-06)
- ♦ तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-19)
- ♦ मराठा पतन के कारण

- राजनीतिक कारण
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारण
- आर्थिक कारण

सिंध विजय

- ♦ पृष्ठभूमि
- ♦ कारण
- ♦ समीक्षा

पंजाब विजय/पंजाब का अधिग्रहण

- ♦ भूमिका/पृष्ठभूमि
- ♦ प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46)
- ♦ द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49)

3. भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति

- ♦ रिंगफेस या घेरे या मध्य राज्य की नीति
- ♦ अधीनस्थ पार्थक्य की नीति
- ♦ अधीनस्थ संघ की नीति
- ♦ समान संघ की नीति

ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति

- ♦ भूमिका

वेलेजली की सहायक संधि

- ♦ भूमिका
- ♦ विशेषताएं
- ♦ अंग्रेजों को लाभ
- ♦ भारतीय राज्यों को हानि

डलहौजी की विलय नीति

- ♦ भूमिका
- ♦ व्यपगत का सिद्धांत
- ♦ समीक्षा
- ♦ ब्रिटिश साम्राज्य पर सकारात्मक प्रभाव
- ♦ नकारात्मक प्रभाव

पड़ोसी देशों के प्रति ब्रिटिश नीति

- ♦ भूमिका
- ♦ भूटान के साथ संबंध

- ♦ नेपाल के साथ संबंध
- ♦ बर्मा के साथ संबंध
 - प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26)
 - द्वितीय बर्मा युद्ध (1852-53)
 - तृतीय बर्मा युद्ध (1885-86)
- ♦ तिब्बत के साथ संबंध
- ♦ उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ संबंध
- ♦ अफगानिस्तान के साथ संबंध

प्रशासनिक विकास

- ♦ सिविल सेवा
- ♦ सिविल सेवा से संबंधित कुछ आयोग
- ♦ पुलिस
- ♦ सेना
- ♦ सेना से संबंधित प्रमुख आयोग

न्यायिक सेवा

- ♦ भूमिका
- ♦ वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार (1772-1785)
- ♦ कॉर्नवालिस के अधीन सुधार (1786-1793)
- ♦ कॉर्नवालिस संहिता
- ♦ विलियम बेंटिक के अधीन सुधार (1828-1835)
- ♦ अन्य तथ्य
- ♦ स्थानीय प्रशासन

4. ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास (1773-1935) (Constitutional Development during British Government)

- ♦ 1773 ई. का रेग्यूलेशन एक्ट
 - कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना
 - कंपनी के संविधान में बदलाव
 - गवर्नर की जगह पर गवर्नर जनरल
 - सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
- ♦ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
 - संसदीय नियंत्रण का बढ़ना

- गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि
- ♦ 1786 का संशोधन अधिनियम
- ♦ 1793 का चार्टर एक्ट
 - गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि
- ♦ 1813 का चार्टर एक्ट
 - कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति
 - शिक्षा के संदर्भ में
 - इसाई मिशनरियों के संदर्भ में
- ♦ 1833 का चार्टर एक्ट
 - बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में
 - गवर्नर जनरल के संदर्भ में
 - दासता की समाप्ति का प्रावधान
- ♦ 1853 का अधिनियम
 - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रशासनिक नियुक्ति
 - विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य की मान्यता
- ♦ 1858 का अधिनियम
 - भारत से कंपनी शासन की समाप्ति
 - ब्रिटेन में परिवर्तन
 - भारत में परिवर्तन
- ♦ 1861 का अधिनियम
 - विभागीय प्रणाली/कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत
 - वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
- ♦ 1892 का अधिनियम
 - पहली बार निर्वाचित पद्धति सीमित रूप से स्वीकार
 - सदस्यों के संदर्भ में
- ♦ 1909 का अधिनियम
 - मार्ले-मिण्टो सुधार
 - पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत
 - समीक्षा
- ♦ 1919 का अधिनियम
 - केंद्र स्तर पर परिवर्तन
 - केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ
 - प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत

- सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की विस्तार समीक्षा
- ♦ 1935 का अधिनियम
 - केंद्र स्तर पर परिवर्तन
 - केंद्र स्तर द्वैध शासन की शुरुआत
 - समीक्षा
- ♦ गवर्नर-जनरल और भारत के वायसराय

5. ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं प्रभाव

- ♦ ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था

ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ

- ♦ उपनिवेशवाद एवं उसके चरण
 - अर्थ
 - प्रथम चरण
 - द्वितीय चरण
 - तृतीय चरण

भारत में ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था

- ♦ भूमिका
- ♦ स्थायी बन्दोबस्त (1793) (Permanent settlement)
 - पृष्ठभूमि
 - उद्देश्य
 - विशेषताएँ
 - स्थायी बन्दोबस्त के दुष्प्रभाव
 - भारतीयों के संदर्भ में
- ♦ रैयतवाड़ी बंदोबस्त (1820) (Ryotwari system)
- ♦ महालवाड़ी बंदोबस्त (1822) (Mahalwari system)
- ♦ कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण
 - नकारात्मक प्रभाव
 - सकारात्मक प्रभाव
- ♦ वि-औद्योगीकरण: परंपरागत उद्योगों का पतन
- ♦ (De-industrialization: Ruination of Traditional Industries)
 - वि-औद्योगीकरण के कारण
 - वि-औद्योगीकरण के प्रभाव

- कृषकों की बढ़ती हुयी दरिद्रता
- पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय
- कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी
- ♦ आधुनिक उद्योगों का विकास
 - सीमित विकास
 - राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय
 - आर्थिक विकास
- ♦ रेलवे का विकास
- ♦ प्रथम चरण (1849-69 ई.)
- ♦ द्वितीय चरण (1869-82 ई.)
- ♦ तृतीय चरण (1882-1924 ई.)
- ♦ चौथा चरण (1924-48 ई.)
- ♦ पाँचवा चरण (1948-52 ई.)
- ♦ परिणाम
 - सकारात्मक परिणाम
 - नकारात्मक परिणाम

6. ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ

(Colonial policies in British India)

भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास

- ♦ शिक्षा नीति के विकास का प्रारंभिक इतिहास
- ♦ प्राच्य-आंग्ल विवाद
 - प्राच्यवादी
 - आंग्लवादी
- ♦ 1854 का वुड डिस्पैच
- ♦ हंटर शिक्षा आयोग (1882-83)
- ♦ लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय आयोग 1902
- ♦ सैडलर आयोग, (1917-19)
- ♦ हाटिंग समिति, 1929
- ♦ मौलिक शिक्षा अथवा वर्धा योजना
- ♦ 1944 की सार्जेंट योजना
- ♦ पाश्चात्य शिक्षा नीति का प्रभाव
- ♦ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी शिक्षा का योगदान
- ♦ अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन

भारत में प्रेस का विकास

- ♦ भारत में प्रेस के विकास का इतिहास
- ♦ प्रेस पर प्रतिबंध
- ♦ भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिकाएं एवं प्रभाव

रेलवे

- ♦ पृष्ठभूमि

7. ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह

(Revolt Against British Empire)

- ♦ 1857 का विद्रोह
- ♦ 1857 विद्रोह का कारण
- ♦ विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार
- ♦ विद्रोह की असफलता के कारण
- ♦ विद्रोह का प्रभाव
- ♦ प्रशासनिक परिवर्तनों के उद्देश्यों एवं परिणाम
- ♦ विद्रोह का चरित्र एवं स्वरूप

भारत में जनजातीय आंदोलन/विद्रोह

- ♦ उत्तरदायी कारण
- ♦ प्रमुख जनजातीय विद्रोह
 - मुण्डा विद्रोह
 - ताना भगत आंदोलन
 - चुआर का विद्रोह
 - खासी विद्रोह
 - भील विद्रोह


- कोल विद्रोह
- रमोसी विद्रोह
- रम्पा विद्रोह
- ♦ जनजातीय विद्रोहों का स्वरूप
- ♦ महत्व/परिणाम
- ♦ असफलता के कारण
- ♦ किसान आंदोलन/विद्रोह
 - किसान विद्रोह के कारण
 - विभिन्न किसान विद्रोह/आंदोलन
 - कृषक आंदोलन की उपलब्धियाँ
 - विभिन्न प्रांतों में किसानों की गतिविधियाँ
 - भारत में श्रमिका आंदोलन
 - स्वदेशी आंदोलन के समय श्रमिक आंदोलन
 - वामपंथी विचार और श्रमिक आंदोलन

8. 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन

- ♦ भारतीय पुनर्जागरण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन
- ♦ विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलन
- ♦ राजाराम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज
- ♦ यंग बंगाल आंदोलन
- ♦ पं० ईश्वर चन्द्र विद्यासागर
- ♦ स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज
- ♦ थियोसोफिकल सोसायटी
- ♦ स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन
- ♦ इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन
- ♦ पारसी धर्म सुधार आंदोलन
- ♦ सिख धर्म सुधार आंदोलन
- ♦ सुधार आंदोलन यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रभाव
- ♦ सुधार आंदोलन उपलब्धियाँ एवं सीमाएं
- ♦ ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति

1

यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा विस्तार (Arrival of European Companies and British Establishment and Expansion in India)



भारत में यूरोपीय कम्पनियों का आगमन (Arrival of European Companies)

15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव हुए। इस समयावधि में कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण के क्षेत्र में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र वृद्धि हुई। ये बदलाव यूरोप में तब शुरू हुए, जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नए विकल्पों की खोज में निकलीं।

यूरोपीय देशों ग्रीस तथा रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पहले से रहे हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। एशिया का माल यूरोप तक पहुँचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक होता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों द्वारा चलाया जाता था, तथा इसके भूमध्यसागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली का लगभग एकाधिकार था।

- यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ने

प्रवेश किया। 17 मई, 1498 में पुर्तगाली व्यापारी वास्कोडिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुँचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की।

पुर्तगाली (Portuguese)

भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली प्रथम थे जो 15वीं सदी में (भौगोलिक खोजों के संदर्भ में) वास्कोडिगामा के नेतृत्व में पहुँचे। वास्कोडिगामा को यहाँ के व्यापार से (मसाला आदि) लगभग 60 गुना अधिक फायदा हुआ। तत्पश्चात् 'लिस्बन' यूरोप में भारतीय वस्तुओं के व्यापार केन्द्र के रूप में उभरा। पुर्तगाली व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय मसालों का व्यापार था जिसकी यूरोपीय परिवेश में बहुत माँग थी। पुर्तगालियों ने 1503 ई. में पहली फैक्ट्री 'कोचीन' में लगाई जिसका विस्तार विभिन्न 'पुर्तगाली गवर्नरों के समय हुआ।

प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा (1505-09 ई.) ने नीले पानी की नीति, चलाई जिसका उद्देश्य हिन्द महासागर के क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना था। इसमें कार्टेज व्यवस्था के तहत परमिट प्रणाली लागू की गई। इस प्रकार पुर्तगालियों के समय से ही अधिकाधिक आर्थिक व्यापारिक लाभ हेतु क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित करने की कोशिश होती रही।

पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क (1509-15 ई.) को पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने उसे व्यवस्थित रूप से संगठित किया और कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1510 ई. में बीजापुर से गोवा को छीना जो व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था।

गवर्नर नीनो डी. कुन्हा (1529-38 ई.) ने मुख्यालय को कोचीन की जगह गोवा में स्थानांतरित किया। व्यापारिक हितों के कारण ही गुजरात राज्य के साथ पुर्तगालियों ने लम्बे समय तक संघर्ष किया।

पतन के कारण

भारत में पुर्तगाली वाणिज्यवादी नीति सफल नहीं रही क्योंकि उन्होंने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रयास नहीं किया और वहाँ कृषि एवं पशुचारी व्यवस्था ही जारी रही इसलिए व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वे पिछड़ गए। चूंकि पुर्तगाली भौगोलिक एवं व्यापारिक खोजों के प्रारंभकर्ता देश थे इसलिए कुछ समय तो इनका प्रभाव बना रहा परन्तु जब अन्य देश (डच, ब्रिटेन आदि) इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए तो अपनी दुर्बलताओं के कारण पुर्तगाली वाणिज्य का पतन प्रारम्भ हो गया। साथ ही, पुर्तगालियों ने भारत में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बलात् धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई, जिसके प्रतिरोध के कारण वे कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गए।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 1498 को वास्कोडिगामा ने कालीकट तट तक की यात्रा की।
- पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया।
- दूसरा दुर्ग 1505 में स्थापित किया।
- फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर 1505 में बनाया गया।
- अल्मेडा ने गुजरात और मिन्न के संयुक्त बेड़े को 1509 में पराजित किया।
- मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर पुर्तगालियों ने 1511 में अधिकार कर लिया।
- 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बना ली।
- 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया।
- 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया।
- 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया।

डच (Dutch)

भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों के पश्चात् डचों का आगमन हुआ। 1581 ई. में डचों पर से स्पेन का प्रभाव समाप्त होने के पश्चात्, डचों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनी वाणिज्यवादी नीति का प्रतिपादन किया और उसका प्रसार किया। डच प्राथमिक रूप से इंडोनेशिया में केन्द्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका सम्पर्क बना तब इन्होंने अपने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ मिला।

डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ई. में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम् में स्थापित हुई इन्होंने 'पुलिकट' को अपना मुख्यालय बनाया परन्तु आगे चलकर 'नागपट्टनम्' को मुख्यालय बना दिया। इनकी अधिकांश फैक्ट्रियाँ पूर्वी तट पर थीं क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़े थे। 17वीं सदी में जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की वृद्धि हुई तो डचों को ब्रिटेन से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली और नौसैनिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण 1759 ई. में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों से इन्हें पराजय मिली तत्पश्चात् ये सिर्फ एक व्यापारिक समूह बन कर रह गये।

- भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की।
- 1605 में मसूलीपट्टनम्, 1610 पुलिकट में, 1616 सूरत में 1641 में, बिमिलिपट्टम में, 1645 में करिकल में, 1663 में चिनसुरा में, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर व नागापट्टम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की।

ब्रिटिश (British)

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 1600 ई. में एक निजी कम्पनी के रूप में हुई थी, जिसे 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था। इस एकाधिकार को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा, साथ ही साथ इस पर निरंतर ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़ता रहा।

कम्पनी के संचालन हेतु एक प्रबंधकीय समिति थी जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक तथा 24 सदस्य होते थे। इन सबका चुनाव व्यापारियों की आम सभा द्वारा होता था।

आगमन का उद्देश्य

इस कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश व्यापारियों के व्यापारिक हितों के हिसाब से अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति करना था। व्यापारिक मर्दों में मुख्यतः मसालों के पर जल्दी ही इसमें वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हो गईं, परन्तु आरम्भिक वर्षों में व्यापार का सन्तुलन भारत के ही पक्ष में रहा।

अंग्रेजों ने 1608 ई. में सर्वप्रथम सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास किया, जिसके लिए तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट 'जेम्स प्रथम' ने अपने दूत विलियम हॉकिंस को जहाँगीर के दरबार में अनुमति हेतु भेजा था। विलियम हॉकिंस ने 1609 में बादशाह जहाँगीर से अजमेर में मिलकर सूरत में बसने की आज्ञा मांगी।

यहाँ के व्यापारियों और पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया गया परिणामस्वरूप उसे स्वीकृति नहीं मिली। हालांकि अंग्रेज कैप्टन मिडिलटन द्वारा स्वाल्ली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराए जाने से प्रभावित होकर जहाँगीर ने 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने की स्वीकृति दे दी। यह इस बात का संकेतक है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी एक निजी कम्पनी थी, पर उसे यथासम्भव शासकीय सहयोग प्रारंभ से ही मिला।

- 1632 ई. के सुनहरा फरमान के तहत गोलकुण्डा के राजा ने 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को गोलकुण्डा राज्य के बंदरगाहों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।
- 1639 ई. में अंग्रेजों ने मद्रास में अपनी फैक्ट्री 'फोर्ट सेन्ट जार्ज' के नाम से बनाई। 1668 ई. में बम्बई की फैक्ट्री स्थापित हुई।
- 1698 ई. में कलकत्ता की फैक्ट्री 'फोर्ट विलियम' नाम से स्थापित हुई, जिसे प्रथम प्रेसीडेन्सी भी बनाया गया। इस प्रकार मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में फैक्ट्री की स्थापना से तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश कम्पनी का प्रभाव हो गया।
- 1651 ई. में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। 1651 ई. में ही बंगाल के सूबेदार शाहशुजा ने 3000 रू. वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी।
- 1698 ई. में 'फोर्ट विलियम' की स्थापना हुई, इस स्थल की प्राप्ति बंगाल के सूबेदार 'अजीमुशान' द्वारा सुतानाती, कोलकाता एवं गोविंदपुर नामक तीन गांवों की जमींदारी देने से मिली थी। जिसके बदले में अंग्रेजों को 1200 रुपये देने थे।

- 1717 ई. में कम्पनी का एक मिशन जॉन सरमन की अध्यक्षता में फरूखसियर के दरबार में गया था जिसके पश्चात् एक शाही फरमान के तहत 3000 वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ई. में हुई।
- विलियम हॉकिंस जहाँगीर के दरबार में 1609 में आया था।
- 1611 में कैप्टन मिडिलटन सूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने का अनुमत प्राप्त किया।
- सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी फैक्ट्री की स्थापना 1613 में की।
- 1611 में कंपनी ने दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की।
- 1633 में कंपनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की।
- 1639 में कंपनी ने स्थानीय राजा से लीज पर मद्रास हासिल किया।
- 1651 में कंपनी को हुगली (बंगाल) व्यापार करने की अनुमत दी गयी।
- 1662 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी (कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा) से विवाह करने के बदले दहेज के बदले में बॉम्बे दिया गया।
- 1717 में मुगल सम्राट फरूखसियर द्वारा जारी फरमान जिसे कंपनी का मैगनाकार्टा भी कहा गया, ने कंपनी को भारी मात्रा में व्यापार संबंधी छूट प्रदान की।

डेनिस (Danish)

भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों (डेन्स) का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ई. में हुई। इसने 1620 ई. में त्रैंकोबर (तमिलनाडु) में पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया।

- डेनिस अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। डेनिस ने कलकत्ता के नजदीक सेरामपुर में 1755 ई. में मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाएँ, जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ई. में ब्रिटिश सरकार को बेच दी।

फ्रेंच (French)

कर्नाटक में एंग्लो-फ्रेंच प्रतिस्पर्धा
(Anglo-French Competition in Karnataka)

फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना

1664 ई. में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना, तत्कालीन फ्रांसीसी शासक लुई 14वें के समय हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने अन्य समकालीन यूरोपीय कम्पनियों की भांति वाणिज्यवादी नीतियों के तहत एशियाई व्यापार का फायदा उठाकर फ्रांस को आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र बनाना था।

इस कम्पनी का निर्माण फ्रांस की सरकार द्वारा किया गया था तथा इसका सारा खर्च भी सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारिक कम्पनी भी कहा जाता था क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित व सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भर करती थी।

- सूरत में 1668 ई. में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी की स्थापना फैंक कैरो द्वारा की गयी।
- फ्रांसीसियों द्वारा दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना गोलकुंडा में मार्टिन द्वारा सन् 1673 ई. में की गयी। बंगाल के नवाब शाइस्ता ख़ाँ ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराये पर दी जहाँ चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई।
- डचों ने 1693 ई. में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों के नियंत्रण से छीन लिया, किंतु 1697 ई. के रिजविक समझौते के अनुसार उसे वापस कर दिया।
- फ्रांसीसियों द्वारा 1721 ई. में मॉरिशस, 1725 ई. में माहे (मालाबार तट) एवं 1739 ई. में कराइकल पर अधिकार कर लिया गया। 1742 ई. के पश्चात् व्यापारिक लाभ कमाने के साथ-साथ फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी जागृत हो गयीं। परिणामस्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। इन युद्धों को 'कर्नाटक युद्ध' के नाम से जाना जाता है।

पतन के कारण

भारत में फ्रांसीसियों के पतन का सर्वाधिक प्रमुख कारण उनका सरकारी उपक्रम के रूप में होना था क्योंकि तत्कालीन फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और उनके अतिशय हस्तक्षेप के कारण व्यापारिक नीतियों का समुचित विकास संभव नहीं हो पाया। फ्रांसीसी अधिकारियों में संबंध सहयोग एवं समन्वय का अभाव भी था।

इसके अतिरिक्त फ्रांस लगातार यूरोपीय युद्धों में उलझा रहा एवं ब्रिटेन की तुलना में कमजोर नौसेना तथा भारतीय नेतृत्व की नीतियों में अदूरदर्शिता आदि के कारण भी फ्रेंच कम्पनी असफल रही।


सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 1668 ई. में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पायी। 1690-92 ई. के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया।

- अठारहवीं शताब्दी के आरंभिक दो वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी को व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था।
- भारत में अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी दोनों ही कम्पनियों का उद्देश्य व्यापार से अधिकाधिक लाभ उठाना तथा भारत से कच्चे माल तथा अन्य समान को सस्ते दामों पर खरीदना था। यह तभी संभव था जब उन्हें व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त हो जाए।
- अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों कम्पनियों में भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर नियंत्रण करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी क्योंकि बिना राजनैतिक नियंत्रण के व्यापार में अधिक लाभ उठाना संभव नहीं हो पा रहा था।
- 1741 ई. में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डूप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ई. में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया।
- तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी।
- 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी के बीच यूरोप में आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हुआ, जिसका प्रभाव अन्य देशों में भी देखा गया। संसार के प्रत्येक कोने में जहाँ ये दोनों कम्पनियाँ कार्यरत थी वहाँ भी उसके बीच संघर्षपूर्ण संबंध रहे।
- भारत में हुए कर्नाटक युद्ध भी इसी संघर्ष के परिणाम थे। उस समय फ्रांसिसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी तथा अंग्रेजों की मुख्य बस्तियाँ, मुंबई, मद्रास तथा कर्नाटक में थी।

इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और **मद्रास पर कब्जा** कर लिया।

- दो वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति **एक्स ला शापेल की संधि** के साथ हुई। इस संधि के अनुसार **मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी** को लौटा दिया गया।

1746 से 1765 ई. के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक, दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीन युद्ध हुए।



प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-48 ई.)

प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। डूप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बूर्देने की सहायता से मद्रास को घेर लिया।

- यद्यपि अंग्रेजी गवर्नर **मोर्श** ने **21 सितम्बर, 1746 ई. को आत्मसमर्पण** कर दिया किन्तु डूप्ले का रणनीतिक लक्ष्य **‘फोर्ट सेन्ट डेविस’** को जीतना था। लेकिन वह इसे जीत पाने में असफल रहा। भारत में फ्रांसीसियों के समक्ष अंग्रेज इस समय बिल्कुल असहाय थे। इसी समय **‘सेन्ट टोमे’** नामक एक और युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे।

प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत **1748 ई. में ऑस्ट्रिया** के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात् हुई **‘एक्स ला शापेल की संधि’** से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार **मद्रास अंग्रेजों** को वापस कर दिया गया।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1749-1754 ई.)

कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के विवादास्पद

उत्तराधिकारियों के कारण हुआ। डूप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ कर्नाटक के प्रथम युद्ध की सफलता के पश्चात् बढ़ने लगी थीं। भारत में ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों ने एक-दूसरे के विरोधी गुटों को अपना समर्थन देकर आग में घी डालने का काम किया।

- डूप्ले ने नवाब पद के लिए चन्दा साहब को समर्थन दिया तथा दक्कन की सूबेदारी के लिए **मुजप्फरजंग** का समर्थन किया। अंग्रेजों ने इनके प्रतिद्वन्द्वियों अनवरुद्दीन एवं नासिरजंग को अपना समर्थन दिया।
- 1749 ई. में अंबूर में **चन्दा साहब** ने **अनवरुद्दीन** को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया।
- वहीं दूसरी ओर दक्कन की सूबेदारी हेतु लड़े गए युद्ध में **मुजप्फरजंग** अपने भाई **नासिरजंग** से पराजित हो गया। मुजप्फरजंग अपने भाई नासिरजंग की मृत्यु के पश्चात् 1750 ई. में दक्कन का सूबेदार बन गया।
- 1751 ई. में इसी युद्ध के दौरान **क्लाइव** द्वारा अर्काट का घेरा डाला गया जो क्लाइव की प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है।

इस युद्ध का विस्तार से विवेचन न करते हुए यह कहना ही पर्याप्त होगा कि इस युद्ध में फ्रांस तथा फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले को अपूर्णाय क्षति हुई। फ्रांसीसी सरकार ने डूप्ले को वापस बुला लिया तथा गोडेहू को अगला गवर्नर बनाकर भेजा।

गोडेहू के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ जनवरी **1754 ई. में ‘पाण्डिचेरी की संधि’** हुई जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा।

तृतीय कर्नाटक युद्ध (1756-63 ई.)

यह युद्ध यूरोप में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध (1756-63 ई.) का भारतीय विस्तार था। 1760 ई. में वांडीवाश की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट एवं फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया, इस युद्ध में फ्रेंच पराजित हुए।

- 1761 ई. में ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच मुख्यालय **पाण्डिचेरी** पर अधिकार कर लिया।
- 1763 ई. में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पर पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत पाण्डिचेरी फ्रांस को वापस कर दिया गया। यह तय हुआ कि फ्रांसीसी भविष्य में किसी भी प्रकार से

भारतीय मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सिर्फ एक व्यापारिक कम्पनी बनकर रहेंगे।

पेरिस की संधि का महत्त्व

1763 ई. की पेरिस की संधि का एक निर्णायक महत्त्व है क्योंकि इससे ब्रिटेन के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हुई। इसके पूर्व 1759 ई. के बेदरा के युद्ध से डच प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई थी।

अतः अब ब्रिटिश अपने सभी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों से निपट चुके थे और उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वयं को स्थापित एवं प्रसारित करना था। इधर भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् उभर रहा मराठा विकल्प 1761 ई. में पानीपत के तृतीय युद्ध में हारकर विकल्प की दौड़ से बाहर हो गया


था, अतः अब एक शून्यता की स्थिति थी जिसमें ब्रिटेन को स्वयं को स्थापित करना था।

- 1757 में प्लासी विजय के साथ ब्रिटेन अब भारतीय राज्यों में सक्रिय प्रभाव स्थापित करने के लिए उत्सुक था अंततः कहा जा सकता है कि 1763 ई. की पेरिस संधि भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के क्रम में एक युग-विभाजक वर्ष है। परन्तु, संधि में यह शर्त रखी गई थी कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया।



2

भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश विजय (British Victory on Indian States)



बंगाल विजय

भूमिका

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के क्रम में बंगाल विजय का निर्णायक महत्त्व है। इस विजय के पीछे तत्कालीन परिस्थितियों के साथ ही एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है, जिस हम राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में देख सकते हैं।

राजनीतिक स्तर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय से ही बंगाल के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा अलग एवं स्वतंत्र रहने वाली प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। उदाहरण के रूप में **बख्तियार खिलजी**, **बुगरा खाँ**, **मुर्शिद कुली खाँ** आदि को देख सकते हैं।

1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। इस संदर्भ में भी बंगाल स्वतंत्र होने वाले शुरूआती राज्यों में था। आर्थिक स्तर पर अपने भौगोलिक स्थिति एवं कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की समृद्धि के कारण भी बंगाल महत्त्वपूर्ण था। इस प्रकार बंगाल भारतीय राज्यों में एक महत्त्वपूर्ण राज्य था, जिस पर आधिपत्य का राजनीतिक, सामरिक एवं आर्थिक महत्त्व था।

ब्लैक होल की घटना

ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया था। जिसके पश्चात 20 जून, 1756 ई. की रात को बंद करने के बाद 23 जून को कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। इसमें हॉलवेल भी था जो जीवित बच गया। इस घटना को उसकी ही रचना मानी जाती है। इसलिए इस घटना को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है।

इतिहास में इस घटना का महत्त्व केवल इतना ही है कि अंग्रेजों ने इस घटना को आगे के आक्रामक युद्ध का कारण बनाए रखा। इस पक्ष में ब्रिजैन गुप्ता द्वारा 1959 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि ये घटना तो हुई है लेकिन इसमें प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या 64 थी और जीवित बचे लोगों की संख्या 21 थी।

अंग्रेज नागरिकों पर हुए इस क्रूरता का बदला लेने के लिए अंग्रेज सरकार ने राबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को भेजा। छोटे युद्ध के बाद नवाब अंग्रेजों को उनके पहले की स्थिति में बहाल करने के लिए सहमत हुआ।

प्लासी का युद्ध (23 जून, 1757 ई.)

भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से था।

यह व्यापार एशिया माइनर और भूमध्य सागर से होकर होता था।

व्यापार कई बाधाओं से गुजरने के बावजूद लाभदायक होता था। 1453 में उस्मानिया सल्तनत द्वारा एशिया माइनर के व्यापारिक मार्गों पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त यूरोप और एशिया के व्यापार पर **वेनिस** और **जेनेवा** के व्यापारियों का एकाधिकार था और वे पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। इन परिस्थितियों में पश्चिमी यूरोप के देशों ने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया, जिससे भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीप से व्यापार प्रारंभ करना था।

नए व्यापारिक मार्गों के खोज करने के पीछे उद्देश्य यह था कि अरब और **वेनिस वासियों** के एकाधिकार को तोड़कर और तुर्कों से बिना शत्रुता के पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना था। इसी क्रम में 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ।

ब्रिटिश प्रभुसत्ता के विकास के संदर्भ में प्लासी का युद्ध एक मील का पत्थर था जिसने भारत में अंग्रेजों के पैर जमाने में आधार का काम किया। इस युद्ध के कारणों को हम राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भों में देख सकते हैं।

राजनीतिक कारण

राजनीतिक स्तर पर प्लासी के युद्ध के लिए कई आंतरिक एवं बाह्य तत्व उत्तरदायी थे। विशेषकर यह कि तत्कालीन **नवाब सिराजुद्दौला (1756-57 ई.)** के सत्ता प्राप्ति के समय से ही षड्यंत्रों का दौर जारी था। नवाब की **मौसी घसीटी बेगम**, पूर्णिया का नवाब शौकतजंग, सेनापति **मीर जाफर**, बैंकर जगत सेठ, व्यापारी अमीनचंद आदि सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने-अपने हितों को लेकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे।

बाह्य स्तर पर इस समय चल रहे सात वर्षीय युद्ध (1756-63 ई.) जो ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में यूरोप में जारी था, की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस लड़ाई के कारण इन दोनों देशों की कंपनियाँ बंगाल क्षेत्र में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करना चाहती थी। ब्रिटेन अपनी फैक्ट्री **फोर्ट विलियम (कलकत्ता)** तथा फ्रांस अपनी फैक्ट्री **चंद्रनगर** की किलेबंदी करना चाहता था। जब सिराजुद्दौला ने इसकी अनुमति देने से इंकार कर दिया तब फ्रेंच कंपनी तो इसके लिए मान गई लेकिन ब्रिटिश कंपनी किलेबंदी करती रही।

आर्थिक कारण

1717 ई. में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को अपने शाही फरमान के तहत अनेक प्रकार की छूटें दी थीं। इन छूटों पर अंग्रेज हर कीमत पर अधिक से अधिक अधिकार चाहते थे। साथ ही, मुक्त व्यापार या दस्तकों के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि अंग्रेज इसका दुरुपयोग करते थे, वे पैसे लेकर इस छूट का इस्तेमाल भारतीय व्यापारियों के संदर्भ में करते थे।

तात्कालिक कारण

प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण फोर्ट विलियम की किलेबंदी से उत्पन्न तनाव था।

युद्ध का घटनाक्रम

- जब अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी का काम जारी रखा गया तब जून 1756 ई. में **सिराजुद्दौला** ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर उस पर **कब्जा** कर लिया।
- अधिकार के बाद ही **हॉलवेल** (यह अस्थायी रूप से गवर्नर भी बना था) ने एक काल कोठरी घटना की चर्चा की है जो 20 जून 1756 ई. को हुई। जिसे ब्लैकहोल की घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, अगले दिन सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच पाए थे।
- जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला द्वारा कब्जे की खबर मद्रास पहुंची तो **वाटसन (जलसेना)** तथा **क्लाइव (थलसेना)** के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुँची और उसने **जनवरी, 1757 ई. में फोर्ट विलियम** पर पुनः कब्जा कर लिया।
- फोर्ट विलियम** पर अधिकार के पश्चात् **अलीनगर की संधि** हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को **फोर्ट विलियम की किलेबंदी, बिना कर व्यापार, सिक्का ढालने आदि** का अधिकार मिल गया।
- तत्कालीन समय में नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा था जिसमें उसका सेनापति **मीर जाफर**, दीवान **रायदुर्लभ**, **जगत सेठ** (बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर), **अमीनचंद** (सबसे बड़ा व्यापारी) तथा कई अन्य लोग शामिल थे।
- ब्रिटिश कंपनी ने इसका फायदा उठाते हुए **मीर जाफर** से समझौता किया जिसके तहत उसे नवाब बनाने के बदले कंपनी को **24 परगने की जमींदारी** मिलनी थी।

- अतंतः 23 जून, 1757 ई. को नाटकीय रूप से कुछ घंटों के लिए प्लासी का युद्ध चला, जिसमें मीर जाफर, रायदुर्लभ आदि नवाब की सेना को धोखा देने के लिए शामिल हुए। मीर मदान और मोहन लाल नवाब की ओर से लड़े और मारे गए। नवाब मुर्शिदाबाद भाग गया जहाँ उसकी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर यह नाममात्र का युद्ध था। **वास्तव में यह एक षड्यंत्र था।**

प्लासी युद्ध का प्रभाव

- **राजनीतिक प्रभाव-** अंग्रेजों को युद्ध में साथ देने के पुरस्कार स्वरूप मीर जाफर नवाब घोषित हुआ। चूंकि नवाब कठपुतली मात्र था, इसलिए बंगाल के साधनों का प्रयोग कर ब्रिटिश सेना ने स्वयं को मजबूत किया। यह विजय ब्रिटिश शासन की स्थापना का प्रारंभिक चरण थी जिसके बाद कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर सैन्य एवं राजनीतिक कंपनी बन गई।
- **आर्थिक प्रभाव-** इस युद्ध के पश्चात् 24 परगना की जमींदारी ब्रिटिश कंपनी को मिली साथ ही बंगाल की सारी फ्रान्सीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गईं और कंपनी को कर मुक्त व्यापार की पुनः अनुमति मिली।

इस युद्ध से कंपनी को बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ (हर्जाना की राशि, अधिकारियों को रिश्वत, पुरस्कार आदि) प्राप्त हुआ और कलकत्ता में कंपनी के टकसाल की स्थापना हुई।

विश्लेषण

वास्तव में इस युद्ध के प्रभाव से धीरे-धीरे ब्रिटिश आर्थिक शोषण की प्रक्रिया व्यापक होती गई। बंगाली कवि नवीनचंद्र सेन के अनुसार “प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखों की काली रात का आरंभ हुआ।”

बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर, 1764 ई.)

बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि 1757 ई. के प्लासी के युद्ध से तैयार हो चुकी थी, जिसे आगे चलकर विभिन्न घटनाओं ने साकार रूप प्रदान कर दिया। इसके लिए मुख्यतः निम्न राजनीतिक एवं आर्थिक कारण उत्तरदायी थे।

राजनीतिक कारक

मीर जाफर (1757-60 ई.) प्लासी के युद्ध के पश्चात् बंगाल का कठपुतली नवाब बना। वह अपने पूरे शासनकाल में अंग्रेजों की विभिन्न मांगों को पूरा करता रहा। जब वह इसमें सक्षम नहीं हो पाया तो अंग्रेजों ने अधिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से मीर जाफर

के दामाद मीर कासिम से समझौता कर उसे नवाब बना दिया।

मीर कासिम (1760-63 ई.) ने **वर्द्धमान, मिदनापुर एवं चटगाँव की दीवानी** अंग्रेजों को दी, परन्तु **मीर कासिम** के समय ही ऐसी कई घटनाएँ हुईं जिसके कारण बक्सर के युद्ध का आधार तय हो गया।

- **सत्ता स्वामित्व का द्वन्द-** मीर जाफर के विपरीत मीर कासिम ने कई शासन सुधार किए। वह अंग्रेजों का कठपुतली मात्र नहीं रहना चाहता था। उसने अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार तो प्रदान किया था पर सत्ता में उन्हें साझेदार नहीं बनाना चाहता था।
- **राजधानी-** मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद में चलने वाले विभिन्न षड्यंत्र एवं अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना ली। कासिम के इस कदम से भी तनाव उत्पन्न हुआ।
- **शाह आलम द्वितीय के सत्ता प्राप्ति के समय का मामला-** आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् शाहआलम द्वितीय बिहार में था। उसने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। अपने प्रभाव विस्तार के उद्देश्य से अंग्रेजों ने शाहआलम द्वितीय को समर्थन दिया और मीर कासिम से कहा कि वह सम्राट को औपचारिक रूप से स्वीकार करें, परन्तु कासिम ने इस बात से इंकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि अंग्रेज सहायता के एवज में सम्राट से बंगाल की सूबेदारी न प्राप्त कर लें।
- **रामनारायण का मामला-** रामनारायण बिहार का उप-दीवान था। जब मीर कासिम ने मतभेद के कारण उसे इस पद से हटा दिया तो वह अंग्रेजों के पास चला गया तब मीर कासिम ने उसे सौंपने की बात अंग्रेजों से कही तो अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया।
- **पटना प्रकरण-** 1763 ई. में एलिस नामक अंग्रेज अधिकारी ने पटना पर आक्रमण कर दिया। मीर कासिम ने उसे पराजित किया तथा साथ ही कई अंग्रेज अधिकारियों को भी बंदी बना लिया। इस घटना से अंग्रेज क्रोधित हो गए और वे मीर कासिम को हटाने का प्रयास करने लगे।

आर्थिक कारण

अंग्रेजों को मिले कर मुक्त व्यापारिक अधिकारों के दुरुपयोग को देखकर मीर कासिम ने 1763 ई. में समस्त आंतरिक व्यापार को सभी के लिए कर मुक्त कर दिया जिससे अंग्रेज नाराज हो गए,

क्योंकि भारतीय तथा ब्रिटिश व्यापारियों की समानता की स्थिति में उन्हें काफी हानि हुई। यह मुद्दा भी मीर कासिम को उसके पद से हटाने का एक कारण बना।

1763 ई. में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब का पद दिया गया। अतः मीर कासिम अब पुनः नवाब का पद प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। इसके लिए उसने अवध के नवाब जो मुगल सम्राट का वजीर भी था, के साथ धन देकर सैनिक सहायता प्राप्ति की संधि की।

अंततः 22 अक्टूबर, 1764 ई. में बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और दूसरी तरफ बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं शाहआलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी। युद्ध में सम्मिलित सेना की करारी हार हुई। मीर कासिम भाग गया तथा शाहआलम द्वितीय आदि ने आत्मसमर्पण कर दिया।

बक्सर युद्ध का प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव

- इस युद्ध के निर्णय ने प्लासी युद्ध के निर्णय की व्यावहारिक स्तर पर पुष्टि कर दी।
- प्लासी का युद्ध सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि वह षड्यंत्रों का परिणाम था पर बक्सर युद्ध से अंग्रेजी सेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन हुआ।
- इस युद्ध से अब यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं है।

अवध के साथ समझौता

इलाहाबाद की संधि

बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की विजय से उन्हें उत्तरी भारत में चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इस युद्ध के परिणाम का प्रभाव समस्त भारत पर पड़ा। युद्ध के पश्चात् क्लाइव को भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति तथा गवर्नर बनाकर भेजा गया। क्लाइव का प्रथम कार्य परास्त भारतीय शक्तियों से संबंधों को सुनिश्चित करना था। इस परिप्रेक्ष्य में उसने इलाहाबाद की संधि को मूर्त रूप प्रदान किया।

इलाहाबाद की प्रथम संधि अगस्त 1765 ई. में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस संधि के अनुसार-

- नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाहआलम को दे दिया।
- युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिया गया तथा अवध क्षेत्र में कंपनी को करमुक्त व्यापार की अनुमति देनी पड़ी।
- नवाब द्वारा बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उनकी जागीर लौटानी पड़ी।

इलाहाबाद की द्वितीय संधि

इलाहाबाद की दूसरी संधि मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच हुई संधि से शाहआलम द्वितीय अंग्रेजी संरक्षण में आ गया तथा उसे इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र दिया गया।

- अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, जिसके बदले में कंपनी को 26 लाख रुपये मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय को देने थे। वस्तुतः इस संधि के बाद मुगल सम्राट की स्थिति रबड़ स्टैम्प जैसी हो गई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि के अनुसार नवाब द्वारा इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र मुगल सम्राट शाहआलम को दिया गया।
- अवध को एक सहायक संधि भी करनी पड़ी। इस संधि के तहत अवध को अपने खर्चों पर कंपनी की सेना रखनी थी। वास्तव में अवध को बंगाल के लिए एक सुरक्षा कवच (बफर राज्य) के रूप में स्थापित किया गया। अगर अंग्रेज चाहते तो उसे मिलाया जा सकता था, पर मराठा, अहमदशाह अब्दाली आदि के आक्रमणों के भय से एवं अंग्रेजों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अभाव के कारण अवध को नहीं मिलाया गया।
- बंगाल के नवाब नज्मुद्दौला के साथ द्वैध शासन के संदर्भ में समझौता हुआ जिसके तहत दीवानी अधिकार (अर्थात् राजस्व वसूली, आर्थिक मामले आदि) अंग्रेजों के पास रहा और निजामत का अधिकार (प्रशासन, न्याय आदि) नवाब को सौंपा गया। वास्तव में यह व्यवस्था शक्ति और उत्तरदायित्व के पृथक्करण की बात करता है जिसमें शक्ति कंपनी के पास थी और उत्तरदायित्व नवाब के पास था।

आर्थिक प्रभाव

द्वैध शासन के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई। परंपरागत शिल्पों का पतन हुआ, व्यापार-वाणिज्य में गिरावट आई तथा धन निकासी की प्रक्रिया तेज हुई। 1770 ई. में बंगाल का अकाल यहां की आर्थिक दुर्दशा का स्पष्ट परिचायक है।

- सिर्फ द्वैध शासन काल (1765-72 ई.) के दौरान जितना धन भारत से बाहर भेजा गया उसके प्रभाव से 18वीं सदी के मध्य में चल रहे औद्योगिक क्रांति को बड़ी मात्रा में पूंजी मिली साथ ही भारत में आगे सैन्य विजयों हेतु आर्थिक मदद भी मिली। यही कारण है कि **के.एम. पणिक्कर** ने इस काल को 'लूट का काल' कहा है।

बंगाल में द्वैध शासन (1765-72 ई.)

प्लासी एवं बक्सर विजय के पश्चात बंगाल में कंपनी को **दीवानी का अधिकार** प्राप्त हुआ। अब कंपनी व्यापारिक स्वरूप के साथ-साथ **राजनैतिक स्वरूप** से भी युक्त हो गई। अतः **क्लाइव** ने बंगाल में एक नवीन प्रशासनिक संरचना का गठन किया जिसे **द्वैध शासन** के नाम से जाना जाता है।

- वस्तुतः बंगाल में अंग्रेजों ने नवाब का पद तो बनाए रखा, दूसरी तरफ वित्तीय अधिकार दीवान के रूप में स्वयं प्राप्त किया। इस तरह बंगाल का नवाब अभी भी भारतीय था जो शक्ति से रहित था जबकि अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी। इस तरह नवाब के पास उत्तरदायित्व एवं कंपनी के पास शक्ति थी।
- उपरोक्त आधार पर बंगाल में **दो शक्तियों** का शासन मौजूद था, जिसे **द्वैध शासन** कहा जाता है।

उत्तरदायी कारक

कंपनी द्वारा बंगाल का प्रत्यक्ष शासन लेने से भारतीय असंतुष्ट होकर कंपनी के विरुद्ध एकजुट हो सकते थे। अतः **कंपनी के आर्थिक लाभ में बाधा पहुँचती**। इससे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया।

- बंगाल का प्रत्यक्ष शासन लेने से कंपनी को अनेकों प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों से उलझना पड़ता, चूँकि कंपनी को भारतीय परिवेश एवं प्रशासन की गहन जानकारी नहीं थी इसीलिए उसने

प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया।

- अन्य यूरोपीय जो बंगाल में व्यापार कर रहे थे, वे ब्रिटिश शासन को 'कर' देने से मना कर सकते थे। इससे एक तरफ कंपनी को राजस्व की हानि होती तो दूसरी तरफ यूरोपीय राजनीति में ब्रिटिश एवं अन्य यूरोपीय देश के बीच बंगाल में टकराव से विवाद भी पैदा हो सकता था। इससे बचने के लिए कंपनी ने द्वैध शासन लागू किया।

दुष्परिणाम

द्वैध शासन से बंगाल में प्रशासनिक अव्यवस्था फैली। वस्तुतः बंगाल के नवाब को कानून व्यवस्था लागू करने और न्याय करने की स्वतंत्रता थी। अतः कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई। फलतः जनता को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रशासनिक शिथिलता का लाभ उठाकर कंपनी के एजेंट तथा बिचौलियों ने शिल्पकारों का अत्यधिक शोषण किया। वस्तुतः कम्पनी के व्यापारी कम दाम पर शक्ति के बल पर भारतीय शिल्पकारों से वस्तुओं की खरीद करते थे। अतः शिल्पकारों की दशा कमजोर हुई और उन्होंने निर्माण कार्य छोड़ दिया और जीवन यापन के लिए **डाकू** एवं **संन्यासी** बन गए।

द्वैध शासन से आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था आई। वस्तुतः द्वैध शासन में कर संग्रह की नीलामी होती थी। प्रत्येक वर्ष नीलामी की राशि में अत्याधिक वृद्धि होने से किसानों पर 'कर' का बोझ बढ़ा। अतः किसान कृषि कार्य छोड़ने लगा। फलतः उत्पादन में कमी आयी साथ ही, **किसानों का निर्धनीकरण** हुआ।


- फलतः अकाल की स्थिति पैदा हुई और इस अकाल के दौरान भी कंपनी का शोषण जारी रहा।

बंगाल से धन की निकासी तीव्र हुई। अतः बंगाल की आर्थिक कमजोरी तो बढ़ी ही साथ ही, कंपनी को भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी क्योंकि कंपनी के व्यापारी एवं कर्मचारी निजी व्यापार पर बल देते थे। अतः उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ी।

मैसूर विजय

भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जिनमें दक्षिण के मराठा एवं निजाम के साथ ही मैसूर भी महत्वपूर्ण है। मैसूर के दक्षिण भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित होने के पीछे **हैदर अली** एवं **टीपू सुल्तान** की व्यक्तिगत प्रतिभा की निर्णायक भूमिका रही है।

मैसूर के शक्तिशाली होने से न सिर्फ उसका समकालीन



पड़ोसी राज्यों निजाम, मराठा आदि से संघर्ष हुआ वरन् ब्रिटिश कंपनी द्वारा दक्षिण में प्रभुत्व स्थापना के क्रम में मैसूर से संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

- 1799 ई. में मैसूर पर प्रभुत्व स्थापित करने तक अंग्रेजों को चार युद्ध लड़ने पड़े।
- ये युद्ध सिर्फ अंग्रेजों एवं मैसूर के लिए ही नहीं वरन् दक्षिण भारतीय राजनीति के लिए भी निर्णायक रहे।

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767-69 ई.)

इस युद्ध के लिए निम्नलिखित कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही— हैदरअली की महत्वाकांक्षा एवं विस्तारवादी नीति एवं अंग्रेजों के दक्षिण विस्तार की आर्थिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं के साथ ही मराठा, निजाम आदि दक्षिण भारतीय शक्तियों का मैसूर की बढ़ती शक्ति से चिंतित होना था।

- इस युद्ध के प्रारंभ होने में हैदरअली की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की प्रमुख भूमिका रही। साथ ही, वह दक्षिण भारत में अंग्रेजी प्रभाव की खत्म करना चाहता था।
- इस युद्ध में एक तरफ हैदरअली तथा दूसरी तरफ अंग्रेज, मराठा एवं निजाम की सम्मिलित शक्ति थी।
- अंग्रेजों ने 1766 ई. में निजाम से संधि की थी जिसमें निजाम ने ब्रिटिश सहायता के बदले उसे उत्तरी सरकार देने का वादा किया था।
- 1767 ई. में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कुछ समय बाद ही यह त्रिगुट टूट गया। हैदरअली ने मराठों को धन तथा निजाम को कुछ देशों का प्रलोभन देकर गुट से अलग कर लिया।

विश्लेषण

इस युद्ध में हैदरअली काफी हद तक सफल रहा और एक संदर्भ में वह पहला भारतीय शासक था जिसने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को हराया। हैदरअली जब विजय प्राप्त करते हुए मद्रास तक पहुँच गया तब विवश होकर अंग्रेजों ने 1769 ई. में मद्रास की संधि की, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे;

- दोनों पक्ष एक-दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे परन्तु कोई दूसरा पक्ष इन दोनों पर आक्रमण करता है तो वे एक-दूसरे की परस्पर सहायता करेंगे।
- मूलतः यह संधि हैदर अली के पक्ष में थी तथा उसने अपनी शर्तों पर यह संधि की थी। इससे अंग्रेजी अजेयता पर भी चोट पहुँची थी। इस युद्ध के परिणामों ने आगे होने वाले युद्धों को भी प्रभावित किया। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82 ई.) इसका स्पष्ट प्रमाण है।

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-84 ई.)

इस युद्ध का तात्कालिक कारण मैसूर राज्य में स्थित माहे बंदरगाह जिसे प्रेंच संचालित करते थे, पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण कर अधिकार करने का प्रयास करना था।

- बंदरगाह मैसूर राज्य के लिए सैन्य एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्यादातर सैन्य आपूर्ति या आयात-निर्यात की वस्तुएं इसी बंदरगाह से कार्यान्वित होती थीं। अतः विद्यमान परिस्थितियों में युद्ध अवश्यंभावी था।
- इस युद्ध में मराठे एवं निजाम हैदर के साथ थे। प्रारंभ में ही हैदर ने अरकाट की महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। पर कुछ समय बाद अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर क्षेत्र देकर तथा मराठों के साथ सालबाई (1782 ई.) की संधि के प्रावधानों के तहत हैदर अली के गुट से अलग कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया।

- पोर्टोनोवा की लड़ाई में हैदर अली की पराजय हुई तथा वह घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई।
- हैदर की मृत्यु के पश्चात् युद्ध के दौरान ही 1782 ई. में टीपू ने मैसूर की कमान संभाली और संघर्ष को आगे बढ़ाया, पर 1784 ई. के मंगलौर संधि से द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ तथा दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिये।

तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92 ई.)

इस युद्ध के आरंभ होने के पीछे टीपू की नीतियों की प्रमुख भूमिका रही। टीपू ने यूरोपीय पद्धति पर अपनी एक विकसित सेना गठित की। साथ ही अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस, तुर्की आदि देशों से वैदेशिक संबंध स्थापित किए।

इस समय फ्रांसीसी क्रांति का दौर था। टीपू ने स्वयं को **जैकोबियन क्लब** से जोड़ा। युद्ध के आरंभ होने का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा पश्चिमी तट पर नियंत्रण का प्रयास था, जिसके परिणामस्वरूप पुनः त्रिगुट बना जिसमें अंग्रेज, मराठे एवं निजाम थे। युद्ध में टीपू की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति **1792 ई. की श्रीरंगपट्टनम की संधि** से हुई, जिसके प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा अर्थात् अंग्रेजों को **डिंडिगुल, बारामहल, मालाबार** क्षेत्र मिला जबकि मराठों को **तुंगभद्रा नदी** का उत्तरी भाग प्राप्त हुआ और हैदराबाद के निजाम को **कृष्णा एवं पेन्नार नदी** के बीच का भाग मिला।

इस संधि पर तत्कालीन **गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस** ने कहा था कि, **‘हमने अपने मित्रों को अधिक मजबूत बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से कमजोर बना दिया।’** इस संधि से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो हुआ ही, साथ ही टीपू का राज्य काफी कमजोर हो गया, जिसकी अंतिम परिणति **1799 ई. में मैसूर के पूर्ण पराजय** के रूप में हुई।

चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799 ई.)

1792 ई. में पराजय के पश्चात् से ही टीपू सुल्तान युद्ध में हार एवं अपमान का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए पुनः फ्रांस, तुर्की आदि देशों से वैदेशिक संपर्क बढ़ाकर सहयोग प्राप्त करना चाहा।

युद्ध का तात्कालिक प्रमुख कारण था वेल्लेजली की सहायक संधि की नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार। जब वेल्लेजली ने संधि का प्रस्ताव भेजा तो टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया। परिणामतः वेल्लेजली ने मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।


इस युद्ध तक टीपू बहुत कमजोर पड़ गया था फिर भी वह बहादुरी से लड़ा और लड़ते हुए मारा गया।

1799 ई. में मैसूर की राजधानी **श्रीरंगपट्टनम** पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मैसूर की सत्ता **वाड्यार वंश** के अल्प वयस्क बालक को सौंपकर तथा उसे अंग्रेजी संरक्षण देकर मैसूर पर संधि थोप दी गई। इस संधि के बाद वेल्लेजली ने कहा था कि- **‘पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है।’**

मराठा विजय

मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर भारत में जिन राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ उनमें मराठे सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। मराठा शक्ति के संस्थापक **शिवाजी** से लेकर **पेशवा बालाजी बाजीराव** तक **मराठा साम्राज्यवाद** का लगातार विकास होता गया।

- 1761 ई. में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह पराजित किया परिणामतः मराठे धीरे-धीरे कमजोर पड़ते गए। साथ ही यह भी तय हो गया कि मराठों की केन्द्रीय विकल्प बनने की स्थिति नहीं है।
- इधर अंग्रेज 1757 ई. के प्लासी विजय के पश्चात से निरंतर सफलताएँ प्राप्त कर रहे थे साथ ही, **1759 ई. में बेदरा का युद्ध**, **1760 ई. के वाडिवाश का युद्ध** तथा 1763 ई की पेरिस की संधि से अपने समकालीन यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वन्द्वियों से निपट चुके थे।
- अंग्रेज, मराठों को ही भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। अतः 1764 ई. में **बक्सर विजय** के पश्चात वे इस तलाश में रहने लगे कि जब उचित अवसर मिले तब मराठों पर प्रभाव स्थापित किया जाये।



प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82 ई.)

इस युद्ध का मूल कारण मराठों के आपसी झगड़े एवं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी। 1772 ई. में **माधवराव** की मृत्यु के बाद **नारायण राव पेशवा** बना परन्तु **रघुनाथ राव** द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी।

- **रघुनाथ राव** हर स्थिति में पेशवा पद चाहता था, इस कारण उसने अंग्रेजों से सहायता लेनी चाही। ब्रिटिश कंपनी की कलकत्ता, बंबई, मद्रास आदि में अलग-अलग सरकारें थीं।
- **रघुनाथ राव** ने बंबई सरकार के साथ 1775 ई. में **सूरत की संधि** की। इसके तहत यह तय हुआ कि अंग्रेज, रघुनाथ राव को पेशवा बनाएंगे, बदले में अंग्रेजों को सैन्य खर्च के अतिरिक्त सालसेट एवं बेसिन क्षेत्र प्राप्त होंगे।

- इस संधि के पश्चात् मराठों एवं अंग्रेजों के बीच तनाव प्रारंभ हुआ और यही तनाव प्रथम अंग्रेज-मराठा युद्ध का कारण बना। 1775 ई. की सूरत की संधि के पश्चात् जब युद्ध चल रहा था तो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए **कलकत्ता सरकार** ने सूरत की संधि को नहीं माना तथा युद्ध बंद करने का आदेश दिया।
- कलकत्ता सरकार ने मराठा प्रतिनिधि **नाना फडनवीस** के साथ 1776 ई. में **पुरंधर की संधि** की, जिसके तहत माधवराव-द्वितीय को ही पेशवा माना गया तथा बदले में सालसेट क्षेत्र पर अंग्रेजी प्रभाव की बात की गई।
- **सूरत संधि** के बावजूद गतिरोध जारी रहा और युद्ध शांत नहीं हुआ। 1778-79 ई. में **बड़गाँव का युद्ध** हुआ जिसमें अंग्रेजों की भयंकर पराजय हुई और उन्हें बड़गाँव की संधि करनी पड़ी।
अंततः 1782 ई. में **सालबाई की संधि** से युद्ध का अंत हुआ। यह संधि मराठा सरदार **महादजी सिंधिया** के प्रयासों से संभव हो पाई। संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न थे;
- दोनों पक्ष एक-दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा देंगे और माधव राव द्वितीय को ही पेशवा माना जायेगा। 3 लाख रुपये वार्षिक पेंशन रघुनाथ राव को दिया गया और सालसेट पर अंग्रेजी अधिकार की पुष्टि की गई।
- इस युद्ध से इस बात का भी संकेत मिला कि 1761 ई. में मराठों के पतन की जो बात की जा रही थी, उनमें अभी भी शक्ति है। अपनी आंतरिक फूट के बावजूद भी मराठों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803-06 ई.)

- 1800 ई. में नाना फडनवीस की मृत्यु हो गई तत्पश्चात् मराठों की स्थिति और भी खराब हो गई। तत्कालीन पेशवा **बाजीराव द्वितीय (1796-1818 ई.)** अयोग्य था और वह अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए मराठा राज्यों में आपसी फूट को बढ़ावा देता था।
- **पेशवा** बाजीराव-द्वितीय ने **सिंधिया** से मिलकर होल्कर प्रमुख **यशवंत राव होल्कर** के छोटे भाई की हत्या कर दी। परिणामतः यशवंत राव होल्कर ने पूना पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में **पेशवा** एवं **सिंधिया** की सम्मिलित सेना पराजित हुई। इस स्थिति में **बाजीराव द्वितीय** ने पूना से भागकर बेसीन में शरण लिया और वहां अंग्रेजों से **1802 ई. में बेसीन (बसई की संधि)** की संधि की। इस संधि के द्वारा वह सहायक संधि के प्रावधानों को स्वीकार करता है। बेसीन की संधि के

प्रमुख प्रावधान थे;

- दोनों पक्ष एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने राज्य में अंग्रेजों की सहायक सेना रखेगा, जिसके बदले में वह अंग्रेजों को 26 लाख वार्षिक आय वाला क्षेत्र देगा तथा पेशवा वैदेशिक संबंध के मामलों में कंपनी के निर्देशन में कार्य करेगा।
- इस संधि के पश्चात अन्य मराठा सरदार इससे रुष्ट हो गए और उन्होंने इस आपत्तिजनक संधि के विरुद्ध अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ कर दिये, पर उन्हें असफलता मिली और सहायक संधि के प्रावधानों के तहत ही निम्न संधियाँ करनी पड़ीं। **1803 ई. में भोंसले के साथ देवगाँव की संधि**, **1803 में सिंधिया के साथ सुर्जीअर्जुनगाँव की संधि**, **1805 ई. में होल्कर के साथ राजपुर घाट की संधि**, लेकिन बड़ौदा के **गायकवाड़** इनमें तटस्थ रहे।
- बेसीन संधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य मिल गया तथा बाजीराव द्वितीय द्वारा **बेसीन की संधि** के रूप में सहायक संधि के प्रावधानों को स्वीकार करने से यह तय हो गया कि मराठा विकल्प अब **सिद्धांत एवं व्यवहार** दोनों स्तर पर समाप्त हो चुका है।

तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-18 ई.)

लार्ड हेस्टिंग्स द्वारा (1813-1823 ई.) पिंडारियों के दमन की प्रक्रिया के पहले से ही व्याप्त अंग्रेजों एवं मराठों के बीच तनाव और व्यापक हो गए, जिसकी परिणति तृतीय अंग्रेज-मराठा युद्ध के रूप में हुई।

बाजीराव-द्वितीय पर यह दबाव बन रहा था कि वह मराठा प्रमुख का पद छोड़े। दबाव की परिस्थिति में **बाजीराव द्वितीय** ने 1817 ई. में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आगे चलकर अन्य मराठा राज्य भी इसमें शामिल हुए और धीरे-धीरे सभी की हार हुई और संधियाँ करनी पड़ीं जैसे- पूना के पेशवा के साथ **पूना की संधि (1817 ई.)**, इसके तहत मराठा संघ भंग कर दिया गया तथा पेशवा नेतृत्व भी समाप्त हो गया, 1817 ई. में सिंधिया के साथ **ग्वालियर की संधि**, 1818 ई. होल्कर के साथ **मंदसौर की संधि**, नागपुर के **भोंसले** ने पहले ही **1816 ई. में नागपुर** की संधि कर ली थी।

अंततः जब 1818 ई. में युद्ध का अंत हुआ तो बाजीराव-द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1818 ई. में ही मराठा राज्य

अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पेशवा को पेंशनर बनकर बिठूर में (कानपुर) रहना पड़ा।

मराठा पतन के कारण

मुगल साम्राज्य के पतन के चरण में मराठे ही भारतीय शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प थे, पर निम्न कारणों से मराठों का पतन होता गया।

राजनीतिक कारण

केन्द्रीय शक्ति की दुर्बलता ने मराठा संघ को और कमजोर कर दिया साथ ही, समय-समय पर इनमें आपसी लड़ाइयाँ होती रहीं। इससे मराठा संघ कमजोर पड़ता गया तथा जब मराठे भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बने हुए थे तब उन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं किया और स्वयं को क्षणिक स्वार्थों में उलझाये रखा।

अगर वे चाहते तो नाममात्र के मुगल बादशाह को समाप्त कर प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेते हुए अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर शासन संभाल लेते, इससे वे संपूर्ण भारत के संसाधनों का भी प्रयोग करने में सफल हो सकते थे। **नाना फड़नवीस** के बाद मराठा नेतृत्व में योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया था।

- **शिवाजी** के बाद के समय जिसमें मराठा सरदार, षड्यंत्र एवं अपने स्वार्थों में ही डूबे रहते थे, जिससे मराठा राज्य के प्रति जन सहभागिता निष्क्रिय हो गई। सैन्य दुर्बलताएँ जैसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति की सीमाएँ इत्यादि के कारण भी मराठा अपने साम्राज्य को बनाए नहीं रख पाए।
- **मराठा प्रसार की चौथ एवं सरदेशमुखी कर की नीति** के कारण भी देशी राज्य मराठों से जुड़ नहीं पाए और मराठों ने अपने समकालीन वैदेशिक शक्तियाँ, विशेषकर ब्रिटेन के प्रति दूरदूरी नीति का पालन नहीं किया। वे ब्रिटिश खतरे का भी सही अंदाजा नहीं लगा सके, अहमद शाह अब्दाली से हार भी इसी अक्षमता का परिणाम था और अंततः अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, योग्य नेतृत्व, कुशल (समुचित) रणनीति आदि ने मराठों को परास्त किया।

चौथ सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में लिया जाता था। जबकि सरदेशमुखी कर विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था।

सामाजिक-सांस्कृतिक कारण

शिवाजी के समय से मराठा राज्य एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर भी स्थापित हुआ था। इस राष्ट्रवाद को निर्मित करने में रामदास (**दासबोध के लेखक शिवाजी के गुरु**)

आदि सुधारकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके प्रभाव स्वरूप एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना को बल मिला था, पर आगे चलकर मराठा राष्ट्रवाद विकृत हो गया और क्षेत्रीय आधारों पर राष्ट्रीयताओं का विभाजन हुआ।

आर्थिक कारण

मराठों के पतन के लिए आर्थिक तत्वों की भी निर्णायक भूमिका रही। इनका मूल क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र नहीं था तथा **चौथ** और **सरदेशमुखी** जैसे करों को एक समय के बाद **वसूलना संभव** नहीं रहा और समुचित कर व्यवस्था के अभाव में मराठा साम्राज्य **आर्थिक अव्यवस्था का शिकार** हुआ, जिसने मराठों के पतन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया।

सिंध विजय (1843 ई.)

अंग्रेजों की सिंध विजय तत्कालीन पृष्ठभूमि में हुए कुछ परिवर्तनों एवं सिंध क्षेत्र के अवस्थिति से संबंधित था।

कारण

- सिंध व्यापारिक सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सिंध क्षेत्र से ही फारस की खाड़ी से होने वाला व्यापार संपादित होता था। वैदेशिक संबंधों की दृष्टि से भी सिंध महत्वपूर्ण था।
- **अफगानिस्तान** एवं **फारस** के रास्ते सिंध होते हुए भारत पर आक्रमण किया जा सकता था। इस समय रूसी प्रसार का दौर चल रहा था अतः रूसी प्रसार को रोकने एवं रूसी आक्रमण और फ्रेंच आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से सिंध पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करना आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त प्रथम आंग्ल-अफगान युद्ध (1839-42 ई.) में अंग्रेजों की अपमानजनक पराजय का सिंध विजय के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। 1843 ई. में सिंध विजय संपन्न हुआ। सिंध पर अमीरों का शासन था। समय-समय पर इन्होंने अंग्रेजों के प्रभाव के कारण उनके कहे अनुसार संधियाँ कीं।

- **1809 ई.** में **गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटों** के समय फ्रांसीसी भय को समाप्त करने के लिए सिंध के साथ संधि की गयी।
- जिसमें यह प्रावधान था कि इनके सिंध में बसने पर रोक होगी। 1820 ई. में इसी संधि का नवीनीकरण किया गया और यह प्रावधान किया गया कि सिंध में अंग्रेजों को छोड़कर अन्य के बसने पर मनाही होगी।

- 1832 ई. में संधि के तहत सिंध के नदी मार्गों एवं सड़क को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।
- 1839 ई. में सिंध ने सहायक संधि के प्रावधानों को भी स्वीकार कर लिया। इसी समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजी सेना की बुरी पराजय हुई तथा उसके मान-सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का लगा तब कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने सिंध विजय के माध्यम से अंग्रेजी पुनर्प्रतिष्ठा की स्थापना तथा सैन्य मनोबल में वृद्धि की बात सोची। उस समय लॉर्ड एलनबरो (1842-44) गवर्नर जनरल था तथा चार्ल्स नेपियर सिंध में अंग्रेज रेजीडेंट/प्रतिनिधि था। नेपियर ने सर्वप्रथम तीन मांगे रखीं-

1. सिंध का एक भाग कंपनी को सौंपा जाए।
 2. सिंधु नदी में चलने वाले ब्रिटिश जहाजों के ईंधन का प्रबंध सिंध सरकार करे।
 3. कंपनी को सिंध क्षेत्र में सिक्के ढालने का अधिकार मिले।
- जनवरी, 1843 ई. में नेपियर ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सिंध के कुछ दुर्गों पर आक्रमण किया, प्रतिक्रिया में वहां के अमीरों ने अंग्रेज रेजीडेंट पर आक्रमण कर दिया। इस स्थिति में नेपियर ने विधिवत रूप से सिंध के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सिंध के अमीर परास्त हुए अंततः अगस्त, 1843 ई. में सिंध पर विजय प्राप्त कर उसका अंग्रेजी राज्य के साथ विलय कर दिया गया।

समीक्षा

भारत में अंग्रेजी सरकार का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध साम्राज्यवादी भावना से प्रभावित रहा। शांतिपूर्ण वाणिज्यिक कंपनी ने जब राजनीतिक शक्ति हथिया ली तो उसकी सुरक्षा के लिए विस्तार होना शुरू हो गया। बार-बार विस्तारवादी नीति के खिलाफ घोषणा के बाद भी शक्तिशाली सत्ता अपनी राज्य सीमा को यथावत न रख सकी तथा अपने निकटवर्ती अव्यवस्थित लोगों को अधिशासन में विलय करती गई।


- यूरोप की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव को भी अंग्रेज भारतीय साम्राज्यवाद की ओर जाने वाले जल व थल मार्ग पर सहन नहीं कर सके। पड़ोसी राज्य जब तक मित्रवत और सहयोग के लिए उन पर निर्भर थे और किसी विदेशी प्रभाव से मुक्त थे, तब तक उन्हें चिंता नहीं थी, किन्तु उनकी शक्तिशाली अथवा अन्य शक्ति पर आश्रित होना उन्हें पसंद नहीं था।
- अंग्रेज अपने साम्राज्य के चारों ओर वे 'प्रभावित क्षेत्रों' का

घेरा स्थापित करना चाहते थे। किन्तु यदि दूसरे साम्राज्यवादी को उस ओर बढ़ते देखते तो उससे पूर्व की दूसरी शक्ति उसे हड़पे, अंग्रेज स्वयं भू-भाग पर अधिकार के अवसर से नहीं चूकते थे।

- 19वीं सदी के शुरू में औपनिवेशिक विस्तार नई व्यापारिक मंडियां प्राप्त करने के लिए था, 20वीं सदी में वह आर्थिक कार्यवाहियों की आड़ में बढ़ने लगा।

पंजाब विजय (1849 ई.)

18वीं सदी के अंतिम दशक में रणजीत सिंह के नेतृत्व में जिस पंजाब राज्य की सुदृढ़ स्थापना हुई थी, वह 1839 ई. में उनकी मृत्यु के साथ ही अव्यवस्था का शिकार हो गई। अस्थिरता की इस स्थिति में कई शासक आए जैसे- खड़ग सिंह (1839-40 ई.), शेर सिंह (1840-43 ई.), दिलीप सिंह (1843-49 ई.) आदि। इसी अस्थिरता को देखकर अंग्रेजों ने फायदा उठाया, जिसकी परिणति दो अंग्रेज सिख युद्ध के रूप में हुई।



प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46 ई.)

इस समय दिलीप सिंह सिख राजा थे। उसकी अल्पवयस्कता की स्थिति में रानी जिंदल उसकी संरक्षिका थी। रानी जिंदल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस युद्ध का बड़ा कारण बनी। युद्ध के दौरान कुछ सिख सरदारों ने विश्वासघात किया। परिणामतः अंग्रेजों से सिख पराजित हुए।

- 1846 ई. में लाहौर पर अधिकार के बाद लाहौर की संधि करनी पड़ी। अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त इसमें लाहौर में ब्रिटिश सेना की उपस्थिति निश्चित की गयी तथा हेनरी लारेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजीडेंट बनाया गया।

सिखों की पराजय के कारण

सिखों की पराजय का मूल कारण दिलीप सिंह की अयोग्यता, रानी जिंदल का अतिशय हस्तक्षेप, सिख सरदारों की स्वार्थपरता एवं विश्वासघात आदि थे।

द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49 ई.)

प्रथम युद्ध से अंग्रेजी प्रभाव की शुरुआत के बाद जब डलहौजी

1848 ई. में भारत का गवर्नर जनरल बना तब वह पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था।

इसी समय अंग्रेजी प्रभाव के विरुद्ध कुछ सिख सरदारों के विद्रोह से डलहौजी को यह मौका मिल गया। अंततः अंग्रेजों एवं

सिख सेना में युद्ध हुआ तथा 1849 ई. में पंजाब राज्य पर विजय प्राप्त कर डलहौजी द्वारा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। यह अंग्रेजों द्वारा विजित अंतिम महत्त्वपूर्ण राज्य था।




3

भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति (British Policy for Indian State)

भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेजों के संबंध दो नीतियों से निर्देशित थे- पहली, साम्राज्य की रक्षा के लिये उनसे संबंधों की स्थापना एवं उनका उपयोग तथा दूसरा, उन्हें पूर्णतया साम्राज्य के अधीन कर लेना (अधीनस्थ संघीय नीति)।

- 1857 ई. के विद्रोह के बाद की नीति शासकों को पदच्युत करने या उन्हें दंड देने की थी न कि उनके राज्य को विलय करने की। इसके साथ ही रियासतों को उनकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी भी दी गयी तथा घोषणा की गयी कि सरकार रियासतों द्वारा किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार का सम्मान करेगी।
- वस्तुतः 1757 ई. में प्लासी की विजय से लेकर 1947 ई. में भारतीय आजादी तक देशी रियासतों एवं कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार की नीतियों के संबंध में कई चरण दिखायी पड़ते हैं।



रिंगफेस या घेरे या मध्य राज्य की नीति (1765-1813 ई.)

कंपनी ने अपने निरंतर बढ़ते हुए साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया।

- वारेन हेस्टिंग्स (1772-85) के समय इसका प्रारंभ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य की रक्षा हेतु अवध की रक्षा का भार उठाया गया ताकि अफगान व मराठों के आक्रमण से बंगाल की रक्षा की जा सके।
- लॉर्ड वेलेजली (1798-1805) ने अपनी सहायक संधि की नीति द्वारा इसे व्यवस्थित आधार प्रदान किया। सहायक संधि के द्वारा कई राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी पर आश्रित हो गए।

अधीनस्थ पार्थक्य की नीति (1813-1858 ई.)

इस नई नीति के तहत रियासतों ने अपनी समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन कर दी। हालाँकि अपने आंतरिक मामलों में वे पूर्ण स्वतंत्र थे। प्रारंभ में ब्रिटिश रेजीडेन्ट, कंपनी एवं भारतीय रियासतों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था। किन्तु धीरे-धीरे रियासतों के आंतरिक प्रशासन में उसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी।

- 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी की समस्त व्यापारिक शक्तियां समाप्त हो गयीं तथा अब वह पूर्णरूपेण एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगीं।
- रियासतों के प्रति कंपनी की नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि उत्तराधिकार के मसले पर अब उसे कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक था।
- कालांतर में कंपनी ने उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया।
- 1834 ई. में कंपनी के डायरेक्टरों ने रियासतों के विलय संबंधी एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार 'जब कभी और जहां कहीं संभव हो' रियासतों का कंपनी में विलय कर लिया जाए।
- लॉर्ड डलहौजी के विलय के सिद्धांत द्वारा लगभग आधा दर्जन रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गयीं, जिनमें सतारा एवं नागपुर जैसी बड़ी रियासतें भी सम्मिलित थीं।

अधीनस्थ संघ की नीति (1858-1935 ई.)

1858 ई. के एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया। इस दौरान रियासतों के संबंध में नीतिगत परिवर्तन हुआ।

- सम्राट ने विलय की नीति को त्याग दिया क्योंकि वे इसका दुष्प्रभाव 1857 के विद्रोह में देख चुके थे।
- इस चरण में सरकार रियासतों को एक अधीनस्थ संघ की तरह देखता था। 1921 में इसी दृष्टि से नरेश मंडल (Chamber of

Princes) का गठन हुआ। यह रियासत एवं भारत सरकार के मध्य संबंधों को निर्धारित करने के संदर्भ में एक सलाहकारी संस्था थी।

- आधुनिक संचार व्यवस्था, रेलवे, सड़कें, टेलीग्राफ, नहरें, पोस्ट ऑफिस, प्रेस तथा भारतीय जनमत ने भी अंग्रेजों को भारतीय रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप करने तथा उनके अधिकार को कम करने में सहायक परिस्थितियों की भूमिका निभायी। भारत सरकार इन रियासतों के बाहरी और विदेशी संबंधों में भी पूर्ण नियंत्रण रखती थी।
- सरकार इनकी ओर से स्वयं युद्ध की घोषणा कर सकती थी, तटस्थता कर सकती थी एवं शांति संधि का प्रस्ताव पारित कर सकती थी।

बटलर समिति

सरकार तथा रियासतों के संबंधों के परीक्षण तथा इन्हें परिभाषित करने के लिए भारत सरकार ने 1927 ई. में 'बटलर समिति' की नियुक्ति की। समिति की प्रमुख सिफारिशें—

- सर्वश्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए तथा इसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपना दायित्व निभाना चाहिए। अस्पष्ट मामलों में रीति-रिवाज महत्वपूर्ण होते हैं।
- भारतीय रियासतों को उनके शासकों की अनुमति के बिना किसी ऐसी भारतीय सरकार को नहीं सौंपना चाहिए जो भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो।
- वायसराय, रियासतों के संबंध संचालन हेतु ताज का प्रतिनिधि होना चाहिए।
- किंतु सर्वश्रेष्ठता को अभी भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। अंततः यह राक्षसरूपी रिवाज, नरेंद्रों की निहित अनुमति तथा ताज के विशेषाधिकारियों पर पल्लवित होता रहा।

निष्कर्ष— बटलर समिति के गठन का उद्देश्य परमसत्ता और राजाओं के बीच के संबंधों से जुड़े मुद्दों की जांच करना था, ताकि ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संतोषजनक संबंधों की स्थापना की जा सके।

समान संघ की नीति (1935-1947 ई.)

1935 के एक्ट के प्रावधानों के तहत भारत सरकार ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार द्वारा अपनी 'सर्वोच्च श्रेष्ठता' की नीति को बनाए रखा।

- सरकार इन राज्यों में अपने रेजिडेंट नियुक्त कर या अधिकारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर अपने हस्तक्षेप करने का अधिकार बनाए रखी और भारत सरकार ने


संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरों, पोस्ट-आफिस आदि का इन राज्यों में आधुनिक ढंग से विकास किया गया तथा इन माध्यमों द्वारा भी उसे राज्यों में दखल देने का अवसर बराबर मिलता रहा।

- राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का सरकार का एक उद्देश्य यह था कि इससे राष्ट्रवाद के उदय एवं लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार को रोका जा सके।

ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति (British Imperialistic Policy)

ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के साम्राज्यवादी विस्तार एवं सुदृढीकरण की प्रक्रिया, कंपनी द्वारा 1757-1857 ई. के दौरान दो तरफा पद्धति

- विजय एवं युद्ध द्वारा विलय की नीति और
 - कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा विलय की नीति के माध्यम से किया गया।
- कंपनी ने बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करके, उन्हें परास्त कर अपने अधीन किया।
 - लेकिन अन्य कई शक्तियों को अधीन करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने युद्ध की जगह कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को अपनाया, जिससे आर्थिक व्यय से बचा जा सकें।
 - इसी संदर्भ में, भारत में वेल्लेजली की 'सहायक संधि' और डलहौजी का 'व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति' का उद्भव हुआ, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार तीव्रता से हुआ।



वैलेजली की सहायक संधि

सर्वप्रथम डूप्ले ने सहायक संधि प्रणाली जैसी अवधारणा भारत के दक्षिण राज्यों के संदर्भ में प्रस्तुत की। इसके तहत उसने भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देने के बदले धन प्राप्ति का

लक्ष्य बनाया। किन्तु डूले इस नीति को संस्थागत रूप नहीं दे सका।

- इस नीति से प्रेरित होकर क्लाइव ने भी कर्नाटक एवं अवध के साथ ऐसा संबंध बनाकर लाभ लेने का प्रयास किया। किन्तु पहली बार वेलेजली ने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का साधन बनाकर उसकी विस्तृत व्याख्या की।
- वेलेजली से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी और इससे ब्रिटिश हितों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः वेलेजली ने आते ही ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए अपने दो उद्देश्य घोषित किए।
- पहला, ब्रिटिश कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना।
- दूसरा, देशी रियासतों को अधीन बनाना।

वस्तुतः यूरोप में फ्रांस की क्रांति चल रही थी और नेपोलियन ब्रिटिश के विरुद्ध अभियान में संलग्न था। अतः अंग्रेजों के भारतीय उपनिवेश को भी खतरा पैदा हुआ साथ ही, मैसूर जैसी क्षेत्रीय शक्ति में एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली की आवश्यकता थी जो भारतीय शक्तियों को यूरोपियों के सहयोग से वंचित करने के साथ ही, औद्योगिक क्रांति के इस दौर में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का निर्माण भी करे। इसी क्रम में वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को लागू किया।

विशेषताएँ

- देशी राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज संबंधित राज्य में एक सेना रखेंगे, जिसका खर्च देशी राज्य देगा। यह धनराशि नकद या उस राज्य के किसी भू-भाग के रूप में होगी, इसका निर्धारण अंग्रेज करेंगे।
- अंग्रेजों की अनुमति के बिना देशी राज्य युद्ध या शांति के दौर में किसी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं बनाएगा अर्थात् देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी।
- देशी राज्य ब्रिटिश की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय अथवा अंग्रेजों के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे।
- संबंधित देशी राज्य में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि (रेजिडेंट) रहेगा।
- ब्रिटिश संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- इस नीति के तहत अंग्रेजों ने निजाम, मैसूर, मराठा, अवध आदि से सहायक संधि की।
- सबसे पहले यह संधि 1798 ई. में हैदराबाद के निजाम से

की गई।

- फिर मैसूर (1799 ई.), तंजौर (अक्टूबर 1799 ई.), अवध (नवंबर 1801 ई.), पेशवा (दिसंबर 1801 ई.), बरार के भोंसले (दिसंबर 1803 ई.), सिंधिया (फरवरी 1804 ई.), जोधपुर, जयपुर, मच्छेडी, बूंदी और भरतपुर के साथ की गई।

अंग्रेजों को लाभ

- सहायक संधि प्रणाली का पूरा लाभ अंग्रेजों को मिला। अब फ्रांसीसियों के विरोध का भय समाप्त हो गया क्योंकि भारतीय राज्यों से उनके गठबंधन की समाप्ति हुई।
- कंपनी को एक बड़ी सेना के गठन का अवसर मिला जिसका निर्माण भारतीय धन से किया गया और अब इस सेना के माध्यम से कंपनी की साम्राज्यवादी पकड़ मजबूत हुई।
- इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों के आर्थिक व्यापारिक हितों की पूर्ति हुई।

भारतीय राज्यों को हानि

सहायक संधि प्रणाली से भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी अर्थात् ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। इस तरह उनकी संप्रभुता सीमित हुई।

- ब्रिटिश प्रतिनिधि राज्य के आंतरिक मामलों में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करते थे। अतः देशी राज्यों के शासकों को शासन चलाने में रूचि ही समाप्त हो गई।
- देशी राज्यों की आर्थिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वस्तुतः ब्रिटिश सेना का खर्च भी भारतीय राज्यों को उठाना पड़ा तथा साथ ही समय-समय पर अंग्रेजों ने देशी राज्यों से उपहार स्वरूप धन की प्राप्ति की। फलतः देशी राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई।
- देशी राज्यों के शासक आलसी और विलासी हो गए क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सुरक्षा का आश्वासन मिला था। वस्तुतः : देशी राज्य अब इस दायित्व से मुक्त हो गए कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए कुछ करना है और कुछ न करने पर प्रजा के विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया क्योंकि इस विद्रोह से सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों ने दी थी।
- देशी राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित कर कंपनी ने देशी राज्यों को हस्तशिल्पों को संरक्षण देने से वंचित कर दिया। फलतः

भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला किन्तु, भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए और उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा।

विश्लेषण

इस प्रकार हम देखते हैं कि सहायक संधि की शकल में दिखने वाली यह एक ऐसी कुशलतापूर्ण नीति थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ीकृत किया। साथ ही, उसके प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इसने आंतरिक एवं बाह्य दोनों संदर्भों में न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को संरक्षित किया वरन आगे संप्रभुता की पूर्ण स्थापना हेतु सहज मार्ग भी प्रशस्त किया।

डलहौजी की विलय नीति

डलहौजी एक प्रखर साम्राज्यवादी था। उसकी नीति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की थी। उसने कहा कि 'हमारी नीति देशी राज्यों का विलय करने की है।' वस्तुतः लंदन में बैठे हुए निदेशक मंडल (Board of Directors) ने विस्तारवादी नीति पर बल देते हुए कहा कि नए करों की प्राप्ति अथवा प्रदेशों को प्राप्त करने का कोई अवसर न छोड़ा जाए।

- डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए ब्रिटिश भारत के मानचित्र को ही परिवर्तित कर दिया इसके काल में ही साम्राज्य की प्रसार प्रक्रिया काफी हद तक एक पूर्णता को प्राप्त करती है।
- इस साम्राज्य विस्तार के लिए उसने कई प्रकार की नीतियां अपनाई जैसे युद्ध द्वारा विलय, शांतिपूर्ण विलय जिसमें उसने कुशासन के आधार पर राज्यों का विलय और व्यपगत या हड़प नीति के आधार पर विलय, जिसमें हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत सर्वाधिक चर्चित रहा।

युद्धों में महत्वपूर्ण विजय, 1849 ई. में पंजाब विजय। पंजाब की विजय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक तरीके से अंतिम बड़ा स्वतंत्र राज्य था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। वैदेशिक मोर्चे पर डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने लोअर बर्मा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की।

- पद, पेंशन आदि समाप्त कर प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से 1853 ई. में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए गए पुत्र नाना साहब (धोधू पंत)

को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया व पेंशन भी बंद कर दी।

- कर्नाटक के नवाब के संदर्भ में भी ऐसा ही किया गया। 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु पर मद्रास सरकार के सुझाव पर उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं प्रदान की गयी।
- डलहौजी की योजना मुगल सम्राट की उपाधि को समाप्त करने की थी, परंतु उसकी बातों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अस्वीकार कर दिया।

कुशासन के आरोप के आधार पर 1856 ई. में अवध के ब्रिटिश रेजीडेंट (प्रतिनिधि) आउट्रम की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुशासन के नाम पर अवध का विलय कर लिया गया।

व्यपगत का सिद्धांत

डलहौजी के पूर्व भी गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर कुछ राज्यों पर प्रभाव स्थापित करने के उदाहरण मिलते हैं। इस संबंध में डलहौजी की भूमिका यह रही है कि उसने इस नीति को एक व्यवस्थित नियम में बांधने का काम तो किया साथ ही, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उसका कुशलतापूर्ण उपयोग भी किया।

- इस नियम का प्रमुख आधार था पुत्र विहीन कोई भी ब्रिटिश प्रभाव वाला राज्य, बिना ब्रिटिश अनुमति के गोद नहीं ले सकता था, साथ ही, बिना अनुमति गोद लिया हुआ पुत्र शासन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।
- इस समय यह नीति उन राज्यों के संदर्भ में लागू की गई जो राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने निर्मित किये थे, स्वतंत्र राज्यों पर यह नीति लागू नहीं होती थी।
- इस नीति को ही आधार बनाकर सतारा (1848 ई.), जैतपुर, संभलपुर (1849 ई.), झांसी (1853 ई.), नागपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया।

समीक्षा

हड़प नीति के तहत डलहौजी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में मनमाने तरीके से राज्यों का बंटवारा करना तथा पैतृक वारिस न होने की स्थिति में उनके राज्यों को हड़प लेना पूर्णतया अनुचित था। अंग्रेज भारत की सर्वोच्च सत्ता नहीं थे। इन्होंने दीवानी अधिकार भी मुगल सम्राट से ही प्राप्त किया था।

अतः यह कहना कि कंपनी सर्वोच्च शक्ति थे अतार्किक है। वस्तुतः ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे और एक साधन के रूप में उन्होंने

गोद प्रथा को आधार बनाया।

ब्रिटिश साम्राज्य पर सकारात्मक प्रभाव


डलहौजी की हड़प नीति से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आधार मजबूत हुआ। भारतीय भू-भाग का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। बिना युद्ध के ही डलहौजी ने भारतीय मानचित्र पर ब्रिटिश झंडे का विस्तार किया।

- आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ा। वस्तुतः साम्राज्य विस्तार के साथ ही, एक विशाल बाजार की प्राप्ति हुई जो अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति से संचालित था।
- दरअसल **डलहौजी** का काल **मुक्त व्यापार** के सिद्धांत की एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रखर दोपहरी का काल था। डलहौजी के समय तक इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति अपने उच्च स्तर पर थी।
- इस नीति में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत को बाजार के तौर पर देखा। इसी क्रम में **विलय और विस्तार** की नीति अपनाई गई और डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से बहुत कम समय में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया।

नकारात्मक प्रभाव

डलहौजी की पूरी साम्राज्यवादी नीति से भारतीय राज्यों में असंतोष पैदा हुआ।

वस्तुतः राज्यों के विलय से शासक एवं जनता असंतुष्ट हुई। फलतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह भी हुए। इसे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में समझा जा सकता है। जहां ब्रिटिश सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा।



पड़ोसी देशों के प्रति ब्रिटिश नीति

(British Policy to Neighbouring Countries)

अंग्रेजों की विदेश नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की संरक्षक थी। एक तरफ संचार के आधुनिक साधनों के प्रयोग ने भारत को राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से एक सूत्र में आबद्ध कर दिया।

इसके साथ ही देश की रक्षा एवं अन्य कार्यों के निमित्त सरकार एवं प्रशासन की पहुँच देश के दूरदराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में आसान हो गयी। इसके फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में झड़पें होने लगीं।

- वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह एशिया एवं अफ्रीका में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ब्रिटेन के वाणिज्यिक एवं आर्थिक हितों का विस्तार करे तथा ब्रिटेन की प्रतिद्वंद्वी अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से अपने उपनिवेशों तथा अपने हितों की रक्षा करें तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर अनेक विजय प्राप्त की तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किन्तु इस क्रम में उसकी तत्कालीन अन्य साम्राज्यवादी ताकतों यथा- रूस एवं फ्रांस से झड़पें भी हुयीं।

भूटान के साथ संबंध

1816 ई. में **असम के अधिग्रहण** से भूटान भारत का पड़ोसी राज्य बन गया था।

- भूटानियों द्वारा समय-समय पर **असम** एवं **बंगाल** के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली लूटपाट एवं 1863-64 ई. में **लॉर्ड एल्लिन** के प्रतिनिधि से **दुर्व्यवहार** एवं उस पर थोपी गयी शर्तें, जिसके कारण अंग्रेजों को असम के सभी महत्वपूर्ण दरें भूटानियों को सौंपने पड़े, जो दोनों के मध्य झगड़े का प्रमुख कारण थे।
- बाद में अंग्रेजों ने इन दरों पर पुनः अधिकार कर लिया तथा भूटानियों को भत्ता देना बंद कर दिया।

नेपाल के साथ संबंध


- नेपाल के साथ विवाद के कारण 1814 में अंग्रेजों एवं नेपालियों के मध्य **गोरखा युद्ध** नामक भीषण युद्ध हुआ, जिसका अंत **सुगौली की संधि** से हुआ। इस संधि के अनुसार नेपाल ने अपने यहां **ब्रिटिश प्रतिनिधि (रेजीडेंट)** रखना स्वीकार कर लिया।
- **नेपाल** ने **कुमाऊँ** एवं **गढ़वाल** जिले अंग्रेजों को सौंप दिये तथा तराई क्षेत्र पर दावा छोड़ दिया साथ ही सिक्किम भी अंग्रेजों को सौंप दिया।
- **सुगौली की संधि** से अंग्रेजों को कई लाभ हुए अब

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हिमालय तक हो गया तथा मध्य एशिया में व्यापार के लिए उसे अच्छी व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त हुईं और अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं पहाड़ी सैरगाह मिल गईं। जैसे **शिमला**, **नैनीताल** तथा **मसूरी** एवं **ब्रिटिश भारतीय सेना** को **बहादुर** एवं **लड़ाकू** जाति के **गोरखा** सैनिक भी मिलने लगे।

बर्मा के साथ संबंध

ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीतियों के परिणामस्वरूप जंगली संसाधनों की चाह, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार की प्राप्ति तथा बर्मा एवं शेष दक्षिण-पूर्व एशिया में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने के प्रयासों ने अंग्रेजों एवं बर्मा के मध्य तीन युद्धों को जन्म दिया।

- इन युद्धों में बर्मा की पराजय हुई और अंततः उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।



प्रथम बर्मा युद्ध (1824-26 ई.)— सन् 1822 ई. में बर्मा के **सेनापति महाबुंदेला** ने असम पर अधिकार कर लिया तदुपरांत **मणिपुर** को जीत लिया। जब उसने **कछार** राज्य को भी हस्तगत करना चाहा तो **लॉर्ड एमहर्स्ट** ने इसका विरोध किया। इस प्रकार बर्मा सरकार तथा अंग्रेजों के मध्य टकराव प्रारंभ हुआ।

- प्रथम बर्मा युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी, 1824 ई. को हुई, जब बर्मा पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों ने दो तरफ से सेना भेजी।
- पहली सेना उत्तर-पूर्व के स्थल मार्ग से **सर आर्चीबोल्ड केम्पबेल** के नेतृत्व में, दूसरी सेना समुद्री मार्ग से।
- मई, 1824 ई. में अंग्रेजों ने रंगून जीत लिया तथा फिर असम को भी हस्तगत कर लिया। **बर्मा सेनापति महाबुंदेला** अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मारा गया।
- 24 फरवरी, 1826 ई. को अंग्रेजों एवं बर्मियों के मध्य **याण्डबू की संधि** हुयी, जिसके अनुसार बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में दिये, **अराकान** और

टर्मासिरिम के प्रांत अंग्रेजों को दे दिए, **असम**, **कछार** और **जैतिया** पर अपना दावा छोड़ दिया, **मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी**, ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक संधि करना स्वीकार किया तथा आवा में एक अंग्रेज रेजीडेंट रखना स्वीकार कर लिया।

- इस संधि से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। उत्तर-पूर्व में उन्हें पर्याप्त भूमि मिल गयी तथा भविष्य में प्रसार के लिए बर्मा में उन्हें सुदृढ़ आधार प्राप्त हो गया।

द्वितीय बर्मा युद्ध (1852-53 ई.)— ब्रिटिश व्यापारी ऊपरी बर्मा के जंगलों पर अधिकार करना चाहते थे तथा वे बर्मा सरकार को व्यापारिक कर देने के पक्ष में भी नहीं थे और नए राजा के द्वारा पुरानी संधि की शर्तों को पालन करने से इंकार करने पर **डलहौजी** ने **लैम्बर्ट** के नेतृत्व में जहाजों का **बेड़ा रंगून** भेज दिया।

- लैम्बर्ट** ने रंगून पहुंचकर अंग्रेज व्यापारियों की समस्याओं को बर्मा सरकार के सम्मुख उठाया तथा रंगून के **बर्मा गवर्नर** को हटाने की मांग की।

- साथ ही, उसने बर्मा के एक जहाज पर भी अधिकार कर लिया।
- इन घटनाओं के कारण अंग्रेजों एवं बर्मियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। बर्मा की हार हुई और **डलहौजी** ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार **लोवर बर्मा** को अपने साम्राज्य में मिला लिया।

तृतीय बर्मा युद्ध (1885-86 ई.)— इस समय रंगून एवं निचले बर्मा के अंग्रेज व्यापारियों ने बर्मा के शासक **थीबो** पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसने **टिम्बर** कंपनी पर भारी जुर्माना लगा दिया था।

- अंत में **लॉर्ड डफरिन** ने बर्मा पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया तथा 1885 ई. में बर्मा को विजित कर (ऊपरी बर्मा को) ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया।
- लेकिन बर्मा को अधिग्रहित करने के कुछ समय पश्चात् ही वहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध **गुरिल्ला युद्ध** प्रारंभ हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 1935 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध** के समय **यू आंग सेन** के नेतृत्व में बर्मा का स्वतंत्रता आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया। अंततः बर्मा के स्वतंत्रता संग्राम को सफलता मिली तथा **4 जनवरी, 1948 ई.** को बर्मा आजाद हो गया।

तिब्बत के साथ संबंध

तिब्बत चीन के प्रतीकात्मक अधिपत्य में बौद्ध भिक्षुओं (लामाओ) द्वारा धर्मराज्य के रूप में शासित होता रहा था। तिब्बत पर चीन

का अधिपत्य अप्रभावी था तथा यहां रूसी प्रभाव में धीरे-धीरे वृद्धि कर रहा था। इसको रोकने के लिए **यंगहस्बैंड** ने **ल्हासा** पर आक्रमण कर दिया (अगस्त, 1940 ई.) तथा दलाई लामा भारत की ओर रवाना हुए।

- **यंगहस्बैंड** ने तिब्बत के अधिकारियों के सम्मुख एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके अनुसार तिब्बत, हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 75 लाख रूपए देगा। यह रकम 1 लाख रूपए प्रतिवर्ष करके अदा की जाएगी, प्रतिपूर्ति की सुरक्षा (Security) के रूप में भारत सरकार **चुम्बी घाटी** (भूटान एवं सिक्किम के बीच का क्षेत्र) को 75 वर्ष तक अपने अधिकार में रखेगी, तिब्बत, सिक्किम की सीमाओं का सम्मान करेगा, **यातुंग**, **ग्यान्त्से** तथा **गंगटोक** के व्यापार बाजार को तिब्बत अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल देगा।
- तिब्बत, रेलवे, रोड, टेलीग्राफ इत्यादि के क्षेत्र में किसी अन्य विदेशी राज्य को कोई रियायत नहीं देगा तथा उसकी विदेश नीति पर कुछ हद तक ब्रिटेन का अधिकार रहेगा।

उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ संबंध

1849 ई. के पश्चात् अंग्रेजों की उत्तर-पश्चिमी सीमा नीति **लॉर्ड लारेंस** की 'हस्तक्षेप न करने' के सिद्धांत पर आधारित रही। किन्तु 1876 ई. में **लिटन** के आने पर **कुशल अकर्मण्यता** की नीति समाप्त हो गयी तथा **अग्रगामी नीति** का अनुसरण होने लगा।

- इस समय अंग्रेजी नीति-निर्माताओं को एक वैज्ञानिक सीमा की महत्ता का एहसास होने लगा। विशेष रूप से द्वितीय अफगान युद्ध तथा अफगान क्षेत्रों को अधिग्रहित करने के पश्चात् इस धारणा को और बल मिला।
- **लॉर्ड लैंसडाउन** (जो कि 1888-94 ई तक वायसराय रहा) ने लिटन की अग्रगामी नीति का और विस्तार किया और अंततः **डूरंड समझौते** से अफगानिस्तान एवं अंग्रेजी साम्राज्य के बीच सीमा समस्या का समाधान हो गया।

लॉर्ड कर्जन ने सीमा नीति के संबंध में वापसी तथा केंद्रीकरण की नीति अपनायी। नियमित अंग्रेजी सेना को कबाइली प्रदेशों में स्थित चौकियों से हटा लिया गया तथा कबाइली प्रदेश की रक्षा का दायित्व अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित कबाइली सेना को सौंप दिया।

- कर्जन ने कबाइलियों को शांति स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उसने भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में

उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत नामक एक नए प्रांत का गठन किया।

- कुल मिलाकर कर्जन की नीतियों से शांतिपूर्ण उत्तर-पश्चिमी सीमा की स्थापना हुई। लेकिन उत्तर-पश्चिम सीमा में शांति स्थापना के पश्चात् भी कबाइलियों के उपद्रव की छिटपुट घटनाएँ होती रहीं। जनवरी, 1932 ई. में इस प्रांत को **गवर्नर के प्रांत** की स्थिति दे दी गयी। 1947 ई. में विभाजन के पश्चात् यह प्रांत **पाकिस्तान** में सम्मिलित हो गया।

अफगानिस्तान के साथ संबंध

आकलैंड, जो कि 1836 ई. में गवर्नर -जनरल बनकर भारत आए, वे अग्रगामी नीति के समर्थक थे। अफगानिस्तान का अमीर (शासक) **दोस्त मुहम्मद** ने मित्रता के लिए अंग्रेजों के सम्मुख यह शर्त रखी थी कि अंग्रेज अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करके **रणजीत सिंह** से पेशावर उसे वापस दिला दें। लेकिन आकलैंड ने दोस्त मुहम्मद के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात् दोस्त मुहम्मद ने रूस एवं फारस की ओर रुख किया तथा इनसे सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया।

- दोस्त मुहम्मद के इस प्रयास से अंग्रेज सरकार अग्रगामी नीति अपनाने की ओर अग्रसर हुयी तथा उन्होंने **रणजीत सिंह** एवं **शाहशुजा** के साथ मिलकर **जून, 1838 ई. में त्रिदलीय संधि** पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत **शाहशुजा** को अफगान का शासक नियुक्त किया गया।
- लेकिन शीघ्र ही पूरी स्थिति तेजी से बदल गयी। अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में भेजे गए सैन्य अभियान से फारस का शासक अत्यंत भयभीत हो गया। इसी के कारण **प्रथम अफगान युद्ध (1839-42 ई.)** हुआ।
- अंग्रेजों की वास्तविक मंशा अफगानिस्तान पर प्रभुत्व जमाने की थी। दोस्त मुहम्मद ने आत्मसमर्पण (1840 ई.) कर दिया और **शाहशुजा को अफगानिस्तान का अमीर** घोषित कर दिया गया। अंग्रेजी सेना के वापस लौटते ही **अफगानों ने विद्रोह** कर दिया।

अंततः दोस्त मुहम्मद से समझौता करके शीघ्र ही **काबुल** को खाली कर दिया तथा दोस्त मुहम्मद को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी।


जॉन लारेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनायी। यह नीति प्रथम अफगान युद्ध में हुए अंग्रेजों के सर्वनाश का सीधा परिणाम थी। जॉन लारेंस की इस नीति के

दो मुख्य उद्देश्य थे-

- पहला, सीमा में शांति भंग नहीं होनी चाहिए तथा
- दूसरा, देश के गृहयुद्ध में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात् जब शेर अली अफगानिस्तान का शासक बना तो लारेंस ने उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1876 ई. में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के संबंध में अपनायी गयी नीति में निश्चयपूर्वक परिवर्तन आया। नयी नीति गौरवपूर्ण पार्थक्य की थी, जिसमें वैज्ञानिक सीमाओं और प्रभाव क्षेत्रों को बनाए रखने पर बल दिया गया था।

प्रथम विश्व युद्ध एवं रूस की क्रांति (1917 ई.) के पश्चात्, अफगान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा कर दी। 1921 ई. में एक शांति संधि संपन्न हुयी, जिसके द्वारा अफगानिस्तान द्वारा अपने सभी विदेशी मामले स्वतंत्रतापूर्वक चलाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया।



प्रशासनिक विकास (Administrative Development)

सिविल सेवा

भारतीय राजस्व को सुगमता से प्राप्त करने और औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक संरचना का निर्माण हुआ।

- लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था, जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया तथा उनका गठन किया।
- कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार पर अधिकारियों द्वारा उपहार आदि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध, वरिष्ठता के आधार पर तरक्की दिए जाने का प्रावधान किया।
- लॉर्ड वेलेजली (1798-1805 ई.) ने प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की।

- वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजली के इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी तथा इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीबरी (Haileybury) में नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गयी।
- यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के पदों हेतु भारतीयों के लिए भी प्रवेश के द्वार खोल दिए गए किन्तु वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया।
- 1853 ई. के अधिनियम के तहत सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किया गया, पर यह सिर्फ ब्रिटेन में होता था। इसमें अधिकतम आयु बहुत कम (1853 में 23 वर्ष) रखी गई थी। [1859 में 22 वर्ष, 1866 में 21 वर्ष, 1877 में 19 वर्ष (लिटन के समय)]।
- 1857 के पश्चात्, 1858 में साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी तथा सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक सभी उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। किन्तु इस घोषणा के पश्चात् भी सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रहे। 1893 में भारत एवं ब्रिटेन दोनों जगह परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया।

सिविल सेवा से संबंधित कुछ आयोग

- एचीसन कमीशन (1886 ई.)- प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की।
- इसलिंगटन कमीशन/रॉयल कमीशन (1912 ई.)
- ली कमीशन (1924 ई.)- लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश। (इस सिफारिश पर 1925 ई. में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।)

पुलिस

पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ थी। उसका सृजन करने वाला भी कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित पुलिस दल की स्थापना की। इसलिए थानों की पुरानी व्यवस्था के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे हो गया। उस समय तक ब्रिटेन में पुलिस व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी।

- कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। हर थाने का

प्रधान दरोगा था जो भारतीय होता था। बाद में, पुलिस के जिला सुपरिण्डेंट (अधीक्षक) का पद बनाया गया। सुपरिण्डेंट जिले में पुलिस संगठन का प्रधान हो गया।

- **गाँवों में पुलिस** की जिम्मेदारियों को चौकीदार निभाते थे जिनका भरण-पोषण गाँव वाले करते थे। पुलिस धीरे-धीरे डकैती जैसे प्रमुख अपराधों को कम करने में सफल हो गयी। पुलिस ने विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े पैमाने पर षड्यंत्रों को भी रोका और जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तब पुलिस का इस्तेमाल उसे दबाने के लिए किया गया।
- लोगों के साथ व्यवहार में भारतीय पुलिस ने असहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। संसद की एक समिति ने 1813 ई. को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 'पुलिस ने शांतिप्रिय निवासियों' को उसी तरह लूटा मारा जैसे डकैत करते थे जबकि डकैतों को दबाने के लिए उसका आयोजन किया गया था।

सेना

भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सेना थी। उसने तीन महत्वपूर्ण कार्य किए;

- वह भारतीय शक्तियों को जीतने के लिए औजार बनी।
- उसने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की और सदैव वर्तमान तथा आंतरिक विद्रोह के खतरे में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को बचाए रखा।
- एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का भी यही प्रमुख हथियार थी।

कंपनी की अधिकांश सेना भारतीय सिपाहियों की थी जिन्हें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों से भर्ती किया गया था जो अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। उदाहरण के लिए 1857 ई. में कंपनी की फौज में 3,11,400 सैनिक थे जिसमें से 2,65,900 भारतीय थे। कॉर्नवालिस के जमाने में उच्चस्तर पद केवल अंग्रेजों के लिए होते थे। 1856 ई. में सेना में केवल तीन ऐसे भारतीय थे जिनको 300 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था और सबसे ऊंचा भारतीय अफसर एक सूबेदार था।

बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को काम पर लगाना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले थे। इसके अलावा, ब्रिटेन की जनसंख्या इतनी कम थी कि वह शायद भारत

को जीतने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं दे सकती थी। संतुलन के लिए फौज के सारे अफसर अंग्रेज रखे जाते थे और भारतीय सैनिकों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को एक निश्चित संख्या में रखा जाता था।

अब इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि मुट्ठी भर विदेशी ऐसी फौज के जरिए भारत को जीतने और नियंत्रित करने में सफल हो सके, जिसमें भारतीयों का ही बहुमत था। ऐसा दो कारणों से संभव हुआ;

- एक ओर उस समय देश में **आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव** था। बिहार या अवध के किसी सैनिक ने न यह सोचा और ना ही वह यह सोच सकता था कि **मराठों या पंजाबियों** को हराने में कंपनी की सहायता कर वह **भारत विरोधी** हो रहा है।
- दूसरी ओर, भारतीय सैनिक की यह बड़ी पुरानी परंपरा रही थी कि वह जिससे वेतन पाए उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करे। इसे आमतौर से '**नमकहलाली**' कहा जाता था।

दूसरे शब्दों में, भारतीय सैनिक भाड़े का एक बढ़िया सिपाही था और कंपनी एक अच्छी वेतनदाता थी। उसने अपने सैनिकों को नियमित रूप से और अच्छा वेतन दिया। यह एक ऐसी चीज थी जो भारतीय शासक और सरदार उस समय नहीं कर रहे थे।

संबंधित प्रमुख आयोग

- **पिल आयोग (1857 ई. के विद्रोह के बाद की परिस्थितियों में 1859 ई. में गठित)।**
- **स्कीन आयोग (1925 ई.)**
- **कर्जन (1899-1905 ई.) के समय तत्कालीन सेनापति किचनर से विवाद चर्चित रहा।**

न्यायिक सेवा

प्रारंभ में न्याय व्यवस्था जमींदारों के अधीन थी तथा न्याय का कार्य उनकी इच्छा पर निर्भर था।

वारेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार (1772-1785 ई.)

न्याय सुधारों की दिशा में **वारेन हेस्टिंग्स** द्वारा किए गए प्रयास अत्यधिक सफल रहे। उसने मुगल शासकों की न्यायिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। इससे पूर्व न्याय व्यवस्था अत्यंत अस्पष्ट एवं असंतोषजनक थी। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निम्न कदम उठाए-

- प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत व एक जिला फौजदारी अदालत स्थापित की गयी।
- **जिला दीवानी अदालत** में न्याय का कार्य कलेक्टर के अधीन होता था तथा यहाँ दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती थी। इन अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि तथा मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन अदालतों में 500 रुपये तक के मुकद्दमों की सुनवाई हो सकती थी।
- **जिला दीवानी अदालत** के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, जहाँ जिला दीवानी अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी।
- **सदर दीवानी अदालत में अध्यक्ष**, सर्वोच्च परिषद् के प्रधान तथा अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे।
- जिला फौजदारी अदालत में फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। यह अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी तथा कलेक्टर के सामान्य नियंत्रण में होती थी। इस अदालत में मुस्लिम कानून लागू होता था तथा न्याय की कार्यवाही खुली अदालत में की जाती थी। संपत्ति की जब्ती तथा मृत्युदंड के लिए **मुर्शिदाबाद** स्थित **सदर निजामत अदालत** से स्वीकृति मिलना आवश्यक था।
- **जिला निजामत अदालत** के विरुद्ध सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। इसका अध्यक्ष एक उप निजाम होता था तथा **एक मुख्य मुफ्ती, एक मुख्य काजी** तथा **तीन मौलवी** उसकी सहायता करते थे।

कॉर्नवालिस के अधीन सुधार (1786-1793 ई.)

जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए तथा इनके स्थान पर चार भ्रमणकारी न्यायालयों (Circuit Court) की स्थापना **कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद** एवं **पटना** में की गई।

इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे तथा ये दीवानी एवं फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते थे।

सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। यह अदालत गवर्नर जनरल तथा उसके पार्षदों के अधीन कार्य करती थी। इनकी सहायता के लिए मुख्य **काजी** तथा **मुख्य मुफ्ती** होते थे।

जिला कलेक्टरों से न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली

गई। जिला दीवानी अदालतों को अब **जिला** या **शहर अदालत** के नाम से जाना जाने लगा। इन जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियाँ, जिला न्यायाधीशों को दे दी गईं। कलेक्टर के पास अब केवल **कर संबंधी** अधिकार शेष रह गए।

कॉर्नवालिस संहिता

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप देकर उन्हें 1793 ई. में एक संहिता (Code) के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे **कॉर्नवालिस संहिता** के नाम से जाना जाता है। यह संहिता मुख्यतया **‘शक्तियों के पृथक्करण’ (Separation of Powers)** के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संहिता द्वारा कॉर्नवालिस ने-

- कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक् कर दिया।
- यूरोपियों के मामलों को भी अदालतों के अधीन कर दिया।
- सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए दीवानी अदालतों के सम्मुख जवाबदेह बना दिया।
- कानून के विशिष्टता का सिद्धांत (Principle of Sovereignty of Law) स्थापित किया।

विलियम बैंटिक के अधीन सुधार (1828-1833 ई.)

कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित **चार प्रांतीय अपीलीय** तथा **भ्रमणकारी न्यायालय** समाप्त कर दिए गए तथा इनका कार्य **कलेक्टरों** तथा **दंडनायकों** को दे दिया गया, जो राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्तों (Revenue and Circuit Commissioners) के अधीन होते थे।

दिल्ली तथा **आधुनिक उत्तर प्रदेश** (Upper Provinces) के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक पृथक् सदर दीवानी अदालत तथा एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गयी। अब यहां के निवासियों को अपील के लिए **कलकत्ता** नहीं जाना पड़ता था।

इस समय न्यायालयों की भाषा **फारसी** थी। अब न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में **फारसी** के स्थान पर **अंग्रेजी** का प्रयोग किया जाने लगा।

अन्य तथ्य

- 1859-61 ई. के बीच दंड विधि, सिविल कार्य विधि, दंड प्रक्रिया विधि आदि कई अधिनियम पारित किए गए।
- 1861 ई. में तीनों **प्रेसिडेंसियों** (**कलकत्ता, बम्बई, मद्रास**) में हाई कोर्ट की स्थापना।

- 1882 ई. में गवर्नर जनरल रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया, जिसके तहत भारतीय एवं यूरोपीयों को दंड प्रक्रिया में समान रूप से लाने का प्रावधान था, किन्तु यूरोपीयों द्वारा भारी विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया।
- 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

स्थानीय प्रशासन

वर्तमान भारत के शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाएं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आईं और विकसित हुईं।

- 1687 ई. में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास तत्पश्चात 1726 ई. में बंबई और कलकत्ता में हुई।
लॉर्ड मेयो (1870 ई.) के वित्तीय विकेन्द्रीकरण से संबंधित

प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विकास हुआ। विकेन्द्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1905 ई. में की गयी, जिसने 1909 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

लॉर्ड रिपन के 1882 ई. के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का 'मैग्नकार्टा' माना गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके समय में कई स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को गठन किया गया एवं अधिकार दिए गए।

1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन एक हस्तांतरित विषय बन गया तथा प्रत्येक प्रांत को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की अनुमति मिल गयी। केन्द्र सरकार ने इस विषय पर प्रांतीय सरकारों को निर्देश देना बंद कर दिया।


4

ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास (1773-1935 ई.) (Constitutional Development During British Rule (1773-1935))

बंगाल में कंपनी ने राजनैतिक शक्ति प्राप्त करते हुए द्वैध शासन की स्थापना की। इस द्वैध शासन के दोष बंगाल में स्पष्ट रूप से दिखने लगे और कंपनी की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हुई इसलिए द्वैध शासन में कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार के जरिए निजी लाभ कमा रहे थे। अतः कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर 1772 ई. में बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया।

मैसूर-मराठा युद्ध के दौरान कंपनी को अतिरिक्त धनराशि भी व्यय करनी पड़ी। अतः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण की मांग की। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिला।

1767 ई. में ही सरकार ने कंपनी को बाध्य किया कि वह 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को दे। इसी क्रम में कंपनी पर नियंत्रण करने वाले विभिन्न एक्ट बनाए गए जो कि निम्नलिखित हैं-



1773 ई. का रेग्युलेशन एक्ट

कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना

- 1773 के अधिनियम से पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, कंपनी के मामले में नियंत्रण स्थापित हुआ।

कंपनी के संविधान में बदलाव

- कंपनी को चलाने की दो प्रकार की संस्थाएँ थीं-
 - कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स (निवेशकों का समूह)
 - कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (संख्या 24), 4 वर्ष के लिए निर्वाचित- (एक चौथाई सदस्य 1 वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त)

गवर्नर की जगह पर गवर्नर जनरल

- अब बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
- क्लाइव-बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल-वॉरेन हेस्टिंग्स (1773-1785 ई.)।
- गवर्नर जनरल की परिषद् में 4 सदस्य थे- (1) बॉरवेल (2) क्लेवरिंग (3) फ्रांसिस (4) मॉनसन।

एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना

- इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक;
- मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे।
- मुख्य न्यायाधीश-एलिजा इम्पे अन्य न्यायाधीश- हाइट, चैम्बर्स, लिमैस्टर।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

संसदीय नियंत्रण और बढ़ा

- 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तुत अधिनियम से कंपनी के मामलों में संसद का नियंत्रण और व्यापक हो गया।
- इसके लिए 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की स्थापना की गई।
- इस संस्था में 6 सदस्य थे, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा होती थी तथा इसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि।
- सलाहकारी समिति में अब 4 की जगह 3 सदस्य हुए।
- 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत तो प्राप्त था, पर 1784 के अधिनियम से वह अब तीन में से सिर्फ एक सदस्य की सहायता लेकर किसी प्रस्ताव को पारित करवा सकता था। इस प्रकार अब वह समिति के विरुद्ध निर्णय ले सकता था।

1786 का संशोधन अधिनियम

- यह मुख्यतः कॉर्नवालिस के संदर्भ में लाया गया, जिसके

तहत उसे गवर्नर जनरल के साथ मुख्य सेनापति माना गया।

- विशेष परिस्थितियों में उसे परिषद के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार मिला।

1793 का चार्टर एक्ट

- कंपनी का व्यापारिक अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा।
- गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि**
- 1786 के संशोधन अधिनियम की पुष्टि की गई, जिसके तहत गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला था।
- बंगाल के गवर्नर जनरल का **बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों** पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। (हालांकि पहले ही 1773 के अधिनियम से बंगाल प्रेसिडेंसियों को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से अधिक महत्त्व प्राप्त था)।

1813 का चार्टर एक्ट

- 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होनी थी। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया जाए या नहीं इस बात को लेकर विवाद था।
- इन परिस्थितियों में एक ओर कंपनी का भारत में विस्तार इतना अधिक हो गया कि उसके लिए यह संभव नहीं था कि यह व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकारी के रूप में कार्य कर सके।
- दूसरी ओर यूरोप में **नेपोलियन** की नीति के कारण अंग्रेजों के लिए व्यापार संभव नहीं था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का **चार्टर एक्ट** लाया गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए चार्टर मिला।

कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति

- हालांकि अभी भी चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा।
- यह नीति मुक्त व्यापार नीति के संदर्भ में आई जिसके तहत ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के संदर्भ में अधिक से अधिक कच्चा माल एवं व्यापार के लिए कंपनियों की भागीदारी आवश्यक थी।

शिक्षा के संदर्भ में

- पहली बार 1813 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी शिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च करेगी।

ईसाई मिशनरियों के संदर्भ में

- इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई।

1833 का चार्टर एक्ट

- पुनः अगले 20 वर्षों के लिए चार्टर बढ़ाया गया (1793, 1813 में भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया)
- चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर भी एकाधिकार समाप्त।
- 1813 के एक्ट में ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था पर **चाय एवं चीन के साथ व्यापार** पर एकाधिकार बना रहा था।
- 1833 के अधिनियम से इन दोनों एकाधिकारों की समाप्ति हुई। इस प्रकार व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। कंपनी को अब सिर्फ **राजनैतिक** कार्य ही करने थे।

बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के संदर्भ में

- 1833 के अधिनियम के तहत अब **बोर्ड ऑफ कंट्रोल** के अध्यक्ष को भारत से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया। (बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 ई. के अधिनियम के तहत हुई।
- इसमें 6 सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा तथा इसका अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था)

गवर्नर जनरल के संदर्भ में

- 1833 के अधिनियम से **बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल** बन गया। 1773 के अधिनियम से बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था।
- 1833 से भारत का गवर्नर जनरल तथा 1858 ई. से भारत का वायसराय हो गया।
- अब गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्ति भी बढ़ा दी गई।
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गयी। हालांकि इसे अभी मत देने का अधिकार नहीं मिला। (1773 के अधिनियम में कार्यकारिणी में 4 सदस्य, 1784 में घटाकर 3 सदस्य, 1833 में विधि सदस्य के रूप में पुनः 4 सदस्य, पर मताधिकार

नहीं, 1853 में विधि सदस्य को भी पूर्ण सदस्य की मान्यता अर्थात् मताधिकार भी मिला, विधि सदस्य के रूप में **लॉर्ड मैकाले** नियुक्त।

- एक **विधि आयोग** की नियुक्ति।

दासता की समाप्ति का प्रावधान

- 1833 के अधिनियम से दासता की समाप्ति का प्रावधान किया गया, हालाँकि इसे **लॉर्ड एलनबरो** के समय 1843 ई. में लागू किया गया।

1853 का अधिनियम

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से 18 की गई

- 1853 के अधिनियम से कंपनी की संचालक संस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। (1773 ई. के अधिनियम के समय सदस्यों की संख्या 24 थी)

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रशासनिक नियुक्ति

- 1853 के अधिनियम से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया।

विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य की मान्यता

- 1853 के अधिनियम से 1833 के अधिनियम के तहत नियुक्ति चौथे सदस्य के रूप में शामिल किए गए विधि सदस्य को अब **मत देने का अधिकार** भी मिला।
- इस प्रकार अब यह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य हो गया।

1858 का अधिनियम

- सामान्यतः इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया पर इसे 'भारत के शासन को अच्छा बनाने के अधिनियम के नाम से प्रस्तुत किया गया।'

भारत से कंपनी शासन की समाप्ति

- 1858 के अधिनियम से भारत में कंपनी शासन की समाप्ति हुई और अब शासन सीधे **ब्रिटिश क्राउन** द्वारा संचालित होने लगा।

ब्रिटेन में परिवर्तन

- भारत सचिव पद—इस अधिनियम के तहत एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया।
- प्रथम भारत सचिव **लॉर्ड स्टेनली था**। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव—**लॉर्ड रेंडोल्फ चर्चिल था**।
- यह भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
- भारत सचिव की सहायता के लिए '**एक भारतीय परिषद**' (**Council of India**) का गठन किया गया। इसमें 15 सदस्य होते थे।
- भारत सचिव के ऑफिस का व्यय '**होम चार्जेज**' या गृह शुल्क के रूप में भारतीय राजस्व से ही चुकाया जाता था।

भारत में परिवर्तन

- **वायसराय**— अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कहा जाने लगा।

1861 का अधिनियम

पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति

- 1861 के भारत परिषद अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पाँचवें सदस्य के रूप में पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई।

वायसराय को अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति का अधिकार

- 1861 के अधिनियम से वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में **कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 12** सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिला।

विभागीय प्रणाली/कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत

- 1861 के अधिनियम से पहली बार विभागीय प्रणाली शुरू हुई, जिसके तहत कार्यकारिणी के विभिन्न सदस्य भिन्न-भिन्न विभागों को देखते थे।

वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार

- 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला जो **6 महीने** के लिए वैध था।
- **मद्रास और बांबे प्रेसीडेंसी** को पुनः कानून बनाने एवं संशोधन

करने का अधिकार मिला।

1892 का अधिनियम

- वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में और वृद्धि का अधिकार।
- अब कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 तक वृद्धि कर सकता था। (1861 के तहत कम से कम 6 एवं अधिक से अधिक 12 की वृद्धि का अधिकार)

पहली बार निर्वाचित पद्धति सीमित रूप से स्वीकार

- 1892 के अधिनियम से ही पहली बार केंद्रीय विधान मंडलों के संबंध में निर्वाचन या चुनाव पद्धति को सीमित रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि अभी भी निर्वाचन के लिए 'मनोनीत' शब्द का ही प्रयोग होता था।

सदस्यों के संदर्भ में

- 1892 के तहत सदस्यों को विभिन्न मामलों पर विचार रखने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पर पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया।
- 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, तथा 1919 में बजट पर मत व्यक्त करने का अधिकार मिला।

प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा

- 1892 के अधिनियम के संदर्भ में ही भारतीयों द्वारा यह नारा दिया गया था। (अमरीकी क्रांति के दौरान स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 में अमेरिकियों ने ब्रिटिश एक्ट के विरोध में नारा दिया था। हालाँकि यह नारा ब्रिटिश लोकतांत्रिक आंदोलन की ही देन है, जब 17वीं सदी में लोकतंत्र के विकास के दौरान इस बात की मांग की गई)।

1909 का अधिनियम

- मार्ले-मिण्टो सुधार के तहत पहली बार औपचारिक रूप से विधानमंडलों में चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया।
- 1892 ई. में सीमित रूप से चुनाव सिद्धांत का प्रारंभ हुआ था।

विधान मंडलों का आकार एवं शक्ति में वृद्धि

- 1909 के अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों का आकार एवं शक्तियाँ बढ़ाई गईं।

सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार

- 1909 के अधिनियम से विधान मंडलों के सदस्य सार्वजनिक विषयों पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, हालाँकि अभी भी इन्हें बजट पर मताधिकार नहीं मिला।

पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरूआत

- 1909 के अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट (Reserve Seat) के रूप में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरूआत की गई। (निर्वाचन प्रक्रिया में मुस्लिमों की विशेष सुविधा हेतु आयु अर्हता भी कम रखी गई)

समीक्षा

वस्तुतः 1909 के सुधारों का प्रमुख उद्देश्य नरमपंथियों को गुमराह कर राष्ट्रवादी दल में विभेद पैदा करना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना था।

- ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम के माध्यम से उदारवादियों एवं मुसलमानों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर राष्ट्रवाद के तूफान को रोकना चाहती थी, क्योंकि सरकार एवं मुस्लिम नेताओं द्वारा संपन्न किसी भी द्विपक्षीय वार्ता का मुख्य विषय पृथक निर्वाचन प्रणाली ही रहा। साथ ही, मुसलमानों का एक छोटा वर्ग ही इससे लाभान्वित हो सका। संभवतः यही कारण था कि भारतीयों के स्वशासन की मांग को नजरअंदाज किया गया।

- जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों में से छानने की क्रिया बन गयी। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद् के सदस्यों का चुनाव करते थे।

- सुधारों को कार्यान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो गयीं। संसदीय प्रणाली तो, दे दी गयी परन्तु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, जिससे सरकार की विवेकहीन तथा उत्तरदायी प्रक्रिया की आलोचना की जाने लगी।

- यद्यपि इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में सर्वप्रथम मान्यता मिली, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को कुछ सीमित अधिकार प्रदान किये गए किन्तु अधिनियम की औसत उपलब्धियाँ नगण्य ही रहीं।

- 1909 के सुधारों से जनता को केवल 'नाममात्र' सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप से कुछ नहीं मिला। इससे प्रतिनिधित्व तो मिला पर शक्ति नहीं। शासन का उत्तरदायित्व और शक्ति अन्य वर्ग को सौंप दी गई। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि **विधानमंडल तथा कार्यकारिणी** के बीच कड़वाहट बढ़ गयी तथा भारतीयों और सरकार के संबंध और बदतर हो गए।
- 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था उन्हें कुछ और ही मिला। भारतीयों ने स्वशासन की मांग की तथा उन्हें 'हितवादी निरंकुशता' सौंप दी गयी। संभवतः यही कारण था कि राष्ट्रपिता **महात्मा गाँधी** ने **मार्ले-मिंटों** सुधारों को देश के सर्वनाश के रूप में देखा।

अगस्त घोषणा

- 16 मई, 1918 ई. के भारत सरकार के इस प्रस्ताव में 20 अगस्त, 1917 की घोषणा के संदर्भ में सभी प्रश्नों की समीक्षा की गयी और कहा गया कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर कम-से-कम नियंत्रण हो तथा उन्हें गलतियों से सबक लेने का अवसर प्रदान किया जाए।
- विकेंद्रीकरण आयोग द्वारा दिये गए सुझावों को उन्होंने पृष्ठांकित किया एवं कर लगाने के मामले में नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार दे दिये गए।
- ग्राम पंचायतों को केवल **स्थानीय संस्थाओं का प्रतीक** बनकर ही नहीं रहना चाहिए अपितु इन्हें ग्रामीण जीवन के आधुनिक व सर्वांगीण विकास का प्रयास भी करना चाहिए।
- प्रस्ताव में कहा गया कि जहां तक हो सके स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं का स्वरूप दिए जाए तथा किसी भी क्षेत्र में उनका अधिकार वास्तविक हो, नाममात्र का नहीं।

1919 का अधिनियम

- यह अधिनियम **मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड** सुधार की घोषणाओं के तहत आया।
 - सर्वप्रथम अगस्त, 1917 ई. में **भारत सचिव मांटेग्यू** की घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन की बात की गई थी।
 - इस बात को 1919 के प्रावधानों में भी स्थान दिया गया।
- केंद्र स्तर पर परिवर्तन**
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में **तीन भारतीय सदस्यों** की

नियुक्ति हुई।

- विषयों को **केंद्र सूची** एवं **राज्य सूची** में बाँटा गया। (1935 के अधिनियम के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में बाँटा गया)।

केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ

- राज्य परिषद् (Council of State, ऊपरी सदन)
- केंद्रीय विधान मंडल और संघीय सभा (Council of Assembly) ।
- पहले सिर्फ एक सदन था, जिसका नाम **साम्राज्यिक विधान परिषद (Imperial Legislative Council)** था।

प्रांत/राज्य स्तर पर परिवर्तन

- नाम- अब **प्रांतीय परिषद**, **विधान परिषद** कहे जाने लगे।

प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत

- 1919 के अधिनियम के तहत **प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था** लागू की गई।
- इसमें शासन के विषय को **आरक्षित** एवं **हस्तांतरित** दो विषयों में बाँटा गया।
- आरक्षित विषय के तहत मुख्यतः राजस्व से संबंधित विषय थे, जिसका संचालन **गवर्नर जनरल** द्वारा मनोनीत **प्रांतीय मंत्रिमंडल** के सदस्यों द्वारा होता था।
- ये सदस्य **विधान मंडल** के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे।
- हस्तांतरित विषय के तहत **शिक्षा, स्वास्थ्य** आदि आता था, जिसका संचालन **प्रांतीय मंत्रिमंडल** के निर्वाचित भारतीय सदस्यों द्वारा होता था। ये विधान मंडल के प्रति भी उत्तरदायी थे।

सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार

- 1919 ई. के अधिनियम के तहत साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए **सिखों, ईसाइयों और आंग्ल-भारतीयों (Anglo-Indians)** को भी शामिल कर लिया गया।
- **लोक सेवा आयोग** की स्थापना (1925 ई.) का प्रावधान किया गया।

समीक्षा

1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में प्रमुख स्थान है जिसके तहत प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के लिए सर्वप्रथम व्यवस्था की गयी।

- जिसके द्वारा वे प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे।
- वे आम जनता की शिकायतों को दूर करने के प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर सकते थे और जनता से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों के लिए सदन स्थगित करने का नोटिस भी दे सकते थे। बजट पर न सिर्फ बहस बल्कि उस पर मत विभाजन भी करा सकते थे।
- इस अधिनियम से देश के मतदाताओं को मत देने की प्रणाली का व्यवहारिक बोध हुआ। साथ ही, **प्रांतीय स्वशासन** तथा **उत्तरदायी शासन प्रणाली** की व्यवस्था की गई इसके अतिरिक्त केंद्र ने **द्विसदनीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय कार्यकारी परिषद** में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व, भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को ब्रिटिश राजस्व से देने तथा भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त इस अधिनियम की अपनी कुछ कमियां भी थीं, क्योंकि मताधिकार सीमित था और केंद्रीय विषयों का विभाजन अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक था।

1935 का अधिनियम

केंद्र स्तर पर परिवर्तन

- **एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण**—1935 के अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान था, जिसमें विभिन्न प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि रियासतों के लिए यह स्वेच्छा का विषय था।

तीन प्रकार की सूचियाँ

- इस अधिनियम के तहत तीन प्रकार की सूचियाँ—**केंद्र सूची**, **प्रांत सूची** एवं **समवर्ती सूची** का निर्माण हुआ।
- **अवशिष्ट शक्तियाँ**, गवर्नर जनरल के हाथों में ही थी। वास्तव में वही संविधान का केंद्र बिंदु था।

केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत

- 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान मंडलों के विषयों को **आरक्षित एवं हस्तांतरित** दो विषयों में बाँट दिया गया।
- **आरक्षित विषयों** के तहत **रक्षा, विदेश** आदि महत्वपूर्ण विषय होते थे। इनका संचालन गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद द्वारा होता था।

केंद्रीय विधान मंडलों के निर्वाचन में एक विचित्रता

- इसके तहत **राज्य परिषद** और **ऊपरी सदन** के सदस्यों का निर्वाचन सीधे मतदाताओं द्वारा तथा निचले सदन का निर्वाचन **अप्रत्यक्ष विधि** द्वारा।

प्रांत स्तर पर

- **द्वैध शासन की समाप्ति एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत**—1935 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित हुई प्रांतों की **द्वैध शासन** की **व्यवस्था समाप्त** कर दी गई। **आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय समाप्त** कर दिया गया।
- अब प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। हालांकि यह स्वायत्तता सीमित रूप में ही थी, वास्तविक शक्ति **प्रांतीय गवर्नरों** के पास थी।

अन्य

- एक **संघीय न्यायालय** की स्थापना तथा एक **संघीय बैंक** की स्थापना की गई।

समीक्षा

इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्राप्त विशेष संरक्षण एवं उत्तरदायित्व का प्रावधान तर्कसंगत नहीं था। साथ ही प्रांतों में गवर्नर को असीमित अधिकार थे इसके अतिरिक्त पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने साम्प्रदायिकता के उत्थान एवं भारत विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाई।

1935 के अधिनियम का कांग्रेस सहित प्रत्येक भारतीयों ने प्रबल विरोध किया और इसे अस्वीकार कर कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए शीघ्र ही पृथक संविधान बनाने की मांग की, जिसमें सदस्यों के निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार प्रणाली को बनाया गया।

कुल मिलाकर इस अधिनियम से संवैधानिक निरंकुशता की स्थापना हुई। नेहरू ने 1935 के अधिनियम की आलोचना में कहा— **“यह अधिनियम अनेक ब्रेक वाली परन्तु इंजन रहित गाड़ी थी।”**

गवर्नर-जनरल और भारत के वायसराय

- **बंगाल का गवर्नर-जनरल (1773-1833)**: जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने **‘बंगाल के गवर्नर’** (Governor of Bengal) पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर **‘रॉबर्ट क्लाइव’** (Robert Clive) थे।
 - अन्य प्रेसीडेंसी, बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे।

- हालांकि रेग्युलैरिंग एक्ट-1773 के पारित होने के बाद 'बंगाल के गवर्नर' पद का नाम बदलकर 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) थे।
- इस अधिनियम (रेग्युलैरिंग एक्ट-1773) के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कार्य किया।
- **भारत का गवर्नर-जनरल (1833-58):** चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल (Governor-General of Bengal) का पदनाम पुनः बदलकर 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक (William Bentick) थे।
 - यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था।
- **वायसराय (1858-1947):** वर्ष 1957 के विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया।
 - भारत सरकार अधिनियम 1858 (Government of India Act 1858) पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर 'भारत का वायसराय' कर दिया।
 - वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।
 - भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) थे।
- भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर-जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ।

लॉर्ड वेलेजली (1798-1805)	<ul style="list-style-type: none"> • सहायक संधि प्रणाली का परिचय (1798) • चतुर्थ मैसूर युद्ध (1799) • द्वितीय मराठा युद्ध (1803-06)
लॉर्ड मिंटो (1807-1813)	<ul style="list-style-type: none"> • रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि (1809)
लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813-1823)	<ul style="list-style-type: none"> • एंग्लो-नेपाल युद्ध (1814-16) और सुगौली की संधि, 1816 • द्वितीय मराठा युद्ध (1817-19) और मराठा परिसंघ का विघटन • रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना (1820)
लॉर्ड एमहर्स्ट (1823-1828)	<ul style="list-style-type: none"> • प्रथम बर्मा युद्ध (1824-1826)
लॉर्ड विलियम बेंटिक (1828-1835)	<ul style="list-style-type: none"> • सती प्रथा का उन्मूलन (1829) • 1833 का चार्टर एक्ट
लॉर्ड ऑकलैंड (1836-1842)	<ul style="list-style-type: none"> • प्रथम अफगान युद्ध (1838-42)
लॉर्ड हार्डिंग (1844-1848)	<ul style="list-style-type: none"> • प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) और लाहौर की संधि (1846) • कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार
लॉर्ड डलहौजी (1848-1856)	<ul style="list-style-type: none"> • द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49) • लोअर बर्मा का अधिग्रहण (1852) • व्यपगत के सिद्धांत (Doctrine of Lapse) का परिचय • वुड डिस्पैच (1854) • वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई • लोक निर्माण विभाग (PWD) की स्थापना।
लॉर्ड कैनिंग (1856-1862)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष 1857 का विद्रोह • वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना • ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858) द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण • 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
लॉर्ड जॉन लॉरेंस (1864-1868)	<ul style="list-style-type: none"> • भूटान युद्ध (1865) • कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना (1865)

गवर्नर-जनरल एवं वायसराय	शासनकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएँ
वारेन हेस्टिंग्स (1774-1785)	<ul style="list-style-type: none"> • रेग्युलैरिंग एक्ट-1773 • पिट्स इंडिया एक्ट-1784 • वर्ष 1774 का रोहिल्ला युद्ध • वर्ष 1775-82 तक प्रथम मराठा युद्ध और वर्ष 1782 में सालबाई की संधि • वर्ष 1780-84 में दूसरा मैसूर युद्ध
लॉर्ड कार्नवालिस (1786-1793)	<ul style="list-style-type: none"> • तीसरा मैसूर युद्ध (1790-92) और श्रीरंगपट्टम की संधि (1792) • कॉर्नवॉलिस कोड (1793) • बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, 1793

लॉर्ड लिटन (1876-1880)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) • शस्त्र अधिनियम (1878) • दूसरा अफगान युद्ध (1878-80) • क्वीन विक्टोरिया ने 'कैसर-ए-हिंद' या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की।
लॉर्ड रिपन (1880-1884)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का निरसन (1882) • पहला कारखाना अधिनियम (1881) • स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प (1882) • इलबर्ट बिल विवाद (1883-84) • शिक्षा पर हंटर आयोग (1882)
लॉर्ड डफरिन (1884-1888)	<ul style="list-style-type: none"> • तीसरा बर्मा युद्ध (1885-86) • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885)
लॉर्ड लैंसडाउन (1888-1894)	<ul style="list-style-type: none"> • कारखाना अधिनियम (1891) • भारतीय परिषद अधिनियम (1892) • डूरंड आयोग की स्थापना (1893)
लॉर्ड कर्जन (1899-1905)	<ul style="list-style-type: none"> • पुलिस आयोग की नियुक्ति (1902) • विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति (1902) • भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (1904) • बंगाल का विभाजन (1905)
लॉर्ड मिंटो II (1905-1910)	<ul style="list-style-type: none"> • स्वदेशी आंदोलन (1905-1911) • सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन (1907) • मुस्लिम लीग की स्थापना (1906) • मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909)
लॉर्ड हार्डिंग II (1910-1916)	<ul style="list-style-type: none"> • बंगाल विभाजन रद्द करना (1911) • कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण (1911) • हिंदू महासभा की स्थापना (1915)
लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921)	<ul style="list-style-type: none"> • लखनऊ संधि (1916) • चंपारण सत्याग्रह (1917) • मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा (1917) • भारत सरकार अधिनियम (1919) • रौलट एक्ट (1919) • जलियाँवाला बाग हत्याकांड (1919) • असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत • चौरा-चौरा की घटना (1922)
लॉर्ड रीडिंग (1921-1925)	<ul style="list-style-type: none"> • असहयोग आंदोलन का वापस लेना (1922) • स्वराज पार्टी की स्थापना (1923) • काकोरी ट्रेन डकैती (1925)

लॉर्ड इरविन (1926-1931)	<ul style="list-style-type: none"> • साइमन कमीशन का भारत आगमन (1927) • हरकोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग (1927) • नेहरू रिपोर्ट (1928) • दीपावली घोषणा (1929) • कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (पूर्ण स्वराज संकल्प) 1929 • दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) • पहला गोलमेज सम्मेलन (1930) • गांधी-इरविन पैक्ट (1931)
लॉर्ड विलिंगडन (1931-1934)	<ul style="list-style-type: none"> • सांप्रदायिक अधिनिर्णय (1932) • दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन (1932) • पूना पैक्ट (1932) • भारत सरकार अधिनियम-1935
लॉर्ड लिनलिथगो (1934-1937) तथा (1938-1943)	<ul style="list-style-type: none"> • द्वितीय विश्व युद्ध (1939) के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा • त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लाक का गठन (1939) • मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प (मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग) 1940 • अगस्त प्रस्ताव (1940) • भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन (1941) • क्रिप्स मिशन (1942) • भारत छोड़ो आंदोलन (1942)
लॉर्ड वैवेल (1943-1947)	<ul style="list-style-type: none"> • सी. राजगोपालाचारी का सीआर फॉर्मूला (1944) • वैवेल योजना और शिमला सम्मेलन (1946) • बैबिनेट मिशन (1946) • प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (1946) • क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा (1947)
लॉर्ड माउंटबेटन (1947-1948)	<ul style="list-style-type: none"> • जून थर्ड प्लान (1947) • रेडक्लिफ आयोग (1947) • भारत को स्वतंत्रता (15 अगस्त 1947)
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1948-1950)	<ul style="list-style-type: none"> • भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। • वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद (गवर्नर-जनरल) समाप्त कर दिया गया।

5

ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ (British Economic Policies)


ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy before British)

भारत के आर्थिक इतिहास में ब्रिटिश शासन की स्थापना से व्यापक परिवर्तनों का दौर प्रारंभ हुआ। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक **आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था** के रूप में रूपांतरित हुई।


- ब्रिटिश प्रभाव से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मूलतः कृषि प्रधान था परन्तु अर्थव्यवस्था के अन्य संदर्भों में जैसे- उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि में समुचित विकास की स्थिति थी।
- **मुगलकाल** के विकसित अवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कृषि एवं स्थानीय उद्योग समृद्ध एवं आत्मनिर्भर अवस्था में थे वहीं नगरीय क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया का समन्वित विकास जारी था।
- यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से भारत के विदेश व्यापार में नए परिवर्तन आए, परन्तु व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में ही रहा।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था** पर ब्रिटिश प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद सहज ही परिलक्षित होने लगा था।
- उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारतापूर्वक रियायतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुँचाया। साथ ही, व्यापार और वाणिज्यिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती गई, ऐसी स्थिति में यहाँ की घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था।
- अंग्रेजों ने **प्लासी (1757 ई.)** और **बक्सर (1764 ई.)** के युद्धों के बाद बंगाल की समृद्धि पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरतामूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई।
- प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों

की भागीदारी बढ़ गई। कंपनी के कर्मचारियों ने व्यापार के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे- **नमक, सुपारी और तंबाकू** के व्यापार पर भी अधिकार कर लिया।

- **बंगाल विजय से पूर्व**, अंग्रेजी सरकार ने अपने **कपड़ा उद्योग** के संरक्षण के लिए विविध प्रयास किए। इनमें भारत से आने वाले सूती कपड़ों के आयात पर आयात कर, भारतीय **रेशमी** एवं **छपे** या **रंगे** हुए वस्त्रों के प्रयोग पर इंग्लैंड में प्रतिबंध आदि प्रमुख हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगों के लिए कच्चा व सस्ता माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊँची कीमतों पर बेचना था।



भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद (British Colonialism in India)



उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी भी देश का **आर्थिक शोषण** तथा **उत्पीड़न** होता है। इस

संरचना के अंतर्गत कई प्रकार के विचारों, अभिव्यक्तियों और नीतियों का समावेश किया जा सकता है। यही उपनिवेशवादी संरचना वास्तव में उपनिवेशवादी नीति का निर्णायक तत्व होता है।

- उपनिवेशवाद का मूल तत्व 'आर्थिक शोषण' में निहित होता है लेकिन किसी उपनिवेश पर राजनीतिक कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से इसका भी अपना महत्व होता है।
- भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः तीन चरणों से गुजरा। ये विभिन्न चरण भारत के आर्थिक अधिशेष को हड़पने के विभिन्न उपायों पर आधारित थे।
- रजनीपाम दत्त ने अपनी कृति 'इंडिया टुडे' में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अच्छा चित्रण किया है। इसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स के भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के जिन चरणों वाले सिद्धांत को आधार बनाया है, वे निम्नवत् हैं-
- वाणिज्यिक चरण- 1757 ई. से 1813 ई.।
- औद्योगिक मुक्त व्यापार-1813 ई. से 1860 ई.।
- वित्तीय पूँजीवाद- 1860 ई. के बाद की अवस्था।

आरंभिक चरण अर्थात् 17वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करने के बहाने उसे लूटना ही था। आगे चलकर 19वीं शताब्दी में भारत का प्रयोग ब्रिटेन में बनी हुई औद्योगिक वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार के रूप में किया गया।

- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत स्थित ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा देश में पूँजी-विनियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई। इसे भारतीय श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण का आरंभ कहा जा सकता है।

उपनिवेशवाद का प्रथम चरण: वाणिज्यिक चरण (1757-1813 ई.)

इंग्लैंड की 'ईस्ट इंडिया कंपनी' ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी समय से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना मानी जाती है अर्थात् 1757 ई. से 19वीं शताब्दी के आरंभ तक जब मुगलों का पतन हो रहा था, इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी मानसिकता स्पष्टतः परिलक्षित होने लगी थी।

- उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में अंग्रेजों का ध्यान 'आर्थिक

लूट' पर ही केंद्रित रहा। कंपनी भारत के साथ व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी जिससे कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला कोई अन्य ब्रिटिश अथवा यूरोपीय व्यापारी या व्यापारिक कंपनी न हो।

- यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भारत से दूर रखने के लिए कंपनी को फ्राँसीसियों तथा डचों के साथ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। आरंभ में बंबई, कलकत्ता और मद्रास के जिन समुद्री क्षेत्रों पर कंपनी का नियंत्रण था, वहाँ की जनता पर कंपनी ने स्थानीय कर लगाने शुरू कर दिए और अपने खजाने को बढ़ाने की कोशिश की।
- शीघ्र ही कंपनी की यह अभिलाषा भी पूर्ण हो गई और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से कंपनी के अधीन आ गए।
- परिणामतः जीते गए क्षेत्रों की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। जमींदारों, नवाबों और स्थानीय शासकों की जमा पूँजी हड़पने में यह नियंत्रण अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ।
- राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। यहाँ न सिर्फ लगान की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती रही बल्कि उसे बेरहमी से वसूल भी किया जाता था। इसके अलावा जहाँ मुगल शासन में कर और लगान की रकम भारत में ही खर्च होकर वापस लोगों तक पहुँच जाती थी जिससे व्यापार और उद्योग फलते-फूलते रहते थे। वहीं कंपनी द्वारा वसूल किए गए कर और लगान की राशि, वस्तुओं और कीमती धातुओं के माध्यम से इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। भारत की लूट इंग्लैंड में पूँजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी जिसने इंग्लैंड में 'औद्योगिक क्रांति' लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% हिस्सा भारत से प्राप्त होने वाली आय थी।
- ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण की एक विशेषता यह थी कि कंपनी ने न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन, संचार, कृषि एवं औद्योगिक व्यवस्था में किसी तरह का कोई मूल परिवर्तन नहीं किया। यदि कोई कुछ परिवर्तन किए भी गए थे तो उनका उद्देश्य केवल लगान को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से इकट्ठा करना था।
- समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद

के इस वाणिज्यिक चरण के परिणाम आम जनता के लिए अत्यंत भयावह रहे।

उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण: औद्योगिक मुक्त व्यापार (1813-60 ई.)

सन् 1813 से, भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और यहीं से औद्योगिक पूँजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। यही कारण है कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 ई. के वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है।

- ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के पश्चात् कई समस्याएँ उत्पन्न हुईं। इनमें सबसे प्रमुख समस्या थी कारखानों में बने माल के लिए बाजार उपलब्ध कराना।
- सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजारों में भेजा जाने लगा। ये कपड़े मिल में तैयार होते थे।
- इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणामस्वरूप, अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग कमजोर होने लगा।
- ब्रिटेन को आवश्यकतानुसार कच्चा माल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से उपनिवेशवाद की इस व्यवस्था का अपना अलग ही महत्व था। इसका लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था जिससे इसका आसानी से शोषण किया जा सके।
- भारत को औद्योगिक पूँजीवाद (Industrial Capitalism) के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्प उद्योगों को नष्ट कर, एक कृषि-प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करना अंग्रेजों की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था।
- चूँकि अंग्रेज लोग आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू किए।
- स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बनाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य अपने लिए एक समर्थक वर्ग का निर्माण करना था।
- जहाँ एक ओर स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैख्यतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों के शोषण की चरम अवस्था थी।

- ब्रिटिश नौकरशाही ने खाद्यान्नों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलों की उपज बढ़ाने के लिए बड़े किसानों को प्रोत्साहित किया।
- परिणामस्वरूप, देश में अनाज की कमी तथा खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई।
- औद्योगिक मुक्त व्यापार की इस अवस्था में जहाँ एक ओर भारत में तैयार माल के निर्यात के स्थान पर कच्चे माल के निर्यात में तेजी आई, वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड से सूती कपड़ों के आयात में वृद्धि हुई।
- भारत से कच्चे माल के निर्यात तथा ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रेलवे का विकास माना गया।
- रेलवे के विकास का द्वितीय प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाना भी था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी विलंब के कुचला जा सके।
- यह हमारा भ्रम ही है कि तत्कालीन रेलवे विकास को हम भारत की प्रगति से जोड़कर देखते हैं।

उपनिवेशवाद का तृतीय चरण: वित्तीय पूँजीवाद (1860 ई. के पश्चात्)

उपनिवेशवाद का यह चरण, प्रथम दो चरणों की ही तार्किक परिणति थी जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया।

- इसके प्रेरक तत्वों में 1857 ई. के विद्रोह की भूमिका उल्लेखनीय है जिसने अंग्रेजों को शोषण प्रक्रिया के स्वरूप में बदलाव करने के लिए मजबूर किया क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को भारतीय जनता में उनके प्रति संचित विद्रोह का भलीभाँति आभास हो गया था।
- दूसरा प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होने वाले बदलाव थे, जिसके अंतर्गत यूरोप के बढ़ते औद्योगीकरण के कारण वहाँ 'कच्चे माल की प्राप्ति व बाजार उपलब्धता' के लिए प्रतिस्पर्धा थी।
- इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप

वृहद पूँजी का सृजन हो गया था जिसके निवेश हेतु भारत एक अच्छा विकल्प था क्योंकि यहाँ श्रम की निम्न दरों के साथ ही 'दोहन रहित क्षमता' पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी।

- अतः इन सभी कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूँजीवाद की संज्ञा दी जाती है।
- वित्तीय पूँजीवाद की प्रक्रिया के तहत इंग्लैण्ड ने तत्कालीन भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण में अपना एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया।
- इसी प्रक्रिया का दूसरा पहलू था रेलवे उद्योग जिसके लिए ब्रिटिश निवेशकों को 5% ब्याज की गारंटी प्रदान की जाती थी। ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना उनमें वित्त बाजार प्रमुख भूमिका में था इसके तहत बैंको तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबड़ के बागान, जूट उद्योग तथा जहाजरानी प्रमुख थे।
- सबसे रोचक पहलू इस वित्तीय पूँजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश ने उन उद्योगों (सूती वस्त्र, इस्पात) में निवेश नहीं किया जो कि आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करते।
- वित्तीय पूँजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी, जिससे पूँजी निर्माण व निवेश की प्रक्रिया कमजोर हो गई।
- स्वदेशी उद्योगों तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूँजीवाद ने पनपने नहीं दिया। इसी क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः पंगु होते-होते अंततः ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से संलग्न एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मात्र बनकर रह गई।
- इस प्रकार के आर्थिक शोषण की राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की, परिणामतः जन असंतोष मुखर हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी।

भारत में ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्था (British Land Revenue System in India)


जब ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, तब कंपनी के सामने बंगाल में भू-राजस्व व्यवस्था के निर्धारण का प्रश्न

उत्पन्न हुआ।

- आरंभ में लॉर्ड क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही भू-राजस्व की वसूली जारी रखी तथा भू-राजस्व व्यवस्था में परंपरागत ढाँचे को ही बरकरार रखा।
- भू-राजस्व की अधिकतम वसूली पर कंपनी शुरू से ही बल देती थी।
- इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य भू-राजस्व संग्रह से प्राप्त एक बड़ी रकम का व्यापारिक वस्तुओं की खरीद में निवेश करना था।
- इसके अतिरिक्त सैनिक एवं अन्य प्रकार के खर्च को भी पूरा करने के लिए कंपनी भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही भू-राजस्व की वसूली करती रही।
- भू-राजस्व की वसूली की देख-रेख ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ही की जाती थी। किन्तु, इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह रहा कि इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था ने एक प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म दिया तथा किसानों का भरपूर शोषण हुआ।
- 1769-70 ई. के भयंकर अकाल को अंग्रेजों की इसी राजस्व नीति के परिणाम के रूप में देखा जाता है।
- 1772 ई. तक क्लाइव की व्यवस्था चलती रही। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के समय बंगाल का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप में कंपनी के अंतर्गत आ गया। वारेन हेस्टिंग्स ने भू-राजस्व सुधार के लिए अनेक कदम उठाये।
- उसने पूर्वकाल में घटित सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए बंगाल के दीवान रजा खान को उत्तरदायी ठहराकर उसे अपदस्थ कर दिया।
- वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय अधिकारियों को हटाकर भू-राजस्व की वसूली को ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से आगे बढ़ाया। इसका कारण यह रहा कि इसी समय कंपनी को भी एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ई. में एक नयी पद्धति की शुरुआत की, जिसे फार्मिंग पद्धति (Farming System) कहा जाता है।
- इस पद्धति के तहत भू-राजस्व की वसूली ठेके पर नीलामी द्वारा की जाने लगी। आरंभ में यह योजना 5 वर्षों के लिए लायी गई थी तथा इसमें जमींदारों को अलग रखा गया था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ऐसा मानता था कि इसमें जमींदारों को सम्मिलित किये जाने का अर्थ होगा- सरकार का भू-राजस्व

की एक बड़ी रकम से वंचित हो जाना।

- चूँकि जमींदारों का ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू-राजस्व के विशेषज्ञ थे, अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल नहीं हो सकी। यही कारण रहा कि 1776 ई. में वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय योजना को रद्द कर एक वर्ष की योजना लागू की तथा इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई।
- इस प्रकार, वारेन हेस्टिंग्स प्रयोग की प्रक्रिया से ही गुजरता रहा। दूसरी ओर, फार्मिंग पद्धति (Farming System) से किसानों पर भू-राजस्व का अधिभार अत्यधिक बढ़ गया था। अतः कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई।
- इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुका था। अतः वह भारतीय उपनिवेश के आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था।
- इन्हीं परिस्थितियों में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस का आगमन हुआ।
- लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी की रकम में उतार-चढ़ाव आ रहा था। बंगाल से निर्यात की जाने वाली दो प्रमुख वस्तुएँ थीं सूती वस्त्र व रेशम।
- इन वस्तुओं के कृषि उत्पाद से संबंधित होने के कारण और दूसरे कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी का निर्यात प्रभावित होना स्वाभाविक ही था।



स्थायी बंदोबस्त (1793) Permanent Settlement

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारत में धन की आवश्यकता थी। वस्तुतः वस्तुओं की खरीद, सैन्य सामग्री एवं किलों के निर्माण तथा अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए धनराशि की जरूरत थी और इस धन प्राप्ति का सर्वप्रमुख स्रोत “भू-राजस्व” था।

- यही वजह है कि ब्रिटिश ने प्रशासनिक-आर्थिक सुधारों में परिवर्तन भूराजस्व को ध्यान में रखकर किया और भू-राजस्व की राशि अधिकतम प्राप्त करने के लिए भिन्न-भिन्न नीतियाँ अपनाईं। इन नीतियों में ऊपरी स्तर पर चाहे जो अंतर दिखता हो, किन्तु सबका लक्ष्य एक ही था अधिकतम भूराजस्व प्राप्त करना। इन भिन्न-भिन्न नीतियों के अपनाए जाने का कारण ब्रिटिश आवश्यकताएँ, स्थानीय परिस्थितियाँ एवं यूरोपीय विचारधारा थी।
- 1765 ई. में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् अंग्रेजों ने भू-राजस्व प्राप्त करना शुरू किया। इसी क्रम में भू-राजस्व राशि में वृद्धि की गई, जहाँ 1763-64 ई. में 64 लाख रुपये वसूले गए तो 1790 ई. में 2 करोड़ 68 लाख रुपये वसूले गए। भू-राजस्व में यह वृद्धि ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं को दर्शाती है।
- कॉर्नवालिस ने 1793 में ‘स्थायी बंदोबस्त’ को लागू किया। वस्तुतः भू-राजस्व राशि की प्राप्ति की अनिश्चितता को दूर करने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसे लागू करने के क्रम में कॉर्नवालिस के समक्ष कुछ समस्याएँ भी आईं, जैसे-
 - समझौता किससे हो, जमींदार या किसान से।
 - भू-राजस्व की राशि क्या हो?
 - लगान संबंधी समझौता कितने समय के लिए हो, 10 वर्षों के लिए या स्थायी।

गवर्नर जनरल के विचारों और उनके परामर्शदाताओं विशेषकर जॉन शोर तथा चार्ल्स ग्रांट में विरोधाभास था। अंततः कॉर्नवालिस इस संदर्भ में जॉन शोर के विचारों से सहमत हुआ और जमींदारों से लगान संबंधी समझौता कर 1790 में वसूली गई 2 करोड़ 68 लाख राशि को लगान के रूप में निर्धारित किया और इसे 1793 में स्थायी रूप से लागू कर दिया गया।

उद्देश्य

- एक निश्चित भू-राजस्व की प्राप्ति करना अर्थात् स्थायी आय प्राप्त करना।
- प्रशासनिक कठिनाईयों से मुक्त रहना चूँकि कंपनी के अधिकारियों के पास अनुभव की कमी थी।
- एक ऐसे समर्थक वर्ग का निर्माण करना जिसके हित ब्रिटिश

हितों से जुड़े हों, जो जन प्रतिक्रिया पर अंकुश लगा सके।

- **भारतीय पूँजीपति जमींदार वर्ग** को भूमि में पूँजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि व्यापार वाणिज्य में अंग्रेजों को भारतीयों से प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े।
- कृषि का विकास करना।

विशेषताएँ

- जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और जब तक वे सरकार को लगान देते रहेंगे, तब तक भूमि पर उनका **वंशानुगत अधिकार** बना रहेगा।
- जमींदारों को भू-राजस्व वसूली का **1/11 हिस्सा** तथा **सरकार को 10/11 हिस्सा** मिलना निर्धारित किया गया। किसानों का भूमि से परंपरागत अधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही, उन्हें **सामुदायिक संपत्ति** जैसे-**चारागाह, वनभूमि, तालाब** के उपयोग से वंचित कर दिया गया।
- जमींदारों पर नियंत्रण हेतु एक **सूर्यास्त कानून** बनाया गया जिसके तहत एक निर्धारित **तिथि के सूर्यास्त** तक जमींदारों को एक **निश्चित राशि** सरकार को देने के लिए कहा गया। अन्यथा उन्हें जमींदारी अधिकार से वंचित कर उसकी **नीलामी** कर दी जाएगी। इस तरह भूमि को क्रय-विक्रय के योग्य बना दिया गया।

स्थायी बंदोबस्त के दुष्प्रभाव

ब्रिटिश संदर्भ में- भू-राजस्व की राशि निश्चित और स्थायी हो जाने से ब्रिटिश की आय तो निश्चित हो गई किंतु उनकी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह व्यवस्था सहायक नहीं हुई।

- जमींदार वर्ग ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। फलतः कृषक असंतोष उभरा और इससे **किसान विद्रोहों** का सामना भी अंग्रेजों को करना पड़ा।

भारतीयों के संदर्भ में-

- किसानों के हितों को किसी प्रकार की **सुरक्षा** नहीं दी गई। फलतः उन्हें दोहरे शोषण की मार झेलनी पड़ी। जहां एक तरफ भूमि पर से उनके **परंपरागत अधिकार** समाप्त कर दिए गए तो दूसरी तरफ उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया।
- किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। वस्तुतः इस व्यवस्था में उपज के तीन भागीदार थे- **ब्रिटिश सरकार, जमींदार एवं किसान**, जिसमें सरकार एवं जमींदार की आय तो निश्चित हो

गई किंतु किसानों की आय अनिश्चित रही और उन्हें जमींदारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। इस तरह किसानों के असीमित शोषण का दौर शुरू हुआ।

- जमींदारों की रिपोर्ट भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष **रैयतों** के समान हो गई। **सूर्यास्त कानून** के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। वस्तुतः इस कानून के तहत जमींदार को जमींदारी अधिकार से वंचित किया जा सकता था। अतः **स्थायी बंदोबस्त से उपसामंतीकरण** का विकास हुआ।
- शोषण पर आधारित एक नई संरचना का विकास हुआ, जिसमें ऊपर के स्तर पर जमींदार और निचले स्तर पर किसान मौजूद थे। इस तरह ऊपर के स्तर पर सामंतवाद और निचले स्तर पर कृषक दासता मौजूद थी।
- कृषि का विकास नहीं हो पाया, **पूँजीविहीन कृषक** कृषि सुधार करने लायक नहीं था तो दूसरी तरफ जमींदारों को कृषि सुधार में रुचि नहीं थी। इस दृष्टि से यह कोई बुद्धिमतापूर्ण कदम साबित नहीं हुआ।

रैयतवाड़ी बंदोबस्त (1820)

स्थायी बंदोबस्त के पश्चात, ब्रिटिश सरकार ने भू-राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे **रैयतवाड़ी बंदोबस्त** कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन **गवर्नर (1820-27) टॉमस मुनरो** द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को **मद्रास, बंबई एवं असम** के कुछ भागों में लागू किया गया। बंबई में इस व्यवस्था को लागू करने में बंबई के तत्कालीन गवर्नर (1819-27) **एल्फिन्सटन** ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- भू-राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात् किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अन्य रैयतों को भूमि के **मालिकाना हक** तथा **कब्जादारी अधिकार** दे दिए गए तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे।
- इस व्यवस्था ने **किसानों के भू-स्वामित्व** की स्थापना की। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को **भूमि का स्वामी** बना दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग-अलग समझौता कर लिया जाता था तथा भू-राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के

क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था।

- सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य, **बिचौलियों (जमींदारों)** के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी।
- अतः आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को खुद प्राप्त कर सके।
- दूसरे शब्दों में इस व्यवस्था द्वारा सरकार स्थायी बंदोबस्त के दोषों को दूर करना चाहती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत **51% भूमि** आई।
- कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारत** में इतने बड़े जमींदार नहीं हैं कि उनसे स्थायी बंदोबस्त किया जा सके। इसलिए इन क्षेत्रों में **रैयतवाड़ी व्यवस्था** ही सबसे उपयुक्त है।
- हालांकि इस व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था **भारतीय कृषकों** एवं **भारतीय कृषि** के अनुरूप है किन्तु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था **जमींदारी व्यवस्था** से किसी भी प्रकार **कम हानिकारक** नहीं थी।
- इसने **ग्रामीण समाज** की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं **ब्रिटिश सरकार** ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू-राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने को बाध्य किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था, जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था।
- अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दर अधिक थी, अतः **प्राकृतिक विपदा** या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान **लगान अदा नहीं** कर पाता था तथा उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता था।
- इसके अलावा किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के

दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था।

महालवाड़ी बंदोबस्त (1822) Mahalwari System

लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू-राजस्व की वसूली के लिए भू-राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप लागू किया, जिसे **महालवाड़ी बंदोबस्त** कहा गया। यह व्यवस्था **मध्य प्रांत, यू.पी. (आगरा)** एवं **पंजाब** में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 30 प्रतिशत भूमि आई।

- इस व्यवस्था में भू-राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गाँव या महाल में जमींदारों या उन प्रयासों के साथ किया गया, जो सामूहिक रूप से पूरे गाँव या **महाल के प्रमुख** होने का दावा करते थे।
- यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे **गाँव** या **महाल** की मानी जाती थी किन्तु व्यवहारिक रूप में किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान, महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख, लगान को सरकार के पास जमा करते थे।
- मुखिया** या **महाल प्रमुख** को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गाँव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था।
- महालवाड़ी बंदोबस्त** का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के **मुखिया** या **प्रधान** को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई तथा यदाकदा मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा।
- इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे **सरकार एवं किसानों** के बीच प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए।
- इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत में **भू-राजस्व** वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर लागू किया गया।
- किन्तु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू-राजस्व को प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे-धीरे **भारतीय कृषक वर्ग कंगाल** होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई।

कृषि का वाणिज्यीकरण

(Commercialization of Agriculture)

कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ है कृषि का बाजारोन्मुख होना या किसानों की बाजार में भागीदारी। इस प्रक्रिया में कृषि का उद्देश्य होता है कुछ विशेष किस्म की फसलों को उगाना तथा उसकी बिक्री करना।

- फसलों के चुनाव का मुख्य आधार उसके निर्यात से संबंधित होता है।
- भारतीय संदर्भ में कृषि का वाणिज्यीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी वरन् काफी हद तक ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की एक थोपी गई प्रक्रिया थी।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभाव-स्वरूप निरंतर भारतीय आत्मनिर्भर व्यवस्था समाप्त हो रही थी और कृषि को वाणिज्यीकरण को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण

भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में बाह्य एवं आंतरिक दबाव थे। यह प्रक्रिया 18वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुई थी जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से वहाँ के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया विकसित की गई।

- उदाहरणार्थ जब 1860 में अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण ब्रिटेन में कपास आना बंद हो गया तो भारत में कपास उत्पादन पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों, जैसे- 1869 में स्वेज नहर का खुलना आदि से भी भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया विस्तारित हुई क्योंकि अब सहजता से, सस्ते में कच्चे माल को ले जाया जा सकता था।
- कृषि के वाणिज्यीकरण के आंतरिक कारणों में राजस्व की नकद वसूली से मौद्रिक अर्थव्यवस्था विकसित हुई तथा पूर्व में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, अतः नकदी फसलों के उत्पादन के द्वारा भी नकदी भुगतान संभव था जिसके कारण किसानों को ऋणों की अदायगी नकद में करनी पड़ती थी, इससे भी किसानों की रुचि नकदी फसलों के उत्पादन की ओर बढ़ी।
- ब्रिटिश शासन ने भारतीय आंचलिक परिस्थितियों को समझते हुए वहाँ के परिवेश के अनुरूप अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए नकदी फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जैसे- बंबई

प्रेसीडेंसी में काली मिट्टी क्षेत्र (कपास उत्पादन), बंगाल (जूट), संयुक्त प्रांत (ईख) आदि।

- यातायात एवं संचार साधनों के विकास जैसे रेल, डाकतार व्यवस्था आदि के विकास ने भी 19वीं सदी के मध्य ने कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया।

कृषि के वाणिज्यीकरण के मुख्य चरण

1857 के पूर्व भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी वरन् किसानों को बलात् रूप से इसके साथ जोड़ा गया था, अतः ब्रिटिश नीतियों के अनुरूप इसका स्वरूप निर्धारित होता है। प्रथम चरण में विभिन्न फसलों के आधार पर इस बात को देखा जा सकता है जैसे-

- ब्रिटेन ने अफीम की खेती भारत में प्रारंभ करवाई और इसका प्रयोग चीनी व्यापार संतुलन को पूरा करने के लिए किया गया।
- अफीम की खेती भारत में सरकारी नियंत्रण में करवाई जाती थी और ब्रिटेन को इसका काफी लाभ भी हुआ।
- चीन के साथ दो अफीम युद्धों के पश्चात् अफीम की खेती में कमी आई पर 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन के व्यापार में अफीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- वहीं नील का प्रयोग मुख्यतः ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग में रंगाई के लिए होता था। पहले यह वेस्टइंडीज आदि क्षेत्रों से ब्रिटेन में मंगाया जाता था पर उन क्षेत्रों पर नेपोलियन का प्रभाव स्थापित होने के बाद भारत में इसकी खेती प्रारंभ करवाई गई।
- बंगाल क्षेत्र की जलवायु इसके लिए अनुकूल थी। अतः बागानी व्यवस्था के तहत नील की खेती 19वीं सदी के प्रारंभ में विस्तारित हुई।
- 1850 के दशक में कृत्रिम रंगों के आगमन, बंगाल में नील विद्रोह (1859-60 ई.) आदि के कारण नील की खेती कम हो गई।
- इन दो फसलों के अतिरिक्त प्रथम चरण में रेशम एवं गन्ना की भी खेती करवाई गई, पर यह प्रमुख वाणिज्यिक फसल नहीं बन पाई इसका मुख्य कारण था- रेशम के साथ पूंजी का अभाव तथा गन्ना के संदर्भ में 1850 के दशक में चुकंदर का प्रयोग, गन्ना के विकल्प के रूप में बेचना।

- हालाँकि स्थानीय मांग के अनुरूप इन दोनों का सीमित विकास होता रहा।
- 1857 के पश्चात् ब्रिटिश औद्योगिक आवश्यकताओं के कारण भारत में कपास की खेती प्रारंभ हुई, पहले लंकाशायर, मैनचेस्टर आदि सूती वस्त्र केंद्रों के लिए अमेरिका से कपास निर्यात होता था पर अमेरिकी गृहयुद्ध के समय से यह अवरूद्ध हो गया, तत्पश्चात् नए क्षेत्रों की तलाश हुई।
- परिणामतः भारत के दक्कन क्षेत्र में जो काली मिट्टी के कारण कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त था वहाँ कपास की व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई। कृषि के वाणिज्यिकरण की प्रक्रिया में कपास उत्पादन सर्वाधिक उल्लेखनीय है।
- इसके अलावा बंगाल क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ब्रिटिश औद्योगिक मांगों के कारण यहाँ जूट की खेती प्रारंभ करवाई गई। जूट में बड़े स्तर पर विदेशी पूँजी का निवेश हुआ।

नकारात्मक प्रभाव

कृषि के वाणिज्यिकरण का नकारात्मक प्रभाव भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र कृषि, उद्योग, व्यापार आदि किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए और चूँकि यह प्रक्रिया औपनिवेशिक नीतियों द्वारा संचालित थी इस कारण जब बाजार अर्थव्यवस्था के विकास से प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हुई तब उस स्थिति में भारतीय ठहर नहीं पाए।

- कृषि के वाणिज्यिकरण का किसानों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वास्तविक लाभ किसानों को न मिलकर बिचौलियों को मिला जिससे किसान ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए तथा खाद्यान्न की कमी एवं अकाल का सामना करना पड़ा। उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कृषि क्षेत्र एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र की एकता समाप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप वि-औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई।

सकारात्मक प्रभाव

कृषि के वाणिज्यिकरण के सकारात्मक पहलुओं में भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण शुरू हुआ भले ही यह आंतरिक अर्थव्यवस्था पर सीमित स्तर पर था। परंतु विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा।

- जिसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी परिवर्तन (वस्तु विनिमय के स्थान पर मौद्रिक अर्थव्यवस्था का विकास) हुआ तथा भारत के कुछ क्षेत्र एक विकसित कृषि क्षेत्र में विकसित हुए।
- फसलों के स्तर पर नए परिवर्तन आए तथा कुछ नई फसलों का आगमन हुआ तथा कई फसलों का उत्पादन बढ़ा अर्थात् सीमित स्तर पर कृषि क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का आगमन हुआ।

विऔद्योगिकरण : परंपरागत उद्योगों का पतन (Deindustrialization: Ruination of Traditional Industries)

सामान्य शब्दों में वि-औद्योगिकरण का अर्थ है औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अवरूद्ध होना या पतन हो जाना। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से यहाँ के परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ जिसे वि-औद्योगिकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।

- यह प्रक्रिया मूलतः हस्तशिल्पों के पतन से संबंधित है जिसके कारण रोजगार अवसरों में कमी हुई तत्पश्चात् कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा। अंततः अर्थव्यवस्था के असंतुलन के रूप में कई विकृतियाँ सामने आईं।
- वि-औद्योगिकरण कोई नई बात नहीं है, इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों में भी औद्योगिक क्रांति के समय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। परंतु उसके साथ ही उसकी क्षतिपूर्ति के लिए रोजगार एवं संवृद्धि के अवसरों में वृद्धि हुई एवं आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ पर भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ एकाधिकारवाद को बढ़ावा देते हुए लागू की गई जिसके कारण औद्योगिक क्रांति के परिवेश में न सिर्फ परंपरागत हस्तशिल्प का पतन हुआ वरन आधुनिक उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाया। जिसके परिणामस्वरूप भारत में इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था पर दूरगामी रूप से विकृत प्रभाव पड़ा।
- ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय उद्योगों की स्थिति समृद्ध थी। भारतीय शिल्पों को दो भागों में देखा जा सकता है जैसे शहरी शिल्प- उच्च कौशल का प्रदर्शन, विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध वस्तुएँ- धातु की बनी वस्तुएँ, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, कालीन, लकड़ी के सामान आदि और ग्रामीण शिल्प- सामान्य कौशल, स्थानीय जरूरतों के

अनुरूप, वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा संचालित, प्रमुख वस्तुएँ - मिट्टी के बर्तन, आभूषण, कपड़े आदि।

- ढाका का मलमल, कश्मीरी-शॉल तथा अन्य कई क्षेत्रों में भी वहाँ के प्रसिद्ध उत्पादों की स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत मांग थी।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश पूर्व भारतीय उद्योग समुन्नत अवस्था में था तथा अपनी व्यापक मांग के कारण ही यह व्यापार संतुलन को भारत के पक्ष में रखे हुए था।

वि-औद्योगीकरण के कारण


ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना के फलस्वरूप आए विभिन्न परिवर्तनों से परंपरागत उद्योगों के पतन के कारणों को देखा जा सकता है। जैसे राजनीतिक कारणों में देशी रजवाड़ों की दयनीय स्थिति और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ देशी रजवाड़ों की स्थिति खराब थी जिससे हस्तशिल्पों को प्रश्रय मिलना बंद हुआ और विशेष प्रकार के उत्पादों की मांग कम हो गई, परिणामतः हस्तशिल्पों को एक बड़े भाग का पतन हो गया और ब्रिटिश शासन की विभिन्न नीतियों के (1813 का एक्ट) कारण तथा राजकीय हस्तक्षेप से ब्रिटिश उद्योग तो समुन्नत हुए पर भारतीय परंपरागत उद्योग भी कमजोर पड़ते चले गए जबकि आर्थिक कारणों में प्रथम कृषि का व्यवसायीकरण से परंपरागत उद्योगों एवं कृषि क्षेत्र का तादात्म्य टूटा और उद्योग क्षेत्र में भारतीय कच्चे मालों पर नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य ब्रिटेन द्वारा किया जाने लगा।

- वहीं ब्रिटिश उद्योगों के प्रति राजकीय संरक्षण तथा भारतीय उद्योगों को संरक्षण का अभाव बना रहा। दस्तकारों का विभिन्न तरीकों से शोषण शुरू हुआ। जैसे- ददनी प्रथा- इस प्रथा के तहत पेशगी की रकम देकर उत्पाद निर्मित करवाए जाते थे और इस दौरान अधिक मुनाफा को आधार बनाने से दस्तकारी कौशल का पतन हुआ। व्यापार क्षेत्र पर भी कृषि के वाणिज्यीकरण का प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन की एकतरफा व्यापार की नीति के तहत ब्रिटेन ने अपनी प्रशुल्क नीति को समय-समय पर इस तरह से बदलाव किया कि वह भारत का उपयोग एक कच्चे माल के निर्यातक एवं निर्मित मालों के आयातक के रूप में कर सके।
- उदाहरणार्थ- 1700 ई. में छपे एवं रंगे वस्त्रों पर 15% शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया गया तथा 1720 में भारतीय सूती वस्त्रों के आयात को ब्रिटेन में प्रतिबंधित कर दिया गया और

परंपरा से चले आ रहे विभिन्न श्रेणियों एवं भारतीय व्यापार संघों का पतन भी दस्तकारी उद्योगों के पतन का कारण बना।

- इस पतन की प्रक्रिया में रेलवे की भी भूमिका रही क्योंकि इसके कारण दूर-दराज के क्षेत्रों में औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पड़ा और अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल आने लगा तथा सुदूर क्षेत्रों तक ब्रिटिश निर्मित वस्तुएँ पहुँचने लगीं।
- अब देशी हस्तशिल्पियों को कच्चा माल महंगी कीमतों पर मिलने लगा और वे स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता में पिछड़ गए। इस संदर्भ में कहा गया है कि अलग-थलग रहने वाले गांव के कवच को इस्पात की रेल ने भेद दिया और उसकी प्राण शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया।
- पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से यूरोपीय आदर्शों एवं फैशन का प्रसार होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश सामाजिक एवं शैक्षणिक नीतियों से भारत में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ, जिसकी रुचि ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति थी।
- पुराने शासक वर्गों आदि ने भी स्वयं को इस वर्ग से जोड़ लिया। चूंकि क्रयशक्ति इसी वर्ग के पास थी अतः इनकी रुचि का बदलना भी भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन का कारण बना।

वि-औद्योगीकरण के प्रभाव



वि-औद्योगीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था- भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गाँवों की ओर पलायन।

- अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गाँवों में जाकर खेती करने लगे। (उदाहरणार्थ- बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया)। इससे भूमि पर दबाव बढ़ा।
- अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र

पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी।

- भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया।

कृषकों की बढ़ती हुयी दरिद्रता

ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी।

- इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी किंतु लगान जो जमींदार, किसान से लेता था वह परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गयी।
- लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित हो जाते थे।
- सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार (बलपूर्वक कार्य) करने हेतु विवश करते थे।
- कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे। सूदखोर, जो अधिकांशतया गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफी ऊँची दरों पर किसानों को ऋण देते थे तथा ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद (अनाज) को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे।
- इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकद्दमों के लिए करते थे।
- इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहरा बोझ होता था।
- अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएँ और भी बढ़ जाती थीं। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव

पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गयी।

पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय वर्ष 1815 ई. के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ तथा नए भू-संबंधों का विकास हुआ।

- जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्तियाँ एवं अत्यल्प संसाधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी।
- जमींदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही उस कार्य में कोई रुचि ली।
- इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था और इसीलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया।

कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी

कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिए धन।

- जमींदारों का गाँवों से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अत्यल्प था।
- इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे-धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई।

आधुनिक उद्योगों का सीमित विकास (Limited development of Modern Industries)


- भारतीय उद्योगों के प्रति ब्रिटिश नीति का मुख्य आधार अधिकाधिक औपनिवेशिक लाभ हेतु भारत को सिर्फ कच्चे माल के स्रोत एवं बाजार के रूप में प्रयुक्त करना था।
- इसी कारण से यहाँ परंपरागत हस्त-शिल्प उद्योगों का पतन तो हुआ लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ।

- ब्रिटिश नीतियों द्वारा औद्योगीकरण की प्रक्रिया हतोत्साहित हुई, जो ब्रिटिश पूँजी निवेश हुआ उसका स्वरूप भी ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से ही परिचालित था।
- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ।
- भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 ई. में कावसजी नानाभाई ने बंबई में स्थापित की।
- इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 ई. में रिशरा (बंगाल) में स्थापित की गयी। लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था।
- भारत में मुनाफे की व्यापक संभावनाएं जैसे- सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बाजारों की उपलब्धता, पूँजी निवेश की अनुकूल दशाएं, नौकरशाही द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कुछ वस्तुओं, जैसे- चाय, जूट एवं मैंगनीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण भारत में तेजी से विदेशी पूँजी का प्रवाह हुआ।
- भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे- सूती वस्त्र एवं जूट मिलें, जो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आयी, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों की अनेक समस्यायें थीं, जैसे- साख की समस्या, सरकार द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का अभाव, विदेशी उद्योगों से असमान प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध- जो कि वित्तीय एवं तकनीकी संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध थे।
- उपनिवेशी कारकों ने भी कुछ संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किए। भारत में औद्योगीकरण की इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गये।
- इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना में भी देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी।
- इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुयी। क्षेत्रीय असमानता के कारण राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा। तकनीकी शिक्षा को

संरक्षण न दिये जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी रूप से दक्ष मानवशक्ति के अभाव का सामना करना पड़ा।

- सामाजिक तौर पर, एक औद्योगिक पूँजीवादी वर्ग तथा एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।

आधुनिक उद्योगों का विकास



राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय

भारतीय व्यापारियों, बैंकरों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों, के वित्त से काफी धन कमाया था। अंग्रेजों की साम्राज्यीय शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी।

- भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिए और सरकार के भू-राजस्व संग्रहण में सहायता की।
- इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया तथा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की।
- किंतु इस साम्राज्यीय व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आयी तथा इसका विकास जापान तथा जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था।

आर्थिक विकास

भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा, जो जनता के उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे 'आर्थिक विकास' की संज्ञा दी गयी।

- दादा भाई नौराजी ने अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की।

- आर्थिक निकास के प्रमुख तत्त्व निम्न थे-
 - ♦ अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते।
 - ♦ भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों के ब्याज,
 - ♦ नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गयी वस्तुयें,
 - ♦ नौवहन कंपनियों की गयी अदायगी तथा विदेशी बैंकों तथा बीमा कंपनियों को दिया गया धन, गृह व्यय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश।
 - भारतीय धन के इंग्लैंड को निकास से देश में पूंजी का निर्माण एवं संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गयी।
 - ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को, इस धन से जो लाभांश प्राप्त होता था, उसे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था और इस प्रकार भारत का शोषण निरंतर होता रहा।
 - इस धन के निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- वि-औद्योगीकरण के स्वरूप संबंधी विवाद**
- ब्रिटिश शासन के प्रभावों से हुए भारत में वि-औद्योगीकरण के स्वरूप को ब्रिटिश एवं भारतीय इतिहासकारों ने अपनी-अपनी तरह से विश्लेषित किया है।
- ब्रिटिश इतिहासकारों में इसके आरंभकर्ता डेनियल थोर्नर हैं, इनका मानना है कि हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश भारत में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली एवं आधुनिक उद्योगों के विकास का स्वाभाविक परिणाम था। साथ ही, परंपरागत उद्योगों के पतन के लिए अंग्रेजी नीतियां नहीं वरन् भारतीय राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की कमजोरियाँ, अविकसित परिवहन एवं संचार व्यवस्था आदि जिम्मेदार थी।
 - इसी तरह के मिलते-जुलते विचार मॉरिस डी मॉरिस, मैक्फर्सन आदि ब्रिटिश इतिहासकारों ने रखे हैं।
 - इनके विचारों का विरोध भारतीय विद्वानों ने किया, जिनमें अमिय बागची, जे. कृष्णमूर्ति आदि प्रमुख हैं।
 - इनका मानना है कि भारत में पूंजीवादी ढाँचे की स्थापना के विकास के बिना ही परंपरागत ढाँचे को तोड़ दिया गया तथा इसकी क्षतिपूर्ति के लिए आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं की गई और हस्तशिल्प उद्योगों में रोजगार अवसरों में जितनी कमी हुई, उतने अवसरों की वृद्धि सीमित रूप से हुए औद्योगिक विकास द्वारा नहीं हुई।
 - कुछ अन्य विचारकों ने भी इस बात का समर्थन किया है। मार्क्स के अनुसार, सूती वस्त्रों के घरों में सूती वस्त्र की बाढ़ ला दी गई। बैटिक का कहना है, “सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारतीय मैदानों को बदरंग कर रहे हैं।”

6

ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक नीतियाँ (Colonial Policies in British India)

भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास

शिक्षा नीति के विकास का प्रारंभिक इतिहास (Early History of Development of Education Policy)

18वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश शासन की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और धीरे-धीरे भारतीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में भी इनकी भूमिका की शुरुआत हुई। इस भूमिका के पीछे मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित एवं विस्तारित करना था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ अंग्रेजों द्वारा किया गया। इस क्रम में **ईसाई मिशनरी, ब्रिटिश सरकार और प्रगतिशील भारतीय** उत्तरदायी थे।

- **ईस्ट इंडिया कंपनी** एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने लाभ कमाने में अधिक तथा शिक्षा के विकास में बहुत कम दिलचस्पी ली। हालांकि इस समय कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए गए। इसी क्रम में तत्कालीन **गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स** जो प्राच्यवादी था। 1781 ई. में **अरबी और फारसी** के अध्ययन के लिए **कलकत्ता मदरसा की स्थापना** की।
- 1784 में **एशियाटिक सोसायटी की स्थापना** की गई इस संस्था का मूल उद्देश्य भारतीय भाषा के ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद करना था। जैसे- **विलियम जोंस** ने '**अभिज्ञान शाकुंतलम्**' का अनुवाद किया।
- इस संस्था पर भी प्राच्यवादी प्रभाव था। बनारस के **ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन** के प्रयत्नों के फलस्वरूप **बनारस में 1791 ई. में एक संस्कृत कॉलेज** खोला गया जिसका उद्देश्य हिन्दुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन और प्रसार करना था।
- **कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज** दोनों संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से **कंपनी के शासन** की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियुक्ति के लिए किया गया था।
- इस प्रकार हम देख सकते हैं कि **18वीं सदी** के अंतिम दो दशकों में अंग्रेजों की भारत में जो शिक्षा के प्रति रुचि प्रारंभ

हुई उस पर प्राच्यवादी प्रभाव है।

- जिसके तहत भारतीय **भाषा एवं संस्कृति** को समझने का प्रयास किया गया। इसी प्रक्रिया में 1800 ई. में **फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई**, जिसका उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना था।
- **19वीं सदी** के प्रारंभ में अंग्रेजों का रुख **अंग्रेजी शिक्षा** के प्रचार-प्रसार की ओर होता है। इस क्रम में प्राथमिक नाम **चार्ल्स ग्रांट** का आता है जिन्हें भारत में **अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता** भी कहा जाता है।
- इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु आरंभिक प्रयास किए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार में **ईसाई मिशनरियों** की उल्लेखनीय भूमिका रही व इनका प्रारंभिक कार्यक्षेत्र **बंगाल एवं मद्रास प्रेसीडेंसी** क्षेत्र था।
- **बंगाल** में **सिरामपुर** क्षेत्र की डच मिशनरियों ने भी शिक्षा प्रसार के कार्य किए इनमें **विलियम केरी, लॉर्ड मार्शमैन** आदि प्रमुख व्यक्ति थे। इनके द्वारा मूलतः धार्मिक शिक्षा ही प्रसारित हुई।
- 1813 के **चार्टर एक्ट** से ईसाई मिशनरियों को आगमन एवं प्रसार की छूट मिल गई परिणामतः अब व्यापक स्तर पर इनकी गतिविधियाँ प्रसारित होने लगीं। इसी एक्ट के तहत शिक्षा पर खर्च हेतु **प्रति वर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया**।
- इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में एक तुच्छ प्रयास किया गया। इस धन का उपयोग '**साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए**' भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और कंपनी शासित क्षेत्रों के निवासियों में विज्ञान के प्रति सोच को उन्नति करने के लिये निर्धारित किया गया।
- कंपनी को अपने **प्रशासनिक** आवश्यकताओं के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो **शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं** का जानकार हों। इस रूप में वह राजनीतिक और

कानूनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

- इसके अतिरिक्त शिक्षा **भारतीय जनता** को **ब्रिटिश शासन** के प्रति सोच बदलने के लिए प्रेरित करेगी।
- 1817 में **राजा राममोहन राय** एवं **डेविड हेयर** के प्रयासों से **हिन्दू कॉलेज** की स्थापना हुई। इस कॉलेज को एक प्रकार से पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का पहला प्रयास कहा जाता है।
- इस प्रकार 1830 के दशक के प्रारम्भ तक **अंग्रेजी शिक्षा** का भी एक सीमा तक प्रचार-प्रसार हो गया।

प्राच्य-आंग्ल विवाद (Oriental-Anglo Dispute)

अब तक भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों पद्धतियों पर शिक्षा का प्रचार-प्रसार जारी था, पर 1830 के दशक में आगे की शिक्षा नीति को लेकर बने **लोक शिक्षा समिति** के सदस्यों के बीच दो गुट बन गए। एक **गुट प्राच्यविदों का था जिसमें प्रिंसेप, विल्सन आदि थे दूसरा गुट आंग्लविदों का था जिसमें मैकाले का समर्थन था।** 10 सदस्यीय आयोग में दोनों गुटों के बराबर होने के कारण प्रायः गतिरोध बना रहता था जिसके कारण समिति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती थी। दोनों गुट अपने-अपने तर्कों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार की बात करते थे। विवाद के दो मुद्दे थे।

- पहला यह कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा,
- दूसरा यह कि अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए परंपरागत या पाश्चात्य?

प्राच्यवादी (Orientalist)

प्राच्यवादियों का मानना था कि भारत में पाश्चात्य **विज्ञान** एवं **ज्ञान** का प्रसार भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्राच्यवादी **विज्ञान की शिक्षा** एवं उसके विकास का विरोधी नहीं थे पर उनका मानना था कि भारतीयों को **यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान** को उसी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे परिचित हैं और उपयोगी पाश्चात्य विषयों को **संस्कृत** और **अरबी फारसी** में अनुवाद किया जाए।

- अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए प्राच्यवादियों ने **स्कूलों की स्थापना, भारत में छापाखाना एवं प्रकाशन कार्य** आरंभ किया तथा **पुस्तकों पत्रिकाओं, समाचार पत्रों तथा संपर्क** के अन्य साधनों को विकसित किया और भारत में प्रथम बार

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया।

- इस प्रकार ब्रिटिश प्राच्यवादी विचारक भारतीय संस्कृति के आधुनिकीकरण में सहयोगी बने। प्राच्यवादी विदेशी व भारतीय तत्वों के समीक्षा द्वारा परिवर्तन के समर्थक थे जिसमें भारतीय अपने जीवन मूल्यों के आधार पर स्वयं को परिवर्तित कर सके इसी आधार पर उनका मानना था कि परिवर्तन की यह प्रेरणा केवल पश्चिमी देशों से ही नहीं वरन् प्राचीन भारतीय अध्ययनों द्वारा भी दी जा सकती थी।
- प्राच्यवादियों का सर्वाधिक दीर्घकालिक योगदान यह रहा कि भारतीयों में अपने प्राचीन स्वर्ण युग के पुनर्जागरण के विचारों से **आत्मसम्मान** और **आत्मविश्वास** जागृत हुआ, उनमें ऐतिहासिक जागरुकता का विकास और सामुदायिक भावना का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्राच्यवादियों के उद्देश्य के पीछे एक बड़ी कूटनीतिक चाल थी।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से **भारतीय जनता** से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें स्वाभाविक रूप से अधीनस्थ बनाने में समर्थ हो सकते थे।
- साथ ही **संस्कृत, फारसी, अरबी साहित्य** में शिक्षा देकर भारतीयों की पूर्ववत जातियों एवं धर्मों में विभाजित रखा जा सकता था जो कंपनी शासन और ब्रिटिश साम्राज्य के हित में था।

आंग्लवादी (Anglicist)

दूसरी विचारधारा आंग्लवादियों की थी जो **वाइट मैन बर्डन थ्योरी** या असभ्यों को सभ्य बनाने के सिद्धान्त पर आधारित थी। इस मत का सबसे बड़ा **समर्थक लॉर्ड मैकाले** था जो 1834 में **गवर्नर जनरल** की कौंसिल के विधि सदस्य के रूप में भारत आया।

- वह पाश्चात्य **भाषा एवं संस्कृति** की सर्वश्रेष्ठता पर गर्व करता था और उसने आधारहीन तरीके से भारतीय भाषा एवं संस्कृति की निंदा की।
- उसने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और कहा कि भारतीय भाषाओं में **साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोष** का अभाव है।
- इसी परिप्रेक्ष्य में उसने भारतीय भाषा एवं साहित्य की निकृष्टता दिखाने के लिए कहा कि “यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक आलमारी का एक कक्ष, भारत और अरब की समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है।”
- मैकाले भारतीय परिवेश में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रहा था

और उसका मानना था कि अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।

- वास्तव में **मैकाले** के इस दृष्टिकोण के पीछे एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य छिपा हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वह भारत में पूर्णतः पश्चिमी मानदंड स्थापित करना चाहता था और पाश्चात्य विचारों का प्रसार करना चाहता था।
- एक अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि मैकाले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो “**रक्त और रंग**” से भारतीय हों परन्तु अपनी **प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मानदण्ड, बुद्धिमत्ता** से अंग्रेज हों।
- अतः **ब्राउन रंग** के अंग्रेज बनाना चाहता था जिसके माध्यम से प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों की पूर्ति की जाए।
- इस तरह मैकाले एवं आंग्लवादियों ने **पश्चिमी शिक्षा** और **अंग्रेजी भाषा** पर बल दिया
- मैकाले द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को **लॉर्ड विलियम बेंटिक** ने **7 मार्च, 1835** को स्वीकृत प्रदान की और भविष्य में कंपनी की सरकार, यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न किया।
- इस तरह **प्राच्य-आंग्ल विवाद** में **आंग्लवादियों की जीत** हुई और भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की स्थापना हुई।
- अब समस्या यह थी कि यह **शिक्षा समाज** के सभी वर्ग को दी जाए या किसी एक वर्ग विशेष को। इस परिप्रेक्ष्य में मैकाले का मानना था कि जन साधारण को शिक्षित करना न तो उचित है और न ही सीमित साधनों में संभव।
- वह केवल समाज के उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित करने का समर्थन था और इस वर्ग से छन-छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँच जाएगा।
- **मैकाले** का यह सिद्धान्त **विप्रवेशन सिद्धान्त (Infiltration Theory)** के नाम से जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इस संदर्भ में एक छुपा उद्देश्य ईसाई मिशनरियों का भी था। जिनका यह मानना था कि अगर **सर्वर्ण हिन्दुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित** कर दिया जाए तो धीरे-धीरे व्यापक तौर पर ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार हो जाएगा।

चार्ल्स वुड घोषणा-पत्र 1854
(*Charles Wood Despatch -1854*)

चार्ल्स वुड तत्कालीन सरकार में **बोर्ड ऑफ कंट्रोल** के अध्यक्ष

थे। वह अंग्रेज जाति और उसकी संस्थाओं की श्रेष्ठता में पूर्ण विश्वास करते थे। 1854 से पूर्व उच्च शिक्षा के विकास की गति धीमी रही। **स्त्री शिक्षा** की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए **1854 में चार्ल्स वुड** की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आधार पर एक समिति गठित की गई।

- इस समिति द्वारा दिये गए सुझाव को ‘**वुड घोषणा पत्र**’ के नाम से जाना जाता है। यह एक वृहद घोषणा-पत्र जिसमें **100 अनुच्छेद** थे और इसमें शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सुधार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। प्रायः इसे ‘**भारतीय शिक्षा का मैगनाकार्टा**’ कहा जाता है।
- इस घोषणा-पत्र को भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में ऐतिहासिक घटना के रूप में जाना जाता है। यह एक व्यापक कार्यक्रम था। इस घोषणा-पत्र में ‘**विप्रवेशन सिद्धान्त**’ या **अधोमुखी निःस्यंदन सिद्धान्त** को नकार दिया गया।
- घोषणा-पत्र का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना अर्थात् सरकार **कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य** का प्रसार करे इस बात पर बल दिया गया।
- शिक्षा के माध्यम के विषय में यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे **उत्तम माध्यम अंग्रेजी** है लेकिन देशी भाषाओं को अन्य स्तरों पर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए क्योंकि देशी भाषाओं के माध्यम से ही पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान सर्वसाधारण तक पहुँचाया जा सकता है।
- इसी आधार पर **ग्राम स्तर पर देशी भाषा** से संचालित **प्राथमिक पाठशालाएं** स्थापित करने और उनके ऊपर जिला स्तर पर **एंग्लो-वर्नाकुलर (Anglo-Vernacular) हाई स्कूल** और **कॉलेज** खोलने का प्रस्ताव दिया गया।
- एक अन्य प्रस्ताव जिसमें **लंदन विश्वविद्यालय** के आधार पर **कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास** में **तीन विश्वविद्यालय** स्थापित किए जाएँ जिनमें **कुलपति उप-कुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों** की व्यवस्था की जाए।
- इस घोषणा-पत्र में व्यवसायिक **शिक्षा में महत्त्व** और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया साथ ही **महिला शिक्षा का समर्थन** भी किया गया।
- **वुड के घोषणा-पत्र** में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर भी बल दिया गया। वुड घोषणा-पत्र की सिफारिशों को लागू करते हुए **1855**

में बंबई, मद्रास, बंगाल, पंजाब एवं उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में एवं अन्य नये प्रांतों में भी लोक शिक्षा विभाग का सृजन किया गया।

- वरिष्ठ पदों को पूरा करने के लिए 1897 ई. में इंडियन एजुकेशन सर्विस का गठन किया गया। 1858 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी।
- तकनीकी शिक्षा को महत्त्व देते हुए 1856 में रुड़की एवं कलकत्ता में तकनीकी महाविद्यालय खोले गए।
- 1854 से प्राथमिक शिक्षा के बजाय माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। बैंटिक के प्रयत्नों द्वारा कुछ महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई।
- हालांकि इस अधिकार पत्र में व्यापक साक्षरता के आदर्श को स्वीकार नहीं किया गया था। प्राथमिक शिक्षा की अनदेखी की गयी, शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं प्रदान किए गए।
- तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा का प्रसार बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वुड का घोषण पत्र भारत के कल्याण की भावना से प्रेरित न होकर हितों के संरक्षण की भावना से प्रेरित था।

हंटर शिक्षा आयोग (1882-83)

Hunter Education Commission (1882-83)

1882 से लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू.डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया, जिसे 'हंटर आयोग' के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का गठन 1854 के वुड घोषणा पत्र के पश्चात् हुआ। यह आयोग वुड घोषणा पत्र की प्रगति की समीक्षा करने हेतु किया गया।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि आयोग यह सुझाव दे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का कैसे सुधार और विस्तार किया जा सकता है? यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था न कि विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा तक। आयोग द्वारा समीक्षा करने के पश्चात् निम्नलिखित सुझाव दिये गए-

- सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों पर होनी चाहिए।
- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया

एक में उसने साहित्यिक शिक्षा तथा दूसरे में व्यवहारिक शिक्षा। आयोग का मानना था कि साहित्यिक शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दी जानी चाहिए वहीं व्यवहारिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए तैयार करना चाहिए।

- आयोग द्वारा निजी शिक्षा के प्रोत्साहन की बात की गयी तथा यह भी कहा गया कि सरकार को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र से हट जाना चाहिए।
- आयोग ने महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे बढ़ावा देने की बात की गयी।

सरकार द्वारा आयोग के सुझावों को मान लिया गया। इसके पश्चात् आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब पश्चात् शिक्षा के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं के शिक्षण में विशेष रुचि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।

लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय आयोग-1902 (Education Policy of Lord Curzon and University Commission-1902)

लॉर्ड कर्जन अपने प्रशासन को सुधारने के स्वाभाविक जोश में भारतीय शिक्षा को भी सुधारने का प्रयत्न किया।

- उसने मैकाले की नीति की आलोचना की तथा यह कहा कि यह देशी भाषाओं के विरुद्ध एक पक्षपात था।
- उसने द्वितीय स्तर के अध्यापक वर्ग और परीक्षाओं पर बल न देने वाली शिक्षा की आलोचना की। लेकिन इसके पीछे उसके राजनीतिक उद्देश्य थे और केवल आंशिक रूप से शैक्षणिक दरअसल प्रेस का विकास, शिक्षित भारतीयों द्वारा पत्रकारिता को महत्त्व देना, बढ़ता हुआ आम राजनीतिक असंतोष तथा कांग्रेस की स्थापना जैसी घटनाएं कर्जन के आगमन से पूर्व घटित हुईं।
- अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीयों का परिचय पश्चिम से हुआ। कई ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिक असंतोष तथा आंदोलन के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली को उत्तरदायी मान रहे थे।
- अतः यह महसूस किया गया कि शिक्षा पर कठोर सरकारी नियंत्रण हो। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कर्जन ने सितम्बर, 1901 में शिमला में समस्त भारत के उच्चतम

शिक्षा और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया और 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।

- इस आयोग का मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना और संविधान तथा कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना था। यह आयोग केवल उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय तक ही सीमित था।
- रैले कमीशन के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन, महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों द्वारा कठोर नियंत्रण पर जोर दिया गया।
- विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उपसदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होना चाहिए और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक के लिए ही होना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों पर सरकार के नियंत्रण की बात की गयी। सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अब सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर विशेषाधिकार दे दिया गया। सरकार स्वयं नियम बना सकती थी, सीनेट द्वारा पारित नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकती थी।
- इस अधिनियम का विधान परिषद के अंदर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों द्वारा कटु आलोचना की गयी। इससे विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता समाप्त हुई और उच्च शिक्षा के विकास में बाधा पहुँची।

सैडलर आयोग-1917

(Saddler Commission -1917)

1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन किया गया। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सैडलर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग में दो भारतीय डॉ. आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद भी सदस्य थे।

- इस आयोग ने 1904 के अधिनियम की कड़ी निंदा की। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था।
- इस आयोग ने अनेक सिफारिशें कीं। आयोग ने स्कूल की

शिक्षा को 12 वर्ष का होने का सुझाव दिया और उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए अतः उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच विभाजक रेखा माना गया।

- स्नातक की शिक्षा तीन वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के नियमों को बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के उद्देश्य से ढाका में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया और इसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय केन्द्र बनें यह प्रयत्न होना चाहिए।
- महिला शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। डॉ. सैडलर आयोग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम का प्रबंध करें।
- 1916 से 1921 में बीच अनेक नये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। इनमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, मैसूर, पटना, अलीगढ़, लखनऊ उस्मानिया विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए।

हार्टोग समिति-1929

(Hartog Committee -1929)

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में शिक्षा को प्रांतों में लोगों द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया। केन्द्र सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना बंद करने के साथ ही केन्द्रीय अनुदान भी बंद कर दिया। इसके बावजूद शिक्षा संस्थाओं की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने से अनिवार्य रूप से ही शिक्षा के स्तर में कमी आई। इसी को ध्यान में रखते हुए 1929 में हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी।

- हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्त्व पर बल दिया तथा सुधार और एकीकरण की नीति अपनाने का सुझाव दिया। समिति ने कहा ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय शिक्षा से रोक कर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा कार्यों को समझना चाहिए।
- समिति ने विश्वविद्यालयों की दुर्बलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह कहा कि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने योग्य हों उन्हीं को प्रवेश देकर अच्छी शिक्षा दी जाए।

मौलिक शिक्षा या वर्धा योजना

(Fundamental Education or Wardha Scheme)

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और इसी के तहत लोकप्रिय मंत्रिमंडल 1937 से कार्य करने लगा। 1937 में महात्मा गाँधी द्वारा अपने सप्ताहिक पत्र 'हरिजन' में लेखों की एक शृंखला प्रकाशित की गयी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा को कुटीर उद्योग से जोड़कर व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

- "राष्ट्रीय शिक्षा का" पहला सम्मेलन अक्टूबर, 1937 में वर्धा में आयोजित किया गया। इसमें मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई।
- डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया।
- इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन का सुझाव भी दिया। इस शिक्षा योजना का मूलभूत सिद्धांत 'हस्त उत्पादन कार्य' था। जिससे शिक्षकों के वेतन का प्रबंध हो जाता था।
- इस शिक्षा योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को मातृभाषा में सात वर्ष तक अध्ययन करना था। 1947 के पश्चात् सरकार ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया।

सार्जेंट योजना-1944 (Sargent Plan-1944)

1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल (Central Advisory Board of Education) ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे 'सार्जेंट योजना' कहा जाता है। इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों की स्थापना की बात की गयी है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की योजना थी। इसके अतिरिक्त 11 से 17 वर्ष तक के लिए छः वर्ष और शिक्षा की व्यवस्था थी।

- ये उच्च विद्यालय दो प्रकार के होने थे। पहला विद्या विषयक और दूसरा प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया। इस प्रकार इस योजना में 40 वर्ष में देश में शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य होने की बात की गयी थी।

पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव

(Influence of Western Education)

पाश्चात्य शिक्षा का भारत के लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। जहाँ तक सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा में अनुवादित ग्रंथों के अध्ययन से भारतीय समाज का ज्ञानवर्द्धन हुआ और उन्हें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि विश्व जनित दृष्टिकोण का ज्ञान हुआ। भारतीयों को पश्चिमी विद्वानों, स्पेंसर, डार्विन, लॉक, रसेल, स्मिथ आदि को पढ़ने का अवसर मिला जिससे वे लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों से प्रेरित होकर प्रक्रियावादी सामंतवादी संस्थाओं एवं परंपराओं के विरुद्ध उठ खड़े हुए। भारत में एक शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय को प्रोत्साहन मिला पाश्चात्य शिक्षा से भारतीय समाज में एक बुद्धजीवी वर्ग भी तैयार हुआ जिसने 19वीं सदी के प्रारम्भ में विभिन्न सामाजिक धार्मिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की जैसे- सतीप्रथा, बालविवाह, विधवा विवाह आदि से संबंधित सुधार। कहीं न कहीं इससे प्रेरित था। शिक्षित भारतीयों ने रिकार्डों, मार्क्स, लिस्ट के अर्थशास्त्र संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन किया। उनमें आर्थिक समस्याओं के स्वरूप की पहचान करने की समझ बढ़ी। इसी संदर्भ में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीति की चर्चा हुई और दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया।

- पत्रकारिता प्रेस आदि को भी बढ़ावा मिला। अंग्रेजी शिक्षा ने विभिन्न प्रांतों में लोगों को एक भाषा के माध्यम से जोड़ने के साथ ही पूरे विश्व से जोड़ दिया जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारणों में से एक कारण यह भी बना।

पाश्चात्य शिक्षा का भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा के ब्रिटिश शासन का गौरव गान किया गया ब्रिटिश शासन और उसकी महानता पर बल दिया गया जिसके कारण एक लम्बे समय तक राष्ट्रीयता का वास्तविक स्वरूप विकसित नहीं हो पाया इसके द्वारा पाश्चात्य विचारों का अंधानुकरण किया गया जिससे कुछ नवयुवकों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा उन्होंने पुराने भारतीयों आदर्शों एवं मान्यताओं को तुच्छ समझकर उसका बहिष्कार किया यहाँ तक कि भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली की अच्छाइयों को भी तिरस्कृत किया गया।

- पाश्चात्य शिक्षा के कारण शिक्षित भारतीयों एवं सामान्य जन में विभेद बढ़ा परिणामस्वरूप भाषाई एवं सांस्कृतिक अलगाव बढ़ते चले गए। अंग्रेजी शिक्षा नीति में आमजन के लिए

- शिक्षा की उपेक्षा की गयी (जैसे अधोमुख निस्पंदन सिद्धांत द्वारा)। पाश्चात्य शिक्षा में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा की अवहेलना की गयी।
- इस प्रकार से भारतीय समाज पर पाश्चात्य शिक्षा के अनेक नकारात्मक प्रभावों को देखा गया।

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी शिक्षा का योगदान (Contribution of Modern Education in the Development of Indian Nationalism)

पक्ष में तर्क (Logic in Favour)

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के योगदान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं एक तरफ जहाँ ब्रिटिश विचारकों ने स्वयं को प्रगतिशील साबित करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा एवं विचारों के महत्त्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है वहीं राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के लिए यहाँ के आंतरिक तत्वों पर जोर दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब पाश्चात्य विचारक यह मत रखते हैं कि यदि अंग्रेजी शिक्षा नहीं रही होती तो भारतीय राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो पाता।

- अपने मत के पक्ष में ये विचारक पाश्चात्य विचारों की **बौद्धिकता, तार्किकता** को आधार बनाते हैं तथा अंग्रेजी शिक्षा के सिर्फ सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं जैसे- भारतीयों का ज्ञानवर्धन हुआ, **विश्वजनित लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता** आदि विचार आए तथा **सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक** क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता हेतु सचेष्ट हुए।

विपक्ष में तर्क (Logic in Opposition)

राष्ट्रवादी विचारकों का यह मानना है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ आधुनिक शिक्षा मात्र की उपज नहीं बल्कि इसके पीछे निम्नलिखित तत्त्व थे-

- पाश्चात्य शिक्षा भारतीय **राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए** नहीं बल्कि **ब्रिटेन के प्रति सम्मान** का भाव जगृत करने के लिए था।
- भारतीय राष्ट्रवाद का उदय **ब्रिटेन एवं भारतीयों के हितों** के टकराव से उत्पन्न हुआ था।
- आधुनिक विचारों का प्रसार तो मुख्यतः भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के माध्यम से हुआ सबसे अधिक तो **भारतीय प्रेस** के माध्यम से हुआ।

- वास्तव में समूचे ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या नगण्य थी। (लगभग 1 से 2 प्रतिशत)
- वस्तुतः **राष्ट्रीय आंदोलन की विकास धारा** तभी जनतांत्रिक हुई जब उसमें जनता के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ गई। यह जनसाधारण न तो अंग्रेजी शिक्षा एवं विचारों से अवगत था बल्कि यह **अनपढ़** था।
- लेकिन धीरे-धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव से अपने **सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक** हितों को आवश्यक समझने लगा था।

उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के पीछे औपनिवेशिक **शासन के चरित्र** एवं उसकी नीतियों की निर्णायक भूमिका रही है। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भी भारतीय परिवेश, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर संभव हुआ जैसा कि कई अन्य देशों में भी वहाँ की अपनी भाषा में ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ।

जहाँ तक अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव की बात है, तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सीमित स्तर पर ही सही एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को भी जन्म दिया जो परिवर्तनकारी विचारों को आत्मसात करने में सक्षम था। **विदेशी दासता की चुभन** भी इसी वर्ग के राष्ट्रवादी विचाराधारा से प्रभावित लोगों ने सबसे पहले महसूस की। परिणामतः आगे चलकर इस वर्ग से राष्ट्रीयता के विकास का प्रारम्भिक नेतृत्व भी संभव हो पाया।

अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन (Evaluation of British Education Policy)

- यह सही है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये। परन्तु, इस संबंध में लोकोपकारी भारतीयों के प्रयास ज्यादा सराहनीय थे। सरकार ने निम्न कारणों के प्रभाव से **आधुनिक शिक्षा को समृद्ध** करने का प्रयास किया-
 - भारत में प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु आंदोलन किए जा रहे थे साथ ही **ईसाई मिशनरी** एवं **मानवतावादी नौकरशाह** भी आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे।
 - प्रशासन के निम्न स्तरीय पदों हेतु भारतीयों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की योजना तथा **इंग्लैण्ड के व्यापारिक हितों** को पूरा करने की आवश्यकता थी। इसलिए सरकार


ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर ज्यादा जोर दिया।

- सरकार पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी रंग में रंगना चाहती थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्थायित्व मिल सके। सरकार को मालूम था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय, ब्रिटिश विजेताओं तथा उनके प्रशासन का गुणगान करेंगे।
- सरकार को यह उम्मीद थी कि शिक्षित भारतीय इंग्लैण्ड में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाने में सहायक होंगे।
- भारतीय परंपरागत शिक्षा द्वारा प्रशासनिक कार्यों का संपादन संभव नहीं था। फलतः प्रशासनिक भारतीय कर्मचारियों की मांग कम होने लगी। इस समस्या के समाधान की दिशा में सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विकास करने पर विशेष बल दिया।
- सरकार द्वारा जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करने से देश में निरक्षरता की दर में तेजी से वृद्धि हुई। 1911 में निरक्षरता का 84 प्रतिशत था जो 1921 में बढ़कर 92 प्रतिशत हो गया। निरक्षरता की इस बढ़ती दर ने मुट्ठीभर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के बीच भाषायी एवं सांस्कृतिक खाई को विस्तृत कर दिया जो काफी चिंताजनक थी।
- शिक्षा व्यवस्था को महंगा किए जाने से यह आम भारतीयों की पहुँच से दूर हो गई तथा उच्च एवं धनी वर्ग तथा शहरों में निवास करने वाले लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया।
- अंग्रेज सरकार द्वारा स्त्रियों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा गया। ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षा की पूर्णरूपेण उपेक्षा की, क्योंकि- (i) सरकार समाज के रूढ़िवादी तबके को नाराज नहीं करना चाहती थी तथा (ii) तात्कालीन उपनिवेशी शासन के लिये यह किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं था।
- सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा की भी उपेक्षा की गयी। सरकार ने 1857 के अंत तक देश में केवल तीन चिकित्सा महाविद्यालय (कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास) स्थापित किए। साथ ही अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य यूरोपीय व यूरेशियाई लोगों को इंजीनियरिंग की शिक्षा देना था।

प्रेस

भारत में प्रेस के विकास का इतिहास (History of Development of Press in India)

समाचार पत्रों का कार्य सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुँचाना तथा जनता की आवश्यकता और सरकार की नीतियों पर लोगों की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना है। इसी प्रकार विदेशी एवं देशी समाचार को लोगों तक पहुँचाना है।



16वीं सदी से 18वीं सदी तक (From 16th Century of till 18th Century)

आधुनिक भारत में समाचार पत्रों के विकास के इतिहास की पृष्ठभूमि 16वीं सदी के मध्य से तैयार हो रही थी, जब पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई। 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छपी। 1648 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय लगाया, लेकिन इसमें लगभग 100 वर्षों तक कोई समाचार पत्र नहीं छपा, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी चाहते थे कि उनके कुकृत्य तथा निजी व्यापार के समाचार लंदन तक नहीं पहुँचें।

- आगे चलकर 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रेस का व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ, जिसके तहत 1776 ई. में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार-पत्र का प्रकाशन किया गया, पर यह कुछ समय तक ही प्रकाशित हो पाया।
- ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ई. में 'द बंगाल गजट' नाम से अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्ष आलोचना के कारण उसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया।
- इसके पश्चात् 1784 में 'कलकत्ता गजट' 1785 में

‘बंगाल जनरल’ तथा ‘ओरियंटल मैगजीन’ आयी। 1786 में ‘कलकत्ता क्रॉनिकल’ इत्यादि अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ।

- 1784 में प्रकाशित ‘कलकत्ता गजट’ सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता की तरह था। इसके अतिरिक्त ‘बंबई गजट’, ‘हेराल्ड’ और मद्रास में ‘मद्रास गजट’, ‘मद्रास कैरियर’ आदि समाचार-पत्र प्रकाशित होने लगे।
- इन समाचार पत्रों की विशेषता यह थी कि ये एक-दूसरे के पूरक थे।
- दूसरे, अभी इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ नहीं हुई थी।
- तीसरे, विभिन्न समाचार-पत्र भिन्न-भिन्न दिन प्रकाशित होते थे।
- चौथे, उसके समाचार पत्र सप्ताहिक होते थे। इन समाचार पत्रों का क्षेत्र भी सीमित होता था और इनका क्षेत्र केवल कंपनी के अधिकारियों, व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था।
- अंग्रेजी समाचार पत्रों में भारतीय हितों के पोषण तथा संरक्षण का अभाव था, परंतु पाठकों के मनोरंजन का ध्यान अवश्य रखा जाता था जबकि इसके विपरीत भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पत्रों में भारतीयों के सार्वजनिक समस्याओं का उल्लेख किया जाता था।

19वीं शताब्दी में प्रेस का विकास (Development of Press in 19th Century)

गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ई. में ‘बंगाल गजट’ नाम से ही अंग्रेजी में पत्र निकाला जो किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया पहला समाचार पत्र था। मार्शमैन ने अप्रैल, 1818 में बंगाली में ‘दिग्दर्शन’ नामक मासिक पत्रिका निकाली और इसी वर्ष काशीसेन के संपादन में ‘समाचार दर्पण’ का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1818 में जेम्स बर्किंधम नामक अंग्रेज ने ‘कलकत्ता जर्नल’ (Calcutta Journal) में कंपनी सरकार की आलोचना की जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- बर्किंधम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसने प्रेस को जनता का प्रतिबिम्ब बताया और प्रेस का वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही दिया।
- प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जाँच-पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व की ओर प्रवृत्त किया। कंपनी ने उन्हें

1823 में इंग्लैंड वापस भेज दिया।

- 1826 में जुगल किशोर द्वारा हिंदी का प्रथम समाचार पत्र ‘उदन्त मार्तंड’ का प्रकाशन किया गया। क्रिस्टोफर दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों के प्रारंभिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई।
- राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अंग्रेजी में ‘ब्रह्मनिकल मैगजीन’, बंगला में ‘संवाद कौमुदी’ और फारसी में ‘मिरात-उल-अखबार’ निकाला।
- 19वीं शताब्दी में 1857 के पश्चात् समाचार पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गयी। एंग्लो इंडियनों द्वारा संपादित प्रमुख पत्र ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ 1838, 1875 में स्टेट्समैन, तथा इंग्लिशमैन कलकत्ता से, मद्रासमेल मद्रास से, पायनियर 1865 में इलाहाबाद से और लाहौर से 1876 से ‘सिविल एंड मिलिटरी गजट’ प्रकाशित होने लगे थे।
- इनमें इंग्लिशमैन सबसे रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। समय-समय पर यह पत्र आवश्यकतानुसार सरकार एवं कांग्रेस दोनों की आलोचना करते थे परंतु पायनियर सरकार समर्थक और भारतीयों का आलोचक था।
- विभिन्न समाचार-पत्र विभिन्न हितों तथा विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे।
- भारतीयों द्वारा इस दौरान अनेक समाचार-पत्रों और मैगजीन को प्रकाशित किया गया। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ‘सोम प्रकाश’ का बंगाली साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया। इसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था।
- सोमप्रकाश ने नील आंदोलन का जोरदार समर्थन किया था। 1861 में देवेन्द्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया। यह उत्तरी भारत का किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला एकमात्र समाचार पत्र था।
- 1868 में मोतीलाल द्वारा अंग्रेजी-बंगाली साप्ताहिक के रूप में ‘अमृत बाजार पत्रिका’ का संपादन शुरू किया जो 1891 से दैनिक समाचार-पत्र के रूप में प्रकाशित होने लगा।
- गौरतलब है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों-रात यह पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था।

- 1879 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजी में प्रकाशित 'बंगाली' पत्र को सफल बनाया। यह एक उदारवादी दृष्टिकोण का समाचार-पत्र था, जो राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन करता था।
- बंगाल से प्रकाशित होने वाले पत्रों में बंगवासी तथा संजीवनी प्रमुख पत्र थे। 1867 में बनारस से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'कविवचन सुधा' का प्रकाश किया। इसके अतिरिक्त मासिक पत्रिका 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का प्रकाशन 1872 में शुरू किया।
- 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट का 'हिंदी प्रदीप' प्रकाशित हुआ।
- राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तृत होने के साथ ही कांग्रेस में उग्र दल का उदय हो रहा था। इसका प्रभाव प्रेस के विकास एवं समाचार पत्रों पर पड़ना स्वभाविक है।
- बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में बंबई में अंग्रेजी में 'मराठा' और मराठी में 'केसरी' का प्रकाशन आरंभ किया।
- तिलक ने इन पत्रों में राष्ट्रीय भावना एवं उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने तथा जनता तक उसके विचारों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभायी।
- मद्रास से 1878 में अंग्रेजी में प्रकाशित 'हिन्दू' एक साप्ताहिक पत्र था जो 1881 से दैनिक में परिवर्तित हो गया।

20वीं शताब्दी में प्रेस का विकास (Development of Press in 20th Century)

20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ समाचार-पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। 1913 में फिरोजशाह मेहता ने 'बॉम्बे क्रॉनिकल' का प्रकाशन आरंभ किया। 'युगांतर' और 'वंदेमातरम्' के माध्यम से बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद फैलाने का काम अरविंद घोष और बारिंद्र घोष ने किया। एनी बेसेट ने मद्रास स्टैंडर्ड का नाम 'न्यू इंडिया' करके होमरूल का नारा जनता तक जोर-शोर से पहुँचाया। श्रीनिवास शास्त्री द्वारा 1918 में 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' का प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्र ने भारत की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए।

- महात्मा गाँधी न केवल कुशल एवं प्रभावशाली नेता थे वरन् प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने 'यंग इंडिया' तथा 'हरिजन' के माध्यम से न केवल अपने विचारों का प्रचार किया बल्कि सरकार को अपने विचारों तथा राजनैतिक कार्यक्रमों से अवगत

कराया और भारत की आम जनता को एक बड़े आंदोलन के लिए जागृत किया।

- गाँधीजी संपादकों को निर्भीकतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके इस प्रोत्साहन से देश के हर कोने से पत्र निकलना प्रारंभ हो गए।
- मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अंग्रेजी दैनिक 'इंडिपेंडेंस' का प्रकाशन शुरू किया। हिंदी समाचार-पत्र 'आज' की स्थापना शिवप्रसाद गुप्त ने की।
- 1922 में के.एम. पन्निकर ने अंग्रेजी दैनिक 'हिंदुस्तान टाइम्स' का प्रकाशन प्रारंभ किया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में साम्यवादी-समाजवादी विचार से संबंधित पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।
- इनमें 'न्यू स्पार्क' अंग्रेजी साप्ताहिक और मराठी, एम एन लोखांडे द्वारा सम्पादित 'दीनबंधु', एस.ए.डांगे द्वारा 'सोशलिस्ट' और शशिपाद बनर्जी द्वारा 'भारत श्रमजीवी' प्रमुख है।
- 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उर्दू पत्रकारिता का भी विकास हुआ। मौलाना अबुल कलाम ने 1912 में 'अल हिलाल' तथा 1913 में 'अल बिलाग' का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू किया।
- मोहम्मद अली ने कामरेड (अंग्रेजी में) तथा हमदर्द (उर्दू में) का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1913 में 'गदर' का प्रकाशन सैन-फ्रांसिस्को से प्रारंभ हुआ यह गदर पार्टी का मुखपत्र था।
- प्रारंभ में यह हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती तथा एक अंक पश्तो में प्रकाशित हुआ।
- बाद में, 1914 में पंजाबी में भी इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। विदेशों में रह रहे भारतीयों के मन में देश-प्रेम जगाने का श्रेय यदि गदर को दिया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
- 1935 तक चार समाचार एजेंसियों की स्थापना भी हो चुकी थी, इनमें- 'रायटर', 'एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया' (ए.पी. आई.), 'फ्री प्रेस न्यूज सर्विस' तथा यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया थी।

ब्रिटिश भारत में प्रेस पर प्रतिबंध (Ban on Press in British India)

ब्रिटिश सरकार द्वारा समाचार-पत्रों के विरुद्ध पास किए गए विभिन्न अधिनियमों तथा प्रेस द्वारा इन प्रतिबंधों के विरुद्ध संघर्ष के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख किए बिना समाचार-पत्रों का इतिहास अधूरा रह जाएगा।

- आरंभिक वर्षों में समाचार पत्रों-पत्रिकाओं का उद्देश्य यूरोपीय अथवा एंग्लो-इंडियन लोगों का मनोरंजन करना था। समाचार-पत्र प्रेस संबंधी कानून के अभाव में **ईस्ट इंडिया कंपनी** के अधिकारियों की दया पर निर्भर रहते थे।
- कंपनी के अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि वे समाचार-पत्र, जिसमें उनके कुकर्मों का उल्लेख होता था किसी प्रकार लंदन पहुँच जाएं। सरकार के विरुद्ध काम करने वाले पत्रकारों को वापस लंदन भेज दिया जाता था, लेकिन भारतीयों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता था।
- इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी सरकार ने विभिन्न प्रेस नियंत्रण अधिनियमों द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की।
- **प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799** के द्वारा **लॉर्ड वेलेजली** ने सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके द्वारा समाचार पत्र के संपादक, **मुद्रक** तथा **स्वामी का नाम** स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया था।
- प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले समाचार को पास कराने के लिए सरकारी सचिव को देना पड़ता था। 1807 में अधिनियम के तहत पुस्तकें, पत्रिकाएँ तथा पम्प्लेट भी आ गए थे।
- सचिव प्रेस प्रतिबंध के संदर्भ में **लॉर्ड हेस्टिंग्स** ने नियमावली को आसान बनाया और देश में प्रगतिशील और उदारवादी विचार लागू किए।
- **1818 में (प्री-सेंसर)** पूर्व-प्रवेक्षण को समाप्त कर दिया गया, परंतु सामान्य नियम बनाकर उन विषयों की चर्चा पर रोक लगा दी गयी, जिसके कारण सरकार के अधिकार एवं जनहित को किसी भी रूप में क्षति पहुंचने की आशंका हो।
- **1823 के अनुज्ञप्ति नियम (The Licensing Regulations of 1823)** द्वारा तत्कालिक कार्यवाहक **गवर्नर जनरल एडम्स** ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। बिना लाइसेंस प्रकाशन करने पर चार सौ रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था।

- मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसके कारण **राजा राममोहन राय** को अपनी पत्रिका **‘मिरात-उल-अखबार’** का प्रकाशन बंद करना पड़ गया था।
- **लॉर्ड विलियम बैटिक** ने समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति अपनायी। वह भारतीयों के साथ न्यायोचित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। **लॉर्ड मैकाले** भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थक था।
- मार्च, 1835 में बैटिक को अस्वस्थता के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। तत्पश्चात् 1823 के कुत्सित नियमों को रद्द करने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल **चार्ल्स मेटकॉफ (1835-36)** को जाता है। इसीलिए **चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का ‘मुक्तिदाता’ के रूप में जाना जाता है।**
- **1857 के विद्रोह** के परिणामस्वरूप आपात स्थिति से निपटने हेतु **लाइसेंसिंग अधिनियम-1857** बनाया गया। इसके तहत बिना **लाइसेंस मुद्रणालय** स्थापित नहीं किया जा सकता था। साथ ही, किसी भी पुस्तक या पत्र का प्रकाशन बीच में रोका जा सकता था। यह अधिनियम एक वर्ष के लिए लागू रहा।
- **1867 का पंजीकरण अधिनियम** का उद्देश्य मुद्रणालयों तथा समाचार पत्रों को नियमित करना था, उन पर रोक लगाना नहीं। इसके द्वारा मुद्रक, प्रकाशक तथा **मुद्रणालय** के स्थान का नाम प्रकाशित करना आवश्यक कर दिया।
- यदि पुस्तक प्रकाशित की जाती है तो एक प्रति सरकार को देनी पड़ती थी। बहावी आंदोलन के समय राजद्रोही लेखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा भारतीय **दंड संहिता (IPC) की धारा 124 में 124A**, जोड़ दी गयी, जिसके तहत राजद्रोहियों को आजीवन निर्वासन अथवा जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता था।
- बहुत समय तक प्रेस भारत में शक्तिशाली तत्व नहीं था। सरकार सामान्य रूप से प्रेस के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाए हुई थी। समाचार-पत्रों का वितरण केवल अंग्रेजों तथा कुछ भारतीयों तक ही सीमित था, परंतु **लिटन के काल** तक आते-आते यह स्थिति बदल गयी।
- इस समय मध्यम वर्ग सक्रिय हो गया था। पत्रकारों की संख्या में वृद्धि हुई। इन पत्रकारों ने अपने पत्रों के माध्यम से

जनता पर व्यापक प्रभाव डाला। भारतीय भाषाओं के पत्रों के बढ़ते प्रभाव तथा भारतीयों के असंतोष के बीच **लॉर्ड लिटन वायसराय** बने।

- भारतीय हितों की विरुद्ध कार्य करने के कारण इन पत्रों में लिटन की आलोचना की गई। इन्हीं परिस्थितियों में उसने 1878 में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम (**वर्नाकुलर प्रेस एक्ट**) पास किया।
- **वर्नाकुलर प्रेस एक्ट** का लक्ष्य समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को आघात पहुँचाना था। इसके साथ ही, इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, क्योंकि उस समय **अंग्रेजी समाचार पत्रों** की तुलना में **भाषाई समाचार पत्रों** का वितरण कहीं अधिक था।
- इस अधिनियम को मुँह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसमें देशी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्रों में विभेद किया गया था और तथाकथित अपराधी को अपील करने का अधिकार भी नहीं था।
- इसके अधीन 'सोमप्रकाश', 'भारत मिहिर', 'ढांका प्रकाश', 'सहचर' आदि अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।
- **अमृत बाजार पत्रिका** ने रातों-रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में बदल लिया। 1882 में **लॉर्ड रिपन** द्वारा 1878 के विवादास्पद अधिनियम को रद्द कर दिया गया।

20वीं शताब्दी में प्रेस पर प्रतिबंध (Ban on Press in 20th Century)

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। कांग्रेस के विभाजन तथा क्रांतिकारी घटनाओं में वृद्धि से सरकार का दमन चक्र भी बढ़ा। सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई भावनाओं तथा कटु आलोचनाओं को रोकने तथा राजनीति में उग्र दल के उदय एवं विकास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 1908 में **समाचार-पत्र अधिनियम** पास किया गया। इसमें यह प्रावधान था कि जिस समाचार-पत्र के प्रकाशन से **हिंसा एवं हत्या** की प्रेरणा मिले, ऐसे मुद्रणालयों तथा उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि कि 15 दिन के अंदर **उच्च न्यायालय** में अपील की जा सकती थी।

- **इंडियन प्रेस एक्ट-1910** के अधीन समाचार पत्र के प्रकाशक से कम से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 2000

रुपये की पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार था।

- पंजीकरण के साथ-साथ जमानत रद्द भी की जा सकती थी। प्रकाशक दोबारा पंजीकरण कराना चाहता हो तो उसे इस अधिनियम के तहत 10000 रुपये जमानत के रूप में देने पड़ेंगे, परंतु यदि समाचार-पत्र आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो सरकार उसका पंजीकरण रद्द करके उसके मुद्रणालय, **समाचार-पत्र, पुस्तक** की सभी प्रतियों को जब्त कर सकती थी।
- पीड़ित पक्ष दो महीने के अंदर विशेष न्यायाधिकरण (**स्पेशल ट्रिब्यूनल**) के पास अपील भेज सकता था। विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक आंदोलन तथा स्वतंत्र आलोचना पर रोक लगाने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया।
- 1921 में **सर तेज बहादुर सप्रू** की अध्यक्षता में नियुक्ति **प्रेस कमेटी** की सिफारिश के आधार पर 1908 तथा 1910 के अधिनियम से संबंधित नियमों को रद्द कर दिया गया।
- **इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931** द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी अधिनियम को पुनः लागू किया गया, जिसका उद्देश्य **महात्मा गाँधी** द्वारा आरंभ किए गए **सविनय अवज्ञा आंदोलन** को दबाना था।
- इसके तहत प्रांतीय सरकार को विशेष शक्तियों से लैस कर दिया गया। इसमें सरकार द्वारा शब्द, संकेत अथवा आकृति द्वारा हत्या या किसी अपराध के लिए प्रेरणा देने अथवा ऐसे किसी अपराध की प्रशंसा करने पर दंड दिया जा सकता था। इसी एक्ट का विस्तृत रूप 1932 में लागू **क्रिमिनल एमेंडमेंट** था।
- दूसरे विश्व युद्ध में भारत सुरक्षा नियमों के अधीन **प्री-सेंसरशिप** पुनः लागू कर दिया गया। **प्रेस इमरजेंसी एक्ट** तथा **ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट** को संशोधित कर दिया गया तथा कुछ समय तक तो कांग्रेस संबंधी समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित कर दिया गया।
- युद्ध के अंत में सरकार को प्राप्त हुई ये शक्तियां समाप्त कर दी गयीं। 1947 में समाचार-पत्र जांच समिति की स्थापना का उद्देश्य समाचार-पत्रों से संबंधित कानून की समीक्षा कर सुझाव पेश करना था।
- भारतीय प्रेस के प्रति सरकार के दृष्टिकोण तथा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय

प्रेस का इतिहास संघर्षों से पूर्ण है।

- प्रेस के विकास में अनेक कठिनाइयाँ आईं, परंतु विभिन्न अड़चनों के बावजूद समाचार-पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई और भारतीयों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करने में प्रेस को सफलता मिली।
- यह सफलता पत्रकारों के दृढ़ निश्चय के कारण संभव हुई थी। परिस्थितियाँ कठोर थीं परंतु उन्होंने अपने को अधिक दृढ़ सिद्ध किया।

भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिका एवं प्रभाव (Role & Effect of Press in Indian Nationalism)

राष्ट्रीय भावना के उदय एवं विकास में तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पहलू के विषय में चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक, प्रेस की भूमिका उल्लेखनीय रही है। प्रेस ने जनता को आवश्यक राजनीतिक शिक्षा दी। प्रेस के ही माध्यम से विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपने विचारों को आम लोगों तक फैलाने में सफलता प्राप्त की। सरकार की वास्तविक नीति को, उसकी दोहरी चालों को, उनके द्वारा भारतीयों के शोषण को सबके समक्ष रखने वाला तथा सरकार की कटु आलोचना को जनता तक पहुँचाने वाला माध्यम प्रेस ही था। विभिन्न नेताओं द्वारा प्रेस की स्थापना तथा समाचार-पत्रों का संपादन इसका सूचक है कि प्रेस को एक महत्त्वपूर्ण संस्था माना जाता था। जनता के बीच प्रेस की रचनात्मक भूमिका को समझते हुए उसे राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग बना लिया गया था। प्रेस ने सभी ज्वलंत समस्याओं को प्रभावशाली रूप से प्रकाशित किया। उस युग का मुख्य उद्देश्य जनजागरण था। इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रेस की भूमिका सक्रिय तथा उल्लेखनीय रही। हालांकि, विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को संमार्ग दिखाने और साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य सरल नहीं था।

- भारतीय समाचार-पत्रों ने लोगों को **राजनीतिक शिक्षा** देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। काफी समाचार-पत्र सरकार की तीखी आलोचना करने लगे थे।
- समाचार-पत्रों का यह रुख कांग्रेस की नीति से भिन्न था। इस समय कांग्रेस सरकार के प्रति **भक्ति-भावना** रखती थी तथा **नरम नीति** की हिमायती थी। कांग्रेस को एक सशक्त राजनीतिक संस्था बनाने में प्रेस की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी।

- पूरे वर्ष हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में कांग्रेस के अधिवेशनों में पेश किए गए प्रस्तावों तथा मांगों पर चर्चा होती रहती थी। इन मांगों को बार-बार दोहराकर सरकार तथा जनता को प्रेस प्रभावित करता रहता था। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार द्रुत गति से होने लगा था।
- अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध इस काल के प्रेस ने भी आवाज उठाई थी। समाज सुधार तथा समाज के उद्धार से सामाजिक दशा में उन्नति की आशा भी की गई थी तथा प्रेस विभिन्न सामाजिक समस्याओं के विषय पर पर्याप्त चर्चा किया करता था।
- उदाहरणार्थ, सामाजिक रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, अंधविश्वास तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर हिंदी **'प्रदीप'** में **बालकृष्ण भट्ट** का व्यंग्यात्मक लेख लिया जा सकता है।
- सरकार की विदेश नीति पर भी प्रेस में पर्याप्त चर्चा होती थी। भारतीयों द्वारा संपादित समाचार-पत्रों का जो दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन के प्रति था उसी से उनका सरकार की विदेश नीति के प्रति भी दृष्टिकोण प्रभावित हुआ था। बर्मा युद्ध, सरकार की **सिक्किम** तथा **तिब्बत** के प्रति नीति, **अफगानिस्तान** के साथ युद्ध, **तुर्की** के प्रति नीति, **दक्षिण अफ्रीका** की घटनाओं (**बोअर युद्ध**), **रूसी-जापानी युद्ध** का वर्णन तथा इन पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए सरकारी नीति की आलोचना खुले रूप में की जाती थी।
- **दक्षिण अफ्रीका में गाँधी** के प्रयासों का भी भारतीय प्रेस में उल्लेख किया गया था तथा अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र उठाने की सलाह दी गई थी। **बोअर युद्ध** में भारतीय प्रेस ने अत्यधिक रुचि दिखाई और अंग्रेजों के विरुद्ध **बोअर विजय** से भारतीय अत्यधिक प्रसन्न हुए थे।
- **बंगाली प्रेस** खासतौर पर इसमें खुश था। अंत में अंग्रेजों की **विजय** तथा **बोअरों की पराजय** पर भारतीय भाषाई समाचार पत्रों ने अपना दुःख व्यक्त किया। उनको भय था कि इस विजय के पश्चात् अंग्रेज भारत पर और अत्याचार करेंगे।
- बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के हर चरण को उसके प्रत्येक पहलू एवं राजनीतिक गतिविधियों को प्रेस ने प्रमुखता दी। देश के स्वतंत्रता-आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माण में प्रेस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका विस्तृत उल्लेख इस लेख से संभव नहीं है।
- राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाने, उसको विकसित करने,

जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं से अवगत कराने, सरकार की नीतियों की समीक्षा कर जनता को प्रभावित करने, जनमत के निर्माण तथा विभिन्न दलों के विचारों से भारतवासियों को परिचित कराने, देश के विभिन्न भागों में सामाजिक वर्गों के बीच व्यापक विचारों का आदान-प्रदान कराने, प्रादेशिक लोगों के मध्य एक मानसिक संबंध स्थापित कराने, राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों (राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि) को सफल बनाने, प्रादेशिक संस्कृतियों तथा साहित्य का विकास करने, विभिन्न कुरीतियों (जैसे जाति प्रथा, बाल-विवाह, छुआछूत) को दूर करने, जनतांत्रिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम से लोगों को अवगत कराने, संसार में होने वाली घटनाओं से भारतवासियों को परिचित कराने और उन पर अपनी विचारधारा निर्मित करने तथा जनता के विचारों से सरकार को अवगत कराने का महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य उस काल के प्रेस ने अत्यंत कुशलता तथा सफलता से पूरा किया था।

- **लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन** की योजना तथा बाद में बंगाल विभाजन (1905) ने भारतीय समाचार-पत्रों को नया जीवन दिया तथा सरकार की नीति की आलोचना का एक नया एवं महत्वपूर्ण मसाला तैयार कर दिया।
- सभी भारतीय समाचार-पत्रों में बंगाल विभाजन की योजना की कटु आलोचना की गई। फिर भी विरोध एवं लोकमत की उपेक्षा करते हुए **लॉर्ड कर्जन** ने बंगाल का विभाजन करके सरकार तथा समाचार-पत्रों को स्पष्ट तथा खुले संघर्ष का अवसर दिया।
- **कर्जन की नीति** की प्रायः सभी पत्रों ने तीव्र आलोचना की। उदाहरण के लिए 'केसरी' के माध्यम से तिलक ने और

'युगांतर' तथा 'वंदेमातरम' के माध्यम से घोष बंधुओं ने 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध किया तथा **स्वदेशी एवं बॉयकाट** का समर्थन करने का प्रयास किया।

- इसके अतिरिक्त नव-चेतना का लाभ उठाकर अंग्रेजी साप्ताहिक 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' के माध्यम से समाज-सुधार का प्रचार किया गया।
- **1911 में बंगाल विभाजन** को समाप्त कर दिया गया और पुनः बंगाल एक प्रांत बना। इस घटना से समाचार-पत्रों में आत्मविश्वास की भावना आई।
- भारतीय समाचार-पत्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे एक बड़ी सीमा तक जनमत का प्रतिनिधित्व करते थे।
- **प्रथम विश्व युद्ध** के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में **महात्मा गाँधी** के भाग लेने के परिणामस्वरूप आंदोलन में नई गति आई।
- आम लोगों ने इस आंदोलन में भाग लेना आरंभ किया। यह युग (1919-47) भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग था।
- इस समय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक आंदोलन एवं घटनाएँ घटी थीं। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में भारतीयों द्वारा संपादित पत्रों का योगदान बहुमूल्य रहा है। विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का।
- इन पत्रों के संपादक तथा आम जनता के मध्य भावनात्मक एकता एवं सहानुभूति थी। वे आम जनता की समस्याओं और भावनाओं को भली-भाँति समझते थे तथा उसका प्रतिनिधित्व करते थे।

भारत से प्रकाशित समाचार पत्र: एक नजर में

समाचार पत्र	संस्थापक / संपादक	वर्ष	स्थान	भाषा
टाइम्स ऑफ इण्डिया	रावर्ट नाइट	1861	बम्बई	अंग्रेजी
स्टेट्स मैन	रावर्ट नाइट	1878	कलकत्ता	अंग्रेजी
इंग्लिश मेल	रावर्ट नाइट	-	कलकत्ता	अंग्रेजी
मद्रास मेल	रावर्ट नाइट	-	मद्रास	अंग्रेजी
पायनियर	रावर्ट नाइट	1876	इलाहाबाद	अंग्रेजी
सिविल एण्ड मिलिटरी गजट	रावर्ट नाइट	1876	लाहौर	अंग्रेजी
अमृत बाजार पत्रिका	मोतीलाल घोष	1868	कलकत्ता	बंगला, अंग्रेजी
सोम प्रकाश	ईश्वरचंद विद्यासागर	1859	कलकत्ता	बंगला

बगवासी	जोगिन्दर नाथ बोस	1881	कलकत्ता	बंगला
द हिन्दू	वीर राघवाचारी, जी.एस. अय्यर	1878	मद्रास	अंग्रेजी
केसरी, मराठा	तिलक (प्रारम्भ में आगरकर के सहयोग से)	1881	बम्बई	मराठी, अंग्रेजी
नेटिव ओपिनियन	बी.एन. मांडलिक	1864	बम्बई	अंग्रेजी
बंगाली	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	1879	कलकत्ता	अंग्रेजी
भारत मित्र	बाल मुकुन्द गुप्त	-	कलकत्ता	हिन्दी
हिन्दोस्तान	मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र	-	कालाकांकर (उ.प्र.)	हिन्दी
बम्बई दर्पण	बाल शास्त्री	1832	बम्बई	मराठी
बस स्टैंडर्ड, कॉमन वील	एनी बेसेंट	1914	-	अंग्रेजी
कवि वचन सुधा	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	1867	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
हरिश्चन्द्र मैगजीन	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	1872	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड	सच्चिदानंद सिन्हा	1899	-	अंग्रेजी
ज्ञान प्रदायिनी	नवीन चंद्र राय	1866	-	हिन्दी
हिंदी प्रदीप	बालकृष्ण भट्ट	1877	उत्तर प्रदेश	हिन्दी
इंडियन रिव्यू	जी.ए. नटेसन	-	मद्रास	अंग्रेजी
मॉडर्न रिव्यू	रामानन्द चटर्जी	-	कलकत्ता	अंग्रेजी
यंग इण्डिया	महात्मा गांधी	8 अक्टूबर 1919	अहमदाबाद	अंग्रेजी
नव जीवन	महात्मा गांधी	7 अक्टूबर, 1919	अहमदाबाद	हिन्दी, गुजराती
हरिजन	महात्मा गांधी	11 फरवरी, 1933	पूना	हिन्दी, गुजराती
इंडिपेंडेंस	मोती लाल नेहरू	1919	-	अंग्रेजी
आज	शिव प्रसाद गुप्त	-	-	हिन्दी
हिन्दुस्तान टाइम्स	के.एम. पन्निकर	1920	दिल्ली	अंग्रेजी
नेशनल हेराल्ड	जवाहरलाल नेहरू	1938	दिल्ली	अंग्रेजी
उदन्त मार्तण्ड	जुगल किशोर	1826	कानपुर	हिन्दी (प्रथम)
द ट्रिब्यून	सर दयाल सिंह मजीठिया	1877	चंडीगढ़	अंग्रेजी
अल हिलाल	मौलाना अबुल कलाम आजाद	1912	कलकत्ता	उर्दू
अल बिलाग	मौलाना अबुल कलाम आजाद	1913	कलकत्ता	उर्दू
कामरेड	मोहम्मद अली	1911	-	अंग्रेजी
हमदर्द	मोहम्मद अली	1911	-	उर्दू
प्रताप	गणेश शंकर विद्यार्थी	1910	कानपुर	हिन्दी
गदर	गदर पार्टी	1913	सैन फ्रांसिस्को	अंग्रेजी, पंजाबी
हिन्दू पैट्रियाट	हरिश्चन्द्र मुखर्जी	1855	-	अंग्रेजी

समाचार एजेंसी	स्थापना वर्ष	समाचार एजेंसी	स्थापना वर्ष
रायटर	-	फ्री प्रेस न्यूज सर्विस यू.पी.आई. (युनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया)	1927
ए.पी.आई. (एसोसिएट प्रेस ऑफ इण्डिया)	1905	यू.पी.आई. (युनाइटेड प्रेस ऑफ इण्डिया)	1934-35

रेलवे (Railway)

ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए संचार माध्यमों पर विशेष बल दिया गया। इसी क्रम में रेलवे प्रणाली के विकास को भी महत्वपूर्ण माना गया, जिससे देश भर से **कच्चे माल को, बंदरगाह तक पहुंचाने और ब्रिटिश वस्तुओं का देश के प्रत्येक भाग में पहुंचाने में काफी तीव्रता आयी।**

- साथ ही, सैनिकों को भी अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए **रेलवे के विकास पर विशेष बल दिया गया।**
- **1849 ई. में भारत सचिव ने ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी तथा ग्रेट इंडिया कंपनी तथा ग्रेट इंडिया पेनसुलर रेलवे कंपनी के साथ पहले रेलवे कारखाने पर हस्ताक्षर किया गया।**
- भारतीय रेल के विकास को मुख्यतः पाँच चरणों में बांटा जा सकता है-
 1. प्राचीन गारंटी प्रणाली, 1849-69 ई.;
 2. राज्य निर्माण एवं स्वामित्व, 1869-82 ई.;
 3. विकसित गारंटी प्रणाली, 1882-1924 ई.;
 4. राष्ट्रीयकरण, 1924-48 ई. तथा
 5. एकीकरण एवं वर्गीकरण, 1948-52 ई.।

रेलवे का विकास

प्रथम चरण (1849-69 ई.)

प्रारंभ में, 1854 में, तीन प्रायोगिक रेल लाइनें डाली गयी।

- पूर्वी रेल, **कलकत्ता से रानीगंज** (120 मील),
- विशाल भारतीय प्रायद्वीपीय रेल, **बंबई से थाणे**(32 मील) तथा,
- मद्रास रेल, **मद्रास से अकोणम** (30 मील)।

लेकिन भारतीय रेल का निर्माण सही अर्थों में **1853 ई. में लॉर्ड डलहौजी** के मेमो के बाद हुआ। इस प्रक्रिया में तेजी **1857 के विद्रोह** के बाद आई, जब ब्रिटिश सरकार को तीव्र यातायात एवं संचार के साधनों की आवश्यकता महसूस हुई।

- इस दिशा में बड़े स्तर पर निजी पूँजी का निवेश नहीं हो रहा था। अतः कंपनी ने इसमें कंपनियों की पूँजी निवेश का फैसला किया, जिनकी पूँजी पर सरकार द्वारा **ब्याज की गारंटी** दी गयी।
- **1859 ई.** के अंत तक **5000 मील रेल लाइन** बिछाने के लिए इस प्रकार की आठ कंपनियों से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- इन परिस्थितियों में सरकार ने पूँजी की स्वीकृति दी तथा इस पर **5% ब्याज की गारंटी** दी। इस कार्य के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध करवाई गयी। इसके एवज में कंपनियों ने आय का अधिशेष सरकार के साथ बांटने का अधिकार दिया गया।
- 25 साल के बाद शर्तों के मुताबिक ये रेल लाइनें सरकार को बेची जानी थीं। इस बीच इसके कार्यों एवं खर्चों पर सरकार का नियंत्रण रहना था।
- इस व्यवस्था के दो अत्यंत विवादास्पद पहलू थे- पहला प्राइवेट कंपनियों का इन रेल लाइनों पर स्वामित्व तथा दूसरा इनकी पूँजी पर सरकार द्वारा एक न्यूनतम आय की गारंटी।

द्वितीय चरण (1869-82 ई.)

द्वितीय चरण में गृह एवं भारतीय सरकारों ने राज्य द्वारा निर्माण की योजना स्वीकार की। अपने **1869 ई.** के मेमो में **जॉन लॉरेंस** ने राज्य द्वारा रेलों का निर्माण तथा स्वामित्व पर बल दिया।

- हालांकि इस दिशा में प्रगति तीव्र नहीं थी। इस प्रकार **1869-91 ई.** के बीच सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल **3297 मील लाइन** और जोड़ी गई।
- लेकिन निर्माण एवं प्रशासन में **सरकारी एजेंसियां** कंपनियों से बेहतर सिद्ध हुई।
- प्राचीन गारंटी प्रणाली रेलों में सबसे पहले **1879 ई.** में, पूर्वी रेल को खरीदा गया। जहां तक नई लाइनों का प्रश्न है, **1869 ई.** के वर्षों बाद तक वादे पूरे नहीं किए जा सके।
- **1879 ई.** के अंत तक कई कंपनियों द्वारा **6128 मील रेल लाइन** बिछाई जा चुकी थी, जबकि राज्य द्वारा मात्र **2175 मील लाइन** बिछाई गई थी।

तृतीय चरण (1882-1924 ई.)

वर्तमान कंपनियों द्वारा आवश्यक रेलवे लाइन बिछाने के लिए आवश्यक पूंजी देने से इंकार करने के बाद केंद्रीय सरकार को अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करना पड़ा जिसका नुकसान प्रांतीय सरकारों को उठाना पड़ा। अतः एक विकसित गारंटी प्रणाली 1882-1924 ई. के बीच चलाई गई।

- **सरकारी एवं गैर सरकारी** दोनों एजेंसियों ने निर्माण का कार्य भार संभाला, सरकार ने केवल **सामरिक दृष्टि** से महत्वपूर्ण लाइनों या **सूखा राहत** कार्यों तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यों के लिए जरूरी लाइनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
- इसके अतिरिक्त **भारतीय राज्यों, जिला बोर्डों** तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों को अपने क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने तथा उसका संचालन करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- मार्च, 1923 तक भारत में रेल लाइनों की लंबाई **37,618 मील** थी जिसके **66%** से अधिक पर सरकार, सरकारी एजेंसियों तथा भारतीय राज्यों का स्वामित्व था, हालांकि अधिकतर रेलवे लाइनों की व्यवस्था **प्राइवेट कंपनियों** के हाथ में थी।
- सिर्फ **तीन मुख्य रेलवे** उत्तर पश्चिम, पूर्वी बंगाल तथा अवध एवं रोहिलखंड (रुहेलखंड) और दो छोटी लाइनें, (जोरहाट तथा अदन रेलवे), सरकार के सीधे नियंत्रण तथा व्यवस्था के अंतर्गत थी, बाकी कंपनियों के अधीन थी।
- सन् 1900 ई. में पहली बार रेलवे से कुछ मुनाफा हुआ। बाद के वर्षों में यह काफी तेजी से बढ़ा। सन् 1918-19 में रेलवे की कुल आमदनी **10 मिलियन पाँड** थी।
- रेलवे के संपूर्ण संगठन तथा कार्य की परीक्षा के लिए **1901 ई. में थॉमस रॉबर्टसन** को विशेष आयुक्त बनाया गया। उसने **1903 ई. में बड़े पैमाने पर परिवर्तन** की सिफारिश की तथा **एक रेलवे बोर्ड** बनाए जाने का सुझाव दिया, जिसका एक अध्यक्ष, **दो सदस्य** तथा **एक सचिव** होगा।
- औपचारिक तौर पर इस बोर्ड का गठन **मार्च, 1905 ई.** में किया गया तथा इसे सरकार का अधीनस्थ बनाया गया था।
- सन् 1907 में राज्य सचिव **जॉन मार्ले** ने रेलवे के वित्तीय तथा प्रशासनिक ढाँचे की जाँच पड़ताल के लिए **सर जेम्स मैके** के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।
- इसने महसूस किया कि **रेलवे बोर्ड** का गठन जिस उद्देश्य

से किया गया था, उसे यह ठीक से पूरा नहीं कर रहा है। बोर्ड तथा सरकार के बीच तनाव था तथा बोर्ड के गठन में ही गड़बड़ी थी।

- **रेलवे बोर्ड**, जिसका गठन **1901 ई.** में हुआ जिसे 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय औपचारिक रूप दिया गया। 1909 ई. में इसमें सुधार किया गया तथा फिर 1914 ई. में पुनर्सुधार किया गया।
- यह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। शुरू में इसके **अध्यक्ष** तथा **सदस्य रेलवे क्षेत्र** के अनुभव और ज्ञान वाले व्यक्ति थे।
- इसमें 1914 में पुनः सुधार किया गया जब वित्तीय एवं वाणिज्यिक अनुभव का एक व्यक्ति इसका सदस्य बनाया गया।
- यह स्थिति **1920 ई.** में बदल दी गयी जब यह फैसला किया गया कि सभी तीनों सदस्यों को रेलवे क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए।
- सन् **1921 ई.** के बाद, जब सरकार ने राज्यों के रेलवे पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया, इसने सभी अधिकार **रेलवे बोर्ड** को सौंप दिए।
- रेलवे की नीतियों, वित्त तथा प्रशासन के सभी प्रश्नों पर गौर करने के लिए **1920 ई.** में राज्य सचिव ने **सर विलियम एक्वर्थ** की अध्यक्षता में **ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी** की स्थापना की। इसे **एक्वर्थ कमेटी** के नाम से भी जाना जाता है, जिसके **10 सदस्य** थे तथा इनमें से तीन भारतीय थे— **बी. एस. श्रीनिवासन शास्त्री (राज्य परिषद के सदस्य)**, **सर राजेन्द्र नाथ मुखर्जी (कलकत्ता के उद्योगपति)** तथा **पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास (बंबई के उद्योगपति)**।
- समिति ने राज्य द्वारा व्यवस्था का सुझाव दिया तथा इस समिति के सुझाव ही बाद में **रेलवे विकास** का आधार बने।
- समिति के सुझावों में से एक था—रेलवे मुख्य आयुक्त की नियुक्ति। उसने **रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष** का स्थान लिया तथा वह रेलवे की नीतियों एवं तकनीकी पहलुओं के लिए अकेला जिम्मेदार था।
- रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की तरह वह अपने सहयोगियों द्वारा किसी मसले पर अलग-अलग नहीं किया जा सकता था। इस पद पर पहली नियुक्ति **1923 ई. में सी.डी.एम. हिंडले** की हुई।
- **एक्वर्थ समिति** ने रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग करने पर भी विचार किया। इसने सुझाव दिया कि पहले इसकी

जाँच रेलवे वित्त समिति तथा **केंद्रीय विधायी सभा** द्वारा की जानी चाहिए।

- बाद में दोनों ने इसे अलग किए जाने के पक्ष में फैसला लिया तथा 1924-25 ई. से रेलवे बजट सामान्य बजट से अलग कर दिया गया।

चौथा चरण (1924-48 ई.)

सन् 1932-33 में रेलवे संचालन के सभी पहलुओं की जांच के लिए **पी.ए. पोप** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

- इंजनों का व्यापक प्रयोग, गैर लाभकारी बोगियों को हटा देना, अलग-अलग रेलवे के स्रोतों को एक साथ जोड़ना, बिना टिकट यात्रा, आय बढ़ाने के तरीके आदि के सुझाव इस रिपोर्ट के मुख्य सुझाव थे।
- रेलवे की आय बढ़ाने तथा रेलवे वित्त को सुगठित करने के उद्देश्य से 1936 ई. में **सर रॉल्फ वेजवुड** के अधीन **इंडियन रेलवे इनक्वायरी कमेटी** का गठन किया गया।
- इसकी रिपोर्ट **जून, 1937 ई.** में **रेलवे बोर्ड** को दी गयी, जिसने इसके कुछ सुझावों को लागू करने का फैसला किया।
- अंततः सरकार ने 1947 ई. में **के.सी. नियोगी** की अध्यक्षता में एक **रेलवे इनक्वायरी कमेटी** का गठन किया।
- देश की तत्कालीन अस्त-व्यस्त तथा अनिश्चित स्थिति के कारण यह कमेटी जल्द ही समाप्त कर दी गयी।

पांचवा चरण (1948-52 ई.)

देश के विभाजन के कारण पश्चिम में उत्तर पश्चिम रेलवे के भाग तथा पूर्व में **बंगाल** और **असम रेलवे** पाकिस्तान में चले गए।

- जोधपुर रेलवे के सिंध खंड** के साथ पाकिस्तान को **6958 मील रेलवे लाइन** सौंप दी गयी।
- उत्तर-पश्चिम रेलवे का भारत में बचा हुआ भाग **पूर्वी पंजाब रेलवे** कहलाया।
- बंगाल-असम रेलवे** की बड़ी लाइन पूर्वी भारतीय रेलवे के साथ जोड़ दी गयी, जबकि इसकी छोटी लाइन अलग **असम रेलवे** कहलाई।

परिणाम

सकारात्मक परिणाम

रेलवे के विकास के परिणामस्वरूप भारत पहले की तुलना में

अब अधिक सुसंगठित राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा और प्रशासनिक दृष्टि से सेना एवं सामान्य प्रशासन की दक्षता में भी वृद्धि हुई तो सत्ता का भी **राजनीतिक एकीकरण** हुआ।

- एक-दूसरे से मिलने और विचारों के आदान-प्रदान से एक-दूसरे की भाषा **रहन-सहन रीति-रिवाज** एवं भावनाओं की समझ बढ़ी। इस तरह सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। फलतः **राष्ट्रीय चेतना के विकास** को बढ़ावा मिला।
- विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं की पहुंचने की सुविधा होने से वस्तुओं की कीमतों में पाए जाने वाले क्षेत्रीय अंतर भी कम हुए।
- यात्री परिवहन सुविधा बढ़ने से श्रम की गतिशीलता बढ़ी। फलतः रोजगार के अवसर बढ़े।

नकारात्मक परिणाम

- रेलवे भारत में **धन निकासी** का सशक्त माध्यम बना। लाभांश की **गारंटी** एवं **ब्याज** के भुगतान के कारण बड़ी मात्रा में **भारतीय पूंजी इंग्लैंड** गई।
- अतः भारत में पूंजी का अभाव हुआ। इससे भारत की निर्धनता बढ़ी।
- रेलवे ने भारत से कच्चे माल की निकासी को तीव्र किया और दूसरा भारत के क्षेत्रों में ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं पहुंचाकर, भारत के **हस्तशिल्प उद्योगों के पतन** में अर्थात् वि-औद्योगीकरण में भूमिका निभाई। इस तरह लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और कृषि पर बोझ बढ़ा।
- रेलमार्ग बनने से पहले भारत से **गेहूँ का निर्यात** नहीं होता था परंतु 1886 ई. तक **इंग्लैंड** की कुल गेहूँ की मांग का **33%** भारत ही पूरा करने लगा। इस दृष्टि से खाद्यान्न की निकासी हुई और **अकाल की स्थिति** पैदा हुई।
- रेलवे की **माल-भाड़ा दरें** भेदभाव मूलक रखी गई थी। वस्तुतः भारतीयों के लिए यह प्रतिकूल थी।

कुल मिलाकर रेलवे जिस गति से ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को पूरा किया और ब्रिटेन के आर्थिक-औद्योगिक लाभ को सुनिश्चित किया उसी गति से भारत से धन की निकासी हुई और भारत का निर्धनीकरण हुआ। इस तरह रेलवे से मिले लाभों की तुलना में भारतीयों का आर्थिक शोषण कहीं ज्यादा हुआ है।

धन की निकासी (Drain of Wealth)

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त सभी

व्यवस्थाओं के मूल में कंपनी की वाणिज्यवादी प्रकृति व्याप्त थी। धन की निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई।

- अन्य शब्दों में, वाणिज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत धन की निकासी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण किसी देश से **सोने, चाँदी** जैसी **कीमती धातुएँ** देश से बाहर चली जाएँ। माना यह जाता है कि प्लासी की लड़ाई से 50 वर्ष पहले तक ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए दो करोड़ रुपये की कीमती धातु लाई गई थी।
- ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के इस कदम की आलोचना की गई थी किंतु **कर्नाटक युद्धों** एवं **प्लासी** तथा **बक्सर के युद्धों** के पश्चात स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया।
- **बंगाल की दीवानी** ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होने के साथ कंपनी ने अपने निवेश की समस्या को सुलझा लिया।
- अब आंतरिक व्यापार से प्राप्त रकम, **बंगाल की लूट** से प्राप्त धन तथा **बंगाल की दीवानी** से प्राप्त धन के योग के एक भाग का निवेश भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए होने लगा।
- ऐसे में धन की निकासी की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। अन्य शब्दों में, भारत ने ब्रिटेन को जो निर्यात किया उसके बदले भारत को कोई आर्थिक, भौतिक अथवा वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
- इस प्रकार, **बंगाल की दीवानी** से प्राप्त राजस्व का एक भाग वस्तुओं के रूप में भारत से ब्रिटेन हस्तांतरित होता रहा। इसे ब्रिटेन के पक्ष में भारत से **धन का हस्तांतरण** कहा जा सकता है।
- यह प्रक्रिया **1813 ई.** तक चलती रहीं, किंतु **1813 ई.** के चार्टर के तहत कंपनी का राजस्व खाता तथा कंपनी का व्यापारिक खाता अलग-अलग हो गया। इस परिवर्तन के आधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि **18वीं सदी** के अंत में लगभग **4 मिलियन पाँड स्टर्लिंग रकम** भारत से ब्रिटेन की ओर हस्तांतरित हुई।
- इस प्रकार भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि **1813 ई.** तक **कंपनी की नीति** मुख्यतः वाणिज्यवादी उद्देश्य से परिचालित रही, जिसका बल इस बात पर रहा कि उपनिवेश **मातृदेश के हित** की दृष्टि से महत्व

रखते हैं।

- **1813 ई. के चार्टर के** तहत भारत का रास्ता **ब्रिटिश** वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तथा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है।
- स्थिति उस समय और भी चिंताजनक रही, जब **ब्रिटेन** तथा **यूरोप** में भी कंपनी के द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले तैयार माल को हतोत्साहित किया जाने लगा।
- परिणाम यह निकला कि अब कंपनी के समक्ष अपने **शेयर धारकों** को देने के लिए रकम की समस्या उत्पन्न हो गई।
- आरंभ में कंपनी ने **नील** और **कपास** का निर्यात कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, किंतु **भारतीय नील** और **कपास सस्ते श्रम** के कारण कम लागत में तैयार अमेरिकी उत्पादों के सामने नहीं टिक सके। अतः कई निर्यात एजेंसियों को घाटा उठाना पड़ा।
- यही कारण रहा कि कंपनी ने विकल्प के रूप में भारत में **अफीम के उत्पादन** पर बल दिया। फिर बड़ी मात्रा में **अफीम भारत से चीन को निर्यात** किया जाने लगा।
- अफीम का निर्यात चीनी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जितना **घातक** था उतना ही कंपनी के व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। **अफीम व्यापार** का विरोध किए जाने पर भी ब्रिटिश कंपनी ने **चीन** पर जबरन यह **घातक जहर** थोप दिया।
- **ब्रिटेन, भारत से चीन को अफीम** का निर्यात करता और बदले में वहाँ से **रेशम** और **चाय** की उगाही करता और मुनाफा कमाता।
- इस प्रकार, भारत से निर्यात तो जारी रहा किंतु बदले में उस अनुपात में आयात नहीं हो पाया।
- अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ **1858 ई.** के पश्चात भी यह समस्या बनी रही। 1858 ई. में भारत का प्रशासन **ब्रिटिश क्राउन (British Crown)** ने अपने हाथों में ले लिया। इस परिवर्तन के प्रावधानों के तहत भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद का सृजन किया गया।
- **भारत सचिव** तथा **उसकी परिषद** का खर्च भारतीय खाते में डाल दिया गया। **1857 ई. के विद्रोह** को दबाने में जो रकम खर्च हुई थी, उसे भी भारतीय खाते में डाला गया।
- इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय

- सरकार एक निश्चित रकम प्रतिवर्ष गृह-व्यय के रूप में ब्रिटेन भेजती थी।
- व्यय की इस रकम में कई मदें शामिल होती थीं, यथा- रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज, सरकारी कर्ज पर ब्याज, भारत के लिए ब्रिटेन में की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद, भारत से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन की रकम इत्यादि।
 - इस प्रकार गृह-व्यय की राशि की गणना धन की निकासी के रूप में की जाती थी।
 - उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी में धन के अपवाह में केवल गृह-व्यय ही शामिल नहीं था वरन् इसमें से बचाकर ब्रिटेन भेजा जाता था तथा निजी ब्रिटिश व्यापारियों का वह मुनाफा जो भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था शामिल था।
 - फिर जब सन् 1870 के दशक में ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए का अवमूल्यन हुआ तो इसके साथ ही निकासी किए गए धन की वास्तविक राशि में पहले की अपेक्षा और अधिक वृद्धि हो गई।
 - गृह-व्यय अधिक हो जाने के कारण इसकी राशि को पूरा करने के लिए भारत में निर्यात अधिशेष बरकरार रखा गया। गृह-व्यय की राशि अदा करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया गया।
 - उदाहरणार्थ, भारत सचिव लंदन में कौंसिल बिल जारी करता था तथा इस कौंसिल बिल के खरीददार वे व्यापारी होते थे जो भारतीय वस्तुओं के भावी खरीददार भी थे।
 - इस खरीद के बदले भारत सचिव को पौंड स्टर्लिंग प्राप्त होता जिससे वह गृह-व्यय की राशि की व्यवस्था करता था।
 - इसके बाद वे भारतीय खाते से रुपया निकालकर उसका उपयोग भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए करते।
 - इसके बाद भारत में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं, बल्कि भारत में व्यापार करने वाले निजी ब्रिटिश व्यापारी भी अपने लाभ को ब्रिटेन भेजने के लिए कौंसिल बिल की खरीददारी करते। लंदन में उन्हें इन कौंसिल बिलों के बदले में पौंड स्टर्लिंग प्राप्त हो जाता था।
 - गृह-व्यय के रूप में भारत द्वारा प्रतिवर्ष ब्रिटेन भेजी जाने वाली राशि के कारण भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में नहीं था।
 - यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि शेष विश्व के साथ व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में बना रहा। चूँकि निर्यात अधिशेष उस संपूर्ण रकम को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए उसकी पूर्ति हेतु भारत को अतिरिक्त राशि कर्ज के रूप में प्राप्त करनी होती थी।
 - फलतः भारत पर गृह-व्यय का अधिभार और भी बढ़ जाता। इस तरह, आर्थिक संबंधों को लेकर एक ऐसा जाल बनता जा रहा था जिसमें भारत ब्रिटेन के साथ बँधता जा रहा था।
 - दादाभाई नौरोजी व आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादी चिंतकों ने धन की निकासी की कटु आलोचना की और इसे उन्होंने भारत के दरिद्रीकरण का एक कारण माना।
 - दूसरी ओर, मारिसन जैसे ब्रिटिश पक्षधर विद्वान निकासी की स्थिति को अस्वीकार करते हैं। उनके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि गृह-व्यय की राशि बहुत अधिक नहीं थी और फिर यह रकम भारत के विकास के लिए जरूरी था।
 - उन्होंने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया कि अंग्रेजों ने भारत में अच्छी सरकार दी तथा यहाँ यातायात और संचार व्यवस्था एवं उद्योगों का विकास किया और फिर ब्रिटेन ने बहुत कम ब्याज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से एक बड़ी रकम भारत को उपलब्ध करवायी।
 - जहाँ तक राष्ट्रवादी चिंतकों की बात है तो उनका कहना है कि भारत को उस पूँजी की जरूरत ही नहीं थी जो अंग्रेजों ने उस समय उसे उपलब्ध कराई।
 - दूसरे, यदि भारत में स्वयं पूँजी का संचय हुआ होता तो फिर उसे कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती।
 - आगे धन की निकासी की व्याख्या करते हुए इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत उस लाभ से भी वंचित रहा गया जो उस रकम के निवेश से उसे प्राप्त होता।
 - साथ ही, धन के निकासी ने निवेश को अन्य तरीकों से भी प्रभावित किया।
 - उपर्युक्त विवेचन की समीक्षा करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रवादी आलोचना की भी कुछ अपनी सीमाएँ थीं।
 - उदाहरण के लिए- दादाभाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी चिंतकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत से जिस धन की निकासी हुई वह महज धन नहीं था, बल्कि पूँजी थी।

- दूसरे, उन्होंने भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों को भारत के आर्थिक दोहन के लिए उत्तरदायी माना।
- लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रवादी चिंतकों ने औपनिवेशिक अर्थतंत्र की क्रमबद्ध आलोचना कर ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को उजागर किया।
- अतः भावी जागरूकता की दृष्टि से उनका चिंतन सराहनीय माना जाना चाहिए।

अंग्रेजों की अकाल नीति (Famine Policy of Britishers)

भारत के संदर्भ में ब्रिटिश नीति एवं उसके प्रभाव की व्याख्या ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने एकदम अलग तरीके से की है।

- उनके अनुसार, ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था- सभी क्षेत्रों में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना। उनके विचार से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में सिंचाई परियोजनाओं का विकास हुआ तथा कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला जिससे कृषि का व्यापक प्रसार हुआ तथा अधिक से अधिक लोगों को अनाज मिलने लगा।
- लेकिन, सूक्ष्म मूल्यांकन करने पर ब्रिटिश विद्वानों के दावों की सीमा स्पष्ट हो जाती हैं वास्तव में, ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार 'श्वेतों के अधिभार सिद्धांत' (White Man's Burden Theory) का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे।
- परंतु, ध्यान से देखने पर यह ज्ञात होता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति का एक अपरिहार्य परिणाम था-दुर्भिक्ष अर्थात् अकाल।
- सन् 1765 ई. से लेकर 1855 ई. तक भारत में 12 बार अकाल पड़ा तथा उसे चार बार खाद्यान्न का भीषण अभाव झेलना पड़ा।
- सर्वप्रथम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत द्वैध-शासन (Diarchy) की स्थापना के साथ ही 1770 ई. के दशक में भीषण अकाल पड़ा।
- सन् 1784 ई. में उत्तरी भारत में फिर एक बार अकाल पड़ा तथा सन् 1792 ई. में मद्रास में भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई।
- यदि हम इस काल में अकाल के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो अकाल के बदलते हुए स्वरूप को रेखांकित करना बहुत ही सरल हो जाता है।
- स्पष्टतः ब्रिटिश शासन से पूर्व होने वाले अधिकतर अकालों के लिए प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) उत्तरदायी होती थी, परंतु सन् 1860 के बाद इसमें कुछ नये पहलू शामिल हो गए।
- इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि इस काल में पड़ने वाले अधिकतर अकालों एवं भुखमरी के लिए ब्रिटिश नीति ही उत्तरदायी थी।
- उदाहरण के लिए, इस काल में रोजगार के अवसर कम होने के कारण लोगों की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई तथा अनाजों को खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया।
- दूसरी ओर, इसी काल में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार भारत से अनाज के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही थी।
- किसानों की भुखमरी को बढ़ाने में कृषि के व्यावसायीकरण की भी बड़ी भूमिका थी। व्यावसायिक फसलों को अपनाने से मोटे अनाजों के उत्पादन को गहरा धक्का लगा जिससे भुखमरी और भी बढ़ती गई। ब्रिटिश क्राउन (British Crown) के अधीन रहकर भी भारत में अकाल एवं भुखमरी एक सामान्य-सी घटना रही।
- सन् 1866 ई. में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। तत्पश्चात 1868 ई. में उत्तर भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे राजपूताना एवं मध्य भारत भी प्रभावित हुआ।
- सन् 1876-78 में मद्रास, बॉम्बे, उत्तर भारत तथा पंजाब में भी एक बड़ा अकाल पड़ा। अतः 19वीं सदी में औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत एक अकाल नीति (Famine Policy) का निर्धारण किया गया।
- सर्वप्रथम उड़ीसा में अकाल के बाद कैम्पबेल के अधीन एक अकाल आयोग (Famine Commission) का गठन हुआ।
- उसके बाद 1880 ई. के दशक में अकाल संहिता (Famine Code) का निर्माण हुआ। फिर तो समय-समय पर अनेक अकाल आयोगों का गठन होता रहा।
- लॉर्ड कर्जन के समय में मैकडोनाल्ड आयोग का गठन किया गया। हालाँकि अकाल संहिता में यह प्रावधान था कि यदि तीन-चौथाई फसल नष्ट हो जाए तो भू-राजस्व की राशि माफ कर दी जाए, परंतु व्यवहारतः इसका क्रियान्वयन कठिन था तथा इस माँग को पूरा करवाने के लिए किसानों को एक बड़ा संघर्ष करना पड़ता था।

- उदाहरण के लिए, सन् 1896-97 ई. में दक्कन के मामले में पूना सार्वजनिक सभा ने हस्तक्षेप किया और फिर सन् 1918 में खेड़ा के मामले में महात्मा गांधी द्वारा हस्तक्षेप किया गया।
- उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा रैय्यतों (किसानों) की सुरक्षा के लिए भी कुछ अधिनियम बनाये गए।
- उदाहरण के लिए इस दौरान पश्चिमोत्तर प्रांत लगान अधिनियम, 1881 ई.; मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक, 1883; बंगाल एवं पंजाब के काश्तकारी कानून, 1885 ई. तथा अवध लगान अधिनियम, 1886 पारित हुए।
- बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि इन सुधार अधिनियमों का वास्तविक उद्देश्य किसानों का कल्याण करना कम, बल्कि राजनीतिक असंतोष की धार को कम करना अधिक था। साथ ही, उनका उद्देश्य किसानों में यह भ्रम फैलाना था कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम कर रही है।

अकाल नीति/आयोग

- **कर्नल बेयर्ड समिति (1860 ई.)**— कोई निश्चित कार्य नहीं।
 - **कैम्पवेल समिति (1860 ई.) प्रमुख सिफारिशें**— सरकार को राहत कार्य का भार स्वयंसेवी संस्थाओं पर न छोड़कर स्वयं भी करना चाहिए।
 - **स्ट्रेची आयोग (1880 ई.) सिफारिशें**—
 - अकाल की संभावना के पूर्व प्रभावी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना,
 - असमर्थ व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना,
 - लगान एवं अन्य करों में कमी हो,
 - अनाज एकत्र करने की व्यवस्था हो,
 - एक अकाल कोष बनें जिसमें प्रतिवर्ष एक करोड़ रूपए जमा हों।
 - **मैकडोनाल्ड आयोग (1899-1900 ई.)**—
 - सरकार अस्थायी जलप्रबंध (कुँआ आदि) की व्यवस्था करें।
 - कृषि स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई एवं परिवहन पर बल दें।
 - अकाल ग्रस्त क्षेत्र को एक 'अकाल आयुक्त' के नेतृत्व में रखा जाए।
- औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना**
(Nationalist Criticism of Colonial Economy)
- 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार अत्याधुनिक तकनीक एवं पूँजीवादी आर्थिक संगठन द्वारा देश का आधुनिकीकरण कर रही है। लेकिन 1860 के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार हुआ तथा ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का वास्तविक स्वरूप उनके सम्मुख अनावृत्त होने लगा।
- भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी समय साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया तथा लोगों के सामने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेज सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है, इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों में दादा भाई नौरोजी 'ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया' का नाम सबसे प्रमुख है।
 - सर्वप्रथम इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा अपनी पुस्तक 'पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त (द इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया), गोपाल कृष्ण गोखले जी सुब्रह्मण्यम अय्यर तथा पृथ्वीशचंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे।
 - इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैंड भेजा जाता है, और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों का रूप लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा करता है।
 - इसके अनुसार, भारतीय धन इंग्लैंड पहुंचकर वापस भारत आता है तथा पुनः उसे यहाँ पूँजी के रूप में लगा दिया जाता है। इस प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र बन चुका है।
 - इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध भारतीय बुद्धिजीवियों को संगठित करने

- का प्रयत्न किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी दासता से विमुक्त करने की मांग उठायी।
- इन्होंने सरकार से मांग की कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारतीय हितों के अनुरूप तय किया जाए, जिससे देश का **समग्र एवं आधुनिक ढंग** से विकास हो सके।
 - इन राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, **ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों** के कारण भारत **निर्धन से और निर्धन** बनता जा रहा है।
 - भारत की निर्धनता मानव निर्मित है तथा इसका स्पष्टीकरण करके इसे दूर किया जा सकता है। इस निर्धनता के कारण पूँजी का संचय एवं निर्माण नहीं हो रहा है तथा लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया है।
 - इस प्रकार, इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि उनकी समस्त आर्थिक समस्याएं उपनिवेशी शासन की देन है।
 - भारत के इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत के औद्योगिकीकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया।
 - तत्पश्चात् उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का औद्योगिकीकरण भारतीय धन पर ही आधारित है न कि ब्रिटेन के धन पर।
 - इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि **जो धन भारत से बाहर** जाता है, उसी धन को ब्रिटिश उद्योगपति पुनः यहाँ लगा देते हैं और उसी से मुनाफा कमाते हैं।
 - इस प्रकार भारत का जो तथाकथित औद्योगिकीकरण हो रहा है उसका आधार **भारतीय धन एवं संसाधन** ही है न कि विदेशी धन।
 - इस प्रक्रिया में भारत के धन पर निरंतर इंग्लैंड की पकड़ दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इन आलोचकों के अनुसार, भारत में विदेशी पूँजी निवेश के प्रभाव अत्यंत घातक हैं क्योंकि इससे **राजनीतिकरण** तथा **विदेशी निवेशकों** के हितों का पोषण होता है तथा **भारत में विदेशी शासन की निरंतरता** को गति मिलती है।
 - इन राष्ट्रवादी आलोचकों ने ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत में विदेशी व्यापार के **विकास एवं रेलवे** की स्थापना से देश की प्रगति हुई है।
 - उन्होंने तर्क दिया कि भारत का विदेशी व्यापार देश के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस व्यापार ने भारत को कृषिगत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बना दिया है।
 - इन आलोचकों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है न कि भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए, रेलवे के विकास से भारत की औद्योगिक जरूरतों में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है।
 - अंग्रेजों द्वारा **रेलवे के विकास** का उद्देश्य, भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में कच्चे माल का दोहन एवं विनिर्मित सामान को उन क्षेत्रों में पहुँचाने की अभिलाषा है।
 - इससे भी अधिक **इस्यात उद्योग** को बढ़ाने एवं **मशीनीकरण** करने का कार्य भी उपनिवेशी हितों को ध्यान में रखकर किया गया है।
 - **जी.बी. जोशी** ने तर्क दिया कि **रेलवे के विकास** को, ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा भारत के दिए गए अनुदान के रूप में देखा जाना चाहिए।
 - राष्ट्रवादी आलोचकों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अपनाई गई **एकमार्गी व्यापार नीतियां**, भारत के हस्तशिल्प उद्योग का सर्वनाश कर रही हैं तथा इससे अपरिपक्व, असमान एवं भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है।
 - वित्तीय क्षेत्र में दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि कर के अत्यधिक बोझ से गरीब दबा हुआ है तथा **ब्रिटिश पूँजीपति एवं नौकरशाह** मालामाल हो रहे हैं।
 - उन्होंने, भू-राजस्व में कमी करने, **नमक कर का उन्मूलन** करने, **उच्च मध्यवर्गीय** लोगों पर **आयकर** लगाने तथा इस वर्ग द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं पर उत्पाद कर आरोपित करने की मांग सरकार से की।
 - इन आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, जबकि **विकास एवं कल्याण** जैसे मुद्दे बिल्कुल उपेक्षित कर दिए गए हैं।
 - इन विद्वानों ने विदेशी पूँजी का अधिक दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया और यह स्पष्ट किया कि उपनिवेशी शासन जान-बूझकर देश को कम विकास की ओर

ले जा रहा है।

- राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार, उस समय देश से आर्थिक विकास निम्नानुसार था-
 - ♦ देश के कुल भू-राजस्व से अधिक।
 - ♦ कुल सरकारी राजस्व का आधा।
 - ♦ कुल बचत का एक तिहाई (वर्तमान समय के अनुसार यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8% था।)
- विकास का सिद्धांत जिसके अनुसार एक देश, दूसरे देश का धन अपने यहां ले जाता है, यह कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत कष्टकारी है क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिए यह उसके रोज के अनुभव की विषयवस्तु बन जाती है।
- इन राष्ट्रवादी विद्वानों द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष साम्राज्यवादी शासकों की वास्तविक **मंशा उजागर** हो गई तथा इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन, भारत के हित में है।
- इस प्रकार इस **मिथक की नैतिक अवधारणा** का पर्दाफाश हो गया। इस सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत निर्धन है क्योंकि यह उपनिवेशी हितों के अनुरूप शासित किया जा रहा है।
- इन विद्वानों का यह आंदोलन, अंग्रेजी शासन के लिए एक प्रकार की चुनौती तथा **राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल (1885-1905)** में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार था। यह काल **राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शैशवकाल** था।
- **19वीं शताब्दी** के अंत तक राष्ट्रवादियों ने यह मांग प्रारंभ कर दी थी कि उन्हें राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी तथा कुछ अन्य अधिकार दिए जाए।
- **20वीं शताब्दी** के प्रथम दशक में उन्होंने **इंग्लैंड या अन्य राष्ट्रों** की तरह स्वशासन की मांग कर दी। इन राष्ट्रवादियों में **दादाभाई नौरोजी अग्रणी** थे।

भारतीय उद्योगपति एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian Industrialists and Indian National Congress)

भारतीय पूंजीपति वर्ग और कांग्रेस

भारतीय पूंजीपति वर्ग विदेशी पूंजी की दमनकारी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जन्मा, लेकिन मुक्त आर्थिक वातावरण की अनुपस्थिति में यह वर्ग विकसित नहीं हो सका।

किन्तु प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश अधिकारी वर्ग संकट के दौर से गुजरा तो भारतीय पूंजीपति वर्ग ताकतवर हो गया और उसकी यह प्रगति द्वितीय विश्वयुद्ध तक जारी रही।

- **भारतीय पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन** की वाहक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफी नजदीकी संबंध रहा और अनेक पूंजीपतियों ने कांग्रेस के भीतर अच्छी खासी पहचान बना ली।
- जहां **जमना लाल बजाज, सेमुअलएंटो, लाला शंकर लाल** आदि ने सामान्य कांग्रेसियों की तरह यातनाएं सही वहीं **घनश्याम दास बिड़ला, अंबालाल साराभाई** जैसे पूंजीपतियों ने बाहर रहकर कांग्रेस को वित्तीय सहायता दी।
- इसके अलावा **ठाकुर दास** आदि पूंजीपति या तो तटस्थ रहे या आंदोलन विरोधी।
- वास्तव में एक सहयोगी के रूप में पूंजीपतियों की कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन में अहम् भूमिका रही।
- सरकार द्वारा संरक्षण की मांग टुकराए जाने पर उन्होंने **स्वदेशी का नारा** दिया जिससे भारतीय पूंजीपतियों को वह संरक्षण मिला जो विदेशी सरकार उन्हें नहीं दे सकी थी।
- **1900-14 ई.** के बीच **सूती कपड़े का उत्पादन** दो गुना हो गया।
- **1905-15 ई.** तक भारत में **पेट्रोलियम, मैंगनीज, अभ्रक, लौह इस्पात** एवं अन्य उद्योग स्थापित हो गए और **1914 ई.** में **विश्वयुद्ध** आरंभ होने से भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिला क्योंकि विदेशी उद्योग युद्ध में व्यस्त रहने के कारण भारतीय मंडी में सामान की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर सकते थे।
- **1915 ई.** के बाद, भारत में ब्रिटिश औद्योगिक पूंजी के बजाए वित्तीय पूंजी का शासन स्थापित हुआ और भारतीय पूंजीपतियों ने अपने शक्तिशाली दबाव समूह बनाए।
- **1914 से 1947 ई.** के काल में भारतीय पूंजीपति वर्ग का तेजी से आर्थिक विकास हुआ, जिससे न केवल वे शक्तिशाली बने बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा।
- भारत में यूरोपीय संहिता का प्रतिनिधित्व काफी संगठित ढंग से हो रहा था जिसे देखते हुए **जी.डी. बिड़ला** और **ठाकुरदास** के प्रयासों से भारतीय पूंजीपतियों ने औपनिवेशिक सत्ता के सामने अपनी मांग सफलतापूर्वक पेश करने हेतु **1927**

- ई. में भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ (फिक्की) का गठन किया, जिसमें देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व था शीघ्र ही भारतीय पूंजीपतियों ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया।
- यहां तक कि असमान उत्पादकता वाले देश के बीच व्यापार के बारे में विनिमय असंतुलन की बात भी उठाई गई और फिक्की के नेताओं ने महसूस किया कि उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए किन्तु पूंजीपति वर्ग ऐसे संघर्ष के पक्ष में था, जो संवैधानिक तरीकों पर आधारित हो।
- 1938 ई. से भारतीय पूंजीपतियों एवं कांग्रेस नेतृत्व के निर्णायक घटकों के बीच बेहतर समझदारी के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे।
- कांग्रेस मंत्रिमंडलों की स्वदेशी रुझान वाले भंडारों से खरीद करने की नीति से व्यापारियों को लाभ हो रहा था और पूंजीपतियों के साथ कांग्रेस के संबंध घनिष्ठ हो रहे थे।
- यह सही है कि कांग्रेस पूंजीपतियों और व्यापारियों से चंदा ले रही थी फिर भी इसके एवज में कांग्रेस ने कभी भी अपने सिद्धांतों से हटकर पूंजीपतियों से कोई समझौता नहीं किया।

निष्कर्ष

भारतीय पूंजीपति वर्ग समाजवाद विरोधी और बुर्जुआ तो था किन्तु साम्राज्यवाद का समर्थक नहीं था क्योंकि इससे आर्थिक हितों को खतरा था। इसी कारण से वह राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया और 1920 ई. के बाद उसने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई और अपने हितों को आम जनता के हितों के साथ जोड़कर देखा।

7

ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह (Revolt Against British Empire)

1857 का विद्रोह (Revolt of 1857)

1857 विद्रोह का कारण

19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख घटना 1857 ई. का विद्रोह (विप्लव) या क्रांति है। यह विद्रोह कंपनी की साम्राज्य विस्तार एवं आर्थिक शोषण की घृणित नीतियों के विरुद्ध जनता के दिलों में संचित असंतोष एवं विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का परिणाम था। भारतीयों का रोष विभिन्न स्थानों पर सैनिक विद्रोहों अथवा जन विद्रोहों के रूप में समय-समय पर दिखाई देता रहा, अंततः यह असंतोष एक **प्रचण्ड जन विद्रोह** के रूप में 1857 में फूट पड़ा। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस विद्रोह को 'सामंती असंतोष की अभिव्यक्ति' मात्र कहा है परन्तु वास्तव में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजों की नीतियों ने जिस असंतोष को जन्म दिया, उसी की अभिव्यक्ति 1857 ई. के विद्रोह के रूप में परिलक्षित हुई। विद्रोह का प्रारंभ सिपाही असंतोष के रूप में हुआ, किंतु शीघ्र ही विद्रोह का क्षेत्र अति व्यापक हो गया और इसमें भारत के लोगों की व्यापक भागीदारी हुई। 1857 ई. के विद्रोह में अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सैनिक कारणों ने सहयोग दिया। इस विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे-

राजनैतिक कारण (Political Causes)

ईस्ट-इंडिया कंपनी की देशी राज्यों को समाप्त करके उसका विलयन करने की नीति का विपरीत प्रभाव हुआ। कंपनी ने **प्लासी युद्ध** के बाद से ही अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया। परंतु **लॉर्ड वेलेजली** ने **सहायक संधि** और **लॉर्ड डलहौजी** ने **व्यपगत सिद्धांत** के माध्यम से विस्तारवादी नीति को अपनाया।

- **लॉर्ड वेलेजली** के अधीन सहायक संधि का मूल उद्देश्य, भारतीय रियासतों पर नियंत्रण तथा **शनैः-शनैः** उनके अस्तित्व

की समाप्ति पर आधारित था।

- इसी प्रकार **लॉर्ड डलहौजी** का 'व्यपगत का सिद्धांत' (**Doctrine of Lapse**) इसी उद्देश्य का विकसित स्वरूप था, जिसके द्वारा **दत्तक पुत्र लेने के अधिकार** को छीन कर **सतारा, जैतपुर, सम्भलपुर, बघाट, उदयपुर, झाँसी और नागपुर** आदि रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया।
- इसके अलावा अवध को प्रशासनिक कुप्रबंध के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। **लॉर्ड डलहौजी** ने **मुगल सम्राट की उपाधि** को खत्म करने का निश्चय किया तथा **बहादुर शाह के सबसे बड़े पुत्र जवानबख्त को युवराज** मानने से इंकार कर दिया।
- इसी प्रकार **पेशवा बाजीराव द्वितीय** के दत्तक पुत्र **नाना साहब की पेंशन** समाप्त कर दी गयी। **तंजौर** और **कर्नाटक** के नवाबों की उपाधियां भी समाप्त कर दी गयीं।
- **ब्रिटिश नीति पैक्स 'ब्रिटानिक'** के फलस्वरूप **पिण्डारी, ठग** तथा अन्य सैनिकों को भारतीय रियासतों की सेना से हटा लिया गया, जिससे इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया।

प्रशासनिक कारण (Administrative Causes)

देशी राज्यों के इस प्रकार विलय का लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ा। व्यापार तथा उद्योग में लगे हुए लोग, जो दरबारियों की जरूरतों को पूरा करते थे, बेरोजगार हो गए। **प्रतिभावान लेखक, कलाकार** आदि जो दरबार में आश्रय पाते थे, **रातों-रात असहाय** हो गए। साथ ही, इन राज्यों में भारी सैनिकों की संख्या जो अपनी जीविका के लिए इन पर निर्भर थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। थोड़े बहुत ही कंपनी के अधीन नौकरी पर रखे, लेकिन वे इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। इन परिस्थितियों में यहाँ लोग अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता तथा अपने **राजा को पुनः गद्दी** पर बैठाने के लिए लड़ रहे थे। इन राज्यों में लोगों को यह लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है इसलिए यहाँ विद्रोह ने अति गंभीर रूप धारण कर लिया।

- कंपनी सरकार की प्रशासकीय नीति भी असंतोष का कारण बनी। **गवर्नर जनरलों** द्वारा किए गए सुधार कार्य लुभावने

प्रतीत होने के बावजूद व्यावहारिक दृष्टि से कष्टप्रद थे।

- न्यायिक व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। इसमें धन और समय का अपव्यय होता था। इसी प्रकार, लगान-व्यवस्था भी असंतोषजनक व कष्टप्रद थी। **स्थाई बंदोबस्त, रैय्यतवाड़ी और महालवाड़ी** के रूप में भू-राजस्व प्रणाली में किए गए सुधार का उद्देश्य एवं परिणाम किसानों पर लगान का बोझ बढ़ाना था।
- इसके अलावा कंपनी सरकारी नौकरी देने में **भेदभाव की नीति** बरतती थी, साथ ही साथ भारतीय सरकारी सेवकों के साथ **घृणापूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार** किया जाता था। इन सभी कारणों की वजह से भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, जिससे **विद्रोह को बल** मिला।

आर्थिक कारण (Economic Causes)

कंपनी द्वारा भारतीयों का **आर्थिक शोषण** भी **विद्रोह का एक प्रमुख** कारण बना। भारत आते ही अंग्रेजों ने यहां **कुटीर उद्योगों को नष्ट** करना एवं **भारतीयों का शोषण करना** आरंभ कर दिया। अंग्रेजों की **‘मुक्त व्यापार नीति’** एवं इंग्लैंड में बने हुए वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने से **भारत का कुटीर वस्त्र-उद्योग** समाप्त हो गया। भारतीय व्यापार-वाणिज्य पर भी कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया।

- इस प्रकार अंग्रेज सरकार की आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव **भारत के कृषकों, कारीगरों, दस्तकारों एवं जमींदारों** पर पड़ा, उनकी अवस्था दयनीय हो गयी, अनेक **भूमिपति दरिद्र** बन गए। सिर्फ बम्बई में **‘ईनाम कमीशन’** द्वारा **20,000 जागीरें जप्त** कर ली गयीं।
- वस्तुतः भारत के आर्थिक शोषण ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया तथा उनमें असंतोष की भावना भर दी।

सामाजिक एवं धार्मिक कारण (Social and Religious Causes)

जातिभेद की भावना से प्रेरित अंग्रेज, भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। वे यहाँ के निवासियों को **बर्बर, कट्टर, निर्दयी और बेईमान** समझते थे।

- उनका विश्वास था कि भारतीयों को ईसाई बना कर उन्हें सभ्य बनाया जा सकता है। **भारतीयों को ईसाई बनाने के**

लिए पदोन्नति जैसा प्रलोभन दिया जाता था।

- ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएँ दी जाने लगीं। ईसाई मिशनरियाँ **हिन्दू देवी-देवताओं का उपहास** उड़ाती और **मूर्ति पूजा** को बुरा मानती थीं। इस धर्म परिवर्तन का जोरदार विरोध किया गया।
- **अंग्रेजों ने 1850** में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार धार्मिक परिवर्तन से **पुत्र अपने पिता की संपत्ति** से वंचित नहीं किया जा सकता था।
- इसका मुख्य उद्देश्य **ईसाई बनने वालों को लाभ** पहुंचाना था। भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा **सती एवं बाल विवाह** जैसी प्रथाओं का हटाया जाना, **1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून, रेलवे एवं तार** का विस्तार पश्चिमी शिक्षा का प्रसार आदि से भारतीय रूढ़िवादी समाज चिंतित हो उठा। वह कभी भी अपने रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता था।

सैनिक कारण (Military Causes)

1857 के विद्रोह का सूत्रपात सैनिकों ने किया था। सैनिकों में ब्रिटिश नीति के खिलाफ व्यापक रोष व्याप्त था। **बंगाल की सेना** में यह रोष काफी ज्यादा था।

- इस सेना के अधिकांश सिपाही **अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों** के उच्च जाति वर्ग से संबंधित थे।
- इसी कारण वे अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सैनिकों ने **जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट अधिनियम** के अंतर्गत **समुद्रपार सेवा** करने से मनाही कर दी थी।
- इसी प्रकार **1844** में **चार बंगाल रेजिमेंटों** ने अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलने पर सिंध में जाने से इंकार कर दिया था। इस स्थिति से निपटने के लिए **1856 में लॉर्ड कैनिंग** की सरकार ने **सेना भर्ती अधिनियम** पारित किया।
- इसके अनुसार सभी सैनिकों को जहाँ भी आवश्यकता होगी, वे वहीं कार्य करेंगे। यह अधिनियम बहुत ही अप्रिय सिद्ध हुआ, खास कर यह देखते हुए कि **1839-42 तक अफगानिस्तान में सेवा** कर रहे सैनिकों को भारतीय समाज ने **‘जात बाहर’** घोषित कर दिया था।
- इसी प्रकार **1854 में डाकघर अधिनियम** के पारित होने से सैनिकों की **निःशुल्क डाक सुविधा** समाप्त कर दी गयी।
- इसके अतिरिक्त भारतीय और यूरोपीय सैनिक का अनुपात दिन

प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। सैनिकों का वितरण भी दोषपूर्ण था।

- इन सब कारणों ने सैनिकों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति रोष भर दिया। वे अवसर की प्रतीक्षा में थे, जो **चर्बी वाले कारतूसों** ने उन्हें दे दिया।
- 1856 में **ब्राउनवैस बंदूक** की जगह **नई एनफील्ड रायफल** के प्रयोग का निर्णय लिया गया जिसमें लगे कारतूसों को मुंह से खींचकर लगाया जाता था। 1857 में **बंगाल सेना** में यह अफवाह फैल गयी कि **चर्बी वाले कारतूस** में **गाय और सूअर की चर्बी** लगी है।
- अतः सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया कि **चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग** उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया गया है।

अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना (Feeling of Mistrust towards the British)

अंग्रेजों से पहले **तुर्क एवं मुगल** भी भारत आए और यहीं के होकर रह गए। परंतु अंग्रेज ऐसा नहीं कर पाए। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत पर शासन करना और इसे **लूट-खसोट** कर धन कमाना था।

- उन्होंने भारतीय समाज से संपर्क कायम नहीं किया और अपने-आप को अलग वर्ग के रूप में बनाए रखा। इससे भारतीयों के मन में एक अविश्वास की भावना का संचार हुआ, जो **विद्रोह का कारण** बना।

विद्रोह का तात्कालिक कारण (Immediate Cause of Rebellion)

1857 ई. के विद्रोह के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पहले से ही मौजूद थीं, बस एक ऐसी घटना की जरूरत थी जो **चिंगारी का काम** करे। ऐसी ही परिस्थिति में कंपनी सरकार ने पुरानी **ब्राउन बैस बंदूक** की जगह **जनवरी, 1857 ई.** में **नई एनफील्ड राइफल** का प्रयोग आरम्भ किया। इस राइफल में जो कारतूस भरी जाती थी, उसे दांत से काटना पड़ता था। **बंगाल की सेना** में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में **गाय और सूअर की चर्बी** मिली हुई है। इससे **हिंदू-मुसलमान** सैनिकों में भयंकर रोष उत्पन्न हो गया। उनके मन में यह बात बैठ गयी कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हुई है।

- इस घटना ने 'उस आग को जलाया जिसके लिए लकड़ियाँ पहले से ही इकट्ठी हो चुकी थीं।' लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि कंपनी **औरंगजेब की भूमिका** में है और

सैनिकों को शिवाजी बनना ही पड़ेगा।

विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार (Beginning and Expansion of the Revolt)

29 मार्च, 1857 में **बैरकपुर** में ऐसे ही विद्रोह के दौरान एक सैनिक **मंगल पाण्डेय** ने अपने **एडजुडेंट की हत्या** कर दी।

- 34वीं **नेटिव इन्फैंट्री** तोड़ दी गयी और अपराधियों को दण्डित किया गया।
- 10 मई, 1857 को **मेरठ छावनी** के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। **मेरठ** का कमानदार अफसर **जनरल हेवित** के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, पर वह कुछ न कर सका। **दिल्ली में बारूदखाने** के प्रभावी अफसर **विलोबी** ने अपने को असहाय पाकर **बारूदखाने** को उड़ा दिया और **कर्नल फिनिस** मारा गया।
- इसके पश्चात् विद्रोहियों ने **बहादुर शाह जफर** को **हिंदुस्तान का बादशाह** घोषित कर दिया। विद्रोह शीघ्र ही समस्त उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। **लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार** के कुछ भाग, **झाँसी** एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में विद्रोह भड़क उठा।
- **नर्मदा नदी** के दक्षिणी भाग व्यवहारतः शांत रहे। अंग्रेजों ने 20 सितंबर, 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। **मुगल बादशाह को कैद** कर लिया और उनके **पुत्र और पौत्रों की हत्या** कर दी गई।
- इससे पहले लखनऊ में **बेगम हजरत महल** के नेतृत्व में 4 जून, 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो **मार्च, 1858** तक चलता रहा। कानपुर में **नाना साहब** ने अपने सहयोगी **तात्या टोपे** की सहायता से विद्रोह किया, जिसे **कैप्टेन वेले** ने दबा दिया।
- **नाना साहब नेपाल** चले गए। **तात्या टोपे** **झाँसी** पहुँचे, जहाँ उन्होंने **लक्ष्मीबाई** के साथ मिलकर **ग्वालियर** की ओर अभियान किया।
- जून, 1858 में **झाँसी की रानी वीरगति** को प्राप्त हुई। **तात्या टोपे** फिर बच निकले, उन्होंने मध्य भारत के जंगलों से **गोरिल्ला युद्ध** जारी रखा।
- अंततः धोखे से उन्हें पकड़ लिया गया और **फाँसी** दे दी गई। **बिहार के जगदीशपुर** से **कुंवर सिंह**, **बरेली** से **खान बहादुर खान** ने विद्रोह का नेतृत्व किया।
- इसी प्रकार **बनारस** और **इलाहाबाद** में भी विद्रोह का प्रसार

हुआ।

- उत्तर एवं मध्य भारत में जगह-जगह सिपाही विद्रोह के साथ-साथ नागरिक विद्रोह भी हुए। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, मजदूरों, छोटे जमींदारों, ग्रामीण जनता एवं निम्न वर्गीय जनता ने विद्रोह का समर्थन किया। आम जनता हथियार लेकर उठ खड़ी हुई।
- इस प्रकार सभी की भागीदारी से इसने जनविद्रोह का रूप ले लिया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, परंतु व्यापारी, शिक्षित वर्ग तथा भारतीय शासक वर्ग ने उनका समर्थन करने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया।

विद्रोह की असफलता के कारण (Causes of Failure of the Revolt)

1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। भारतीय सिपाहियों की संख्या यूरोपीय सिपाहियों से सात गुनी थी। यह विद्रोह इतना आकस्मिक हुआ कि सरकार हैरान रह गई। अवध तथा रूहेलखंड कुछ समय के लिए अंग्रेजों के हाथ से निकल गए। उत्तरी भारत में एक के बाद एक विद्रोह के परिणामस्वरूप विद्रोहियों की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। अंग्रेजों को जहां भारतीयों का समर्थन मिल भी रहा था, वे उनकी निष्ठा की ओर से पूर्णतः निश्चित नहीं हो पा रहे थे।

- नए-नए स्थानों पर विद्रोह होने से उनके साधनों पर दबाव भी बहुत अधिक बढ़ गया था। उनके लिए विभिन्न भागों से संपर्क बनाए रखना भी कठिन हो गया था, क्योंकि जगह-जगह लोग शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे।
- सारे संदर्भ को मद्दे नजर रखते हुए विद्रोहियों की असफलता तथा अंग्रेजों की सफलता के कारणों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

विद्रोह का सीमित स्वरूप (Limited form of Rebellion)

1857 का विद्रोह स्थानीय स्तर पर सीमित क्षेत्र में लड़ा गया। इस विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण इसका असंगठित एवं सीमित स्वरूप था। नर्मदा के दक्षिण के प्रदेश विद्रोह में शामिल नहीं हुए।

- उत्तर भारत में भी सिंध और राजस्थान शांत रहे। पंजाब को

जॉन लारेस ने नियंत्रण में रखा। बम्बई (कुछ को छोड़ कर) और मद्रास की सेनाएं दिल्ली एवं कलकत्ता की सेनाओं के विपरीत राजभक्त रहीं।

- पश्चिमी बिहार, अवध, रूहेलखंड, दिल्ली तथा नर्मदा एवं चम्बल के मध्य के प्रदेश ही सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- विद्रोह के पूर्व किसी भी प्रकार की योजना या संगठन का अभाव था। विद्रोह के दौरान संगठन बनाने की कोशिश अवश्य की गयी, परंतु ब्रिटिश प्रत्याक्रमण के सामने इन संगठनों को सुदृढ़ करना संभव नहीं हो सका।

सीमित साधन (Limited Resources)

ब्रिटिश साम्राज्य के साधन विद्रोहियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। इसके साथ-साथ अंग्रेजों के पास आधुनिकतम हथियार थे जो विद्रोहियों के पुराने परंपरागत हथियार जैसे- बंदूक, भालों एवं तलवारों से कहीं ज्यादा कारगर थे।

- अंग्रेजों ने विद्युत संचालित तार का प्रयोग भी बखूबी किया। इस कारण वे इस योग्य बन पाए कि देश के विभिन्न भागों से सूचना पा सकें तथा उसका विनिमय कर परिस्थिति के अनुसार अपनी कार्यपद्धति में परिवर्तन कर सकें।
- विद्युत तार व्यवस्था द्वारा कंपनी विद्रोहियों की गतिविधियों से अवगत रही। सूचनाओं के तुरंत प्राप्त होने पर सामूहिक योजना बनाई जाती और विद्रोह को दमन कर दिया जाता। अतः विद्युत तार ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
- इसकी प्रशंसा में यह कहा गया कि बिना इसके मुख्य सेनापति अपनी सेना की आधी शक्ति खो बैठेंगे। इसने तो सेनापति के दाहिने हाथ से भी अधिक सेवा की।
- अंग्रेजी साम्राज्य के विशाल साधनों तथा सामूहिक शक्ति की उच्चता की ओर देखें तो यह कहा जा सकता था कि यदि विद्रोही अंग्रेजों को समुद्र में अथवा तटीय प्रदेशों में भी खदेड़ देते तो भी वे भारत को अपनी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा जीत लेते।

स्पष्ट उद्देश्य का अभाव (Lack of Clear Purpose)

1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें राष्ट्रवाद के कुछ तत्व विद्यमान थे, जो विद्रोहियों को एक सूत्र में जोड़ती थी, वह थी विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा। लेकिन उनके पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न भविष्य का कोई साफ नक्शा।

- विद्रोहियों को उपनिवेशवाद के स्वरूप के बारे में जानकारी

नहीं थी। उनके पास प्रगतिशील कार्यक्रम, एकल उद्देश्य, राजनीतिक विचारधारा या भविष्य का समाज तथा अर्थव्यवस्था की संकल्पना का सर्वथा अभाव था।

- विद्रोही प्रगति के बजाय पिछड़े युग में प्रवेश करना चाहते थे, जिससे वह समाज के प्रगतिशील, मध्यम तथा शिक्षित वर्ग का समर्थन नहीं जुटा पाए।

योग्य नेतृत्व और संगठन का अभाव (Lack of Qualified Leadership and Organization)

1857 का विद्रोह बिना किसी पूर्व निश्चित योजना, संगठन और नेतृत्व के अभाव में विद्रोह अकस्मात् शुरू हो गया। विद्रोहियों में संगठन की भावना नहीं थी। योग्य नेतृत्व का भी अभाव था।

- 82 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर प्रशासनिक मामलों में कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था।
- झांसी की रानी, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ने कुशलता और वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विद्रोह को समन्वित करके नेतृत्व प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया।
- वास्तव में विद्रोह के दौरान कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया, जो इसका संचालन कर सके। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के पश्चात् यहाँ एक परिषद् का गठन अवश्य किया गया, परंतु उचित दिशा और साधन नहीं मिल पाए तथा धन, अनुभव और भविष्य की सरकार की रूपरेखा भी नहीं थी।
- दूसरी ओर लारेंस बंधु, निकोलसन, आउट्टम, हेवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य, प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेनापतियों के सामने विद्रोही नहीं टिक सके।

जनसमर्थन का अभाव (Lack of Public Support)

भारतीय समाज के उच्च एवं मध्यम शिक्षित वर्ग एवं धनी लोग इस विद्रोह से अलग रहे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह को समर्थन नहीं दिया क्योंकि उनके विचार से विद्रोह का स्वरूप पिछड़ा हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त यह वर्ग ऐसा मानता था कि देश को आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ाने में अंग्रेजी शासन का होना आवश्यक है। व्यापारी एवं बनिए भी विद्रोहियों के खिलाफ थे, साथ ही कृषकों की बहुसंख्या ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। बहुत से सामंत अपनी जमींदारी पर अधिकार करने के बाद क्रांति से अलग हो गए। परिणामस्वरूप, जनसमर्थन के अभाव में विद्रोह का सफल होना कठिन हो गया।

देशी राजाओं एवं सामंतों की अंग्रेजों के प्रति वफादारी (Loyalty of Native Kings and Feudal Lords to the British)

1857 ई. के विप्लव में अनेक महत्त्वपूर्ण एवं शक्तिशाली नरेशों एवं सामंतों ने विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। ये लोग न केवल विप्लव से अलग रहे, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने का प्रयास भी किया। सिंधिया एवं होल्कर की सेनाओं ने तो विद्रोहियों का साथ दिया परंतु ये दोनों नरेश कंपनी के प्रति वफादार बने रहे। ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के वजीर तथा भोपाल की बेगम तथा नेपाल का मंत्री जंगबहादुर ने विद्रोहियों के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया।

- यहां तक कि बहादुरशाह का निकटतम संबंधी इलाहीबख्श ने भी अंग्रेजों का साथ दिया।
- संकट के समय में कैनिंग ने कहा था, 'यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा'।
- कैनिंग ने बहुत ही बुद्धिमता से कार्य किया जब उसने भारतीय राजाओं से निश्चित प्रतिज्ञा कर समर्थन प्राप्त कर लिया। विद्रोह के पश्चात् उसने राजाओं को विशेष रूप से पुरस्कृत किया।

राष्ट्रीयता की भावना का अभाव (Lack of Nationality)

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था फिर भी इस असंतोष को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त नहीं हो सका था। इसे लोग असंतुष्ट राजाओं और जमींदारों का विद्रोहमात्र मान रहे थे। इसलिए, न तो संपूर्ण भारत में यह फैल सका और न ही इसे सबका समर्थन प्राप्त हो सका।

विद्रोह का प्रभाव (Impact of Revolt)

यद्यपि, 1857 ई. का विद्रोह विफल हो गया, फिर भी इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध की एक शानदार स्थानीय परंपरा कायम की तथा भावी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का कार्य किया। इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हुआ। यह विद्रोह एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन का द्योतक था। इसने भारतीय राजनीति, प्रशासन, सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय भावना को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस प्रभाव को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है।

- **मुगल शासन की समाप्ति (End of Mughal Rule)** – विद्रोह की विफलता का दुष्परिणाम मुगलों को भुगतना पड़ा। नाममात्र के शासक रहे बहादुरशाह के उत्तराधिकारियों की हत्या दिल्ली में अंग्रेज कप्तान हडसन ने कर दी। स्वयं बहादुरशाह को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार मुगल शासन का दुखद अंत हो गया।
- **कंपनी शासन का अंत (End of Company Governance)** – 1757 ई. 1857 ई. तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। लेकिन 1857 ई. के विद्रोह ने उसकी सत्ता का अंत कर दिया। विद्रोह से फैली अव्यवस्था और अंग्रेजी हितों की सुरक्षा खतरे में पड़ते हुए देखकर ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।
- **नवम्बर, 1858** में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने एक घोषण पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी। सरकार ने प्रशासन कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद् (Advisory Council) की नियुक्ति की गयी।
- इस प्रकार 1858 के घोषणा-पत्र द्वारा दोहरा नियंत्रण समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई।
- **गवर्नर जनरल कंपनी** का न होकर ब्रिटिश राज्य के वैयक्तिक प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन करने लगा। उसका अधिकार व्यापक एवं गौरवमय हो गया। उसकी सहायता के लिए भी भारत में एक कार्यकारिणी परिषद् का गठन किया गया। वस्तुतः भारतीय प्रशासन से संबद्ध सारी शक्तियां वायसराय के हाथों में केंद्रित कर दी गईं।
- ये सारे प्रशासनिक परिवर्तन औपचारिक मात्र थे। भारत के प्रति सरकारी नीतियों में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ। भारत का राजनीतिक और आर्थिक शोषण करना ही ब्रिटिश सरकार का भी मुख्य लक्ष्य बना रहा।
- इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत पर शासन अब इंग्लैंड से होने लगा। इंग्लैंड के उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों ने सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित कर अपने लाभ की योजनाएं बनवायीं।
- फलतः शासन अधिक अनुदार और प्रतिक्रियावादी बनता गया। इसका लाभ यह हुआ कि सरकारी नीतियों के प्रतिक्रियास्वरूप भारत में राष्ट्रीय भावना बलवती होने लगी।
- **जातिगत विभेद को बढ़ावा (Promoting Caste Discrimination)** – 1857 ई. के विद्रोह को अनेक अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने एक मुस्लिम विद्रोह का स्वरूप दिया था। अतः विद्रोह के पश्चात् सरकार ने भारतीयों की एकता को नष्ट करने के लिए तथा मुसलमानों को दंडित करने के उद्देश्य से काफी सख्त रवैया अपनाया। अनेक नवाबों व ताल्लुकेदारों तथा मुगलवंश के शहजादों को मृत्युदंड दिया गया। मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली गयी, जबकि हिंदुओं के प्रति अंग्रेजों का रवैया उतना सख्त नहीं था।
- परिणामस्वरूप, मुसलमानों ने हिंदुओं को अंग्रेजों का हिमायती समझा और अंग्रेजों के साथ उनका भी विरोध आरंभ कर दिया। 1857 के विद्रोह में हिन्दू-मुसलमानों ने एकजुट होकर भाग लिया था।
- अतः 1857 के पश्चात् अंग्रेज सरकार ने इस संबंध को अलग करने की नीति पर विशेष ध्यान दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति घृणा की नीति अपनाई, मुसलमानों का दमन करना और बड़े पैमाने पर उनकी जमीन जायदाद जब्त करना प्रारंभ कर दिया। इससे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला जो अंततः देश के विभाजन के रूप में सामने आया।
- **सामाजिक और आर्थिक प्रभाव (Social and Economic Impact)** – विद्रोह के परिणामस्वरूप भारत के सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव आया। इसने भारतीय सामाजिक एकता को समाप्त कर दिया।
- अंग्रेजी नीतियों के कारण सामंती एवं प्रतिक्रियावादी वर्ग सरकार के समर्थक बन गए और हिंदू-मुसलमानों का विभेद बढ़ गया। विद्रोह के बाद वर्ग-संघर्ष भी तीव्र हो गया।
- लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेजों का प्रभाव नष्ट करने के लिए उन्हें सामंतों एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों से निपटना होगा, जो भारत में अंग्रेजी हितों के संरक्षक थे।
- विद्रोह के कुछ आर्थिक परिणाम भी हुए। विद्रोह के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी। अतः सरकार ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए रेलवे का विस्तार, आय का उपयोग एवं सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की, जिनसे उत्पादन और वितरण प्रणाली को स्थायित्व प्रदान किया जा सके।
- इसके साथ-साथ भारत में औद्योगीकरण की वही प्रक्रिया

- अपनाई गई जो स्थानीय उद्योग-धंधे के लिए हानिकारक सिद्ध हुई।
- 1857 ई. के विद्रोह का आरंभ यद्यपि धार्मिक कारणों से हुआ परंतु उसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ।
 - **चर्बीयुक्त कारतूस** के प्रयोग को हिंदू और मुसलमान दोनों ने धर्म के विरुद्ध माना। इसी अफवाह ने **चिंगारी का काम** किया और पहले से मौजूद **आग ने ज्वाला** का रूप धारण कर लिया।
 - यह बात सही है कि विद्रोह की शुरुआत धर्मयुद्ध के रूप में हुई थी परंतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि विद्रोही विदेशी सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे।
 - यद्यपि इस मत को लेकर विद्वानों में आम सहमति नहीं है, फिर भी **बेंजामिन डिजरेली** तथा **विनायक दामोदर सावरकर** ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम ही बताया है।
 - विद्रोह के स्वरूप को लेकर आम सहमति भले ही न हो परंतु यह बात सुनिश्चित है कि **विद्रोही दिल्ली** में पूर्व व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अंतिम **सम्राट बहादुरशाह** को अपना प्रतिनिधित्व चुना।
 - यह बात अलग है कि परिस्थितियां न तो **मुगल सम्राट के पक्ष** में थीं और न ही विद्रोहियों के पक्ष में, इसलिए दिल्ली में प्रतिनिधि **नरेश बहादुरशाह स्वतंत्रता संग्राम** का उपयुक्त प्रतिनिधि साबित नहीं हुआ।
 - यह नीति 1870 तक स्पष्ट रूप से रही और आगे उलट दी गई तथा उच्च एवं मध्यवर्गीय मुसलमानों को **राष्ट्रवादी आंदोलन** के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई। मुस्लिमों के प्रति अपनाई गई यह नीति **‘बांटो और राज करो’** की नीति का अंग थी।
 - **नरेशों व सामंतों के प्रति नीति (Policy Towards Kings and Feudals)**– भारतीय रियासतों ने विद्रोह के तूफान को रोकने में **बांध का काम** किया था। अतः महारानी की घोषणा में **‘क्षेत्रीय सीमा विस्तार’** की नीति को समाप्त कर दिया गया।
 - इसके साथ-साथ स्थानीय राजाओं के साथ **ईस्ट इंडिया कंपनी** द्वारा की गयी **संधियों एवं पाबंदियों** को संपुष्ट किया गया।
 - स्थानीय राजाओं के अधिकारों, **प्रतिष्ठा एवं सम्मान** का आदर करने का वचन भी दिया गया। इस प्रकार उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की प्राचीर के रूप में बनाए रखने के सिद्धांत को अंग्रेजी साम्राज्य का एक मुख्य मूल तत्व बना लिया गया।
 - ब्रिटिश प्रजा जनों की **हत्या के दोषी** अपराधियों को छोड़ बाकी सभी अपराधियों को सामान्य राजकीय क्षमा प्रदान की गयी। जिन ताल्लुकदारों ने विद्रोह में बड़ी संख्या में भाग लिया था उनसे राजभक्ति को प्रण लेकर उनके जागीरदारों को वापस कर दिया गया।
 - इस प्रकार **1 नवंबर, 1858 को लॉर्ड कैनिंग** ने रानी के जिस घोषणा पत्र का ऐलान **इलाहाबाद के दरबार** में किया, उसे भारतीय जनता का महान अधिकार पत्र (**मैग्नाकार्ट**) माना गया।
 - **भारतीयों को सरकारी सेवा में स्थान (Indians Position in Government Service)**– 1858 की घोषणा में ऐलान किया गया कि, सभी **‘चाहे वे किसी भी नस्ल या धार्मिक विश्वास** को मानने वाले हों, निष्पक्षता के साथ सरकारी पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वे अपनी **शिक्षा क्षमता और ईमानदारी** के द्वारा उन पदों के कर्तव्यों को उचित रूप से निभाने के योग्य हों।’
 - इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप **1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम** बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष **लंदन में एक प्रतियोगिता परीक्षा** आयोजित करने का फैसला किया गया, जिससे लोक सेवा में भर्ती की जा सके।
 - इस महत्वपूर्ण कदम के बावजूद जो विस्तृत नियम इस परीक्षा के लिए बनाए गए, उनसे केवल अंग्रेजों को ही लाभ मिल सका तथा उनका वर्चस्व बना रहा।
 - **प्रेस के प्रति नीति (Policy towards the Press)**– 1857 के विद्रोह में देशी पत्र-पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। **लॉर्ड कैनिंग** ने यह स्वीकार भी किया कि **“मुझे संदेह है कि इस बात को लोग अच्छी तरह समझते हैं या जानते हैं कि नहीं भारतीयों के हृदय में प्रेस ने किस खतरनाक हद तक अंग्रेजी शासन के प्रति राजद्रोह का विष फैलाया।”**
 - उसका मानना था कि इस विद्रोह में देशी पत्रों ने आगे बढ़कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया।
अतः सरकार ने देशी पत्रों के प्रति दमन की नीति अपनाई। **1867 के पंजीकरण अधिनियम** के अंतर्गत प्रेस संबंधी स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई। तत्पश्चात् **लॉर्ड लिटन** ने **1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट** को लागू किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य **देशी समाचार**

पत्रों-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना था।

सेना का पुनर्गठन (Reorganization of Army)

इस विद्रोह में भारतीय सेना ने प्रमुख भूमिका निभाई थी वही इसके लिए उत्तरदायी थी। अतः इसका पुनर्गठन विभाजन और प्रतितोलन की नीति पर किया गया। 1861 की 'सेना सम्मिश्रण योजना' के द्वारा कंपनी की यूरोपीय सेना, सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी। 1858 में 'पील कमीशन' की सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या घटा दी गयी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गयी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़ा कर 65,000 कर दी गयी तथा भारतीय सेना की संख्या 2,38,000 से घटा कर 1,40,000 कर दी गयी। बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सेना का अनुपात 1:2 तथा बंबई एवं मद्रास में यह अनुपात 1:3 निश्चित किया गया।

- सेना के मुख्य पद यूरोपीयों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। सेना और तोपखाने के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को वंचित रखा गया। इसके अलावा सेना के संगठन में भी भेदभाव की नीति बरती गयी।
- भारतीयों को दो वर्गों सैनिक व गैर सैनिक में बांट दिया तथा जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर रेजीमेंटों का गठन किया गया। भारतीय सूबेदार से ऊंचा ओहदा प्राप्त नहीं कर सकते थे।
- इसके साथ-साथ अवध, बिहार, मध्य भारत के लोगों को सेना में कम स्थान दिया जाने लगा सिक्खों, गोरखों आदि को बढ़ावा दिया गया।

शासक एवं शासितों के बीच संपर्क बनाना (Formation of Relation between the Ruler and the rule)

विद्रोह के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि विद्रोह का एक मूल कारण शासकों और शासितों अर्थात् भारतीयों के बीच संपर्क का न होना था। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से 1861 में पास किए गए भारतीय परिषद अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि तीन भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाए। ये भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व तो नहीं करते थे, परंतु इस बात को स्वीकार किया जाना कि "भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए" एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था।

- अंत में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान दिया? इस प्रश्न का

उत्तर यह मिलता है कि इस विद्रोह का प्रभाव यह हुआ कि इससे पुराना सामंतवादी ढांचा कमजोर हुआ।

- इसके पश्चात् सभी कमजोरियों के बावजूद पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि भारतीयों ने भविष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया।
- दूसरे, एक अन्य प्रभाव यह था कि विद्रोह के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का व्यापक मार्ग अपनाकर विदेशी शासन से मुक्ति का प्रयास किया, लेकिन असफलता के पश्चात् हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया गया।
- तीसरे, विदेशी शक्ति को समाप्त करने के लिए लोगों ने जिस वीरता व बलिदान की भावना का परिचय दिया उसे भारतीय भूले नहीं, बल्कि सदा इनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे।

प्रशासनिक परिवर्तनों के उद्देश्य व परिणाम (Objectives and Consequences of Administrative Change)

धर्म के लिए संघर्ष के रूप में शुरूआत जिसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में और दिल्ली नरेश के प्रतिनिधित्व में पुरानी व्यवस्था स्थापित करने के संदर्भ की विवेचना करने पर वह परिलक्षित होता है कि 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का भली-भाँति एहसास हो चुका था कि एक सुसंगठित जन विद्रोह कभी भी ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है।

- इस विद्रोह में प्रशासन एवं जनता के मध्य संपर्क का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। साम्राज्यवादी सरकार को यह अनुभव हो गया कि शासन को जन सामान्य से संपर्क बनाए रखकर ही उसे प्रशासन से जोड़ा जा सकता है।
- इसके साथ ही उन्हें अहसास हुआ कि प्रशासन भारतीयों की सभ्यता, संस्कारों एवं रीति-रिवाजों से भली-भाँति अवगत होता है तो उसके लिए जनता का सहयोग अपरिहार्य है इससे प्रशासन को सुदृढ़ता तो मिलेगी ही, साथ ही 1857 जैसी घटनाओं को ज्यादा कुशलतापूर्वक हल करने में भी सहायता मिल सकेगी।
- 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक क्रांति उत्तरोत्तर सघन होती गयी तथा उसका तेजी से प्रसार हुआ। इस अवधि में

अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय देश नई औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरे तथा कच्चे माल, विनिर्मित सामान के लिए बाजार तथा पूंजी निवेश के लिए उपनिवेशों में इन औद्योगिक शक्तियों के मध्य प्रतियोगिता प्रारंभ हो गयी।

- तत्कालीन समय में विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य ये कारक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वित्त एवं विनिर्मित सामान के क्षेत्र में ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत हो गया।
- इस समय रेलवे में ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश हुआ तथा ब्रिटेन द्वारा भारत सरकार को ऋण के रूप में प्रचुर मात्रा में धन दिया गया। भारत में इस धन का निवेश मुख्यतया: चाय बागानों, कोयला खदानों, जूट मिलों, जहाजरानी, छोटे उद्योगों एवं बैंकिंग इत्यादि में किया गया।

इन सभी कारकों ने मिलकर भारत में उपनिवेशवाद का एक नया युग प्रारंभ किया। भारत में उपनिवेशी सरकार का मुख्य लक्ष्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ एवं सुरक्षित करना था, जिससे कि वह ब्रिटेन के आर्थिक तथा वाणिज्यिक हितों की रक्षा कर सके तथा विश्व के अन्य भागों में जब भी और जहां भी संभव हो इसका विस्तार कर सके।

- विभिन्न अंग्रेजी वायसरायों तथा गवर्नर-जनरलों यथा- लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन तथा अन्य सभी ने साम्राज्यवादी नियंत्रण तथा साम्राज्यादी विचारधारा को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसकी झलक इन प्रशासकों की नीतियों एवं वक्तव्यों से मिलती है।
- भारत में सरकारी ढांचे एवं सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव आधुनिक भारत में विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है।

विद्रोह का चरित्र या स्वरूप

(Nature or Character of the Revolt)

1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। ज्यादातर अंग्रेजी इतिहासकार इसे सैन्य विद्रोह की संज्ञा देते हैं, जिसे जनसाधारण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जनता की भूमिका पर अधिक बल दिया है।

- लॉरेंस, मालेन्स, ट्रेविलियान, होम्ज, सील, मुंशी जीवनलाल, मुइनुद्दीन, दुर्गादास बंदोपाध्याय तथा सर सैयद अहमद खाँ के अनुसार यह एक ऐसा सैन्य विद्रोह था, जिसे जन-साधारण का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ।

- सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के अनुसार यह विद्रोह पूर्णतया देशभक्तियुक्त स्वार्थरहित सैनिक विद्रोह था, जिसे न कोई स्थानीय नेतृत्व और न ही जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था।
- उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, यह विचार त्रुटिपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि विद्रोह को आरंभ करने का श्रेय सेना को जाता है, परंतु यह सेना तक सीमित नहीं था।
- सभी सेनाओं ने विद्रोह नहीं किया। देश के कुछ हिस्सों में यथा बिहार, अवध आदि में इसे जनता का सहयोग प्राप्त हुआ।
- 1858-59 के अभियोगों में सैनिकों के साथ-साथ असैनिक वर्ग भी दोषी पाए गए। इससे सिद्ध होता है कि असैनिक वर्ग ने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया था।
- एल. आर. रीज ने धर्मांधों का 'ईसाइयों' के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा है। यह कथन भी त्रुटिपूर्ण है। माना कि दोनों दलों ने अपनी-अपनी ज्यादातियों को छिपाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लिया, परंतु इससे किसी धर्म की जीत नहीं हुई।
- ईसाई जीत गए परंतु ईसाई धर्म नहीं जीता, इसी तरह हिन्दू और मुसलमान हार गए पर हिन्दू और मुस्लिम धर्म नहीं पराजित हुआ। ईसाई धर्म प्रचारकों को भी धर्म परिवर्तन कराने में विशेष सफलता नहीं मिली।
- ईसाई अंग्रेजों के साथ भारतीय धर्म के लोगों ने भी क्रांति के दमन में योगदान दिया।
- टी.आर.होम्स ने इसे बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध बताया है। यह विचारधारा जातिभेद के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यह सर्वविदित है कि अंग्रेजों के साथ-साथ भारतीयों ने भी ज्यादातियाँ कीं परंतु अंग्रेजों की तुलना में उनके द्वारा किए गए अपराध कहीं कम जघन्य तथा बर्बर थे।
- ऐसी बर्बरता करने वाले समाज को कदापि सभ्य नहीं कहा जा सकता है। अतः यह तर्क भी भ्रांतिपूर्ण है। सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिन्दू-मुस्लिम षडयंत्र का परिणाम बताया है कि उनके विचार में यह एक मुस्लिम षडयंत्र था, जिससे हिन्दू शिकायतों का लाभ उठाया गया।
- इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के नेता बेंजामिन डिजरेली ने इसे एक 'राष्ट्रीय विद्रोह' कहा है। उनके अनुसार यह विद्रोह एक आकस्मिक प्रेरणा नहीं था, अपितु एक सचेत संयोग का परिणाम था।

- वह एक सुनियोजित और सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम था। इसका कारण मात्र **चर्बी वाला कारतूस** नहीं था। ऐसे विद्रोह उचित एवं पर्याप्त कारणों के एकत्रित होने से होते हैं।
- **अशोक मेहता** ने भी अपनी पुस्तक 'द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। **विनायक सावरकर** ने भी इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इससे पहले के छोटे विद्रोह 1857 में होने वाले नाटक के पूर्वाभ्यास मात्र थे।
- **डॉ. एस.एन.सेन- डॉ. आर.सी. मजूमदार** विवाद इन दो आधुनिक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर अलग-अलग विचार प्रकट किए हैं।
- मतभेद के बावजूद दोनों विद्वान इस बात से सहमत हैं कि विद्रोह पूर्ण-योजना का परिणाम नहीं था और न ही इसके पीछे कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था।
- **नाना साहब** का **लखनऊ** जाना, **अजीमुल्ला खाँ** का **तुर्की** तथा **क्रीमिया** में **उमर पाशा** से मिलना या **चपातियों** और **कमल के फूलों** द्वारा संदेश प्रेषित करना, किसी निश्चित योजना को प्रमाणित नहीं करते हैं।
- दोनों विद्वान इस बात पर भी सहमत हैं कि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीयता भ्रूणावस्था में थी।
- **डा. सेन** के मुताबिक उस वक्त भारत का भौगोलिक कथन मात्र था। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि वे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं।
- अधिकांश नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। **बहादुर शाह** को नेतृत्व प्रदान करने पर विवश किया गया, **नाना साहब** विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों से बात करने को तैयार थे, यदि उनकी पेंशन स्वीकार कर ली जाती।
- **अवध के तालुकेदारों** ने अपने सामंतवादी अधिकार के लिए युद्ध किया न कि राष्ट्रीय हित के लिए। अधिकांश जगहों पर इन्हें **जनता का समर्थन** भी प्राप्त नहीं हुआ।
- **डॉ. आर.सी. मजूमदार** के अनुसार, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था।
- विद्रोह ने भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप धारण किया। **पंजाब** एवं **मध्य प्रदेश** में यह मात्र एक सैनिक विद्रोह था।
- **उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश** के कुछ भागों तथा **बिहार में सैनिक विद्रोह** के पश्चात् यह एक सर्वसाधारण विद्रोह हो गया।
- इसके अलावा कुछ स्थानों पर जनता ने विद्रोह के प्रति

सहानुभूति प्रकट की, पर इसमें शामिल नहीं हुई।

- **डॉ. मजूमदार** इस बात पर भी अधिक बल देते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले केवल सैनिक ही थे, जो अपनी शिकायतों के कारण लड़ रहे थे।
- उनमें **देशप्रेम** या **स्वतंत्रता** प्राप्त करने के उद्देश्य का अभाव था। **डॉ. मजूमदार** ने अंततः यह स्वीकार किया है कि इस विद्रोह के दूरगामी प्रभाव से राष्ट्रीयता का जन्म हुआ।
- इसके विपरीत **डॉ. सेन अमेरिकी** तथा **फ्रांसीसी क्रांति** का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम ही था, क्योंकि क्रांतियाँ प्रायः एक छोटे वर्ग का कार्य होती हैं, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होता भी है और नहीं भी होता है।
- उनका मानना है कि यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ तथा उसने शीघ्र ही स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया तथा विद्रोहियों का लक्ष्य विदेशी सरकार को समाप्त कर प्राचीन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था।
- **डॉ. मजूमदार** इससे सहमत नहीं हैं तथा उनका विचार है कि यह तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम **न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम** था।

भारत में जनजातीय विद्रोह (Tribal Revolts in India)

औपनिवेशिक शासन प्रणाली की विस्तारवादी नीति एवं समस्त साधनों द्वारा धन उपार्जन की नीति के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों में अतिक्रमण आरंभ किया। जिससे **जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रीतिरिवाज** में व्यापक परिवर्तन होने लगा। अंग्रेजी सरकार के कायदे-कानून, जिनसे जनजातीय समुदाय प्रायः मुक्त थे, कठोर रूप से लागू किए जाने लगे। समय पर राजस्व न देने के कारण उनकी भूमि बेदखल होने लगी। **बाढ़, सूखा, महामारी** की स्थिति में भी सरकार के **रुख में नरमी** नहीं दिखाई दी। परिणामस्वरूप आदिवासियों में धीरे-धीरे असंतोष की भावना व्याप्त हुआ।

- अंग्रेजी शासन के परिणामस्वरूप जनजातीय लोग बाह्य जगत के साथ सम्पर्क में आकर वृहद् परंपरा की ओर उन्मुख होने लगे और जनजातियों का संस्कृतिकरण आरंभ हुआ।
- यहाँ तक कि अनेकों जनजातीय समूह (**गोंड**) के सम्पर्क के परिणामस्वरूप हिन्दू जाति व्यवस्था में स्थान पाने के लिए

प्रयत्नशील होने लगी। परिणामतः इनमें से कुछ जनजातियाँ (गोंड) अपनी उच्च आर्थिक प्रस्थिति एवं जागरूकता के कारण हिन्दू जाति व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान पा सकी जबकि कुछ अन्य जनजातियों की स्थिति हिन्दू जाति व्यवस्था की अस्पृश्य परंपरा के अन्तर्गत स्थापित हो गई।

- इस तरह एक ओर जहाँ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के तहत जनजाति का जातिकरण हुआ वहीं ईसाई मिशनरियों ने उन्हें अनेकों प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया।
- इस तरह अनेक घटनाओं के एक साथ घटित होने के कारण उत्पन्न समस्याएँ, औपनिवेशिक शासन की विस्तारवादी नीति, स्थानीय साधनों के दोहन की प्रक्रिया, अनेक विधानों द्वारा जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध के परिणाम से जनजातियों में असंतोष व्याप्त होने लगा जो कि आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ।
- **आदिवासी समाज** की समस्याओं की ओर न तो तथाकथित **सभ्य समाज** और न ही सरकार का ध्यान गया। ईसाई मिशनरियाँ भी **सुधार एवं कल्याण** की आड़ में निहित स्वार्थ एवं धर्म परिवर्तन के लक्ष्य की प्राप्ति में ही अधिक संलग्न रहीं जो कि व्यापक जनान्दोलन का कारण बनीं।

वैसे तो आदिवासी आंदोलन देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में किसी न किसी अवधि में व्याप्त रहे लेकिन **के. एस. सिंह (ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया)** के अनुसार क्षेत्र की दृष्टि से इन्हें तीन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-

- पूर्वोत्तर क्षेत्र - **नागा, मिजो, खासी।**
- मध्य क्षेत्र - **मुण्डा, भील, गोंड।**
- दक्षिणी क्षेत्र - **रमोसी, रंपा** आदि।

विद्वानों का मानना है कि चाहे ईसाई मिशनरियों अथवा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अथवा शिक्षा के परिणामस्वरूप जागरूकता के कारण पूर्वोत्तर एवं मध्य क्षेत्र में जनजातीय आंदोलन व्यापक रूप से प्रकट हुए किन्तु दक्षिणी क्षेत्र प्रायः अछूता रहा। अन्य शब्दों में **पूर्वोत्तर क्षेत्र, छोटानागपुर क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान की भील जनजाति** आंदोलन का केन्द्र बिन्दु रही। आंदोलन के घटित होने के अनेक कारण थे।

जनजातीय विद्रोह के कारण (Causes of Tribal Revolts)

औपनिवेशिक शासन ने जनजातीय जनजीवन को व्यापक रूप

से प्रभावित किया। इन प्रभावों में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक-धार्मिक कारण प्रमुख रहे जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय आंदोलन शुरू हुआ।

- **आर्थिक तत्वों को जनजातीय** विद्रोहों के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। आदिवासियों का जंगलों पर परंपरागत अधिकार था और उनके जीवन में जंगलों का महत्वपूर्ण स्थान था।
- औपनिवेशिक शासन में वन नीति ने वनों को सरकारी सम्पत्ति घोषित कर दिया जिससे जनजातीय आदिवासियों को वन सामग्री के उपयोग का एकछत्र राज्य समाप्त हो गया।
- इसके अतिरिक्त भू-राजस्व के नए तरीके अर्थात् नगद भुगतान की पद्धति के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महाजनों की पकड़ मजबूत हुई और **जनजातीय भूमि से बेदखल** किए जाने लगे।
- **1793 ई०** में लागू की गयी स्थायी बन्दोबस्त व्यवस्था के कारण जनजातियों में आक्रोश था। इस व्यवस्था के कारण उन्हें पुश्तैनी जमीन से वेदखल होना पड़ा। जमींदार उनकी जमीन के मालिक बन बैठे।
- आबकारी नीति के अन्तर्गत करों की **वसूली, सूखा, बाढ़ एवं महामारी की स्थितियों** में भी लगान वसूला जाना, **नमक कर लगाना, 1827 में पोस्ता की जबरन खेती** की शुरुआत और **अफीम पर कर वसूली** आदि ऐसे अनेक आर्थिक कारण थे जिन्होंने जनजातियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया।
- **राजनैतिक-प्रशासनिक** कारण भी जनजातीय विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। अंग्रेजों ने अपने **सामरिक** और **राजस्व** आवश्यकताओं के कारण जनजातीय क्षेत्रों में सैनिक छावनियाँ, पुलिस थाने स्थापित किये और इन क्षेत्रों में कंपनी के कानून लागू कर दिये गए।
- इन नए कानून को स्वीकार करने के लिए आदिवासी समाज तैयार नहीं था। कंपनी के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का अत्याचार और शोषण बढ़ गया। इन सब कारणों ने जनजातियों को विद्रोही बना दिया।
- **सामाजिक और धार्मिक** कारण भी थे जिन्होंने जनजातीय समाज को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। **ब्रिटिश कंपनी** के कर्मचारी द्वारा आदिवासियों के सामाजिक-व्यवस्था और रीति-रिवाजों की आलोचना करना और उन्हें अंध-विश्वासी और मूर्ख कहना आदिवासी समाज को सहन नहीं हुआ।

- इसके अतिरिक्त सामाजिक कुरीतियों से संबद्ध कानून जनजातीय समाज अपने समाज के खिलाफ मानता था।
- जैसे ओडिसा की खोंड जनजाति ने इस कारण विद्रोह किया कि उनके समाज में प्रचलित नरबलि प्रथा को कंपनी शासन द्वारा रोकने का प्रयत्न किया गया।
- एक अन्य कारण ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों के क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार के क्रम में जनजातीय संस्कृति पर प्रहार रहा जिसके कारण मुंडा जनजाति ने विद्रोह किया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक शोषण, प्रशासनिक जटिलता और सामाजिक एवं धार्मिक असंतोष ने जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की।

प्रमुख जनजाति विद्रोह/आंदोलन (Major Tribal Revolts/Movements)

संथाल विद्रोह (Santhal Revolt)

- 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह था, जो 1855-56 ई. में प्रारंभ हुआ। संथाल जनजाति भागलपुर तथा राजमहल के बीच निवास करती थी। बाहरी लोगों के अन्याय तथा दमनपूर्ण व्यवहार से उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। संथालों ने 18वीं तथा 19वीं सदी के आरम्भ में राजमहल पहाड़ियों के जंगलों की स्वयं सफाई की थी परन्तु अब बाहरी मैदान के जमींदार तथा साहूकार उनकी जमीन छल-बल से हड़प रहे थे।
- इसके अलावा उन्हें अपनी ही जमीन का राजस्व देना पड़ रहा था जिसका भुगतान नहीं करने पर कठोर दंड दिया जा रहा था।
 - इन क्षेत्रों में रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ होने से भी वे आतंकित हुए थे क्योंकि अधिकांश संथालों से जबरन बेगारी कराई जा रही थी और जो मजदूरी दी जा रही थी वह बहुत कम थी।
 - 1854 तक आते-आते इन आदिवासियों का असंतोष चरम पर पहुँच गया। आदिवासियों के मुखिया ने बैठकों के माध्यम से विद्रोह की योजना बनाई। कोल विद्रोह से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न गाँवों में विद्रोह के संदेश भेजे गए।
 - 30 जून, 1855 को भगनीडीह में 400 आदिवासी गाँवों के करीब 6 हजार प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और सभा की। इसमें एक स्वर से निर्णय लिया गया कि बाहरी लोगों को भगाने,

- विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म कर सतयुग का राज, न्याय तथा धर्म पर अपना राज स्थापित करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए।
- संथालों को विश्वास था कि भगवान उनके साथ है। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सिद्धू तथा कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि यह देश अब साहबों का नहीं है अतः आजादी के लिए हथियार उठा लो। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे।
- इन नेताओं ने भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन का अंत निकट है और अंग्रेज तथा उनके समर्थक गंगा के उस पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे।
- बहुत जल्द ही सिद्धू तथा कान्हू ने करीब 60 हजार हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा कई हजार आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि जब नगाड़ा बजे तो हथियार उठा लेना।
- इन्होंने सर्वप्रथम निकटवर्ती शोषकों के विरुद्ध विद्रोह किया। परिणामतः दूरवर्ती शोषक भी इनकी चपेट में आ गए।
- साहूकारों को चेतावनी देकर इन्होंने कुछ दिन पश्चात् आक्रमण किया तथा उनके मकानों एवं कचहरियों को दस्तावेजों सहित जला दिया।
- यद्यपि वे दस्तावेजों को पढ़ नहीं सकते थे परन्तु इतना अवश्य जानते थे कि ये दस्तावेज ही उनकी गुलामी के कारण थे।
- संथालों ने मैदानी लोगों की खड़ी फसलों को जला दिया, रेल संबंधी कार्य को तहस-नहस कर दिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों एवं इंजीनियरों के बंगलों को नष्ट कर दिया।
- संथालों ने लगभग उन सभी चीजों पर हमला किया जो दिक्कू (बाहरी) और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे।
- ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के इस संगठित विद्रोह को दबाने के लिए सेना का सहारा लिया तथा मेजर जनरल के नेतृत्व में 10 सैन्य टुकड़ियों के माध्यम से आदिवासियों का भयंकर दमन किया।
- इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया तथा इनके नेताओं को पकड़ने के लिए इनाम रखे गए। 1855 में उनकी भूमि को नॉन रेग्युलेशन जिला घोषित कर दिया गया।
- इस विद्रोह में 15 हजार से अधिक संथाल मारे गए तथा इनके गांव के गांव उजाड़ दिए गए। अगस्त, 1855 में सिद्धू तथा

फरवरी, 1856 में कान्हु को फांसी दे दी गई।

- किन्तु संथालों का संघर्ष पूर्णतः व्यर्थ नहीं गया क्योंकि अतंतोगत्वा सरकार संथाल परगना नामक एक पृथक जिला स्थापित करने के लिए विवश हुई।

मुण्डा विद्रोह (Munda Revolt)

19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में 1899-1900 ई. का मुण्डा विद्रोह भी प्रमुख है। इसका नेतृत्व बिरसा मुण्डा द्वारा किया गया था। इस विद्रोह को उलगुलान अथवा महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। जागीरदारों के द्वारा खुटकट्टी अधिकारों का उल्लंघन, अनुर्वधित मजदूरी की समस्या एवं बेगारी आदि कुछ इस प्रकार के कारण थे जिन्होंने मुण्डा विद्रोह को जन्म दिया। प्रथमतः जनजातीय सरदारों ने इस शोषण की प्रक्रिया के विरुद्ध आपत्ति जताई।

- मुण्डा विद्रोह के संबंध में एक विशिष्ट बात यह है कि विद्रोह से पहले मुण्डाओं ने कष्टों के निवारण के लिए वैधानिक उपायों का सहारा लिया।
- इस संदर्भ में उन्होंने ईसाई मिशनरियों से भी सहायता पाने की कोशिश की और जब उनकी उम्मीदें टूट गईं तभी उन्होंने विद्रोह किया।
- जनजातीय विद्रोह की प्रक्रिया में ही इस आंदोलन में भी एक राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य से मसीहावादी दृष्टिकोण को जोड़ दिया गया।
- बिरसा मुण्डा द्वारा प्रारम्भ किया गया आंदोलन इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। बिरसा मुण्डा ने सोम मुण्डा को धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन की जिम्मेवारी दी। आंदोलन के इस चरण में बिरसा ने शोषण मुक्त समाज की स्थापना, मुण्डा समाज के अनुरूप एक नए धर्म की घोषणा, हिन्दू धर्म के आदर्शों एवं कर्मकाण्ड, शुद्धता तथा तपस्या का प्रचार, एकेश्वरवाद में विश्वास, भूत-प्रेत की पूजा पर रोक एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास भरने आदि पर बल दिया गया।
- इस आंदोलन में बिरसा ने सरकारी नियमों की अवहेलना, सरकारी कर्मचारियों की अवज्ञा, सशस्त्र विद्रोह की योजना, मालगुजारी पर रोक, जमीन पर रैय्यतों का कब्जा,

महारानी की सत्ता को चुनौती तथा मुण्डा की स्थापना जैसे कार्यक्रम रखे।

- बिरसा मुण्डा ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा मिशनरी स्कूलों से प्राप्त की थी। 1893-94 में उसने वन विभाग के एक अधिकारी के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। आगे उनका मसीहावादी दृष्टिकोण जनजातीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण तत्व हो गया। नया विश्व, महाप्रलय की उसकी भविष्यवाणी, जनजातीय लोगों के लिए उत्प्रेरक की तरह काम करने लगी।
- बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में यह विद्रोह संगठित रूप से 1898-99 में प्रारंभ हो गया और बिरसा ने ठेकेदारों की हत्या, जागीरदारों, राजा, हकीमों की हत्या का आह्वान किया।
- बिरसा को ईश्वरीय गुणों से समाहित माना गया। उसी के नेतृत्व में आदिवासियों का धर्मान्तरण ईसाई से वैष्णव धर्म में होने लगा। 1899 की पूर्व संध्या को बिरसा के अनुयायियों ने रांची तथा सिंहभूमि के जिलों के 6 पुलिस थानों में तीर चलाए एवं चर्चों को जलाने का प्रयास किया।
- जनवरी, 1900 में तो मुण्डाओं ने पुलिस को ही अपने तीर का निशाना बना लिया। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था टूट गई। किन्तु ब्रिटिश शासन जितने बड़े प्रतिरोधियों को पराजित करना इन जनजातीय लोगों के लिए संभव नहीं था।
- अंततः सैल रकाब पहाड़ी पर विद्रोहियों की पराजय हुई। इसके पश्चात् हिंसक विद्रोह को बलात् पूर्वक कुचल दिया गया। तीन सप्ताह पश्चात् बिरसा मुण्डा पकड़ा गया तथा शेष जीवन जेल में ही बिताने को मजबूर हुआ।
- हाँलाकि यह विद्रोह दबा दिया गया किन्तु बिरसा मुण्डा के महान नेतृत्व के कारण यह ऐतिहासिक बन गया। आने वाले युगों के लिए बिरसा मुण्डा एक आदर्श पुरुष हो गया।
- इस विद्रोह की सफलता इस बात में थी कि इसी के परिणामस्वरूप 1908 में छोटा नागपुर रैय्यतवाड़ी कानून पारित किया गया। जिसके आधार पर मुण्डा जनजाति बिहार के अन्य कृषकों से एक पीढ़ी पूर्व ही अपनी परंपरागत भूमि अधिकारों को पा गए।
- विभिन्न इतिहासकारों ने बिरसा मुण्डा को विभिन्न विचारधाराओं एवं कई बातों में परस्पर भिन्न विचाराधाराओं से प्रभावित माना है, उदाहरण के लिए पृथकतावाद, राष्ट्रवाद और

उग्रवामपंथ आदि किन्तु बिरसा के व्यक्तित्व में एक संपूर्ण राष्ट्रवादी परिकल्पना ही निरर्थक है क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रवादी भावना पूर्णतः विकसित नहीं हो पाई थी।

- किन्तु हम ऐसा कह सकते हैं कि **बिरसा मुण्डा** ने साम्राज्यवादी विरोध की वह परंपरा कायम की, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन गई।

ताना भगत आंदोलन (Tana Bhagat Movement)

वर्तमान झारखण्ड राज्य एवं उसके आसपास के क्षेत्र में **बिरसा आंदोलन** के बाद **ताना भगत आंदोलन (1914-1920)** सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन मुख्यतया **मुण्डा जनजाति** की **पड़ोसी जनजाति ओराँव** से संबंधित है और बहुआयामी एवं दूरगामी परिणामों का परिचायक रहा है।

- इस क्षेत्र की **ओराँव जनजाति** का अपना विशिष्ट धर्म, **देवकुल, पुरोहित व्यवस्था, त्योहार एवं अनुष्ठान पद्धति** है।
- यद्यपि **बिहार एवं झारखण्ड** में भगत शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो भूत साधना करते हैं तथा **इन्द्रजालिक क्रियाओं** और **जादू-मंत्र** में पारंगत होते हैं किन्तु **ओराँवों में भगत शब्द** का प्रयोग उन शुद्ध संस्कारों से युक्त व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो भागवत सम्प्रदाय के भक्त होते हैं।

ताना भगत आंदोलन का स्वरूप (Form of Tana Bhagat Movement)

इस आंदोलन का आरंभ समाज आंदोलन के रूप में हुआ आंदोलन के नेता **जतरा ओराँव** ने घोषित किया कि जनकल्याण के लिए **ओराँव लोगों के सर्वोच्च देवता** ने सपने में एक नए धर्म की स्थापना का आदेश दिया है।

- **जतरा भगत** के अनुसार प्राचीन धर्म एवं देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे आर्थिक एवं प्राकृतिक संकटों में **मनुष्य की रक्षा** करने में असमर्थ है।
- इस नए धर्म के लोग इसे भक्ति धर्म कहने लगे तथा बार-बार इनके **भजनों में 'ताना' शब्द का प्रयोग** होने के कारण इसे कालांतर में **ताना भगत आंदोलन** कहा जाने लगा।
- धीरे-धीरे **जतरा ओराँव** के अनुयाइयों की संख्या हजारों में पहुँच गयी और देखते देखते यह आंदोलन **राँची** एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में फैलता चला गया।

ताना भगत आंदोलन के कारण (Nature of Tana Bhagat Movement)

ताना भगत आंदोलन कई कारणों का संयुक्त परिणाम था किन्तु उसके प्रमुख कारण निम्न थे-

- गैर जनजातीय हस्तक्षेप के कारण **ओराँव जनजाति** की **स्वपहचान** की समस्या।
- आरंभ में समाज सुधार आंदोलन के रूप में यह आंदोलन शुरू हुआ आगे सरकारी दमन से उत्पन्न असंतोष के फलस्वरूप यह समाज सुधार कार्यक्रम सरकार विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया।
- पड़ोसी जातियों के संपर्क के कारण ओराँवों में संस्कृतिकरण की इच्छा का आविर्भाव हुआ।
- स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के संपर्क के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आंदोलन के नेताओं का झुकाव।
- पड़ोसी जनजातियों के बीच प्रतिष्ठा स्थापित करने एवं उनसे श्रेष्ठता का भाव रखने की प्रवृत्ति।

ताना भगत आंदोलन का प्रभाव (Effect of Tana Bhagat Movement)

ताना भगत आंदोलन का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः यह आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ किन्तु इसके प्रभाव **सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक** सभी पक्षों पर पड़ा। इस आंदोलन के प्रभावों को निम्न बिन्दुओं में समझा जा सकता है।

- ताना भगत आंदोलन के द्वारा **मांसाहार एवं शराब वृत्ति** पर रोक लगी जो कि जनजातीय समुदाय में व्यापक स्तर पर व्याप्त थी।
- **घुमक्कड़ पशु बलि** पर रोक लगाई गई। **भूतप्रेत, अंधविश्वासों, जादू** इत्यादि का प्रभाव कम हुआ।
- घुमक्कड़ जैसी संस्थाओं का विरोध हुआ तथा इसका प्रचलन कम हुआ।
- प्राचीन देवी देवताओं के विश्वास में कमी आई।
- संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला।
- नवजागरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ।
- **महगे त्योहारों** एवं संस्कारों पर काफी हद तक रोक लगाई गई।
- जमींदारों एवं अन्य बाहरी लोगों द्वारा जनजातियों के शोषण

पर रोक लगी।

- आगे चलकर यह आंदोलन गाँधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायक हुआ।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन इन्हें वापस मिल गई।

चुआर तथा हो विद्रोह (Chuar and Ho Revolt)

बंगाल के मिदनापुर जिले की आदिम जनजाति चुआर कंपनी के गलत नीतियों से परेशान थी। अकाल, बढ़े हुए भूमि कर तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण चुआर जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ढोल्का, बाराभूम दलभूम, कैलापाल के राजाओं ने मिलकर 1768 ई. में विद्रोह कर दिया और 18वीं शताब्दी के अंत तक यह प्रदेश अशांत रहा।

खासी विद्रोह (Khasi Revolt)

कम्पनी ने पूर्वोत्तर के जैन्तिया तथा गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लेने के पश्चात् ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिल्हट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना बनाई तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेज, बंगाली तथा अन्य लोग भेजे गए।

- अंग्रेजों के इस कार्य का राजा तीरत सिंह ने विरोध किया तथा गारो खाम्पटी तथा सिंध्यों लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया।
- शीघ्र ही इस आंदोलन में अंग्रेज विरोधी एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1833 ई. में इस विद्रोह को अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति द्वारा दबा दिया गया।

भील विद्रोह (Bhil Revolt)

भील भारत की आदिम जनजाति है जो पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1812-19 तक कम्पनी के कृषि संबंधी नियमों और नई सरकार के भय के कारण भीलों ने विद्रोह कर दिया।

- कम्पनी के अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि त्रयम्बकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भारी सैन्य बल का प्रयोग किया परन्तु भील भयभीत नहीं हुए वरन् भीलों की उत्तेजना और बढ़ गयी जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि अंग्रेज बर्मा में असफल हो गए हैं तब 1825 में सेवरन के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया।

- इसके पश्चात् यह विद्रोह समय-समय पर होता रहा जिससे यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन भी लोकप्रिय था।

कोल विद्रोह (Kol Revolt)

छोटा नागपुर के कोलों का विद्रोह उस समय हुआ जब उनकी भूमि उनके मुखिया मुण्डों से छीनकर बाहरी मुस्लिम और सिख कृषकों को दे दिया गया।

- बुद्धोभगत के नेतृत्व में यह विद्रोह इतना भयावह था कि 1831 ई. में कोलों ने लगभग 1000 विदेशी अथवा बाहर के लोगों को या तो जला दिया या उनकी हत्या कर दी।
- इस विद्रोह का विस्तार सिंहभूमि, हजारीबाग, रांची, पलामऊ तथा वीरभूमि के पश्चिम क्षेत्रों तक था।
- इस विद्रोह को अंग्रेजों ने एक दीर्घकालीन एवं विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात् ही खत्म किया।
- कोलों द्वारा 1829, 1839 तथा पुनः 1844-48 के मध्य विद्रोह किया गया। यह विद्रोह पश्चिमी तट के आस-पास हुआ।
- इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा उनके दुर्ग को तोड़ना था। अंग्रेजी शासन के कारण कोलों में बेकारी बढ़ गई थी जिस कारण उनमें असंतोष व्याप्त था। अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर कोलों द्वारा विद्रोह किया गया, परन्तु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया।

रमोसी विद्रोह (Ramosi Revolt)

रमोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जनजाति थी। ये भी अंग्रेजी शासन पद्धति और उनके प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 ई. में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आस-पास का प्रदेश लूट लिया।

- 1825-26 में पुनः विद्रोह हुआ जो 1829 ई. तक चलता रहा।
- सितम्बर, 1839 ई. में सतारा के राजा प्रताप सिंह को सिंहासन से हटाकर तथा देश से निकाल देने को लेकर समस्त प्रदेश में आक्रोश व्याप्त हो गया और 1840-41 तक यह विद्रोह भीषण रूप ले चुका था।
- नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर लिए तथा बादामी दुर्ग को जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया।
- इस प्रकार यह विद्रोह कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा तत्पश्चात्

भारी सैन्य शक्ति के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया।

रंपा विद्रोह (Rampa Revolt)

अतलूरी आलवी सीताराम राजू के नेतृत्व में अगस्त, 1922 से मई, 1924 के बीच उत्तरी गोदावरी क्षेत्र रंपा से एक जुझारू संघर्ष का प्रारंभ हुआ। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र था। विद्रोह का नायक राजू, आंध्र प्रदेश में लोक कथाओं का पात्र बन गया।

- यह आंदोलन विभिन्न तत्वों के संयोग से विकसित हुआ और **आदिम विद्रोह** आधुनिक राष्ट्रवाद से जुड़ गया। राजू ने अपने को 'बुलेट प्रूफ' होने का दावा किया, इसके साथ ही उसने 'कल्क अवतार' के भी अनिवार्य आगमन की घोषणा की।
- राजू ने गाँधीजी की प्रशंसा की, पर उसने हिंसा को भी अनिवार्य बताया। उसके नेतृत्व में आदिवासियों में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच अंतर करने की उल्लेखनीय प्रवृत्ति दिखाई दी।
- आदिवासियों की समस्याएँ-शिकायतें वही थीं, जो इस क्षेत्र में पहले भी कई आंदोलनों का कारण बनी थीं। **सूदखोरी, वन अधिकारों पर नियंत्रण, सरकारी कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों से बेगार करवाना** आदि असंतोष के मुख्य कारण थे।
- आंदोलन में **गुरिल्ला युद्ध** की कार्यनीति का सक्षमता से इस्तेमाल किया गया। इस आंदोलन का जनाधार भी व्यापक था।
- **मालाबार विशेष पुलिस और असम राइफल्स** ने दो साल में **15 लाख रुपए खर्च** करके आंदोलन का दमन किया।

जनजातीय विद्रोहों का स्वरूप (Nature of Tribal Revolts)

प्रायः सभी जनजातीय विद्रोह का स्वरूप **स्थानीय, हिंसक और उग्रवादी** दिखाई देता है। इन विद्रोहों का प्रभाव भी स्थानीय था तथा मुद्दे उसी से संबद्ध थे। ये विद्रोह अपने पुरातन मूल्यों एवं आदर्शों से प्रभावित थे और उन्हीं की पुनर्स्थापना करने के लिए किये गए थे। जनजातीय विद्रोहों में औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ का तत्व नहीं दिखायी देता और उनका विरोध तात्कालिक शक्तियों जैसे- **जमींदारी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका** आदि के विरुद्ध था। अगर विकल्प की बात की जाय तो इन विद्रोहों ने न ही किसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का कोई विकल्प प्रस्तुत किया और न ही किसी प्रगतिशील कार्यक्रम को प्रस्तुत कर पाया। विद्रोहों में अंधविश्वास को पर्याप्त स्थान प्राप्त था।

महत्व/परिणाम (Significance/Result)

जनजातीय विद्रोहों का महत्व इस बात में है कि इन्होंने परंपरागत और स्थानीय विद्रोहों की परंपरा की शुरुआत की। विद्रोहों का परिणाम यह रहा कि जनजातियों में **एकता और संगठनात्मक प्रवृत्ति** का विकास हुआ साथ ही उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष के अभिव्यक्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण है।

- इन विद्रोहों के परिणामस्वरूप इतिहास लेखन में '**सबाल्टर्न**' विचारधारा का विकास हुआ जिसके अंतर्गत नीचे से उभरते हुए इतिहास का अध्ययन किया जाता है।
- ये जनजातीय विद्रोह, जनविद्रोहों के एक मजबूत कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं जिनका सम्मिलित परिणाम एवं पराकाष्ठा **1857 के विद्रोह** के रूप में देख सकते हैं।

जनजातीय विद्रोहों की असफलता के कारण (Causes of Failure of Tribal Revolts)

जनजातीय विद्रोह कम्पनी शासन के अत्याचारों एवं उनकी नीतियों के विरुद्ध सशक्त होकर उभरे किन्तु वे प्रायः सफल नहीं हो सके। इसके अनेक कारण थे। प्रायः सभी आंदोलनों की शुरुआत बिना किसी पूर्व योजना के हुई और न ही सभी लोगों का इसमें सहयोग लिया गया।

- जनजातीय आंदोलन की असफलता का कारण यह भी था कि अधिकांश आंदोलनों में योग्य नेतृत्व का अभाव था।
- यद्यपि **सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुण्डा, तेजावत, सेवरन** जैसे सरदारों ने नेतृत्व प्रदान किया लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना के **प्रशिक्षित, योग्य अधिकारियों की तुलना** में ये कही भी नहीं दिखायी देते।
- अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीकों से इन सभी विद्रोहों को दबा दिया। एक और महत्वपूर्ण कारण था जो विद्रोहों को सफल नहीं बना सका वह युद्ध के तरीकों और उनमें प्रयोग किए जाने वाले हथियार।
- दरसल जनजातीय आंदोलनों में परंपरागत **तीर-कमान** का प्रयोग किया जाता था जो अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के आगे नहीं टिक सके।
- इस प्रकार सभी कारणों ने मिलकर जनजातीय आंदोलन की असफलता में अपना योगदान दिया।

किसान आंदोलन/विद्रोह (Peasant Movement/Revolt)

अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में किए गए व्यापक परिवर्तन ने भारतीय कृषि को वृहत स्तर पर प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप यह कृषक समुदाय निर्धनता के श्राप से ग्रसित हो गया। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के निम्न प्रमुख कारण थे-

- उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ।
- भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव।
- नई भू-राजस्व व्यवस्था।
- उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था।

ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को लगान की ऊँची दरों, अवैध करों, भेदभावपूर्ण बेदखली एवं जमींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त कर दिया था। रैय्यतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किसानों पर भारी कर आरोपित किया गया।

- इन विभिन्न कठिनाइयों ने किसानों को अपनी जीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से ऋण लेने पर मजबूर कर दिया। महाजन अत्यंत ऊँची दरों पर ऋण देकर उन्हें ऋण के जाल में फँसा लेते थे। फलतः कृषक धीरे-धीरे गरीबी का दंश झेलने व मजदूरी करने को विवश हो गए।
- इन कारणों से कई कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया, कृषि भूमि रिक्त पड़ी रहने लगी तथा कृषि उत्पादन कम होने लगा। किसानों ने अपने अत्याचारों का विरोध भी किया तथा शीघ्र ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मुख्य शत्रु उपनिवेशवादी शासन है।

किसान विद्रोह के कारण (Causes of Peasant Revolt)

किसान विद्रोह नागरिक विद्रोहों की अपेक्षा व्यापक स्वरूप लिए हुए था। औपनिवेशिक काल में सरकार की आर्थिक नीतियों एवं नई भू-राजस्व व्यवस्था का सर्वाधिक भयंकर दुष्परिणाम अगर किसी वर्ग पर पड़ा तो वह किसान वर्ग था।

- इस काल में किसानों को कम्पनी और जमींदार दोनों के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था।
- कम्पनी शासन की समाप्ति के पश्चात् भी स्थितियों में बहुत सुधार नहीं हुआ। गरीबी और शोषण से पीड़ित किसानों ने


अनेक बार विद्रोह किए।

- ये विद्रोह लगभग सारे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक दिखाई देते हैं।
- अनेक कारण थे जिससे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किसानों का विद्रोह हुआ-
- ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ किसानों के पक्ष में नहीं थीं। उनकी प्रकृति शोषणवादी थी। किसान भू-राजस्व प्रणाली में लगान की दरें अत्यधिक होने से परेशान थे।
- जमींदारी प्रथा में बिचौलिए वर्ग का संस्थागत विकास हुआ। ये बिचौलिए जमींदारों के लिए कर वसूलते थे। रैय्यतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित अत्यधिक उच्च लगान राशि चुकाने के लिए किसान साहूकार से कर्ज लेने पर विवश हुए इसका परिणाम यह हुआ कि किसान धीरे-धीरे इन साहूकारों के चंगुल में फँसते गए और उनकी जमीनें, फसलें, पशु आदि जमींदारों, महाजनों आदि के हाथ में चले जाते थे।
- किसानों को मजबूर होकर बेगारी करनी पड़ती। इन सब कारणों ने किसानों के मन में एक विरोध की ज्वाला जगा दी और वे विद्रोह के लिए तत्पर हो गए।
- हस्तशिल्प व्यवसाय पर ध्यान न देने के कारण भारत में लघु उद्योग तीव्र गति से अवनति की ओर अग्रसर हो गया।
- हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए हजारों लोग रोजगार की तलाश में कृषि की ओर चले गए जिसके कारण कृषि पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया।
- रूसी क्रांति के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने कृषि संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दिया और किसानों की दयनीय स्थिति तथा शोषण के प्रति मुखर होकर आवाज उठायी।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व में एक गंभीर संकट पैदा कर दी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इन आर्थिक संकटों का प्रभाव किसानों पर भी पड़ा जिसके कारण किसानों का लगान बढ़ा दिया गया उनकी जमीनों को जबरन छीन लिया गया।
- इन कारणों के फलस्वरूप किसानों का असंतोष अधिक तीव्र हो गया और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया।
- किसानों पर हो रहे शोषणों के विरुद्ध कई किसान संगठन अस्तित्व में आए। इन किसान संगठनों ने किसान आंदोलनों को एक निश्चित आकार प्रदान किया।

- इन संगठनों के नेतृत्व में किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध अभियान चलाया गया।
- लगान में कमी, कर्ज माफी, किसानों को उनकी इच्छा के अनुसार फसल उगाने का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर इन किसान संगठनों ने आंदोलन को प्रोत्साहित किया।

विभिन्न किसान विद्रोह/आंदोलन (Various Peasant Revolts/Movements)

अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसान विद्रोह को दो भागों में विभाजित करते हैं-



19वीं सदी के किसान आंदोलन (19th Century Peasant Movements)

19वीं सदी के किसान आंदोलन मुख्य रूप से बिचौलियों द्वारा शोषण, अत्याचार, भू-राजस्व व्यवस्था और उसमें कमियों को लेकर हुए।

- 19वीं सदी में हुए किसान विद्रोहों का स्वरूप सुधारवादी एवं पुनः स्थापना से जुड़ा था। इस समय हुए अधिकांश किसान आंदोलन स्थानीय हितों एवं तात्कालिक समस्याओं से जुड़े हुए थे। आर्थिक शोषण इन विद्रोहों के पीछे असंतोष का प्रमुख कारण था।
- इन आंदोलनों का दृष्टिकोण व्यापक नहीं था क्योंकि ये अपने तात्कालिक शोषणकर्ता के खिलाफ एकजुट हुए अर्थात् स्थानीय जमींदारों का तो विरोध किया लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का रैय्यत बनना स्वीकार किया।
- विद्रोहों का नेतृत्व 'स्थानीय समूह' से होता था और आंदोलनों में हिंसा और बल का व्यापक प्रयोग किया गया।
- 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता की नीतियों के विरोध में अनेक

किसान विद्रोह हुए जिनमें कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं-
रंगपुर विद्रोह (Rangpur Revolt- 1783)

ब्रह्मपुत्र घाटी के रंगपुर क्षेत्र में लगान में भारी वृद्धि की गयी। 1783 ई. यहाँ के किसानों ने जमींदार देवीसिंह के विरुद्ध धीरज नारायण के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन भारी बल प्रयोग के द्वारा किया गया।

नील आंदोलन (Neel Movement- 1859-60)

वर्ष 1859-60 में किसानों ने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है।

- किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर यूरोपीय बाजारों की मांग के अनुरूप उनसे नील की अलाभकारी खेती करायी गयी तथा चावल की उत्कृष्ट खेती को बर्बाद कर दिया।
- इस हेतु किसानों से झूठा करार किया जाता था तथा उन्हें करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखा देकर उसकी कीमत बाजार भाव से कम आंकी जाती थी।
- साथ ही किसानों को यह अधिकार भी नहीं प्राप्त था कि वे अग्रिम की रकम वापस कर इस शोषण से मुक्त हो सकें।
- बाद में सत्ता के संरक्षण का लाभ उठाकर नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया और लठैतों के माध्यम से बलात् नील की खेती शुरू कर दी।
- नील आंदोलन की शुरुआत 1859 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से शुरू हुयी। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिससे किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें।
- शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दीं। पर, जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो दिगम्बर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया।
- जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसान भी हिंसा पर उतर आये। इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने तथा नील की खेती करने से इंकार कर दिया।
- बाद में किसानों ने जमींदारी के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। यह स्थिति

पैदा होने के पश्चात् नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिये तथा मुकदमे लड़ने के लिए धन एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया।

- बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए तथा **नील उत्पादक** अकेले पड़ते गए।
- इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए **बंगाल के बुद्धिजीवियों** ने किसानों के समर्थन में समाचार-पत्रों में लेख लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया गया, उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे गए।
- **हरीशचंद्र मुखर्जी** के पत्र **हिन्दू पैट्रियट** ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। **दीनबंधु मित्र** ने **नील दर्पण** द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया।
- इस स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए सरकार द्वारा नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने हेतु **1860 ई.** में **नील आयोग का गठन** किया गया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा किसानों को नील उत्पादन के लिए विवश नहीं करने संबंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से निपटाने का आश्वासन दिया गया।
- फलतः **नील उत्पादक बंगाल** से अपने कारखाने बंद करने को विवश हो गए तथा **1860** तक यह विवाद समाप्त हो गया।

पाबना विद्रोह (Pabna Revolt-1873-76)

बंगाल में 1870 और 1880 के दशक में जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक करारोपण किया गया। किसानों ने इसके खिलाफ बंगाल में 1873-76 के बीच एक सफल आंदोलन किया, जिसे '**पाबना विद्रोह**' के नाम से जाना जाता है।

- 1873 में **पाबना जिले के यूसुफशाही परगने** में जमींदारों की मनमानी के विरोध के लिए '**किसान-संघ**' की स्थापना की गयी। इस संघ के अधीन किसान संगठित हुए और उन्होंने '**लगान-हड़ताल**' कर दी और बढ़ी हुयी दर पर लगान देने से इन्कार कर दिया।
- संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए तथा इसके लिए कोष भी स्थापित किए गए।
- बढ़ी तीव्रता से **पाबना** के अन्य भागों एवं **पूर्वी बंगाल** के दूसरे जिलों में भी ऐसे संघ स्थापित हो गए और जमींदारों के

खिलाफ तेजी से मुकदमे दायर किए जाने लगे।

- यह लड़ाई किसानों द्वारा कानूनी मोर्चे पर ही लड़ी गई तथा इस दौरान नाममात्र की हिंसक वारदातें हुईं।
- दरअसल, तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति काफी जागरूक हो चुके थे और कानूनी लड़ाई सीख गए थे। एकता, **संगठन** और **शांतिपूर्ण संघर्ष** के द्वारा अधिकारों की **बहाली** का तरीका उन्हें ज्ञात हो चुका था।
- प्रायः किसानों ने लाठी आदि का सहारा तभी लिया जब अदालत के आदेशों को लागू करने में बाधा उत्पन्न हुयी।
- कृषक विद्रोह का यह चरण **1885** तक चला। **बंगाल काश्तकारी कानून** बनने से पूर्व ही अधिकांश विवाद निपटा लिये गए तथा किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी गयी।
- कई विवाद सरकारी दबाव और बीच-बचाव से हल कराए गए और कई जमींदारों ने स्वयं ही डर के कारण समझौते की पेशकश की।
- एक तरफ जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से भय था तो दूसरी ओर मुकदमों के चक्कर में फसने में वे अपनी हानि देख रहे थे।
- सरकार ने हिंसक वारदातों में जमींदारों का पक्ष लेते हुए बड़े पैमाने पर किसानों को गिरफ्तार किया। परंतु, जहां आंदोलन शांतिपूर्ण रहा तथा किसानों ने सिर्फ कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी वहां सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया।
- यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ था।
- यह आंदोलन किसी भी स्तर पर यह उपनिवेशवाद विरोधी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था।
- आंदोलनकारियों को इस आंदोलन में भी बंगाल के बुद्धिजीवियों का भरपूर सहयोग मिला। **सुरेंद्रनाथ बनर्जी**, **आनन्द मोहन बोस** और **द्वारकानाथ गांगुली** ने **इंडियन एसोसिएशन** के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया।
- **बंकिमचंद्र चटर्जी** ने भी आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रवादी अखबारों ने भी करों की वृद्धि को अनुचित बताते हुये स्थायी रूप से लगान निर्धारण का सुझाव दिया।
- इस आंदोलन में भी हिन्दू तथा मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया यद्यपि अधिकांश किसान मुसलमान थे और अधिकांश **जमींदार हिन्दू** थे।

दक्कन विद्रोह (Deccan Revolt- 1875)

पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में रैय्यतवाड़ी बंदोबस्त के तहत किसानों पर भारी कर आरोपित किए गए, जिसने विभिन्न कृषक विद्राहों को जन्म दिया।

- इन क्षेत्रों में भी किसान करों के भारी बोझ से दबे हुए थे तथा साहूकारों के कुचक्र में फंसने को विवश थे। ये महाजन अधिकांशतया बाहरी लोग थे, जिनमें मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे।
- 1864 में अमरिकी गृह युद्ध के समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आयी जिसने महाराष्ट्र के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया।
- 1867 में सरकार द्वारा भू-राजस्व की दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय किया गया तथा फसलों की लगातार बर्बादी ने किसानों को विभिन्न समस्याओं से ग्रसित कर दिया।
- महाजनों-सूदखोरों एवं किसानों के मध्य बढ़ते तनाव ने 1874 में बाहरी महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया।
- इस आंदोलन के तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीददारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इंकार कर दिया।
- नाइयों, धोबियों तथा चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी भी प्रकार की सेवा करने से इंकार कर दिया।
- किसानों का यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, शोलापुर एवं सतारा के गाँवों में भी फैल गया।
- लेकिन यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने महाजनों एवं सूदखोरों के घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए।
- किसानों ने उनसे ऋण सम्बन्धित कागजात तथा करारनामे लूट कर सार्वजनिक तौर पर आग लगा दी।
- सरकार ने आंदोलनकारियों के आंदोलनों को कुचलने हेतु दमनकारी नीति अपनायी। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने से आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया।
- महाराष्ट्र के आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग ने तर्कपूर्ण ढंग से किसानों की मांगों को सरकार के सम्मुख उठाया और आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करने में सराहनीय योगदान दिया।

किसान आंदोलन की कमियाँ (Limitations of Peasant

Movements)

- आंदोलनकारी उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने में सक्षम नहीं थे।
- 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचाराधारा का अभाव था तथा उन्होंने अपने आंदोलनों में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किए।
- इन संघर्षों का स्वरूप यद्यपि उग्रवादी था किंतु ये परंपरागत ढाँचों पर ही अवलंबित थे।
- इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव था।

20वीं सदी के किसान आंदोलन (20th Century Peasant Movements)

20वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह, पिछली शताब्दी के विद्रोहों से अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित व सफल थे। कृषक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अन्योन्याश्रय संबंधों ने इस आंदोलन का आधार तैयार किया।

- राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना संघर्ष तीव्र करने के लिए तथा सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश के क्रम में किसानों से नजदीकियाँ स्थापित कीं और दूसरी ओर किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लाभों को देखकर तन-मन-धन से उसे समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया।
- 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन अपने स्वरूप में 19वीं शताब्दी के आंदोलनों से भिन्न थे। इन आंदोलनों का दृष्टिकोण अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया।
- इस समय किसान आंदोलनों की मांगों में आर्थिक सुधारों के साथ-साथ राजनैतिक सुधारों की बात होने लगी।
- 20वीं सदी के किसान भी आंदोलन से जुड़ने लगे। इस समय किसान आंदोलन संगठनात्मक स्वरूप में आगे आए और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता के द्वारा संचालित हुए।
- 20वीं सदी के आंदोलनों में हिंसा का तत्व गौण था तथा अब वे राजनीतिक नियमों के माध्यम जैसे- सत्याग्रह, धरना, गिरफ्तारियाँ आदि से संचालित होने लगे। इस समय के आंदोलन प्रायः धर्मनिरपेक्ष रहें।

चंपारन आंदोलन (Champaran Revolt-1917)

चंपारन, उत्तरी बिहार में नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है जहाँ ब्रिटिश

काल में नील की खेती होती थी। यहाँ का किसान बहुत वर्षों से पीड़ित था। यहाँ 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 'तिनकठिया' पद्धति के नाम से जाना जाता था।

- 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों के कारण नील की मांग कम हो गयी। परिणामस्वरूप चंपारन के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने पर मजबूर हो गए।
- किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैर कानूनी कर की दरों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया।
- अंग्रेजों की तरफ से किसानों पर खूब शोषण हो रहे थे और बागान मालिक भी जुल्म बरपा रहे थे। 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफी मुखर हुआ, पर बागान मालिकों की लूट का सिलसिला चलता रहा।
- इन्हीं परिस्थितियों में 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गाँधी जी चम्पारन पहुँचे। गाँधी जी ने चम्पारन पहुँचने पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।
- स्थानीय प्रशासन ने उन्हें तुरंत चले जाने का आदेश दिया पर गाँधी जी ने इन्कार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने के लिए तैयार हो गए।
- किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और उनका शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिरोध वास्तव में एक नई अवधारणा थी। भारत सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने अपना आदेश वापस ले लिया।
- गाँधी जी अपने सहयोगियों राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, कृपलानी, नरहरि पारेख तथा बिहार के अन्य बुद्धि जीवियों के साथ लोगों के बीच साक्ष्य इकट्ठा किए।
- इस मामले की जाँच के लिए एक आयोग गठित किया गया और गाँधी जी भी इसके सदस्य थे। वे आयोग को यह समझाने में सफल हुए कि तिनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए और जो पैसा किसानों से अवैध रूप से वसूला जाता है उसके लिए उन्हें हर्जाना दिया जाना चाहिये।
- गाँधी जी की मांगों को ध्यान में रखकर बागान मालिकों ने अवैध वसूली का 25% वापस कर दिया। एक दशक के भीतर ही गोरे बागान मालिकों ने चंपारन छोड़ दिया। इस प्रकार एक

सफल आंदोलन समाप्त हो गया।

खेड़ा आंदोलन (Kheda Movement-1918)

1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसान लगान वृद्धि और शोषण से पीड़ित थे। सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी। फिर भी सरकार किसानों से मालगुजारी वसूल रही थी। किसानों की यह मांग थी कि मालगुजारी माफ किया जाए पर सरकार उनकी मांग को नहीं मान रही थी। 'सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसायटी' के सदस्यों, विठ्ठलभाई पटेल और गाँधी जी ने पूरे जांच-पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है और पूरा लगान माफ होना चाहिए।

- इस आंदोलन में 'गुजरात सभा' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय गाँधी जी इसके अध्यक्ष थे। गाँधी जी ने यह देखा कि जब याचिकाओं और अपील का कोई असर नहीं हुआ तब उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि लगान मत दो और सरकार की दमनकारी नीति का कठोरतापूर्वक संघर्ष करो।
- इस आंदोलन में गाँधी जी के साथ युवा वकील वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक तथा अन्य युवाओं ने गांवों का दौरा किया और किसानों से संघर्ष की अपील की।
- सरकार द्वारा लगान न देने पर किसानों की सम्पत्ति कुर्क की जा रही थी। गाँधी जी ने लगान न देने की शपथ दिलाई थी।
- इस बीच सरकार ने गाँधी जी के दबाव में आकर बात मान ली और जो लगान दे सकते थे सिर्फ उन्हीं से लगान वसूला गया बाकी का लगान माफ करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार यह आंदोलन सफल रहा।

अवध किसान सभा आंदोलन (Awadh Kisan Sabha Movement-1920)

1857 के विद्रोह के पश्चात् अवध के तालुकदारों को उनकी भूमि लौटा दी गयी। तालुकदार या बड़े जमींदार इस प्रांत के कृषकों का अत्यधिक शोषण करते थे जिनमें लगान की ऊँची दरें, भूमि से बेदखली, अवैध कर तथा नजराना इत्यादि सम्मिलित था।

- प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अनाज तथा अन्य आवश्यक चीजों के दाम अत्यधिक बढ़ जाने से संयुक्त प्रांत के किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गयी।
- होमरूल लीग की गतिविधियों के कारण संयुक्त प्रांत में फरवरी, 1918 में गौरीशंकर मिश्र तथा इंद्रनारायण द्विवेदी ने संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया।
- इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान

प्रदान किया। 1919 के मध्य तक इसकी लगभग 500 शाखाएँ गठित की जा चुकी थीं।

- किसान सभाओं के गठन से संबद्ध प्रमुख नेताओं में **झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र** का नाम भी सम्मिलित है।
- **जून, 1920** में **जवाहर लाल नेहरू** ने **बाबा रामचंद्र** के आग्रह पर इन गाँवों का दौरा किया तथा गाँव वासियों से गहन सम्पर्क स्थापित किया।
- राष्ट्रवादी नेताओं में मतभेद के कारण **अक्टूबर, 1920** में **'अवध किसान सभा'** का गठन किया गया। अवध किसान सभा ने किसानों से आग्रह किया कि वे बेदखल जमीन न जोतें और बेगार न करें।
- साथ ही सभा ने किसानों से इन नियमों का पालन न करने वाले किसानों का सामाजिक बहिष्कार करने तथा अपने विवादों को पंचायत के माध्यम से हल करने की अपील की।
- **जनवरी, 1921** में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं की **गलतफहमी एवं आक्रोश** के कारण **किसान सभा आंदोलन** ने हिंसक रूप धारण कर लिया।
- किसानों ने **बाजारों, घरों एवं अनाजों की दुकानों** पर धावा बोलकर उन्हें लूटा तथा पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें हुईं। **रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर** इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे।
- सरकार ने दमन की नीति द्वारा आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया तथा **'अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम'** पारित कर दिया। इसने आंदोलन को कमजोर किया तथा **मार्च, 1921** तक आंदोलन समाप्त हो गया।

एका आंदोलन (Eka Movement-1921)

संयुक्त प्रांत के अवध क्षेत्र के उत्तरी जिलों जैसे **हरदोई, बहराइच** तथा **सीतापुर** में 1921 के अंत में किसान पुनः संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए और अपने नए स्वरूप में यह **'एका आंदोलन'** कहलाया। यह आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन से निम्न मुद्दे संबद्ध थे-

- लगान की दरें लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक थीं।
- राजस्व वसूली के कार्य में जमींदारों द्वारा अपनायी गयीं दमनकारी नीतियाँ।
- बेगार की प्रथा।

इस एका या एकता आंदोलन में प्रतीकात्मक धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता था तथा एकत्र किसानों को शपथ दिलायी जाती थी कि वे केवल उचित लगान ही अदा करेंगे तथा लगान में समय सीमा का पालन करेंगे। यदि उन्हें भूमि से बेदखल किया जाएगा तो वे भूमि नहीं छोड़ेंगे बेगार करने से इंकार कर देंगे और अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे तथा पंचायत के निर्णय स्वीकार करेंगे।

- एका आंदोलन का मुख्य नेतृत्व समाज के निचले तबके के **किसानों-चमारपासी** एवं अन्य पिछड़ी जातियों के किसानों तथा कई छोटे जमींदारों के हाथों में था।
- **मार्च, 1922** के अंत तक सरकार की दमनकारी नीतियों ने आंदोलन को कुचल डाला।

मोपला विद्रोह (Moplah Rebellion-1921)

अवध से प्रेरणा लेकर **मोपला** के स्थानीय किसानों ने **अगस्त, 1921** में **केरल के मालाबार तट** पर जबर्दस्त विद्रोह किया। इसे **मोपला विद्रोह** के नाम से जाना जाता है।

- **मोपला, केरल के मालाबार तट** के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी के अधिकार मुख्यतया हिन्दुओं के हाथों में थे। **मोपलाओं के विद्रोह** का प्रमुख कारण-लगान की ऊंची दरें, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर-तरीके थे।
- **19वीं शताब्दी में 1836-54 के बीच में भी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने 22 बार विद्रोह किये थे।** लेकिन इस बार का आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंधित था, जो इसकी प्रमुख विशेषता थी।
- खिलाफत आंदोलन का समर्थन पाकर किसानों ने आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यहां भी अवध के समान किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फर्क कर पाना कठिन था। **गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आजाद** आदि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इन क्षेत्रों का दौरा करने के उपरांत यह आंदोलन और अधिक सक्रिय हो गया।
- अंत में सरकार ने **फरवरी, 1921** में निषेधाज्ञा (Prohibitory order) लागू कर खिलाफत के साथ किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी और इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
- परिणामतः आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मोपला नेताओं के हाथों में आ गया और आंदोलन ने हिंसक रूप अपना लिया।

- 20 अगस्त, 1921 को खिलाफत के एक प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के लिए सेना ने मस्जिद में प्रवेश किया। इसे मोपलाओं ने अपने धर्म का अपमान समझा और हिंसा पर उतारू हो गए।
 - आंदोलनकारियों ने विद्रोह के प्रथम चरण में **बदनाम जमींदारों** को निशाना बनाया। यद्यपि विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे, परंतु उदार जमींदारों और हिन्दुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया।
 - इसके लिए नेताओं द्वारा विद्रोहियों को विशेष हिदायत दी जाती थी। परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा 'मार्शल लॉ' लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र बदल गया।
 - सरकार ने हिन्दुओं पर अपना समर्थन करने के लिए दबाव डाला और कुछ हिन्दू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे।
 - इसने विद्रोह को हिन्दू विरोधी स्वरूप दे दिया। जिसकी परिणति बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की हत्याएं एवं धर्म परिवर्तन की घटनाओं के रूप में हुई।
 - राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया। आंदोलन के साम्प्रदायिक रूप ले लेने से यह और भी अलग-थलग पड़ गया।
 - **दिसम्बर, 1921** तक सरकार ने पूरी तरह आंदोलन का दमन कर मोपलाओं के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया तथा आजादी की पूरी लड़ाई में वे फिर कभी शामिल नहीं हुए।
 - यद्यपि केरल में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन चलाया गया जिसका नेतृत्व वामपंथियों ने किया।
- बारदोली सत्याग्रह (Bardoli Satyagraha-1928)**
- गांधी जी के राजनीति में पदार्पण के पश्चात् गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियाँ तेजी से सक्रिय हुईं। जनवरी, 1926 में स्थानीय प्रशासन द्वारा भू-राजस्व की दरों में 30 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद यहां की परिस्थितियां गंभीर हो गयीं।
- यहां के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु 'बारदोली जांच आयोग' का गठन किया।
 - आयोग ने संस्तुति दी कि भू-राजस्व की दरों में की गयी वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है।
 - किसानों द्वारा इस बढ़ी हुई दरों पर भू-राजस्व अदा करने से इंकार कर दिया गया। किसानों ने सरकार के सम्मुख यह मांग रखी कि सरकार समस्या के समाधान हेतु किसी स्वतंत्र आयोग का गठन करे तथा प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस ले।
 - अन्यथा वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में 13 छावनियों की स्थापना की।
 - आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली 'सत्याग्रह पत्रिका' का प्रकाशन तथा आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 'बौद्धिक संगठन' की स्थापना की गयी।
 - आंदोलन का विरोध करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी अनेक कदम उठाए गए।
 - के. एम. मुंशी तथा लालजी नारंजी ने आंदोलन के समर्थन में 'बंबई विधान परिषद' की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।
 - आंदोलन अगस्त, 1928 तक पूरे क्षेत्र में सक्रिय हो गया। आंदोलन के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया।
 - पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त, 1928 को गांधीजी भी बारदोली पहुंच गए। सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त करने हेतु एक 'जांच समिति' गठित करना स्वीकार कर लिया।
 - तदुपरांत गठित ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू-राजस्व में बढ़ोत्तरी को गलत बताया और बढ़ोत्तरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी गयी।
 - इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह की सफल ऐतिहासिक परिणति हुई।

1930-40 के दशक के किसान आंदोलन (Peasant Movement of 1930-40's)

1930 और 1940 के दशक में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ किसान आंदोलनों ने भी वृहद् रूप ग्रहण किया। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का

निर्धन कृषक वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा कांग्रेस द्वारा 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' ने इस चरण के आंदोलनों को काफी प्रेरणा दी।

- इस दशक के किसान आंदोलनों ने व्यापक कर और लगान न देने के अभियान का रूप धारण कर लिया।
- इस चरण के किसान संघर्षों ने स्वतंत्रता पश्चात् हुए कृषि सुधार हेतु एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने में महती भूमिका निभायी। यथा-जमींदारी उन्मूलन इस दौर में उठी मांग स्वतंत्रता के पश्चात् कार्यान्वित हुयी।
- इसी प्रकार, **ट्रावनकोर** राज्य के भारत में विलय के लिये **पुन्नप्रा-बायलार के आंदोलन** ने ऐतिहासिक भूमिका निभायी।
- इस चरण में किसानों ने **टैक्सों में कटौती**, सामंतों की **गैर-कानूनी वसूलियाँ** और **बेगार की समाप्ति**, जमींदारों के **अत्याचारों से मुक्ति**, **ऋण बोझ में कमी**, गैरकानूनी तरीकों से ली गयी भूमि की वापसी तथा किसानों की सुरक्षा आदि जैसी प्रमुख मांगें रखीं।
- खेतिहर मजदूरों की मांगें **आंध्र प्रदेश** और **गुजरात** के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के किसान आंदोलनों में गौण ही रहीं।
- वास्तव में इस काल में हुए आंदोलनों का उद्देश्य कृषि ढांचे में आमूल परिवर्तन नहीं बल्कि इस व्यवस्था के कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था।
- इस काल के किसान आंदोलनों के लिए **सविनय अवज्ञा आंदोलन** और कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें प्रमुख कारण थे।
- **सविनय अवज्ञा आंदोलन** से उत्पन्न युवा एवं जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की फौज ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव के उपरांत अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान आंदोलनों में लगा दी।
- फिर, 1937 के चुनावों में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1937-39 के बीच **28 महीनों** का कांग्रेसी शासनकाल किसान आंदोलनों का उत्कर्ष काल था।
- इस काल में आंदोलनों के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ-साथ कांग्रेसी सरकारों ने कृषि-कानूनों में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए।

अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha-1936)

11 अप्रैल, 1936 में लखनऊ में स्थापित इस सभा में **सहजानंद सरस्वती** अध्यक्ष तथा **एन. जी. रंगा सचिव** चुने गए। इस सभा

ने किसान घोषणा-पत्र जारी किया तथा **इंदुलाल याज्ञिक** के निर्देशन में एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया।

- 1936 में **अखिल भारतीय किसान सभा** का सम्मेलन **फैजपुर** में आयोजित किया गया।
- 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा-पत्र के अनेक प्रावधान, **अखिल भारतीय किसान सभा** के एजेंडे से प्रभावित थे।

कांग्रेस सरकार के अंतर्गत किसान आंदोलन (Peasant Movement Under Congress Government)

कांग्रेसी सरकारों के सहयोगात्मक रवैये के कारण 1937-39 के बीच किसान आंदोलन ने व्यापक विस्तार किया। किसानों द्वारा अपनी मांगें उठाने के अलावा **जनसभाएं**, **प्रदर्शन**, **धरने** आदि आयोजित किए गए। परिणामतः आंदोलनों का प्रसार गांवों तक हो गया।

तेभागा आंदोलन (Tebhaga Movement-1946-47)

यह **बंगाल** का एक प्रमुख **कृषक आंदोलन** था। 1940 के लगान आयोग की सिफारिश के अनुसार, इस आंदोलन में फसल का दो-तिहाई हिस्सा बटाईदारों (किसानों) को दिये जाने की मांग की गई।

- बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाये गए इस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका **'बंगाल किसान सभा'** की थी।
- इस सभा के नेतृत्व में **सभाओं** एवं **प्रदर्शनों** का आयोजन किया गया तथा **तेभागा पाई** (हमें दो-तिहाई भाग चाहिए) एवं **इंकलाब जिंदाबाद** जैसे नारे लगाए गए।
- शीघ्र ही **तेभागा आंदोलन जलपाईगुड़ी, मिदनापुर एवं रंगपुर** जिलों में भी फैल गया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर बटाईदारों ने एक जैसी पद्धति अपनाई। वे **लाठी लेकर प्रदर्शन** करते थे तथा **नारे** लगाते थे एवं उपज को जोतदारों के घर ले जाने की बजाय अपने घर ले जाते थे।
- **बटाईदारों** ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर समर्थन दिया। **बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी** के सदस्यों-**मुजफ्फर अहमद, सुनील सेना** तथा **मोनी सिंह** की इस आंदोलन में मुख्य भूमिका थी।
- महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के साथ-साथ आंदोलन का नेतृत्व भी किया। **काकद्वीप** में इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर सभाओं एवं प्रदर्शनों में भाग लिया। **'बंगीय प्रादेशिक किसान सभा'** के नेतृत्व

में चलाये गए इस आंदोलन के मुख्य केंद्र थे- **संदेशखाली, हरोआ, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कासनौंग और चौबीस परगना** जिले का **सुंदरवन क्षेत्र**।

- इसके अतिरिक्त **उत्तरी बंगाल** के कई क्षेत्रों में भी जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया गया।
- आंदोलनकारी किसानों ने **'तेभागा'** का नारा बुलंद करते हुए जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा पुलिस के साथ कई स्थानों पर इनकी हिंसक झड़पें भी हुईं।
- स्वाधीनता के पश्चात् भी यह आंदोलन, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा **कृषक गुरिल्ला युद्ध** था, जिसने 3 हजार गाँवों तथा 30 लाख लोगों को प्रभावित किया।

तेलंगाना आंदोलन (Telangana Movement-1946)

स्थानीय देशमुखों ने **पटेल** तथा **पटवारियों** की मिली भगत से अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया तथा अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में पर्याप्त वृद्धि कर ली। इन देशमुखों को स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ ही निजाम की सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था।

- इन देशमुखों ने किसानों तथा खेतिहर मजदूरों का भरपूर शोषण किया तथा इस क्षेत्र में इनके अत्याचारों की एक बाढ़ सी आ गई। **सामंती दमन** तथा **जबरन वसूली** स्थानीय किसानों की नियति बन गई।
- अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर किसानों एवं खेतिहर मजदूरों ने शोषकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया।
- कुछ समय पश्चात् स्थानीय **कम्युनिस्ट, मझोले कृषक** तथा **कांग्रेस संगठन** भी इस अभियान में शामिल हो गए।
- इस आंदोलन में विद्रोहियों ने शोषकों के विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनायी। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापामारों ने **आंध्र महासभा** के सहयोग से पूरे **तेलंगाना क्षेत्र** के गांवों में अपनी अच्छी पैठ बना ली।
- **नालगोंडा** के **जगांव तालुका** में एक देशमुख की गांव के उग्रवादियों ने हत्या करने के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई।
- शीघ्र ही विद्रोह **वारंगल** एवं **खम्मम** में भी फैल गया। किसानों ने **'संघम'** के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिये।

• इन्होंने हथियार के रूप में **लाठियों, पत्थर के टुकड़ों** एवं **मिर्च पाउडर** का उपयोग किया। किंतु सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति अत्यंत निर्दयतापूर्ण रुख अपनाया।

• **अगस्त, 1947** से **1948** के मध्य आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारतीय सेना द्वारा **हैदराबाद** को जीतने के पश्चात् यह आंदोलन समाप्त हो गया।

तेलंगाना आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थीं, जो निम्नानुसार हैं-

- गुरिल्ला छापामारों (**वेठियों**) ने गांवों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा **बेगार प्रथा** पूरी तरह समाप्त हो गयी।
- खेतिहर किसानों की मजदूरी बढ़ा दी गयी।
- अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन किसानों को वापस लौटा दी गयी।
- लगान की दरों को तय करने तथा भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए।
- सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए तथा **हैजे पर नियंत्रण** के लिये प्रयास किए गए।
- महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया।
- भारत की सबसे बड़ी रियासत से **अर्द्ध-सामंती व्यवस्था** का उन्मूलन कर दिया गया।
- आंदोलन ने भाषायी आधार पर **आंध्र प्रदेश के गठन** की भूमिका तैयार की।

किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ (Important Achievements of the Peasant Movement)

ये किसान आंदोलन **राष्ट्रवादी विचारधारा** पर अवलंबित थे और लगभग सभी क्षेत्रों में इन किसान आंदोलनों की प्रकृति समान थी।

- इन किसान आंदोलनों ने जमींदारी व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शासन की जड़ें खोद दीं। आंदोलनों के माध्यम से भूस्वामियों अर्थात् किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों का ज्ञान हुआ तथा कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
- इन आंदोलनों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा **कृषि सुधार एक प्रमुख मांग के रूप में** दिखाई देने लगी।
- अनेक किसान आंदोलन संगठन संगठित हुए जिन्होंने न केवल किसान आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन

को भी गति प्रदान की।

- इन आंदोलनों का एक दूरगामी परिणाम भी था। जिसके कारण स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। जैसे- **जमींदारी प्रथा का उन्मूलन।**

विभिन्न प्रांतों में किसानों की गतिविधियाँ (Activities of Farmers in Various Provinces)

केरल (Kerala)

केरल के मालाबार क्षेत्र में वामपंथियों के नेतृत्व में 'कृषक संघर्षों' में संगठित होकर किसानों ने सामंती वसूलियों, अग्रिम लगान वसूली तथा बेदखली इत्यादि के विरुद्ध जबरदस्त अभियान छेड़ा।

- उनका एक तरीका अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ, जिसमें वे **जत्थे** बनाकर जमींदारों के घर जाते थे और उनके सामने अपनी मांगें रखकर तत्काल समाधान प्राप्त करते थे।
- 1938 में किसानों ने **मालाबार काश्तकारी (टेनेंसी) एक्ट 1929** में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया।

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)

1937 के चुनावों में आंध्र प्रदेश में जमींदारों तथा उनके समर्थक उम्मीदवारों की पराजय ने किसानों का मनोबल बहुत बढ़ा दिया।

- किसानों ने जमींदारों के विशेषाधिकारों और ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया तथा ऋण में राहत की मांग की।
- इस समय प्रदेश में कई कृषक संगठन सक्रिय थे। 1933 में **एन. जी. रंगा** द्वारा स्थापित '**भारतीय कृषक संस्थान**' प्रमुख था।
- आंध्र के किसान कार्यकर्ताओं को **अर्थशास्त्र** एवं **राजनीतिशास्त्र** में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध वामपंथी नेता (जैसे- **पी.सी. जोशी, अजय घोष** एवं **आर. डी. भारद्वाज**) '**ग्रीष्म कालीन स्कूलों**' में व्याख्यान देने आते थे।
- इसकी व्यवस्था किसानों के द्वारा दिये गए चंदे से होती थी। यह आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी।

बिहार (Bihar)

सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानन शर्मा एवं पं. यमुना कारजी इत्यादि नेताओं ने बिहार के किसान आंदोलनों को योग्य नेतृत्व प्रदान किया।

- 1929 में **बिहार किसान सभा** की स्थापना हुई आरंभ

में इसकी गतिविधियाँ सीमित थी। पर बाद में यह **स्वामी सहजानंद सरस्वती** के गतिशील नेतृत्व में क्रांतिकारी आधारों पर सक्रिय हुए।

- सहजानंद कांग्रेस की राजनीति से भी संबंधित थे। लेकिन उनका आंदोलन 1934 के बाद अपनी चरम सीमा पर आया, जब **सविनय अवज्ञा आंदोलन** को समाप्त हुए काफी समय गुजर गया था।
- **सविनय अवज्ञा आंदोलन** के दौरान किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस नेतृत्व की गहरी उदासीनता में **स्वामी सजहानंद** का मोहभंग हुआ।
- **स्वामी सहजानंद** धीरे-धीरे एक क्रांतिकारी किसान नेता बनकर उभरे। उनका **कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी** के नेताओं से नजदीकी संपर्क कायम हुआ।
- उन्होंने 1934 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसलिए **बिहार प्रदेश किसान सभा के घोषण-पत्र** में (11 जुलाई, 1936) किसानों की कुछ '**बुनियादी**' मांगें दर्ज की गईं।
- इसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन तथा किसानों के जमीन पर **मालिकाना हक** की व्यवस्था, **भूमिहीनों** के लिए रोजगार जैसी मांगें उल्लेखनीय थीं।
- यह भी उल्लेखनीय है कि **बिहार में 1931** में कांग्रेस नेतृत्व का रुझान स्पष्टतः जमींदार-समर्थक था, पर तभी **जदुनंदन शर्मा** के नेतृत्व में एक मजबूत किसान आंदोलन का उभार भी आया।
- 1937-38 में '**बकाशत आंदोलन**' के नाम से एक अन्य लोकप्रिय आंदोलन हुआ। किसानों ने बेदखली के खिलाफ संघर्ष किया। कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट-सा रहा।
- जब बकाशत जमीन की वापसी के लिये इन्होंने आंदोलन तेज किया, तब कांग्रेस सरकार से इस आंदोलन में मतभेद भी हो गए क्योंकि कांग्रेस जमींदारों को नाराज कर राष्ट्रीय आंदोलन में बाधाएँ नहीं खड़ा करना चाहती थी।
- आंदोलन का मुख्य स्वरूप था- **सत्याग्रह** तथा **जबरन बुआई** और **फसल कटाई**। इस दौरान किसानों के जमींदारों के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष भी हुये।
- 1939 में यह आंदोलन कुछ सुविधाएँ मिलने तथा

कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। लेकिन 1945 में यह पुनः प्रारम्भ हुआ और स्वाधीनता के बाद भी जमींदारी प्रथा की समाप्ति तक चलता रहा।

पंजाब (Panjab)

पंजाब में हुए प्रारंभिक किसान आंदोलनों में पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान दल, कांग्रेस एवं अकाली दल की मुख्य भूमिका थी।

- 1937 में पंजाब किसान समिति ने किसान आंदोलन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए।
- इस आंदोलन के द्वारा पश्चिमी पंजाब के जमींदारों को निशाना बनाया गया, जिनकी शक्ति यूनियनवादी सरकार के गठन के बाद काफी बढ़ गयी थी।
- इस आंदोलन का प्रमुख कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू-राजस्व में वृद्धि, मुल्तान एवं मांटगोमरी में सिंचाई कर में वृद्धि तथा निजी ठेकेदारों द्वारा नए टैक्स लगाया जाना था।
- यहां किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़तालें कीं तथा अंत में वे रियायत प्राप्त करने में सफल रहे।
- पंजाब में किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे- जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा एवं शेखपुरा।
- पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान तथा दक्षिण-पूर्वी पंजाब के हिन्दू किसान इन आंदोलनों के प्रभाव से सामान्यतया अछूते ही रहे।
- इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा, असम, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत राज्यों और त्रावनकोर तथा हैदराबाद जैसी देशी रियासतों में भी इस चरण में प्रभावी कृषक आंदोलन हुए।

राजस्थान (Rajasthan)

1920 के दशक में राजस्थान सामंतवाद विरोधी किसान आंदोलनों का केंद्र रहा। मई, 1922 में मोतीलाल तेजावत से प्रेरित भील आंदोलन को कुचलने के लिए मेवाड़ पुलिस ने दो गांव जला दिए।

- 1927 से बिजौलिया आंदोलन फिर से शुरू हो गया। किसानों ने विजय सिंह पथिक, मणिलाल बर्मा और हरिमाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में सत्याग्रह के जरिए बेगार के खिलाफ संघर्ष किया, मेवाड़ जैसी देशी रियासतों में किसान राष्ट्रवाद निश्चित ही शहरी राष्ट्रवाद से पहले उत्पन्न हुआ।

भारत में श्रमिक आंदोलन (Labour Movement in India)

भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की शुरूआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुई। 1853 के पश्चात् भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। रेल लाइनों के बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला।

- श्रमिक वर्ग के इस प्रारंभिक काल में रेलवे उद्योग से सम्बद्ध अन्य उद्योगों के विकास भी आवश्यक था।
- फलतः कोयला उद्योग का तेजी से विकास हुआ तथा उसने हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके पश्चात् कपास एवं जूट उद्योग का विकास हुआ।
- भारतीय श्रमिक वर्ग को भी उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनका सामना औद्योगीकरण के प्रारंभिक चरण में इंग्लैण्ड व अन्य देशों के श्रमिक कर चुके थे।
- इन कठिनाइयों में कम मजदूरी, लंबी कार्य अवधि, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख थीं।
- भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों-उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन तथा विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा।
- इन्हीं परिस्थितियों ने श्रमिक आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक भाग बना दिया।

श्रमिक आंदोलन के प्रारंभिक प्रयास (Early Attempts of the Labour Movement)

19वीं शताब्दी में प्रारंभिक राष्ट्रवादी विशेषकर उदारवादी भारतीय श्रमिकों की मांगों को लेकर प्रायः उदासीन रहे। हालांकि कुछ आंदोलन थे जिनमें बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत मद्रास, वर्धा आदि स्थानों पर सूती मिलों, बागानों तथा रेलवे की हड़तालें शामिल हैं। लेकिन इनमें अधिकांश छिटपुट, असंगठित और स्फूर्त विद्रोह थे, इनका कोई व्यापक राजनीतिक असर नहीं पड़ा।

- प्रारंभ में श्रमिकों के हालात सुधारने के लिए कुछ संगठित प्रयास किए गए। 1870 के दशक में कई तरह के समाजसेवी

- व्यक्तियों ने इस तरह के प्रयास किए थे। 1870 में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी शशिपद बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया।
- इसका मूल उद्देश्य श्रमिकों को शिक्षित कर उन्हें जागरूक बनाना था। 1878 में सोराबजी शपूरजी बंगाली ने 1878 में बम्बई विधान परिषद में श्रमिकों के काम में घंटे सीमित करने तथा उन्हें दशाहं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक रखने की कोशिश की लेकिन इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई।
 - 1880 में बम्बई में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 'दीनबंधु' नामक एक अंग्रेजी -मराठी सप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया तथा 1890 में उन्होंने 'बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन' की स्थापना की।
 - लोखंडे मजदूरों की सभाएँ आयोजित करते थे। इन सब प्रयासों का मूल रूप समाजसेवा का था और ये संगठित मजदूर वर्ग के आंदोलनों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
 - वस्तुतः मोटे तौर पर यह देखा गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा श्रमिकों के सवाल पर उदासीन थी। उस समय मजदूरों की हालत काफी खराब थी इसके बावजूद प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने श्रमिकों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया।
 - राष्ट्रवादी नेताओं के इस ढीलेढाले रुख का प्रमुख कारण उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन अपने शैशवावस्था में था, राष्ट्रवादी नेता यह नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में यह आंदोलन कमजोर पड़े।
 - कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन (1886) में दादाभाई नौरोजी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि "कांग्रेस को उन सवालों तक ही सीमित रखना चाहिए जिसमें पूरे राष्ट्र की भागीदारी हो तथा सामाजिक सुधारों और विभिन्न वर्गों के पारस्परिक समायोजन का कार्य कांग्रेस की उपसमितियों को सौंप देना चाहिए।"
 - धीरे-धीरे इस रुख में बदलाव नजर आने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी अखबारों ने बागान मालिकों के खिलाफ जबदस्त अभियान चलाया।
 - 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुलर (Peninsular) रेलवे की प्रथम हड़ताल पूर्णतः सफल रही।
 - यह श्रमिक वर्ग की पहली संगठित हड़ताल जो मजदूरी, काम के घंटों तथा अन्य सेवा शर्तों से संबद्ध थी। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने खुलकर इसका समर्थन किया।
 - तिलक ने 'मराठा' और 'केसरी' के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया और महीनों अभियान चलाया।
 - बंबई तथा बंगाल में फिरोजशाह मेहता, डी. ई. वाचा, सुरेन्द्र नाथ टैगोर जैसे विख्यात राष्ट्रवादियों ने भी खुला समर्थन दिया।
 - यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न हिस्सा भी बन गया।
 - 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रमिक वर्ग के विकास के साथ राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का एक वर्ग भी सामने आया जिसने श्रमिक वर्ग के हितों को शक्तिशाली पूँजीपतियों से रक्षा के लिए कानून बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया। इनमें विपिन चन्द्रपाल और सुब्रमण्यम अय्यर प्रमुख हैं।
- स्वदेशी आंदोलन के समय श्रमिक आंदोलन (Labour Movement at the Time of Swadeshi Movement)**
- स्वदेशी आंदोलन श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इस दौरान श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभायी। इस दौरान हड़तालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और कई स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने पूरी उत्साहपूर्वक अपना समर्थन और योगदान दिया। हड़ताली मजदूरों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं में विपिनचन्द्र पाल, सी.आर. दास और लियाकत हुसैन जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने भाषण दिये स्वदेशी आंदोलन के उन नेताओं में अश्विनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस और अपूर्व कुमार घोष ने अपने आप को पूर्ण रूप से श्रमिक संगठनों को समर्पित कर दिया।
- इनकी सबसे बड़ी सफलता विदेशी पूँजी से लगे हुए, उपनिवेशवादी सत्ता के द्वारा संचालित उद्योगों जैसे- सरकार प्रेस, मुद्रणालय, रेलवे तथा जूट उद्योग में लगे हुए मजदूरों को संगठित करना था।

- कलकत्ता की गलियों में हड़ताली श्रमिकों के समर्थन में जुलूस निकाला करते थे। इसमें भारी जन सहयोग मिला।
 - अखिल भारतीय स्तर पर **यूनियन** बनाने का पहला प्रयोगात्मक प्रयास भी इस अवसर पर किया गया लेकिन यह असफल रहा।
 - **बंगाल विभाजन 1905** को पूरे देश में उठ खड़ा हुआ। बंगाल में मजदूर वर्ग ने भी विरोध में हड़ताल की, **प्रेस, फैक्ट्रियों, रेलवे** में काम करने वाले श्रमिकों ने काम नहीं किया।
 - **हाबड़ा के बर्न कम्पनी** के शिपयार्ड में मजदूरों ने काम करने से मना दिया। **तमिलनाडु** के **तुतीकोरिन** में **सुब्रमण्यम शिव** और **चिदंबरम पिल्लै** के नेतृत्व में सूती मिलों के श्रमिकों के पक्ष में व्यापक रूप से हड़तालें हुईं।
 - **पंजाब के रावलपिंडी** में **हथियार गोदाम** तथा **रेलवे इंजीनियरिंग विभाग** के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। इस आरोप में **लाला लाजपत राय** और **अजीत सिंह** को निर्वासित किया गया।
 - इसी समय सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन, तिलक पर चलाये गए मुकदमे और सजा सुनाने के विरोध में हुआ।
 - **बम्बई** की सभी **कपड़ा मिलों** और **रेल श्रमिकों** ने छः दिन की हड़ताल की। पुलिस ने जब श्रमिकों को वापस काम पर भेजने को मजबूर किया तो पुलिस और श्रमिकों के बीच कई जगह पर संघर्ष हुआ।
 - इस संघर्ष की सराहना **लेनिन** ने भी की और कहा कि भारत का श्रमिक वर्ग अब राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा है।
 - स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यही थी कि जो श्रमिक आंदोलन अभी तक सिर्फ आर्थिक मांगों को लेकर ही होते थे।
 - अब उसने अपने आंदोलन में व्यापक राजनीतिक मुद्दों को भी शामिल कर लिया। यह एक बड़ा बदलाव था।
 - इसके अतिरिक्त श्रमिक आंदोलन मुद्दों पर **राष्ट्रवादी नेताओं के समर्थन** से संगठित हड़ताल की अवस्था में पहुँच गया और व्यापक राजनीतिक आंदोलनों में **मजदूर वर्ग** शामिल होने लगा।
- वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा इनका निर्यात भी बढ़ा, इसके फलस्वरूप उद्योगपतियों को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त हुआ लेकिन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी गयी।
- इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर **गांधी जी का अभ्युदय** हुआ। गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ तथा उन्होंने श्रमिकों एवं किसानों को अपने आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया।
 - इसी समय श्रमिकों को **व्यापार संघों (Trade Unions)** में संगठित किए जाने की आवश्यकता भी महसूस की गयी।
 - इसी बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं यथा-**सोवियत संघ की स्थापना, कूमिन्टर्न (Comintern) की स्थापना** तथा **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना** आदि ने भारतीय श्रमिक वर्ग में एक **नई चेतना** का विकास किया।
 - राष्ट्रीय आंदोलन, **होमरूल लीग 1915** से शुरू होकर **1919 में रौलट सत्याग्रह** के मार्ग से होता हुआ **असहयोग और खिलाफत आंदोलन** के माध्यम से उत्कर्ष की ओर बढ़ा।
 - राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही श्रमिक वर्ग आंदोलन भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा। अपने वर्गीय अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक वर्ग एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन बनाने की ओर प्रयासरत हो गए।
 - श्रमिकों को एक सूत्र में आबद्ध करने के उद्देश्य से **1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC)** की स्थापना की गयी।

अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना (Establishment of AITUC)

श्रमिकों को एक सूत्र में आबद्ध करने के उद्देश्य से 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना की गई।

- **लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष** तथा **दीवान चमनलाल** इसके प्रथम **महासचिव (General Secretary)** चुने गए।

• अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में **लाला लाजपत राय** ने इस बात पर जोर दिया कि “भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए, देश में संगठित होने, आंदोलन करने और शिक्षित करने की सबसे अधिक जरूरत है। हमें हर हाल में अपने श्रमिकों को संगठित करना चाहिए, उन्हें वर्गचेतना बनाना चाहिए।”

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद श्रमिक

आंदोलन (Labor Movement During and After the First World War)

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा उसकी समाप्ति के पश्चात्

- एटक ने मजदूरों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें न केवल संगठित होने का आग्रह किया गया था बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप के लिए भी उनसे कहा गया था।
- लाला लाजपत राय ने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया और कहा कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद, पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं।
- प्रख्यात कांग्रेसी एवं स्वराज्यवादी नेता सी. आर. दास की अध्यक्षता में एटक का तीसरा एवं चौथा अधिवेशन सम्पन्न हुआ।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन (1922) में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- सी.आर. दास ने कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाए जाने का सुझाव दिया तथा कांग्रेस द्वारा इनकी (श्रमिकों एवं किसानों) मांगों का समर्थन करने की बात कही।
- उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं, यथा-जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, सी.एफ. एन्ड्रयूज, जे. एम. सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, वी.वी. गिरी एवं सरोजनी नायडू ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से निकट संबंध स्थापित करने के प्रयास किए।
- प्रारम्भ में 'एटक' पर ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों का गहरा प्रभाव था। इस पर अहिंसा, प्रत्यासवाद (Trusteeship) एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था।
- गांधीजी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (1918) की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा इसके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि करने के लिए चलाये गए आंदोलन का समर्थन दिया।
- अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गयी।
- बदलती हुई परिस्थितियों के प्रति श्रमिक वर्ग ने अत्यंत शानदार ढंग से अपनी प्रक्रिया व्यक्त की। 1919-20 के दौरान अनेक यूनियनों की रचना की गयी।
- 1920 में यूनियनों की संख्या 125 थी जिनके सदस्यों की संख्या 250000 थी। इस समय देश की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में मजदूरों की भागीदारी उल्लेखनीय थी।
- इसके साथ ही आर्थिक मांगों और नस्ली भेदभाव के खिलाफ रेल कर्मचारियों की हड़ताल तथा आम जनता का उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष साथ-साथ चले।
- नवम्बर, 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के समय कांग्रेस ने सम्पूर्ण देश में बहिष्कार का आह्वान किया।
- इसके समर्थन में श्रमिकों ने सारे देश में हड़ताल की घोषणा की, बंबई में सभी सूती मिलें बंद रहीं। मजदूरों ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया।
- इसके पश्चात् एक बार फिर 1922 में श्रमिक आंदोलन में शिथिलता दिखायी देती है। अब यह आंदोलन पुनः विशुद्ध रूप से आर्थिक मांगों को लेकर संघर्षरत हो गया।

स्मरणीय तथ्य

पहला फैक्ट्री अधिनियम (1881)

- यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय लाया गया।
- मुख्य विषय- बालश्रम से संबंधित।
- प्रावधान- 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम में नहीं लगाए जा सकते।
- 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घण्टे निर्धारित किए जाएंगे।

द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम (1891)

- यह अधिनियम लैंसडाउन के समय लाया गया।
- मुख्य विषय- महिला श्रम से संबंधित (कार्य के घण्टे, साप्ताहिक छुट्टी आदि)।
- बाल श्रम के विषय में प्रावधान- 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम में नहीं लगाये जाएंगे (1881 में 7 वर्ष)।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घण्टे निर्धारित होने चाहिए (1881 में 12 वर्ष)।

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

इस अधिनियम द्वारा-

- व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गयी।
- व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्याख्या की गयी।
- व्यापार संघों की नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय कर दी गयीं।

वामपंथी विचार और श्रमिक आंदोलन (Leftist Thoughts and Labour Movement)

20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में वामपंथी वैचारिक प्रवृत्तियाँ सुदृढ़ हुईं और इससे श्रमिक आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। वामपंथी विचार ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। 1927 के प्रारम्भ में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने को कामगार और किसानों की पार्टी (**वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी**) के रूप में संगठित किया।

- वामपंथी नेताओं में **श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरनचन्द जोशी** तथा **सोहन सिंह जोशी** का नाम प्रमुख है।
- **कामगार किसान पार्टी (डब्ल्यू.पी.पी.)** कांग्रेस के अन्दर ही वामपंथी गुट के रूप में कार्य करती थी अतिशीघ्र यह प्रांतीय और अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के भीतर एक शक्तिशाली संगठन हो गया।
- 1928 के अंत तक **ट्रेड यूनियन आंदोलन** में कम्युनिस्टों का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा और इसके कारण क्रांतिकारी और सैनिक भावना का विकास हुआ।
- अप्रैल, 1928 में **गिरनी कामगार यूनियन** (कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली संस्था) के नेतृत्व में **बंबई में सूती मिलों** के मजदूरों द्वारा छः महीने लम्बी हड़ताल का आयोजन किया गया।
- इस दौरान **गिरनी कामगार यूनियन** ने महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। पूरा वर्ष औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल-पुथल की स्थिति रही। **रेलवे मजदूरों, जूट मिलों, नगरपालिकाओं, कागज मिलों** आदि में काम करने वालों के बीच भी कम्युनिस्टों का प्रभाव दिखाई दे रहा था।
- 1928 में **झरिया** में हुए एटक के अधिवेशन में भी कम्युनिस्टों समेत वामपंथियों की स्थिति काफी प्रभावशाली थी। कम्युनिस्टों के प्रभाव से चिंतित होकर सरकार ने 1928 के अंत में यह रिपोर्ट देनी शुरू कर दी कि “मुश्किल से कोई जनसेवा अथवा उद्योग बचा होगा जिसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से कम्युनिज्म का प्रभाव न पड़ा हो।”
- इधर 1927 से 1929 के बीच कम्युनिस्टों और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के प्रभाव में मजदूरों ने देश में बड़ी संख्या में हड़तालों एवं प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
- 1927 में **एटक** ने **साइमन कमीशन** के बहिष्कार का निर्णय किया। जिसमें श्रमिकों ने भारी संख्या में भाग लिया।
- मजदूरों में बढ़ती हुई उग्रता और राजनीतिक सक्रियता से चिंतित होकर सरकार ने इसे वैधानिक कानून द्वारा रोकने का प्रयास किया।

- इस रूप में सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन पर दोतरफा आक्रमण किया गया और **‘पब्लिक सेफ्टी बिल 1929** तथा **ट्रेड डिस्म्यूट एक्ट 1929’** जैसे दमनकारी कानून बनाए गए।
- इन कानूनों का सहारा लेकर सरकार ने **मार्च, 1929** में भारत की संप्रभुता से **ब्रिटिश ताज** को वंचित करने का आरोप लगाते हुए श्रमिक आंदोलन में सक्रिय सभी **क्रांतिकारी नेताओं** को बंदी बनाकर मेरठ लाया गया और उन पर **षड्यंत्र का मुकदमा** चलाया गया।
- इन क्रांतिकारियों में प्रमुख थे- मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, जोगलेकर, शौकत उस्मानी तथा तीन ब्रिटिश नागरिक-फिलिफ स्प्राट, बेन ब्रेडले एवं लेस्टर हचिंसन।
- जिसे **‘मेरठ षड्यंत्र केस’** के नाम से जाना जाता है। सरकार ने कुछ रियायतें देकर मजदूर आंदोलन के एक बड़े हिस्से को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें वह सफल भी रही और सरकार ने उन्हें संविधानवादी और संगठनवादी कहा।
- इस प्रकार सरकार ने चालाकी पूर्ण कार्यों से श्रमिक आंदोलन पर असर पड़ा तथा दूसरी तरफ अब कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय धारा से जुड़कर और उसके भीतर रहकर अपने तरीके को बदल दिया।
- इस कारण कम्युनिस्ट राष्ट्रीय आंदोलन में अलग-थलग पड़ गए। श्रमिक वर्ग पर भी उसकी पकड़ बहुत कम हो गई। एटक के भीतर भी कम्युनिस्ट अलग-थलग पड़ गए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और कांग्रेसी सरकार (Civil Disobedience Movement and Congress Government)

वामपंथी प्रभाव के कम होने पर श्रमिक आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व के पीछे चलना प्रारंभ किया। इस क्रम से **सविनय अवज्ञा आंदोलन** के समय देश भर के श्रमिकों ने भाग लिया। **कलकत्ता के परिवहन एवं मिल मजदूर, मद्रास के मिल मजदूरों** ने इस आंदोलन में बड़ी बहादुरी से संघर्ष किया। **शोलापुर** में पुलिस ने ब्रिटिश विरोधी जुलूस पर गोली चलायी तो **सूती मिल मजदूर** हिंसा पर उतारू हो गए। **सरकारी भवन, कार्यालय, कचहरी, थानों, रेलवे स्टेशनों** पर हमला किया गया तथा कुछ दिनों के लिए प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया तथा **राष्ट्रीय झण्डा फहरा** दिया।

- इस संघर्ष को **मार्शल लॉ** लागू कर कुचल दिया गया। इस

- दौरान बंबई में कांग्रेस ने नारा दिया कि “मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ-पाँव हैं”।
- 4 फरवरी, 1930 को लगभग 20,000 मजदूरों जिनमें जी.आई.पी. रेलवे में काम करने वाले थे काम बंद कर दिया।
 - गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा तो जी.आई.पी. रेलवे यूनियन के कर्मचारियों ने एक नए तरह का सत्याग्रह शुरू किया।
 - उत्तर बंबई के बाहरी इलाकों के स्टेशनों पर झुंड में पहुँचते और अपने सामने लाल झंडा लगाकर रेलवे लाइन पर लेट जाते। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन का दमन किया। 1932 से 1934 के बीच श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।
 - 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया। 1937-39 के दौरान प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों का गठन हुआ प्रांतों को स्वायत्तता हासिल हुई।
 - प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को अपना समर्थन दिया। श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेसी सरकारों के सहानुभूति पूर्वक रवैये के कारण अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व उसके पश्चात् श्रमिक आंदोलन (Labour Movement During After World War II)**
- 1939 को जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया युद्ध के प्रयासों में किसी भी प्रकार के विघ्न को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोरतापूर्वक दमन किया गया। इसके बावजूद पूरे देश में आर्थिक मुद्दों को लेकर कई हड़तालें हुईं। 1941 में सोवियत संघ पर नाजी हमले के पश्चात् कम्युनिस्टों ने यह तर्क दिया कि युद्ध का स्वरूप अब बदल गया है।
- अब यह युद्ध साम्राज्यवादी न होकर जनता का युद्ध हो गया है। अतः श्रमिक वर्ग का यह दायित्व बनता है कि वह फासीवादी ताकतों को हटाने के लिए मित्र राष्ट्रों का समर्थन करे, जिसने समाजवादियों के पितृभूमि को संकट में डाल दिया है।
 - इस परिवर्तन के फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया।
 - भारत छोड़ो आंदोलन से कम्युनिस्टों की उदासीनता तथा विरोध करने के बावजूद श्रमिक वर्ग भारत छोड़ो आंदोलन से बिल्कुल अछूता नहीं रहा।
 - ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में देशभर में हड़तालें कीं।
 - इस क्रम में टाटा स्टील प्लांट 13 दिन बंद रहा तथा यह नारा दिया गया कि “वे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक देश में राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती।”
 - इसी प्रकार अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल में लगभग साढ़े तीन महीने हड़ताल रही। यद्यपि कम्युनिस्टों के प्रभाव क्षेत्र में मजदूरों का सहयोग भारत छोड़ो आंदोलन में कम था फिर भी कई क्षेत्रों में पार्टी लाइन के बावजूद साम्यवादी दल-बल सहित भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए।
 - 1945-47 के समय श्रमिकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़-चढ़कर कर भाग लिया। युद्ध के पश्चात् की राजनीतिक गतिविधियों में श्रमिक वर्ग ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
 - आई.एन.ए. मुकदमों को लेकर कस्बों तथा शहरों में आयोजित की गयी सभाओं में (विशेषकर कलकत्ता में) श्रमिक वर्ग की भागीदारी रही।
 - 1945 में कलकत्ता एवं बंबई के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाले जहाजों पर माल लादनें से इन्कार कर दिया। श्रमिक वर्ग का मानना था कि ऐसा करने का अर्थ दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का दमन करना था।
 - 1946 में शाही नौ सैनिक विद्रोह के समर्थन में हड़ताल इस काल में मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों में शायद सर्वाधिक शानदार कार्य था।
 - औपनिवेशिक शासन के अंतिम वर्षों में भी श्रमिक आंदोलन आर्थिक मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रहा और हड़तालों की संख्या में असाधारण वृद्धि देखी गयी। हड़तालों में डाक-तार, रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़ताल सबसे अधिक विख्यात हैं।

8

19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन (Social-Religious Reform Movements of 19th Century)


भारतीय पुनर्जागरण : सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन (Indian Renaissance: Social and Religious Reform Movements)

भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी सामाजिक-धार्मिक आंदोलन एक घटना मात्र नहीं होते हैं वरन् वास्तविक संदर्भों में क्रांति के प्रतिरूप जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन, छठी सदी ई. पू. में परंपरा विरोधी संप्रदायों का उदय, 14वीं-15वीं सदी में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन आदि को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इन आंदोलनों से न सिर्फ इनका तत्कालीन परिवेश बदला बल्कि आगे आने वाले युग की विकासधारा भी व्यापक संदर्भों में प्रभावित हुई।

जीवन के विविध क्षेत्र जैसे-संस्कृति, समाज, राजनीति आदि इन आंदोलनों द्वारा निर्देशित हुए। 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को इसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है।

19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और धर्म अनेक रूढ़ियों एवं कुप्रथाओं से ग्रस्त हो चुका था क्योंकि समाज के मूल्य रीति-रिवाज धर्म पर आधारित थे। अतः अनेक कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था। अतः धर्म में सुधार लाए बिना समाज में सुधार संभव नहीं था। जिसे समाप्त करने हेतु भारतीयों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए।

19वीं सदी में बौद्धिक एवं सांस्कृतिक उथल-पुथल भारतीय समाज की एक विशेषता थी। इस काल में हुए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने देश के जनजीवन को झकझोर दिया। इनके द्वारा जहां एक तरफ धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों की बात की गयी, वहीं दूसरी तरफ भारत के अतीत को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की गयी, जिससे भारतीयों के मन में आत्मसम्मान व आत्मगौरव की भावना को जगाया जा सके। इसे ही पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है।



सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण (Responsible factor for socio-Religious Reform Movements)

- **पश्चिमी सभ्यता से संपर्क (Contact with Western Civilization)** भारत का पश्चिमी जगत की सभ्यता और संस्कृति से प्राचीनकाल से ही संबंध रहा था, जो मध्यकाल से सुप्तप्राय हो गया था।
- अंग्रेजों के आगमन ने इस संबंध को मजबूत किया। पश्चिमी जगत से संपर्क कायम होने से पाश्चात्य जगत में हुई **बौद्धिक तथा वैज्ञानिक प्रगति** का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। इस प्रभाव ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की लालसा को उत्पन्न किया।
- **आधुनिक शिक्षा का प्रभाव (Influence of Modern Education)** - स्वार्थवश ही सही अंग्रेजों ने जिस **आधुनिक शिक्षा** को बढ़ावा दिया उसने भारतीयों की मनः स्थिति पर काफी व्यापक प्रभाव डाला।
- अब भारतीय भी **व्यक्तिगत एवं वैचारिक स्वतंत्रता, समानता** आदि की दिशा में सोचने लगे और अपने समाज में व्याप्त बुराइयों को सुधारने का प्रयास करने लगे।
- **समाचारपत्रों एवं आवागमन के साधनों का विकास (Development of Newspapers and Transport's Tools)** - अंग्रेजी शासन के दौरान समाचार पत्रों एवं जनसंचार के साधनों का विकास होने से लोगों को **विचार-अभिव्यक्ति के प्रचार एवं जनसंपर्क** की सुविधा प्राप्त हुई।
- इसी प्रकार रेलों और सड़कों के विकास ने यह संभव कर

दिया कि सामाजिक-धार्मिक सुधार द्वारा भारतीय जनमानस को सही दिशा में उद्वेलित किया जा सके और नयी व्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके। सुधारकों ने वस्तुतः ऐसा ही किया।

- **ईसाई मिशनरियों की भूमिका (Role of Christian Missionaries)**– भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन जागृत करने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने हिन्दू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और बुराइयों की आलोचना करते हुए अपने धर्म के प्रचार व प्रसार का प्रयास शुरू कर दिया।
- इससे भारतीयों के समक्ष अपने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए खतरा नजर आने लगा। इसके लिए सुधारकों ने हिन्दू धर्म को अधिक उदार बनाने तथा उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसी प्रयास ने आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस सुधार आंदोलन के पीछे आंतरिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
- **19वीं सदी** का भारतीय परिवेश विभिन्न रूपों में एक प्रकार का उथल-पुथल का काल था। इसे संक्रमण काल के रूप में भी देखा जा सकता है जो **18वीं सदी** से ही जारी था। इस परिवेश की विशेषताएं थीं, ब्रिटिश विस्तार और उसके विरोध में भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय सुधारकों द्वारा सांस्कृतिक रक्षा की अभिव्यक्ति, भारतीयों में पराजयबोध की भावना तथा अपनी दुर्बलता जानने की कोशिश, अतीत का गौरवबोध आदि।
- इस प्रकार इस संक्रमणकालीन अवस्था में नए-नए तत्वों के आने से परंपरा एवं वर्तमान तत्वों के संघर्ष का एक विशेष स्वरूप दिखाई पड़ता है। परंपरा एवं आधुनिकता का यह द्वंद्व विभिन्न सुधारों की प्रक्रिया में भी देखा जा सकता है।

इन सब कारणों के अलावा इस गति को बल प्रदान करने में प्रबुद्ध तथा उदार अंग्रेजों का योगदान भी सराहनीय रहा। इसके अतिरिक्त महान सुधारकों जैसे **राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, केशवचंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद** आदि का योगदान अतुलनीय रहा। इन महान लोगों की वजह से ही सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल रहा।

विभिन्न सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (Various Socio-Religious Reform Movements)

जब सुधार आंदोलन की बात की जाती है तब इसे दो वर्गों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं।

- प्रथम वे जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में व्याप्त बुराइयों को दूर कर उनमें सुधार के प्रयत्न किए, जैसे-**ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा अलीगढ़ आंदोलन** आदि।
- द्वितीय वे वर्ग जो **पुनर्नवीकरण (Revivalist)** आंदोलन के द्वारा अपने समाज का पुनरुद्धार करना चाहते थे, जिनमें **आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा देवबन्द आंदोलन** थे।
- दोनों ही वर्गों द्वारा भिन्न-भिन्न सीमा तक अपने धर्म में सुधार करने का प्रयत्न और **पवित्र धर्म की दुहाई** दी जाती थी। दोनों ही वर्गों में भेद केवल मात्रा का था जो अपनी-अपनी **परंपरा, तर्क तथा अंतरात्मा** पर निर्भर था।

भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियाँ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं इसलिए धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं था। इस कारण प्राचीन धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को चुनौती देनी पड़ी। एक अन्य पहलू यह भी देखने को मिलता है कि भारतीय जीवन के भिन्न-भिन्न पक्षों का एक दूसरे से बहुत निकट का संबंध होता है, जिसके कारण एक पक्ष में सुधार का प्रभाव दूसरे पक्ष पर स्पष्ट दिखायी देता है, जैसे- सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि के समाप्ति के बिना स्त्री-समाज का सामाजिक कल्याण संभव नहीं हो सकता था।

सामाजिक सुधार आंदोलनों में **राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, सर सैय्यद अहमद खाँ** आदि का योगदान अतुलनीय रहा। इन महान लोगों की वजह से ही सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल रहे।

राजा राममोहन राय एवं ब्रह्म समाज (Raja Ram Mohan Roy and Brahma Samaj)

राजा राममोहन राय को **19वीं सदी** के सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, **आधुनिक भारत का पिता** आदि कहा जाता है। एक रूप में अगर **19वीं सदी** की बात की जाए तो इन्हें **20वीं सदी** के गाँधी के समान व्यापक आयामों वाला व्यक्तित्व कहा जा सकता है। इनकी मूल विशेषता भारतीय एवं

पाश्चात्य विचारों में समन्वय की स्थापना करना था। राजा राममोहन राय की उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं जैसे-

- धार्मिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म सत्य हैं, लेकिन **कर्मकांड** उन्हें दूषित बना देते हैं।
- धार्मिक सुधार में उन्होंने विशेष रुचि ली एवं इन सुधारों के माध्यम से धर्म में **व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों** आदि पर प्रहार किया जिससे धर्म सभी के लिए सुलभ हो सके।
- जिस समय बंगाल में युवा वर्ग शिक्षा से प्रभावित होकर **ईसाई धर्म** की ओर आकर्षित हो रहे थे, उसी समय राजा राममोहन राय **हिन्दू धर्म** के रक्षक के रूप में सामने आए।
- एक तरफ उन्होंने **ईसाई पादरियों** से हिन्दू धर्म की रक्षा की तो दूसरी तरफ हिन्दू धर्म में व्याप्त बुराइयों की आलोचना की।
- उन्होंने युवा अवस्था से ही **मूर्तिपूजा** की आलोचना की, हिन्दू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और मानव सेवा के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले।
- वे **एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे** तथा मूर्तिपूजा का विरोध करते थे। 1803 में **तुहफत उल मुजाहिदीन** नामक दार्शनिक कृति में मूर्तिपूजा का विरोध किया गया तथा **एकेश्वरवाद** को सब धर्मों का मूल बताया।
- एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने एवं हिन्दू धर्म की **कुरीतियों एवं प्रथाओं** के विरुद्ध लड़ने के लिए उन्होंने 1815 ई. में आत्मीय सभा की स्थापना की।
- 1828 ई. में हिन्दू धर्म को शुद्ध करने एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करने के उद्देश्य से '**ब्रह्म समाज**' की स्थापना की।
- **सामाजिक क्षेत्र** में राजा राममोहन राय जीवनपर्यंत सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। वे महिलाओं के अधिकारों, जैसे- **उत्तराधिकार एवं संपत्ति का अधिकार, बहुविवाह प्रथा पर रोक, विधवाओं की दयनीय स्थिति तथा सती प्रथा पर रोक** आदि मुद्दों को अपने प्रमुख सामाजिक सुधार का केंद्र बिंदु बनाया।
- उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि **1829 ई. में सती प्रथा को समाप्त** करने एवं इस प्रथा के विरुद्ध **कानून बनवाने** की रही।
- **शिक्षा के क्षेत्र** में राजा राममोहन राय का योगदान इस रूप में उल्लेखनीय है कि वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक एवं प्रचारक थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने **अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य ज्ञान** का समर्थन करते हुए परंपरागत **भारतीय ज्ञान-विज्ञान** को भी महत्व प्रदान किया।
- **1817 ई. में डेविड हेयर** की सहायता से **कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज** की स्थापना की जो धर्म निरपेक्ष रूप से पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने हेतु पहली संस्था थी क्योंकि इससे पहले यह कार्य सिर्फ ईसाई मिशनरियों द्वारा होता था।
- **1825 ई. में वेदांत कॉलेज की स्थापना** की जहाँ भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों पद्धतियों की शिक्षा दी जाती थी।
- **प्रेस की** भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संदर्भ में **राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता** के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने विभिन्न भाषाओं, **बांग्ला में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार, अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन** आदि पत्र निकाले। इसके प्रयासों के प्रभाव से **1838 ई. में मैटकॉफ** द्वारा प्रेस पर लगा प्रतिबंध हटाया गया।
- **राजनीतिक क्षेत्र** में किए गये कार्यों के कारण **राजा राममोहन राय** आधुनिक भारत के **पहले राजनीतिक सुधारक** माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के एकीकरण में विश्वास रखते थे।
- उन्होंने **1820 के दशक** में राजनीतिक सुधारों की मांग की, ये मांग आगे चलकर प्रारंभिक राष्ट्रीय कांग्रेस के समय प्रमुख मांगे बनीं। उदाहरण के लिए कुछ सरकारी पदों का **भारतीयकरण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, न्याय क्षेत्र में समानता, संवैधानिक सुधार** आदि।
- उन्होंने समसामयिक घटनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने तथा सरकार के समक्ष लोक-विचार प्रस्तुत करने के लिए पत्रकारिता को भी बढ़ावा दिया।
- **आर्थिक क्षेत्र** में भी इन्होंने किसानों के हित में स्थायी बंदोबस्त का स्वरूप निर्धारित करने, भेदभावपूर्ण आयात-निर्यात को समाप्त करने आदि की मांगे रखीं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि **राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक** के साथ ही **शिक्षा, प्रेस, राजनीति, अर्थव्यवस्था** आदि विविध क्षेत्रों में भी एक सक्रिय व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं।
- वास्तव में यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि **19वीं सदी**

के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रवृत्तियाँ सिर्फ समाज एवं धर्म से नहीं जुड़ी रहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों से जुड़कर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नए परिवर्तनों के लिए प्रेरित करती हैं।

- राजा राममोहन राय सामाजिक-धार्मिक सुधार-आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में तो जाने जाते ही हैं साथ ही 19वीं सदी में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके स्वरूप निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ब्रह्म समाज (Brahmo Samaj)

राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की गयी। उन्होंने 1830 ई. में लिखे प्रन्यासकरण पत्र में ब्रह्म समाज के उद्देश्यों का उल्लेख किया है, इसमें ईश्वर को शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर अर्थात् जिसे परिवर्तित न किया जा सके, सारे विश्व का कर्ता और रक्षक बताया गया है। उनके उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता को दृढ़ करना था।

- इस संस्था को नवजीवन प्रदान करने और एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने में देवेन्द्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण योगदान था। 1842 ई. में वे इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित आदि से ब्रह्म समाज के अनुयायियों को रोका।
- देवेन्द्रनाथ टैगोर ने केशवचन्द्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशवचन्द्र सेन ने शीघ्र ही इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया तथा इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गईं।
- केशवचन्द्र सेन उदारवादी विचार के थे। वे हिन्दू धर्म को संकीर्ण मानते थे और संस्कृत के मूलपाठों के प्रयोग को ठीक नहीं मानते थे। इनकी सभाओं में सभी (ईसाई, मुसलमान, पारसी) धर्मों की पुस्तकों का पाठ होने लगा।
- इन कारणों से देवेन्द्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के एक मात्र प्रन्यासी (ट्रस्टी) की हैसियत से 1865 से केशवचन्द्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया।
- 1866 ई० में केशवचन्द्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसे 'आदि ब्रह्म समाज' कहा गया। इन्होंने समाज सुधार की मौलिक एवं व्यापक योजना को अपनाकर भक्ति को ब्रह्मवाद से जोड़ा।
- ब्रह्म समाज का दूसरा विच्छेद 1878 ई. में समाज की व्यवस्था के बारे में प्रश्न एवं सेन द्वारा 'नेटिव मैरिज एक्ट' को भंग

करने के कारण हुआ। आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री ने 'साधारण ब्रह्म समाज' की स्थापना की।

ब्रह्म समाज का योगदान (Contribution of Brahmo Samaj)– ब्रह्म समाज का भारतीय पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज ने अवतारवाद की अवधारणा का खण्डन किया।

- बहुदेववाद तथा मूर्तिवाद की भी आलोचना की गयी और एकेश्वरवाद की बात की गयी। ब्रह्म समाज ने वर्ण व्यवस्था की भी आलोचना की।
- सामाजिक दृष्टि से ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया और उसे सरल बनाया जिससे समाज का हर वर्ग या व्यक्ति उस समाज में अपने आप को ढाल सके तथा बेहतर जीवनयापन कर सके।
- इस क्रम में ब्रह्म समाज ने विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती दी, स्त्रियों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया। बहुविवाह, सती प्रथा, बाल-विवाह, पर्दा प्रथा को समाप्त करने तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के लिए भी प्रयास किया।
- ब्रह्म समाज द्वारा जातिवाद तथा अस्पृश्यता (छूआछूत)जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया तथा इन्हें दूर करने का प्रयत्न भी किया यद्यपि इसमें ब्रह्म समाज उतना सफल नहीं हुआ।

यंग बंगाल आंदोलन (Young Bengal Movement)

इस आंदोलन के संस्थापक हेनरी लार्ड विनियन डेरोजियो थे। डेरोजियो एंग्लो-इंडियन थे, जिन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था। वे हिन्दू कॉलेज में प्राध्यापक थे और उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी जिससे प्रभावित होकर अनेक मेधावी, विद्यार्थी उनके प्रशंसक और अनुयायी बन गये।

- डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे और अपने समय में शायद सबसे उग्र विचार रखते थे। उन्होंने प्राचीन रीति-रिवाजों एवं परंपराओं का विरोध किया और वे अपने अनुयायियों को विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता और स्वतंत्रता से प्रेम करने तथा सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया।
- उन्होंने महिला अधिकार एवं महिला शिक्षा की सिफारिश की तथा प्रेस और जनसंगठनों के माध्यम से जनता को समकालीन

- सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक विषयों पर शिक्षित किया।
- डेरोजियो के समर्थक आधुनिक पाश्चात्य विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्हें परंपरागत हिन्दू संस्कृति में अनेक दोष दिखायी देने लगे और इसके लिए वे अतीत से पूर्ण रूप से संबंध-विच्छेद करना चाहते थे।
- अतः हिन्दूवादी संगठनों में उपर्युक्त कमियों के बावजूद यंग बंगाल आंदोलन की उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता है। इसकी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं-
- इसने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा शिक्षित करने की राजा राममोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया।
- इसने सामान्य हित के सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर आंदोलन चलाए जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी सेवा के उच्च पदों पर भारतीयों को रोजगार जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल थे।
- इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाया। सुधार-आंदोलन के व्यक्तित्वों में विद्यासागर इस रूप में विशिष्ट हैं कि उन्होंने विधवा-पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया।
- इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त विद्यासागर ने समाज एवं धर्म क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध किया। अपनी बातों के समर्थन में इन्होंने परंपरा का भी सहारा लिया। उदाहरण के लिए इन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया कि वैदिक ग्रंथों में भी विधवा-पुनर्विवाह की अनुमति है।
- विद्यासागर ने 1850 में बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने जीवन भर बहुविवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया।
- वे नारी-शिक्षा को ही नारी जाति के प्रगति का आधार मानते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की, इसी क्रम में कलकत्ता में 1849 ई. में बेथुन स्कूल की स्थापना हुई जो नारी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गया, जिसकी स्त्री शिक्षा के विकास में भूमिका रही।
- शिक्षा क्षेत्र में संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल रहते हुए उन्होंने गैर ब्राह्मणों को भी संस्कृत पढ़ने के अधिकार की बात की।

मूल्यांकन

- यंग बंगाल आंदोलन अत्यधिक क्रांतिकारी होने के कारण समाज में व्यापक पैठ बनाने में सफल नहीं हो सका। फिर भी कहा जा सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन को अपने उद्देश्यों में भले ही कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई हो लेकिन इस आंदोलन का प्रतीकात्मक महत्व यह रहा है कि आने वाले वर्षों में सभी सुधारकों एवं राष्ट्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा।

पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर (Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar)

19वीं शताब्दी में बंगाल के दूसरे महान सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बंगालियों की सामाजिक दशा सुधारने और उन्हें शिक्षित करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनमें मानवोचित गुणों, विवेकशीलता, नम्रता एवं गरीबों के प्रति सहानुभूति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। संस्कृत भाषा और बांग्ला साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

- ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सबसे अधिक नारी जाति के सामाजिक स्थिति को लेकर किए गये प्रयासों और उनको ऊँचा उठाने के उनके योगदान के कारण याद किया जाता है।

दयानंद सरस्वती और आर्य समाज (Dayanand Saraswati and Arya Samaj)

19वीं सदी के सुधारकों में दयानंद सरस्वती सबसे अग्रणी माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती सुधारवाद की दूसरी धारा का प्रवर्तन करते हैं।

- एक ओर जहाँ पहली धारा राजा राममोहन राय की है, जिसमें पाश्चात्य प्रभावों को ग्रहण किया गया है तो वहीं दूसरी धारा दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की है। जो वैदिक परंपरा में विश्वास करती थी और पाश्चात्य प्रभावों का विरोध इस रूप में आर्य समाज को पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है।

मूल विचार

- दयानंद सरस्वती ने प्राचीन वैदिक धर्म के स्थापना की बात की और इसके लिए इन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा

दिया। इनका मानना था कि वैदिक काल के बाद से लेकर उनके समय तक सभी धर्म **पाखंड का रूप हैं।**

- अतः इन्होंने इस पाखंड के खंडन के लिए **पाखंड खंडिनी आंदोलन** चलाया।
- वास्तव में इनके अनुसार वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ जैसे **पुराण आदि मनगढ़ंत कथाओं** का समुच्चय लगता है और इसके **प्रसारक पाखंडी ब्राह्मण** हैं जिन्होंने हिन्दू धर्म को भ्रष्ट किया है। इन्होंने कहा कि **प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है।**
- **1875** में इन्होंने **बम्बई में आर्य समाज** की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। उस समय हिन्दू समाज में जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं उन्हें जड़ से खत्म करने का प्रण किया।
- **दयानंद सरस्वती** का मुख्य उद्देश्य भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक करना था। समकालीन हिन्दू धर्म तथा समाज में अनेक त्रुटियाँ देखीं और दोनों ही क्षेत्रों में व्याप्त इन त्रुटियों को दूर करने का अथक प्रयास जीवनभर करते रहे।

स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गये प्रयास निम्नलिखित हैं-

- धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने **मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशुबलि, श्राद्ध कर्म, तंत्र-मंत्र** आदि कर्मकांडों को अस्वीकृत किया। इनका मानना था कि वेदों में इन कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं है। **वेद ईश्वरीय ज्ञान** के समान है।
- दयानंद सरस्वती कर्मकांडों का विरोध करते हुए यह मानते थे कि **प्रकृति सत् है, आत्मा सत् तथा चित् है और परमात्मा सत्चित् और आनंद है।** ये तीनों ही **आनादि और अनंत हैं।**
- उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत मानव धर्म के अनुसार आचरण कर **मोक्ष प्राप्त** करना चाहिए।
- **दयानंद सरस्वती** का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य बदल सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कर्मभूमि में कार्य करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना होगा, कर्मशील बनकर जीवन व्यतीत करना होगा।
- **सामाजिक क्षेत्र** में भी इन्होंने सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी जी ने **छुआछूत, बालविवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा** आदि बुराइयों पर **कुठाराघात** किया।

- भारत के सामाजिक इतिहास में वे पहले सुधारक थे जिन्होंने **शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा ऊँची जातियों के बराबर हर जगह अधिकार प्राप्त करने** का समर्थन किया। सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य स्त्रियों की दशा सुधारने को लेकर किया।
- वे पुत्र तथा पुत्रियाँ को समान मानते थे और उनके बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने **बाल विवाह, विधवा को हेय मानना, बहुविवाह, वेश्यागमन, देवदासी प्रथा** इत्यादि सामाजिक बुराइयों को उन्होंने अस्वीकार किया। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे, परन्तु चारों वर्णों को समान मानते थे और किसी भी वर्ण को अस्पृश्य नहीं मानते थे।
- इस प्रकार स्वामी जी ने हिन्दू समाज में **समानता की भावना** को जागृत किया जो आज हमारे **संविधान का अंग है।**
- **ज्ञान, भाषा, शिक्षा** के विषय पर स्वामी जी ने अपने विचार प्रकट किए उनका मानना था कि ज्ञान के माध्यम से ही राष्ट्र के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।
- तात्कालीन परिवेश में ज्ञान के महत्व पर जोर देना राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में एक विशिष्ट तत्व है।
- इन्होंने **गुजराती** होते हुए भी **हिन्दी भाषा में 'सत्यार्थ प्रकाश'** लिखा और हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य किए।
- एक संदर्भ में इन्हें **हिन्दी को राष्ट्रभाषा** के रूप में प्रचारित-प्रसारित करने वालों में प्रारंभिक व्यक्तित्व माना जा सकता है। वास्तव में **दयानंद विदेशी सत्ता के विरुद्ध भारतीयों में सांस्कृतिक एकता की स्थापना करना चाहते थे।**
- **स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु** के बाद इनके समर्थकों द्वारा शिक्षा क्षेत्र में व्यापक कार्य किए गए। **लाला हंसराज ने दयानंद-एंग्लों वैदिक कॉलेज** की स्थापना की जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने **गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय** के माध्यम से भारतीय पद्धति से शिक्षा प्रसार के प्रयास किए।
- **आर्य समाज के सिद्धान्त-** स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना के समय ही इसके नियम और सिद्धान्त को बताया जो आज भी उसी रूप में विद्यमान है, ये निम्न हैं-
 - सभी **सत्य विद्या** है और जो **पदार्थ विद्या** से जाने जाते हैं उन सबका आदि **मूल परमेश्वर** है।
 - **ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु अनादि, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वव्यापक,**

- अजर, अमर, अभय नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी चाहिए।
- वेद ही सत्य पुस्तक है। वेदों को पढ़ना, सुनना, सुनाना आर्यों का परम कर्तव्य है।
- हमेशा सत्य बोलना चाहिए तथा असत्य को त्याग देना चाहिए।
- सभी कार्य धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य पर विचार करके करना चाहिए।
- संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है।
- अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को समाज की उन्नति में अपनी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्रवादी आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका (Role of Arya Samaj in Nationalist Movement)

19वीं सदी के समाज-सुधारकों में राजा राममोहन राय के पश्चात् दयानंद सरस्वती सर्वाधिक चेतना संपन्न व्यक्तित्व थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास धारा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष कर स्वदेशी की वह अवधारणा, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण एवं विकास में आधारभूत भूमिका का कार्य किया इसे सामने लाने में दयानंद सरस्वती की प्रारंभिक भूमिका रही। इन्होंने नारा दिया कि 'भारत भारतीयों के लिए है' साथ ही इनका मानना था कि, "कोई कितना भी कहे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है तथा विदेशी राज्य कभी सुखदायी नहीं हो सकता है।"

- इनका यह विचार तत्कालीन भारतीय परिवेश में चल रहे राजभक्ति बनाम देशभक्ति के द्वंद्व में देशभक्ति को वास्तविक अर्थों में स्थापित करने में सहायक होता है।
- उस समय कई भारतीय बुद्धिजीवियों की सोच पर कड़ा प्रहार हुआ। साथ ही, इस विमर्श में देशभक्ति के तत्वों को प्रबलता मिली।
- वास्तव में 19वीं सदी के अंत तक, जब तक राष्ट्रवादी नेतृत्व में उदारवादी प्रभाव रहा तब तक ब्रिटिश सुशासन के नाम पर अंग्रेजी शासन के कृत्तियों पर भी पर्दा डाला जाता रहा। अतः दयानंद सरस्वती का विचार राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अग्रगामी विचार रहा, जिससे कई अर्थों में आगे चलकर कांग्रेस नेतृत्व प्रेरित हुआ। दयानंद सरस्वती से ही पहली बार स्वदेशी वस्त्र का समर्थन, स्वराज शब्द की अभिव्यक्ति हुई।

- कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के सुधारकों में दयानंद सरस्वती इस रूप में विशिष्ट हैं कि इनके विचारों से भारतीय राष्ट्रवाद की विकास धारा को निर्णायक तत्व मिले। हालाँकि कुछ बिंदुओं पर इनकी आलोचना हुई जैसे इन्होंने धर्म परिवर्तित हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धर्म में शामिल करने के लिए 'शुद्धि आंदोलन' चलाया, जिसे सांप्रदायिकता के विकास से भी जोड़कर देखा जाता है।

थियोसोफिकल सोसायटी (Theosophical Society)

भारत में धार्मिक आंदोलन के इतिहास में थियोसोफिकल सोसायटी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 1975 में न्यूयार्क में यह संस्था उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गयी थी जो भारतीय विचारों और संस्कृति से प्रभावित थे।

- इस संस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रति लोगों में विश्वास जगाना तथा धर्म को समाज सेवा का प्रमुख आधार बनाना था। इस संस्था के विचार मुख्यतः हिन्दू धर्म तथा इसके अतिरिक्त बौद्ध एवं पारसी धर्मों से भी प्रभावित था। इस संस्था की गतिविधियों से भारतीय धर्म एवं दर्शन के विचारों को महिमा मंडित भी किया गया, जिससे एक प्रकार से अतीत गौरव की भावना प्रसारित हुई।
- परिणामतः भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति खोया हुआ विश्वास वापस लाने में मदद मिली। इस संस्था से जुड़ी एनी बेसेंट जैसे प्रचारकों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थानों की स्थापना की।
- उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिन्दू कॉलेज (सी. एच.एस.) की नींव रखी जहाँ हिन्दू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाये जाते थे, 1916 में यही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया। साथ ही सामाजिक सुधार के भी कार्य हुए।
- यह संस्था भारत के प्राचीन धर्म में गहरी अभिरुचि रखती थी। इसने हिन्दुओं के पुनरुत्थान एवं भारतीय आदर्शों एवं परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। एक अर्थ में यह संस्था 'प्रतिक्रियावादी' थी।
- एनी बेसेंट के प्रयासों से ही बनारस में सेंट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना हुई, जो बाद में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' बना।
- भारत की स्वतंत्रता में भी उनका योगदान है। उन्होंने 1916

ई. में 'होमरूल लीग' की स्थापना की जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया।

स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन

(Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission)

19वीं सदी के सुधार आंदोलनों की शृंखला में स्वामी विवेकानंद इस रूप में उल्लेखनीय हैं कि इनके विचारों एवं कार्यों से इस पूरे सुधार आंदोलन का मूल आदर्श मानवतावाद की स्थापना प्रखरता से अभिव्यक्त हुआ।

- विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों से काफी प्रभावित थे और उनकी स्मृति में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर अपने विचारों को प्रसारित किया। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि- 'मानव सेवा ईश्वर सेवा से बढ़कर है।' परमहंस हिन्दू धर्म में श्रद्धा रखने के बावजूद सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। विवेकानंद ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों मानवतावाद एवं सभी धर्मों की बुनियादी एकता को आगे बढ़ाया और धर्म के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण की निंदा की।
- विवेकानंद के अनुसार भारत भूमि के विकास में हिन्दू एवं इस्लाम दोनों धर्मों का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी ने भारतीयों को जागृत करने के लिए संकुचित दृष्टि छोड़कर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्वयं को जोड़ने की बात की।
- इनका कहना था कि "हमारा धर्म रसोई में बंद हो गया है जिसे खोलने की आवश्यकता है।"
- विवेकानंद के विचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार मानव सेवा से संबंधित विचार है। जहां इनका कहना है कि 'मानव सेवा ईश्वर के समान है।'
- विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक जाति का निर्धन व्यक्ति उनका सगा-संबंधी है। वे धनी व्यक्तियों द्वारा कमजोर वर्ग के शोषण की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं भूखों को धर्म का पाठ पढ़ाना मानवता एवं ईश्वर दोनों का अपमान है मानवता वही है जो निर्धनों को रोटी देता है।
- उनके अनुसार वह देशद्रोही के समान है जो शिक्षा एवं ज्ञान अर्जित तो करता है लेकिन निर्धनों की सेवा नहीं करता।
- कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के सुधारकों में स्वामी

विवेकानंद कई संदर्भों में विशिष्ट थे। इन्होंने सुधारों के केन्द्र में मानवतावाद को स्थापित करने का प्रयास किया, जो सुधारों का आदर्श भी था। साथ ही, इन्होंने न सिर्फ भारतीयों के संकुचित दृष्टिकोण पर प्रहार कर परिवर्तन के लिए प्रेरित किया बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी स्थापित करने का कार्य किया।

इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन

(Islamic Reform Movement)

19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थे। कुछ वैसे ही जैसे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों द्वारा जहाँ हिन्दू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वहीं इस्लाम में सूफी आंदोलन।

- 19वीं सदी के इस्लाम धर्म सुधार में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गयीं। एक रूढ़िवादी या पुनरुत्थानवादी तथा दूसरा सुधारवादी।

रूढ़िवादी/पुनरुत्थानवादी (Orthodox/Revivalist)

इसके तहत बहावी, देवबंद आदि आंदोलन को देखा जा सकता है। बहावी आंदोलन की शुरुआत पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को दारूल हर्ब की जगह दारूल इस्लाम बनाना अर्थात् इस्लामी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना।

- इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे- शाह वली उल्लाह, शाह अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, टीटू मीर आदि। प्रारंभ में यह सुधार आंदोलन सिर्फ धर्म-सुधार पर केन्द्रित था पर बाद में इसमें ब्रिटिश विरोध का स्वर प्रमुखता से स्थापित हुआ। जिसका तात्पर्य है कि इसने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रभावित किया।

मुस्लिम सुधार आंदोलन में देवबंद आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे-

- मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना।
- विदेशी शासकों के विरुद्ध 'जिहाद' की भावना जीवित रखना। मुहम्मद कासिम ननौत्वी तथा रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में 1866 ई० में देवबंद में दार-उल-उलूम की स्थापना

किया गया। इसका उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता का प्रशिक्षित करना था शिक्षा मौलिक इस्लाम धर्म की दी जाती थी जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का धार्मिक एवं नैतिक पुनरुद्धार करना था।

- देवबंद आंदोलन ने 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया।

सुधारवादी (Reformist)

इसमें अहमदिया, फैरायजी, अलीगढ़ आदि आंदोलन उल्लेखनीय हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 'अहमदिया आंदोलन' चलाया गया, जिसमें मूलतः मुस्लिम समाज में सुधार तथा ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों के आक्रमण से इस्लाम की रक्षा करने की बात की गई।

- इसने आधुनिक औद्योगिकरण एवं तकनीकी प्रगति को धार्मिक स्वीकृति प्रदान की। यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। इसी समय फैरायजी आंदोलन भी चला, जिसे विकसित करने में हाजी शरियतुल्ला, दादू मियाँ आदि महत्वपूर्ण थे। यह आंदोलन भी मूलतः समाज सुधारों पर ही केन्द्रित था।
- इस्लामिक सुधार आंदोलनों में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सर सैय्यद अहमद खाँ द्वारा चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसमें पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ ही मुस्लिम समाज में सुधारों की बात की गई।
- सर सैय्यद अहमद खाँ का मानना था कि मुसलमान अपने-आप को अलग-थलग रखेंगे तो वे अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार 'तहजीब-उल-अखलाक' (सभ्यता और नैतिकता) द्वारा किया।
- मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1875 ई. में अलीगढ़ में एक आधुनिक विद्यालय 'मुस्लिम एग्लो ओरियन्टल स्कूल' की स्थापना की जिसमें पाश्चात्य एवं मुस्लिम धर्म दोनों की शिक्षा दी जाती थी बाद में 1920 ई. में यह अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया।
- अलीगढ़ मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केन्द्र बन गया। चूँकि सैयद अहमद के कार्यक्रम का मुख्य केंद्र अलीगढ़ को प्रायः 'अलीगढ़ आंदोलन' के नाम

से जाना जाता है। मुस्लिम समाज एवं शिक्षा क्षेत्र में कार्यों के कारण यह आंदोलन उल्लेखनीय है।

- लेकिन दुर्भाग्य वश अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो नीति और हिन्दू प्रभुत्व के गलत भय के कारण यह आंदोलन कांग्रेस विरोधी, हिन्दू विरोधी और अंग्रेज समर्थक हो गया। इसकी मूल विशेषता स्त्री-सुधारों की बात करना भी था।

पारसी धर्म-सुधार आंदोलन

(Parsi Reform Movement)

19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों से पारसी समाज भी अछूटा नहीं रहा। पारसी धर्म में सुधार के तहत 'रहनुमाई मजदयान सभा' गठित की गई, जिसका उद्देश्य पारसियों की प्राचीन धर्म एवं परंपरा की शुद्धता को प्राप्त करना तथा उसकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना था।

- इस संस्था की स्थापना में फरदोन जी, एस.एस. बंगाली, दादा भाई नौरोजी आदि प्रमुख थे। रहनुमाई मजदयान सभा ने धार्मिक रूढ़िवादिता के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया और पारसी समाज को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से महिलाओं की शिक्षा, विवाह एवं समाज में उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किए गए।
- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप पारसी लोगों ने पश्चिमी जीवनशैली अपनाना शुरू कर दिया और एक समय ऐसा आया जब सामाजिक तौर पर वे भारतीय समाज के सबसे आधुनिक वर्ग में बदल गये। इनमें नौरोजी प्रारंभिक राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे।
- दादाभाई नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद की धारणा का विकास करने वाले प्रथम भारतीय थे। समाज-सुधारक दादा भाई नौरोजी की आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रही।

सिख धर्म सुधार आंदोलन

(Sikh Reform Movement)

सिख धर्म में सुधारों का विकास मुख्यतः गुरुद्वारा प्रबंधन में व्याप्त विकृतियों को दूर करने के लिए हुआ। इसकी शुरुआत अमृतसर खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई गुरुद्वारा प्रबंधन के सुधार की यह प्रक्रिया आगे चलकर 'अकाली आंदोलन' की प्रमुख मांग बनी।

- अकाली आंदोलन में गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के प्रभाव से दूर करने में सफलता मिली। गुरुद्वारों के पास जमीन और पैसे का भ्रष्ट एवं स्वार्थी महंत मनमाने ढंग से उपभोग करते थे। 1921 में अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने इसका विरोध किया।
- महंतों और सरकार (जो महंतों की सहायक थी) के विरुद्ध एक शक्तिशाली सत्याग्रह शुरू किया। बाध्य होकर सरकार को 1922 में **सिख गुरुद्वारा अधिनियम** पास करना पड़ा।
- इस अधिनियम में 1925 में कुछ सुधार किया गया। इस प्रकार इस अधिनियम की सहायता तथा कभी-कभी सीधी कार्रवाई से भी भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारों से निकाला गया।

सुधार आंदोलन की प्रकृति/स्वरूप (Reform Movement's Nature/Form)

19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रकृति या स्वरूप को निम्नलिखित आधारों पर देखा जा सकता है।

सुधार आंदोलन के तत्व/विचारधारा (Reform Movement's Element/Ideology)

- संपूर्ण सुधार आंदोलनों में **बुद्धिवाद, तर्कवाद, मानवतावाद, सर्व व्यापकतावाद** आदि प्रवृत्तियां सामान्य रूप से देखी गईं। इन विचारों के पीछे पाश्चात्य बौद्धिक जागरण का प्रभाव तो था पर साथ ही, इसके लिए इन विचारों को भारतीय परिवेश में आत्मसात किए जाने के लिए परिवेशगत परिस्थितियों की निर्णायक भूमिका रही।
- इस आंदोलन का स्वरूप बहुआयामी था। यह सामाजिक तथा धार्मिक दोनों सुधारों से संबद्ध था। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य समाज सुधार था चूँकि समाज में अनेक कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था।
- अतः सामाजिक जीवन बहुत सीमाओं तक धार्मिक विचारों एवं मान्यताओं से प्रभावित था। अतः धर्म में सुधार के बिना समाज सुधार तर्कहीन था। चूँकि यह **आंदोलन तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण** से संबद्ध था।
- विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार के तहत एक मानवतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों **जाति-प्रथा, छुआछूत, नारी शोषण** आदि का विरोध इस आंदोलन द्वारा किया गया और एक सीमा तक

- इसमें सफलता भी मिली क्योंकि **बाल-विवाह, सती-प्रथा** आदि पर रोक लगी और **विधवा पुनर्विवाह** को बढ़ावा मिला।
- सुधारवादियों एवं पुनरुत्थानवादियों के बीच का द्वंद्व, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन की यह एक विशिष्ट प्रकृति रही, जिसे हम हिन्दू, इस्लाम आदि धर्मों में हुए विभिन्न सुधार आंदोलन में देख सकते हैं।
- सुधारवादियों ने जहाँ तत्कालीन आधुनिक तत्वों पर जोर दिया वहीं पुनरुत्थानवादियों ने अतीत को ही आधार बनाया। उदाहरण के लिए **राजा राम मोहन राय** के विचारों में जहाँ-जहाँ सुधारवादी तत्वों का प्रभाव ज्यादा है, वहीं **स्वामी दयानंद सरस्वती** के यहाँ पुनरुत्थानवादी तत्व भी दिखाई पड़ते हैं।
- **स्वामी दयानंद सरस्वती** ने 'वेदों की ओर लौटो' का नारा देकर अतीत पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने 'शुद्धि आंदोलन' चलाया, ताकि धर्म परिवर्तित लोगों को पुनः हिन्दू धर्म में वापस लाया जा सके। इस आंदोलन को सांप्रदायिकता के विकास से भी जोड़कर देखा जा सकता है।

इसी प्रकार इस्लाम के तहत बहावी जैसे जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन चले, उसमें **कुरान** को ही आधार बनाते हुए सुधारों की बात की गयी साथ ही भारत को **दारूल हर्ब** या **काफिरों का देश** कहकर इसे दारूल इस्लाम बनाने की बात की गयी। इस बात को भी सांप्रदायिकता के प्रारंभिक विकास से जोड़कर देखा जाता है।

- यह आंदोलन विधि व कानून निर्माण पर भी बल देता है। इस रूप में यह **मध्ययुगीन सुधार आंदोलन** से भिन्न था।
- औपनिवेशिक संस्कृति एवं विचारधारा तथा भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा का द्वंद्व था। एक तरफ इस सुधार आंदोलन पर पाश्चात्य **भाषा, शिक्षा, कला, साहित्य, धर्म** आदि का प्रभाव था। कई सुधारकों ने इसमें काफी हद तक सुधार भी किया। वहीं **दूसरी ओर** कई सुधारकों द्वारा इसकी प्रक्रिया में भारतीय भाषा, धर्म एवं संस्कृति के नाम पर सुधारों की बात की गयी।
- सुधारकों में आंतरिक द्वंद्व की प्रवृत्ति भी देखी गयी। लगभग सभी सुधारों ने वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया, पर **दयानंद सरस्वती** ने **जाति-भेद** का तो विरोध किया पर वर्ण व्यवस्था को समाज के संचालन हेतु आवश्यक माना। इसी तरह लगभग सभी सुधारकों द्वारा मूर्ति-पूजा का विरोध किया गया पर **विवेकानंद** द्वारा मूर्ति-पूजा का विरोध नहीं किया गया। **केशवचंद्र सेन** ने स्वयं

अपनी पुत्री का विवाह कम उम्र में पूरे वैदिक कर्मकांड के साथ कर दिया।

- सर सैय्यद अहमद आधुनिक विचारों से प्रभावित होते हुए पर्दा प्रथा पर बल देते हैं।
- सुधारों के तरीके को लेकर भी सुधारकों में द्वंद्व दिखाई देता है। विभिन्न सुधारकों में कुछ सुधारक क्रांतिकारी तरीकों से आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे, जैसे-**ज्योतिबा फुले**। वहीं कुछ सुधारक परंपरावादी समाज व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही सुधार चाहते थे, जैसे-**दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे** आदि। दयानंद सरस्वती ने **जाति-प्रथा** का तो विरोध किया पर वर्ण-व्यवस्था का नहीं।
- 19वीं सदी का सुधार आंदोलन संपूर्ण भारत में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सका, बल्कि इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्यतः **बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास** आदि क्षेत्र में थे।
- इसके अतिरिक्त यहां के भी ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते रहे। तात्पर्य यह है कि कुछ प्रमुख क्षेत्र एवं शहरी इलाके ही इससे प्रभावित रहे, अन्य क्षेत्र एवं ग्रामीण इलाके इससे अछूते रहे।
- इन सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रभाव शहरी शिक्षित मध्यम वर्ग पर ही पड़ा **ग्रामीण कृषक जनता** इससे लगभग अप्रभावित रही।
- इसी आधार पर कहा जाता है कि यह सुधार आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन का रूप नहीं ले सका।

सुधार आंदोलन : यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रभाव (Reform Movements : Effect of European Renaissance)

19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन के स्वरूप के तहत **साम्यता** एवं **विषमता** के तत्वों के साथ ही यह विषय बिंदु भी रहा है कि, यह आंदोलन कहाँ तक यूरोपीय पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति है। किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके पक्ष और विपक्ष के विभिन्न तर्कों का विश्लेषण करें।

पक्ष में तर्क (Argument in Favor)

- इन सुधार आंदोलन में कई ऐसी प्रवृत्तियाँ देखी गयीं, जिनके आधार पर यह कहा गया कि यह यूरोपीय पुनर्जागरण की ही अभिव्यक्ति है जैसे **मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद** आदि विचार।
- जिस तरह **15वीं-16वीं सदी** के यूरोपीय पुनर्जागरण के मध्य

युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ उसी प्रकार **19वीं सदी** के सुधारों से भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ।

उपरोक्त विचारों का विभिन्न तर्कों के आधार पर विरोध किया गया है, जैसे-

- भारतीय संदर्भ में **मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद** आदि तत्व अभी व्यावहारिक स्तर पर विस्तार नहीं प्राप्त कर पाये थे जबकि यूरोपीय संदर्भ में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार था।
- यूरोप से अलग यहाँ सुधार आंदोलन से **पूर्व अंधकार युग** नहीं था। **18वीं सदी** में किसी केंद्रीय साम्राज्य के अभाव में अस्थिरता अवश्य थी पर इसका मतलब यह नहीं था कि, यह युग अंधकार युग था।
- यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में पुनर्जागरण के लिए यहां **भौगोलिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, कला एवं साहित्य क्षेत्र की गतिविधियाँ** आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। ये तत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सीमित थे।
- ये सुधार आंदोलन के छोटे भाग अर्थात् नगरीय एवं उच्च मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पूरी करते थे। इनमें कोई भी बहुसंख्यक किसानों, **नगरों की गरीब जनसंख्या** तक नहीं पहुँचा।

विपक्ष में तर्क (Argument in Opposition)

विपक्ष विरोध के इन्हीं तर्कों को आगे बढ़ाते हुए इस सुधार-आंदोलन के पीछे के वास्तविक कारणों की जाँच-पड़ताल की गई और निम्नलिखित तथ्य स्थापित किए गए।

- पश्चिम के उदारवादी विचारों से **आम जनमानस** का बहुत कम संबंध था। लोगों की बहुत बड़ी समस्या औपनिवेशिक शोषण की समस्या थी।
- पाश्चात्य विचारों के आरोपण से पाश्चात्यीकरण को बढ़ावा मिला न कि आधुनिकीकरण को, इससे तात्पर्य यह है कि आधुनिकीकरण में किसी परिवेश की परंपरा भी होती है। आधुनिकीकरण की यथार्थ भूमि उसके अपने परिवेश से तैयार होती है न कि बाह्य विचारों से। उदाहरण के लिए **चीन** एवं **जापान** का आधुनिकीकरण इसका प्रमाण है जिसका आधार उसके अपने परिवेश से निर्मित हुआ है।

- इन विचारकों का यहाँ तक कहना है कि पाश्चात्य प्रभावों ने तो यहाँ विकसित हो रहे परिवेशजनित आधुनिकीकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया को अवरुद्ध ही किया। यहाँ का आधुनिकीकरण ब्रिटिश शोषण की प्रतिक्रिया की भी एक अभिव्यक्ति था।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 19वीं सदी का सामाजिक-धार्मिक आंदोलन कुछ संदर्भों में यूरोपीय पुनर्जागरण के तत्वों को तो अवश्य ग्रहण करता है पर इसे उसकी देन या अभिव्यक्ति कहना समुचित प्रतीत नहीं होता। वास्तव में यह आंदोलन यूरोपीय पुनर्जागरण से भिन्न एक भारतीय नवजागरण था जिससे मध्य युग की समाप्ति हुई और कई संदर्भों में आधुनिकता का विकास हुआ।

सुधार आंदोलनों की प्रणाली (Features of Reform Movements)

सामाजिक-धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया गया जिनमें से चार मुख्य धाराएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- **आंतरिक सुधार** प्रणाली की शुरुआत राजा राममोहन राय द्वारा की गयी थी और 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग हुआ। इस प्रणाली के प्रचारकों को यह विश्वास था कि किसी भी सुधार को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के अंदर से ही हो।
- परिणामस्वरूप इनके प्रयास लोगों के बीच जागरुकता की भावना पैदा करने पर केंद्रित थे। यह प्रयास उन्होंने किताबें छापकर, विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर बहस व विवाद का आयोजन इत्यादि करके किया। राजा राममोहन राय का सती प्रथा के खिलाफ प्रचार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विधवा-विवाह पर लिखे इश्तहार तथा बी.एन. मालाबारी के शादी-विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के प्रयास इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
- कानून के द्वारा सुधार कानूनी हस्तक्षेप द्वारा प्रभाव लाने के विश्वास पर आधारित थी। इस प्रणाली की वकालत करने वाले-बंगाल के केशवचन्द्र सेन, महाराष्ट्र के महादेव गोविन्द रानाडे तथा आंध्र प्रदेश के विरेशलिंगम का मानना था कि सुधार के प्रयास वास्तव में तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकते जब तक उन्हें राज्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो।

- इसलिए उन्होंने सरकार से विधवा-विवाह (सिविल मैरिज) तथा अन्य विवाहों की न्यूनतम आयु बढ़ाने जैसे सुधारों को कानूनी समर्थन देने की मांग की।
- हांलाकि वे यह समझने में भूल कर बैठे कि ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सुधारों में रुचि केवल अपने संकीर्ण राजनैतिक व आर्थिक स्वार्थों के कारण थी और वे तभी हस्तक्षेप करते जब इन सुधारों से उनका स्वार्थ अप्रभावित रहता।
- साथ ही, वे यह समझने में भी गलती कर बैठे कि बदलाव के लिए हथियार के रूप में कानून की भूमिका औपनिवेशिक समाज में ही सीमित थी क्योंकि इसे जनता की मान्यता प्राप्त नहीं थी।
- **प्रतीकात्मक बदलाव द्वारा सुधार की तीसरी प्रवृत्ति** की कोशिश विशिष्ट विरोधी-गतिविधियों द्वारा प्रतीकात्मक बदलाव लाने की थी। यह प्रवृत्ति “डेरोजियो” या “यंग बंगाल” तक ही सीमित थी जो सुधार-आंदोलन के बीच क्रांतिकारी धारा का नेतृत्व करती थी। इस समूह के सदस्य, जिनमें से प्रमुखतः दक्षिणारंजन मुखर्जी, रामगोपाल घोष तथा कृष्ण मोहन बनर्जी ने परंपराओं का बहिष्कार किया और समाज की मान्यता प्राप्त मानदंडों के खिलाफ विद्रोह किया।
- वे “पश्चिम के नए उठते विचारों” की धारा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के प्रति समझौता न करने वाली क्रांतिकारी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया।
- रामगोपाल घोष ने इस समूह की क्रांतिकारिता को अभिव्यक्त करते हुए घोषणा की- “वह जो तर्क नहीं करेगा धर्मान्ध है, वह जो नहीं कर सकता, बेवकूफ है और जो नहीं करता गुलाम है।”
- इन्होंने जिस प्रणाली को अपनाया उसकी मुख्य कमजोरी यह थी कि वह भारतीय समाज की सांस्कृतिक परंपरा को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाई। अतः बंगाल में उभरते नए मध्यम वर्ग ने इसे परंपरा के विरुद्ध पाया और स्वीकार नहीं किया।
- सामाजिक कार्यों द्वारा सुधार चौथी धारा थी जैसा कि ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से स्पष्ट है। उन लोगों को बिना सहायक सामाजिक कार्य के विरुद्ध बुद्धिजीवी प्रयासों की सीमित सीमा का स्पष्ट ज्ञान था।
- उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह

की वकालत सिर्फ प्रवचनों और किताबों के प्रकाशन करके ही खुश नहीं थे।

- शायद आधुनिक युग में भारत ने उनके रूप से सबसे महान मानवतावादी को जन्म दिया, जिसने अपने को विधवा-विवाह की समस्याओं से जोड़ लिया और अपनी पूरी जिन्दगी, शक्ति और धन इसी कार्य पर लगा दिया।
- इन सबके बावजूद वह सिर्फ कुछ एक विधवा-विवाह ही करवा पाए।
- विद्यासागर का सार्थक रूप से कुछ न प्राप्त कर पाना ही इस बात का द्योतक है कि औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधारों के प्रभाव की अपनी एक सीमा थी। **आर्य समाज** और **रामकृष्ण मिशन** ने भी सामाजिक कार्य द्वारा सुधार व पुनर्जागरण के विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। उनकी सीमा उनकी खुद की वह सीमित समझ थी कि सामाजिक और बौद्धिक स्तरीय सुधार समाज के संपूर्ण चरित्र व संरचना के साथ इस कदर जुड़े हैं कि उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता।
- मौजूदा व्यवस्था की संकीर्णता ही उन सीमाओं को दर्शाती है जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कोई भी प्रयास लांघ नहीं पाया है।
- दूसरे सुधार-आंदोलनों की तुलना में इनकी निर्भरता औपनिवेशिक सरकार के हस्तक्षेप पर कम और सामाजिक कार्य को मत के रूप में विकसित करने पर ज्यादा रही।

सुधार आंदोलन की उपलब्धियाँ एवं सीमाएँ (Achievements and Limitations of Reform Movements)

उपलब्धियाँ (Achievements)

19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को पहले के सुधार आंदोलनों की भांति ही युग-विभाजक अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। युग-विभाजक अध्याय इसलिए कि इसका प्रभाव सिर्फ धर्म या समाज पर ही केन्द्रित नहीं रहा बल्कि इसने जनजीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इनका उपलब्धियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर देखा जा सकता है-

- इसके माध्यम से तत्कालीन भारतीय धर्म एवं समाज की

रूढ़िवादिता एवं जड़ता पर प्रहार हुआ और भारतीय नवजागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार से आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना प्रसारित हुई।
- सुधार-आंदोलन के दौरान शेष विश्व से जुड़ाव भी स्थापित हुआ जिससे भारतीय ज्ञान-विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र को व्यापकता मिली।
- वास्तव में इन आंदोलनों का उदय ही पुराने धर्मों को नवीन आधुनिक सांचे में ढालकर उनको समाज के नए वर्गों की आवश्यकतानुसार बनाने के लिए हुआ था।
- इन आंदोलनों के कारण शेष दुनिया से भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक अलगाव को भी कुछ हद तक समाप्त किया तथा भारतीयों को विश्वव्यापी विचारों में भागीदार बनाया, जैसे- **स्वामी विवेकानंद का शिकांगो धर्म संसद 1893 का भाषण**।
- राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान सुधार आंदोलनों की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने ऐसे समय पर भारतीयों को समानता स्वतंत्रता एवं जागरण का संदेश दिया जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और समस्त जनजीवन अंध विश्वास, रूढ़िवादिता एवं अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था।
- इस सुधार आंदोलन से विभिन्न स्तरों पर जैसे- **विचार, नेतृत्व, संगठन कार्यक्रम, जनसहभागिता** आदि तत्वों की राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में आधारभूमि तैयार हुई, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के विकासधारा को वैचारिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों पर आगे बढ़ाया।
- **राजा राममोहन राय** के रूप में अगर राजनीतिक सुधारों का प्रवर्तक मिला तो **दयानंद सरस्वती** के रूप में **स्वदेशी एवं स्वराज का प्रचारक** भी, साथ ही स्वामी विवेकानंद के रूप में मानवतावाद का वास्तविक पुजारी भी, **दादाभाई नौरोजी** जैसे **आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक** भी।
- चूंकि एक बौद्धिक एवं सामाजिक जागरण दीर्घकालीन जड़ता के बाद और बड़ी विषम परिस्थितियों में हुआ था। अतः इसके प्रति प्रारंभिक उत्साह और इसमें बड़ी उम्मीदें बांधना कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी। स्वाभाविक रूप से लोगों को ऐसा लगा कि इस जागरण से समस्त राष्ट्रीय जीवन की कायापलट

हो जाएगी और देश में आधुनिक युग का अभ्युदय होगा। पर ऐसा हुआ नहीं और सुधार-आंदोलन भारत में मध्य युग से आधुनिक युग के बीच संक्रमण की एक गोधूलि बनकर रह गया।

- अलबत्ता यह गोधूलि मध्ययुग के अवसान और आधुनिक युग के आगमन का संकेत अवश्य दे रही थी।

सीमाएं (Limitations)

- इस सुधार आंदोलन में आत्म-गौरव की भावना के प्रसार के उद्देश्य से अतीत की ओर लौटने पर जोर दिया गया पर इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी विकृतियां आईं जिन्हें सुधार आंदोलन की कमजोरी माना जाता है, जैसे-प्राचीन भारत को स्वर्ण युग एवं मध्य युग को विदेशी युग के रूप में दिखाया जाना।
- समस्या यह हुई कि प्राचीन काल को स्वर्ण युग कहने से निम्नवर्गीय जनता जो उस युग में उपेक्षित थी वह इस आंदोलन के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाई। इसी तरह मध्य युग की उपेक्षा के कारण मुस्लिम वर्ग इस प्रवृत्ति को संदेह की दृष्टि से देखता था, जो आगे चलकर सांप्रदायिकता के विकास का भी एक कारण बना।
- मुस्लिम मध्यवर्ग के अनेक लोगों ने अपनी परंपरा और अपनी धरोहर को पश्चिम एशिया के इतिहास में खोजना आरंभ कर दिया। फलतः समन्वित संस्कृति के विकास की सदियों में चली आ रही प्रक्रिया पर अंकुश लगा।
- इसका दुष्परिणाम तब सामने आया जब राष्ट्रीय चेतना के साथ सांप्रदायिक चेतना का भी विकास होने लगा।
- इस आंदोलन की एक कमजोरी पीछे मुड़कर अतीत की महानता का गुणगान करना तथा धर्मग्रंथों को आधार बनाने की प्रवृत्ति थी। यह आंदोलन की अपने सकारात्मक शिक्षाओं की विरोधी बन गई। इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के श्रेष्ठता की विचार को आघात पहुंचाया, जिससे छद्म वैज्ञानिक चिंतन को बल मिला।
- सुधार आंदोलन में धर्म सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके कारण आंदोलन पर संकीर्णता का प्रभाव रहा।
- सुधारकों में सैद्धांतिक अंतर्विरोधों के कारण भी इस आंदोलन को सीमित सफलता मिली।
- संपूर्ण समाज के स्तर पर कोई विशेष मौलिक परिवर्तन नहीं हो पाये, इसे हम क्षेत्रीय एवं वर्गीय संदर्भों में देख सकते हैं।

- ये सभी सुधार आंदोलन समाज के एक बहुत छोटे भाग यानि नगरीय एवं उच्च मध्यम वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करते थे इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचा।
- इस प्रकार यह आंदोलन अपनी संकीर्णता धर्मसापेक्ष दृष्टिकोण, सैद्धांतिक अंतर्विरोध एवं ऐतिहासिक संदर्भ में सामाजिक पृष्ठभूमि को यथोचित समझ के अभाव के फलस्वरूप अपने उद्देश्य में अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाया।
- लेकिन इसकी विफलता का एक और भी कारण था, वह था इस आंदोलन का औपनिवेशिक संदर्भ। राजनीतिक गुलामी की जंजीर में बंधे रहकर सामाजिक या मानसिक स्वतंत्रता और मुक्ति का सारा नारा निरर्थक था।

ब्रिटिश सामाजिक-सांस्कृतिक नीति (British Social-Cultural Policy)

भारत में 18वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश शासन की स्थापना व विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ आधार देने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी नीतियां बनायी गईं। इन नीतियों के कारण भी परिवेश में परिवर्तन आता रहा।

- इस प्ररिप्रेक्ष्य में प्रारंभिक तौर में विशेषकर 1813 के पूर्व तक ब्रिटिश शासन द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में तटस्थता की ही नीति अपनाई गई, पर 1813 के बाद अपने निहित उद्देश्यों के पूर्ति हेतु विशेषकर ब्रिटिश औद्योगिककरण के परिप्रेक्ष्य में अपने उत्पादों के प्रसार के लिए पाश्चात्यीकरण पर भी जोर दिया गया।
- इसके लिए भारतीय समाज के रूपांतरण की भी आवश्यकता थी और इस रूपांतरण के लिए समाज-सुधार से संबंधित कई कार्य किए गये।

इन कार्यों को हम निम्न बिंदुओं पर देख सकते हैं-

- सती प्रथा- यह एक अनैतिक सामाजिक बुराई थी जो भारत में काफी लंबे समय से चली आ रही थी। इस प्रथा में विधवाओं को पति की चिता के साथ जलकर मरना पड़ता था।
- यह प्रथा सामान्यतः ऊँची जाति के हिन्दूओं के बीच प्रचलित थी। व्यक्तिगत स्तर पर कई अंग्रेज अधिकारियों ने सती प्रथा


- को रोकने का असफल प्रयास किया, किंतु यह **सरकारी नीति** नहीं थी।
- **लॉर्ड वेलेजली** ने 1803 ई० में यह प्रयास किया कि ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में यह प्रथा बंद करायी जाय। अपने इस विचार को उसने **सुप्रीम कोर्ट**, **कलकत्ता** के सामने रखा।
 - कोर्ट का मानना था कि इस मुद्दे पर सरकार को सर्तक रहना चाहिए, धार्मिक नेताओं से बात करनी चाहिए तथा स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सरकार अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर सकी।
 - इस कारण सती प्रथा में कोई कमी नहीं आई।
 - **गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट** का मानना था कि वैधानिक स्तर पर इस प्रथा के उन्मूलन का उपयुक्त समय अभी नहीं था किन्तु **विलियम बेंटिक गवर्नर** बना तब उसे यह सलाह दी गयी कि इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करे।
 - इस प्रयास में **राजा राममोहन राय** तथा **एच०एच० विल्सन** ने उचित माहौल बनाया और सरकार को इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया।
 - **राजा राममोहन राय** के प्रयासों के फलस्वरूप **लॉर्ड विलियम बेंटिक** ने जल्द ही इसे समाप्त करने का निर्णय लिया और अंततः 1829 को इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और **बंगाल प्रेसीडेंसी का XVII रेगुलेशन** पास हुआ।
 - इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति सती प्रथा में सहयोग देगा तो उसे **मानव मृत्यु का अपराधी** माना जाएगा और यदि किसी ने सती प्रथा को सम्पन्न कराने में बल प्रयोग किया तो उसे **मृत्युदंड** दिया जाएगा।
 - ऐसा ही प्रस्ताव 1830 को **मद्रास प्रेसीडेंसी** में पास किया गया तथा **बंबई प्रेसीडेंसी** में इस प्रकार का कदम उठाया गया। हालांकि इस कदम का भारी विरोध भी किया गया **लॉर्ड विलियम बेंटिक** को ज्ञापन भी दिया गया। **आंदोलनकर्ता जनवरी, 1830** में इस मुद्दे को लेकर **प्रिवी काउंसिल** भी गये लेकिन उक्त अपील को खारिज कर दिया गया।
 - **विधवा-पुनर्विवाह** जैसी बुराई भारतीय समाज में उस समय व्याप्त थी। इस ओर सरकार का ध्यान तब गया जब भारतीय समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठायी। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का सुझाव दिया गया। **ईश्वर चंद्र विद्यासागर** ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा **‘हिन्दू विडोज री-मैरिज एक्ट: 1856’** 26 जुलाई को अधिनियम XV, 1856 के रूप में पास किया गया।
 - **बाल-विवाह** भी एक अत्यंत भयावह सामाजिक बुराई थी। सामाजिक सुधारकों द्वारा किए गए आंदोलनों के परिणामस्वरूप सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इस संबंध में 1872 में **ब्रह्म या नेटिव मैरिज एक्ट** जिसमें यह प्रावधान था कि विवाह के समय लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
 - 1891 में **ऐज ऑफ कंसेन्ट एक्ट या सम्मति आयु अधिनियम** पारित किया गया जिसमें विवाह के समय लड़की और लड़के की उम्र 12 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 1930 ई. में **शारदा अधिनियम** के प्रावधानों में लड़की-लड़के का उम्र 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित किया गया।
 - **बहु-विवाह प्रथा** भी हिन्दू समाज में एक सामाजिक बुराई थी। यह बुराई बंगाल में उच्च हिन्दू जातियों विशेषकर **ब्राह्मण जाति** में थी। इस ओर सरकार का ध्यान 1855 से 1857 के बीच तब गया जब इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई।
 - इस दिशा में सुधार के प्रयास शुरू किए गये लेकिन 1857 का विद्रोह शुरू होने के कारण इस पर रोक लग गयी। बाद में **बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर** ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह इस पर कानून बनाए लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि बंगाल के बाहर भी अन्य समुदायों में यह प्रथा प्रचलित है।
 - **अंतर्जातीय विवाह** को भी बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त **नरबलि की प्रथा** जो उड़ीसा में खोंड जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित थी। इस पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान 19वीं सदी के मध्य में गया। इस क्रूर प्रथा पर **लॉर्ड हॉडिंग** द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया।
 - **शिशु-वध** भी एक क्रूर सामाजिक बुराई थी 1802 में सरकार का ध्यान इस पर गया। यह बुराई सिर्फ आदिवासियों में नहीं बल्कि राजपूत जातियों में भी थी। **बंगाल प्रेसीडेंसी** में 1795 में रेगुलेशन एक्ट XXI के अनुसार इस प्रथा को पालन करने वालों को हत्यारा माना जाता था। बाद में इसे भारत के अन्य भागों में लागू कर दिया गया।

- **लॉर्ड विलियम बेंटिक** ने शिशु-हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें लड़कियों के जन्म का पंजीकरण करना तथा इसका नियमित सर्वेक्षण करना कि, वह बच्ची अभी भी जीवित है या नहीं आदि। इस प्रकार धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त होने लगी।
- **ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक** के समय में किया गया, उस समय **ठग डाकुओं और हत्यारों** का एक समूह था जो निर्दोष व्यक्तियों को लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। ठग लोग अवध से लेकर **हैदराबाद** तक राजपूताना तथा **बुंदेलखण्ड** के समस्त क्षेत्र के बीच गिरोह बनाकर सक्रिय थे।
- ठगों में हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी थे। ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे और उन्हें बलि चढ़ाते थे। **1829 ई. में इस प्रथा का दमन** करने के लिए **कर्नल स्लीमैन** को ठगी तथा डकैती उन्मूलन का

कमिश्नर नियुक्त किया गया। उसने 1500 के लगभग ठगों को बन्दी बनाया गया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गयी और शेष को **आजीवन निर्वासित** कर दिया गया। **1837** के पश्चात् संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया।

- **दास प्रथा** भी एक सामाजिक बुराई थी। इस संबंध में समय-समय पर कई प्रावधान आये जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण **1833 का अधिनियम** था। इसके परिणाम स्वरूप **1843 ई. में दास प्रथा** समाप्त कर दिया गया।

इन सबके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भी शिक्षा एवं समाज क्षेत्र में कई कार्य हुए हालांकि मिशनरियों की गतिविधियों से धर्म-परिवर्तन को भी बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर अन्य संदर्भों के तरह ही ब्रिटिश सामाजिक-सांस्कृतिक नीति एवं उसके सुधार भी अपने हितों की पूर्ति से जुड़े थे, पर इस प्रक्रिया में ही कई वास्तविक सुधार भी हुए।





KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Download the Khan Global Studies
(Official) App



KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform



Read Daily
Current Affairs



Connect With Us

